सत्यमेव जयते

भारत की जनगणना 1991
CENSUS OF INDIA 1991

शृंखला 27
SERIES 27

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

भाग–VII
PART–VII

मकान और परिवारों को उपलब्ध सुविधा सारणियां
TABLES ON HOUSES AND HOUSEHOLD AMENITIES

अशोक कुमार
निदेशक जनगणना कार्य
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

ASHOK KUMAR
Director of Census Operations
Andaman & Nicobar Islands

विषय-सूची

		पृष्ठ सं०
प्राक्कथन		iv
प्रस्तावना		viii
परिचयात्मक टिप्पणी		x
विश्लेषणात्मक टिप्पणी		xvi
मकानों और परिवारों को उपबन्ध सुविधा सारणियां		
परिवार सारणी ज-1	जनगणना मकान और वे किस उपयोग में आते हैं	10–11
परिवार सारणी ज-2 भाग "क"	जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों का वितरण—नगरीय	14–15
परिवार सारणी ज-2 भाग "क" का परिशिष्ट	आबाद आवासीय जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार परिवारों का वितरण–नगरीय	20–21
परिवार सारणी ज-2 भाग "ख"	जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों का वितरण–ग्रामीण	26–27
परिवार सारणी ज-2 भाग "ख" का परिशिष्ट	आबाद आवासीय जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार परिवारों का वितरण–ग्रामीण	32–33
परिवार सारणी ज-3	धारणाधिकार की स्थिती, साईज और रहने के कमरों की संख्या के अनुसार परिवार	40–41
परिवार सारणी ज-3 अ०ज०जा०	धारणाधिकार, साईज और रहने के कमरों की संख्या के अनुसार अनुसूचितजनजातियों के परिवार	50–51
परिवार सारणी ज-4	बिजली, शौचालय सुविधा की उपलब्धता और आबाद मकानों के धारणाधिकार की स्थिति के अनुसार परिवार और 1000 की जनसंख्या का वितरण	62
परिवार सारणी ज-4 अ०ज०जा०	बिजली, शौचालय सुविधा की उपलब्धता और आबाद मकानों के धारणाधिकार की स्थिति के अनुसार जनजाति के परिवार और 1000 की जनसख्या का वितरण	66
परिवार सारणी ज-5	पीने के पानी के स्रोत, बिजली और शौचालय सुविधा की उपलब्धता के अनुसार वर्गीकृत परिवार	70
परिवार सारणी ज-5 अ०ज०जा०	पीने के पानी के स्रोत, बिजली और शौचालय सुविधा की उपलब्धता के अनुसार वर्गीकृत अनुसूचित जनजातियों के परिवार	80
परिवार सारणी ज-6	खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की किस्म के अनुसार परिवार	88–89
परिवार सारणी ज-6 अ०ज०जा०	खाना पकाने के लिये उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की किस्म के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के परिवार	90–91

CONTENTS

		Page No.
FOREWORD		v
PREFACE		ix
INTRODUCTORY NOTE		xi
ANALYTICAL NOTE		1
TABLES ON HOUSES AND HOUSEHOLD AMENITIES		
H-1	Census Houses and the uses to which they are put	10-11
H-2 Part-A	Distribution of census houses by predominant material of roof, wall and floor of Census houses—Urban	14-15
Appendix to H-2 Part-A	Distribution of households by predominant material of roof, wall add floor of residential census houses occupied by them—Urban	20-21
H-2 Part B	Distribution of census houses by predominant material of roof, wall and floor of census houses—Rural	26-27
Appendix to Table H-2 Part B	Distribution of households by predominant material of roof, wall and floor of residential census houses occupied by them—Rural	32-33
H-3	Households by tenure status, size and number of rooms occupied	40-41
H-3 ST	Households belonging to scheduled tribes by tenure status, size and number of rooms occupied	50-51
H-4	Households and distribution of 1000 population by availability of electricity and toilet facilities and tenure status of house occupied	62
H-4 ST	Households and distribution of 1000 population of scheduled tribes by availability of electricity and toilet facilities and tenure status of house occupied	66
H-5	Households classified by source of drinking water availability of electricity and toilet facilities	70
H-5 ST	Households belonging to scheduled tribes classified by source of drinking water, availability of electricity and toilet facilities	80
H-6	Households by type of fuel used for cooking	88-89
H-6 ST	Households belonging to scheduled tribes by type of fuel used for cooking	90-91

प्राक्कथन

1991 की जनगणना के आरम्भ में अप्रैल–अक्तूबर, 1990 के दौरान सम्पूर्ण भारत में मकान सूचीकरण का कार्य किया गया था। इस कार्य का उद्देश्य सभी क्षेत्रों के मानचित्र बनाना और सभी मकानों को एक समान तरीके से नम्बर देना था। प्रत्येक मकान में जाने के इस अवसर का उपयोग मकानों की स्थिति और इन मकानों में रहने वाले परिवारों को उपलब्ध कतिपय सुविधाओं के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिये भी किया गया। मकानसूची में एकत्रित किए गए आंकड़े मकानों की स्थिति, मकानों की गुणवत्ता और परिवारों को उपलब्ध पीने के पानी, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाओं, खाना पकाने के लिये प्रयुक्त ईंधन के प्रकार, परिवार आकार, रहने के कमरों की संख्या, धारणाधिकार की स्थिति (परिवार अपने मकान में रहता है या किराए के मकान में) और क्या परिवार अनुसूचित जनजाति का है–इन बातों का पता लगाने में उपयोगी है।

एकत्रित किए गए आंकड़ों का सम्पादन, कोडीकरण करके कई सारणियां तैयार की गई हैं। एक करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले बड़े राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आंकड़ों के संसाधन के लिये जनगणना मकानों के 20 प्रतिशत सैम्पल का चयन किया गया। अन्य सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्येक मकान और परिवार के आंकड़ों को सारणीबद्ध किया गया। छः सारणियां तैयार की गई हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र की ये सारणियां इस खण्ड में प्रस्तुत की जा रही हैं। छः में से दो सारणियां राज्य, जिला और शहर स्तरों पर जबकि सारणी ज-2 केवल राज्य स्तर पर प्रस्तुत की जा रही है शेष तीन सारणियां अर्थात् ज-4, ज-5 और ज-6 जिला, तहसील और कस्बा स्तरों पर प्रस्तुत की जा रही हैं। सारणी ज-4 में बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता और आवाद मकान की धारणाधिकार की स्थिति के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। सारणी ज-5 में पीने के पानी के स्रोत, बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के आंकड़े दिए गए हैं तथा सारणी ज-6 में खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे ईंधन की किस्म के अनुसार परिवारों के आंकड़े दिए गए हैं। ये सारणियां 1991 की जनगणना की ज-शृंखला सारणियों के रूप में प्रकाशित की जा रही हैं। प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए अलग-अलग खण्ड प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। एक अखिल भारतीय प्रकाशन भी प्रकाशित किया जाएगा जिसमें राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के आंकड़े दिए जाएंगे। राज्य स्तर के प्रकाशन में जिला, शहर और उससे नीचे के स्तरों के आंकड़े दिए जाएंगे।

यह रिपोर्ट अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र में एकत्रित किए गए आंकड़ों से सम्बन्धित है। मकान सूचीकरण का कार्य श्री अशोक कुमार द्वारा किया गया था जिसमें श्री बलवन्त सिंह,उप निदेशक, जनगणना कार्य ने उन्हें सहयोग दिया। मकानसूचियों के कोडिंग, सम्पादन और आंकड़े प्रविष्टि का कार्य जनगणना कार्य निदेशालय अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में किया गया। उसके पश्चात्, सिस्टम डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कम्प्यूटर पर वास्तविक संसाधन, कम्प्यूटरीकृत सारणियों की संवीक्षा, टिप्पणियां लिखने और इस खण्ड को मुद्रण के लिये तैयार करने सम्बन्धी कार्य नई दिल्ली स्थित भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में किया गया।

इस प्रकार, यह खण्ड इस संगठन के अत्यधिक समर्पित अधिकारियों के दल के प्रयासों का परिणाम है। स्थानाभाव के कारण भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के विभिन्न प्रभागों के विभिन्न स्तरों के उन सभी अधिकारियों का उल्लेख करना सम्भव नहीं है जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर इस परियोजना का काम किया। तथापि, मैं श्री सी०एस० अरोड़ा, निदेशक (ई०डी०पी०), श्री के०आर० उण्णि, संयुक्त निदेशक (ई०डी०पी०) और सर्वश्री सूरजभान और रघुवंश प्रसाद, उप निदेशक का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर आंकड़े प्रविष्टि और संसाधन के कार्य में सहयोग दिया।

कार्यालय के जनगणना प्रभाग ने सारणियों की सम्पूर्ण संवीक्षा करने, इस प्रकाशन में दी गई टिप्पणियां तैयार करने और मुद्रण के लिये पांडुलिपि तैयार करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। यह कार्य श्री एन० राम राव, उप महारजिस्ट्रार (जनगणना और सारणीकरण) तथा उनकी सेवा निवृत्ति के पश्चात् श्री आर०के० पुरी, संयुक्त निदेशक के पर्यवेक्षण में किया गया जिसमें सर्वश्री वी० पी० रस्तोगी उप निदेशक और बाबू लाल, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य ने उनकी सहायता की। श्री के०एस० नटराजन, भारत के उप महारजिस्ट्रार और श्री के० नारायण उण्णि, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर सम्पादन जांच से ज्ञात विसंगतियों की संवीक्षा की गई।

श्री कृष्णानन्द पन्त, उप निदेशक (रा०भा०) और उनके सहयोगियों ने हिन्दी अनुवाद किया। मुद्रण प्रभाग के उप निदेशक श्री आई०एस० ठाकुर ने इस खण्ड का मुद्रण कराने में सहायता दी। इस कार्य से घनिष्ठ रूप से जुड़े मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम अलग से दिए गए हैं।

नई दिल्ली
जनवरी, 1993

अमूल्य रतन नन्दा
भारत के महारजिस्ट्रार

FOREWORD

As a prelude to the 1991 Census, a houselisting operation was carried out all over India during April—October, 1990. The purpose of this operation was to map out all areas and number the houses in a uniform manner. This opportunity of visiting each house was utilized for canvassing data on the housing conditions and certain amenities available to the households living in these houses. The data collected in the houselist are useful in assessing the housing stock, quality of housing and amenities available to households such as drinking water, electricity, toilet facilities, the type of fuel used for cooking together with details on household size, number of living rooms, tenure status (whether the houschold lives in owned or rented house) and whether the household belongs to SC/ST.

The data collected have been edited, coded and a number of tables generated. In case of bigger states like Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal with a population exceeding 10 million each, a 20% sample of census houses was selected for processing the data. In all other states/union territories the data were tabulated for each house and household. Six tables have been generated. These tables for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands are being presented in this volume. Two out of six tables are being presented at state, district and city levels. while Table H-2 is presented only at state level. The remaining three tables viz., H-4, H-5 and H-6 are being presented at district, tahsil and town levels. Table H-4 gives data on availability of electricity and toilet facilities and table H-6 gives data on households by type of fuel used for cooking. These tables are being published as H-Series tables of 1991 Census. Separate volumes are proposed for each state and union territory. There will be one All India publication which will give the data for states and union territories. State level publication would give the data for districts, cities and lower levels.

The present report relates to the data collected in Andaman and Nicobar Islands union territory. The houselisting operation was ably conducted by Shri Ashok Kumar, Director of Census Operations assisted by Shri Balwant Singh, Deputy Director of Census Operations. While the data entry was done at the Office of the Registrar General, India, New Delhi, the work of coding and editing of the houselists was completed in the Directorate of Census operations, Andaman and Nicobar Islands. Thereafter, the further work of system design programming, actual processing on the computer, scrutiny of the computerised tables, writing up of the notes and arranging the printing of the volume was taken over and seen through by the Office of the Registrar General, India, New Delhi.

This volume is, thus, a product of a team of highly dedicated officers in this organisation. Constraints of space preclude a mention of all officers at various levels in the different divisions of the Office of the Registrar General, India who saw this project through its various stages but mention should be made of Shri C.S. Arora, Director (EDP), Shri K. R. Unni, Joint Director (EDP) and S/Shri Suraj Bhan and Raghuvans Prasad. Deputy Directors who saw through the work of data entry and processing at various stages.

The Census Division of my office had taken over the responsibility of overall scrutiny of the tables, preparation of notes given in this publication and preparation of manuscript for printing. This work was very ably carried out under the supervision of Shri N. Rama Rao, Deputy Registrar General (C & T) and on his retirement by Shri R. K. Puri, Joint Director of Census Operations assisted by S/Shri V. P. Rustagi and Babu Lal, Deputy Directors of Census Operations. The inconsistencies revealed by computer edit checks were scrutinised in Demography Division ably by Shri K. S. Natarajan, Deputy Registrar General, India and Shri K. Narayanan Unni, Senior Research Officer.

Shri K. N. Pant, Deputy Director (Official Language) and his colleagues did the Hindi translation. Shri I. S. Thakur, Deputy Director in the Printing Division helped in arranging the printing of the volume. The names of the officers and staff at the headquarters who were closely associated with the work are given separately.

NEW DELHI
January, 1993

A. R. NANDA
Registrar General, India

आभारोक्ति
ACKNOWLEDGEMENTS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
Office of the Registrar General, India

जनगणना प्रभाग
CENSUS DIVISION

1. श्री जगन लाल Shri Jagan Lal	अन्वेषक Investigator
2. श्रीमती शुक्ला शर्मा Smt. Shukla Sharma	अन्वेषक Investigator
3. श्री पी० के० बोस Shri P. K. Bose	सांख्यिकीय सहायक Statistical Assistant
4. कु० देवी खिल्नानी Miss Devi Khilnani	सांख्यिकीय राहायक Statistical Assistant
5. श्रीमती मनोहर कान्ता Smt. Manohar Kanta	सांख्यिकीय सहायक Statistical Assistant
6. श्री के० के० अग्रवाल Shri K. K. Aggarwal	संगणक Computor
7. श्री के० सेतु माधव राव Shri K. Sethu Madhava Rao	निम्न श्रेणी लिपिक L.D.C.

आंकड़े संसाधन प्रभाग
DATA PROCESSING DIVISION

1. श्री त्रिलोचन सिंह जोहर Shri Trilochan Singh Johar	प्रोग्राम सहायक/कन्सोल ऑपरेटर Program Asstt./Console Operator
2. श्री ए० मरीअप्पन Shri A. Mariappan	प्रोग्राम सहायक/कन्सोल ऑपरेटर Program Asstt./Console Operator
3. श्री देवेन्द्र कुमार Shri Devender Kumar	प्रोग्राम सहायक/कन्सोल आपरेटर Program Asstt./Console Operator
4. श्री एल० पी० गुप्ता Shri L. P. Gupta	अन्वेषक Investigator

मुद्रण प्रभाग
PRINTING DIVISION

1. श्री ब्रह्म दत्त Shri Brahm Dutt	मुद्रण अधिकारी Printing Officer
2. श्री एच० के० झाम्ब Shri H. K. Jhamb	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (मुद्रण) S.T.A. (Ptg.)
3. श्री एन० एल० सविता Shri N. L. Savita	मुद्रण निरीक्षक Printing Inspector
4. श्री एस० एल० चतुर्वेदी Shri S. L. Chaturvedi	मुद्रण निरीक्षक Printing Inspector
5. श्री एम० सी० शर्मा Shri M. C. Sharma	मुद्रण निरीक्षक Printing Inspector

निदेशक जनगणना कार्य, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, A. & N. ISLANDS

1. श्री लाल बहादुर सिंह Shri Lal Bahadur Singh	कार्यालय अधीक्षक Office Superintendent
2. श्रीमती सरम्मा सम्यूल Smt. Saramma Samuel	मुख्य सहायक Head Assistant
3. श्री के० एन० मिश्र Shri K. N. Mishra	अन्वेषक Investigator
4. श्री बी० एन० मिश्र Shri B. N. Mishra	सांख्यिकीय सहायक Statistical Asstt.
5. श्री पी० दास गुप्ता Shri P. Das Gupta	सांख्यिकीय सहायक Statistical Asstt.
6. श्रीमती एम० वी० सरस्वती Smt. M. V. Saraswathi	संगणक Computor
7. श्रीमती थानकोम थॉमस Smt. Thankom Thomas	संगणक Computor
8. श्रीमती पेन्नाम्मा चेरियान Smt. Pennamma Cherian	उच्च श्रेणी लिपिक Upper Division Clerk

प्रस्तावना

इस खंड में मकानों और परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं सम्बन्धी सारणियां प्रस्तुत की गई हैं तथा यह खंड 1991 की जनगणना के प्रकाशनों के कार्यक्रम का अंग है। इस प्रकाशन में मकान और वे किस उपयोग में आते हैं, मकानों के निर्माण में लगी प्रमुख निर्माण सामग्री और परिवारों को उपलब्ध पीने के पानी, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाओं, खाना पकाने के लिये उपयोग में लाए जा रहे ईंधन की किस्म, परिवार के आकार, रहने के कमरों की संख्या, धारणाधिकार की स्थिति और क्या परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है सम्बन्धी जानकारी दी गई है। ज-शृंखला की विभिन्न सारणियों तथा उनके परिशिष्टों में दी गई यह जानकारी मकान सूचीकरण के कार्य के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गयी है। मकान सूचीकरण का कार्य 1991 की जनगणना के प्रारम्भिक कार्य के रूप में किया गया था। इस संघ राज्यक्षेत्र में मकान सूचीकरण का कार्य देश के अन्य भागों के साथ-साथ अप्रैल, 1990 के दौरान किया गया था। कुछ असमकालिक क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य वास्तविक जनगणना के साथ ही किया गया था। 1981 की जनगणना की मकान सूची में 14 मदें थीं और यह अपेक्षाकृत सरल थी लेकिन 1991 की जनगणना में मकान सूची का विस्तार करके उसमें 24 मदें शामिल कर दी गई। आंकड़ों के प्रकाशन में होने वाली देरी से बचने के लिये मकानों के निर्माण में प्रयोग में लाई गई प्रमुख सामग्री और परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं आदि से सम्बन्धित प्रश्नों को जो 1981 की जनगणना में परिवार अनुसूची के माध्यम से वास्तविक गणना के समय भरे गये थे, 1991 की जनगणना में मकान सूचीकरण में शामिल कर दिया गया।

कम्प्यूटर पर आंकड़े, प्रविष्टि, सारणियां और फलाई लीफ, आदि तैयार करने का कार्य भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में किया गया जबकि मकान सूचियों के सम्पादन और कोडिकरण आदि का कार्य जनगणना कार्य निदेशालय में किया गया।

हम भारत के भूतपूर्व महारजिस्ट्रार श्री वी०एस० वर्मा और भारत के वर्तमान महारजिस्ट्रार श्री अमूल्य रत्न नन्दा के अत्यधिक आभारी हैं जिन्होंने जनगणना कार्य के दौरान हमारा अमूल्य मार्गदर्शन किया। हम भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के अन्य अधिकारियों विशेषकर श्री एन० राम राव, भूतपूर्व उप महारजिस्ट्रार (जनगणना और सारणीकरण), श्री सी०एस० अरोड़ा, निदेशक (ई०डी०पी०), श्री के०आर० उण्णि और श्री आर०के० पुरी, संयुक्त निदेशक को भी उनके द्वारा इस खंड के प्रकाशन में दिए गए सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

इस संघ राज्यक्षेत्र में मकान सूचीकरण का कार्य मेरे पूर्वाधिकारी श्री अशोक कुमार के कार्यकाल में किया गया था जिसमें श्री बलवन्त सिंह, पूर्व उप निदेशक, जनगणना कार्य ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया। श्री आनन्द कुमार, उप निदेशक जनगणना कार्य ने इस रिपोर्ट की विश्लेषणात्मक टिप्पणी और मसौदा तैयार किया है जबकि सर्वश्री पी०के०टी० नायर, अन्वेषक, वी०ओ० कोशी, सांख्यिकीय सहायक और के०वी०के० नायर, वरिष्ठ आशुलिपिक ने इस खंड के प्रकाशन में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। मैं इनके कार्य की सराहना करता हूं।

पोर्ट ब्लेयर

तारीख : जून, 1993

डी० एस० नेगी

निदेशक, जनगणना कार्य

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह

PREFACE

This volume presents Tables on Houses and Household Amenities and forms part of 1991 Census Publications programme. It provides information on houses and uses to which census houses are put, predominant construction materials of houses and amenities available to the household such as drinking water, electricity, toilet facility, types of fuel used for cooking together with details on household size, number of living rooms, tenure status, and whether the household belongs to SC/ST etc. This information given in various H-series tables and their appendices have been generated on the basis of data collected during the houselisting operations which was conducted as a prelude to the 1991 census. The houselisting operation in this union territory was conducted during April 1990 alongwith rest of the country except in the non-synchronous areas where it was conducted later alongwith actual enumeration. The comparatively simple houselist adopted at the 1981 census with 14 items was considerably expanded at the 1991 census so as to cover 22 items of information. The questions on predominant construction materials of houses and the amenities available to the households etc., which were canvassed at the actual enumeration through Household Schedule of 1981 census were transferred to the Houselist of 1991 census to avoid delay in bringing out this data quickly.

While the data entry work and generation of tables on computer and preparation of fly leaves etc., were done at the Registrar General, India's Office, the work relating to editing and coding etc., of houselists was done in the Census Directorate.

We are extremely grateful to Shri V.S. Verma, ex-Registrar General, India and Shri A.R.Nanda, the present Registrar General, India for their valuable guidance which we received during census operations. Thanks are also due to other officers in the Registrar General India's office particularly Shri N. Rama Rao, ex-Deputy Registrar General (C & T), Shri C.S. Arora, Director (EDP), Shri K.R. Unni and Shri R.K. Puri, Joint Directors for their help and cooperation in bringing out this volume.

The houselisting operation in this territory was conducted during the tenure ship of my predecessor Shri Ashok Kumar ably assisted by Shri Balwant Singh, former Deputy Director of Census Operations. The analytical note and draft of this report was prepared by Shri Anand Kumar, Deputy Director of Census Operations while S/Shri P.K.T. Nair, Investigator, V.O. Koshy, Statistical Assistant and K.V.K. Nair, Senior Stenographer rendered valuable assistance in bringing out this volume and deserve my appreciation.

D.S. NEGI

Director of Census Operations
Andaman & Nicobar Islands

PORT BLAIR,
DATED : June, 1993

परिचयात्मक टिप्पणी

भारत में दीर्घकाल से जनसंख्या की गणना कराने की परम्परा चली आ रही है। तथापि, भारत में अभी तक मकानों की गणना नहीं कराई गई है। प्रत्येक जनगणना से कुछ महीने पूर्व मकानों को नम्बर देने और मकान सूचीकरण का कार्य परम्परागत रूप से किया जाता रहा है। 1951 तक प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी मकानसूची का फार्म अपनाने को स्वतन्त्र था। तथापि, अलग-अलग राज्यों की परिभाषाएं अलग-अलग होने के कारण इन आंकड़ों का कोई उपयोग नहीं रह जाता था।

पंचवर्षीय योजनाएं आरम्भ होने के फलस्वरूप मकानों सम्बन्धी आंकड़ों के अभाव को एक गम्भीर बाधा माना गया। अत: 1961 की जनगणना में मकानों को नम्बर देते समय सम्पूर्ण भारत में एक समान मकानसूची भरने का निर्णय लिया गया। मकानसूची के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर 1961 की जनगणना में कुछ सारणियां तैयार की गई जिनमें जनगणना मकानों के उपयोग तथा दीवार और फर्श में लगी सामग्री के आंकड़े दिये गये थे। किसी स्थापना के रूप में प्रयुक्त जनगणना मकानों के मामले में प्रत्येक स्थापना के कार्यकलाप के स्वरूप, प्रयोग में लाई जा रही शक्ति की किस्म तथा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या से सम्बधित आंकड़े भी एकत्र किए गए। 1971 की जनगणना में भी इसी प्रकार के प्रश्न भरे गए। तथापि, अलग से एक स्थापना अनुसूची भी भरी गई। 1981 की जनगणना में मकानसूची अनुसूची को छोटे से छोटा कर दिया गया। जनगणना मकान के उपयोग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रश्नों के अलावा मकानसूची में कोई अन्य जानकारी एकत्र नहीं की गई। परिवार को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अलग से परिवार अनुसूची में जानकारी एकत्र की गई जो 1981 की मुख्य जनगणना के समय भरी गई। इसका उद्देश्य परिवार को उपलब्ध सुविधाओं से सम्बन्धित आंकड़ों को जनगणना से प्राप्त परिवार के सदस्यों की संख्या के साथ मिलाना था। आर्थिक जनगणना के अंग के रूप में स्थापना अनुसूची के स्थान पर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की ओर से एक उद्यम सूची भरी गई। 1991 की जनगणना में भी मकान सूची के साथ-साथ उद्यम सूची भरी गई।

1991 की जनगणना में मकान सूची का काफी विस्तार कर दिया गया। 1981 की मुख्य जनगणना में प्रत्येक परिवार के सम्बन्ध में भरे गए परिवार को उपलब्ध सुविधाओं से सम्बन्धित कई प्रश्नों को मकान सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 1991 की जनगणना की मकान सूची में जानकारी प्राप्त करने के लिये 22 मदें हो गई। मुख्य जनगणना के स्थान पर मकान सूची के समय परिवार के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने का मुख्य उद्देश्य मकानों और परिवारों सम्बन्धी आंकड़ों को शीघ्रता से प्रकाशित करना था। मुख्य जनगणना के साथ यह जानकारी एकत्रित करने से आंकड़ों के संसाधन में विलम्ब होता है। इससे बचने के लिए, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मकान-सूचीकरण के समय ही प्राप्त करने का निर्णय लिया गया हालांकि मकान सूचीकरण का कार्य समकालिक नहीं था।

भारत सरकार द्वारा 31 अगस्त, 1988 को 1991 की जनगणना कराने से सम्बन्धित तकनीकी मुद्दों के बारे में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस सलाहकार समिति ने प्रश्नावलियों की विधीक्षा की जिनका बाद में नवम्बर-दिसम्बर, 1988 के दौरान जनगणना संगठन के कर्मचारियों की मदद से चुनींदा क्षेत्रों में परीक्षण किया गया।

1991 की जनगणना मकान सूची में परिवार द्वारा खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे ईंधन की किस्म से सम्बन्धित प्रश्न पहली बार पूछा गया। आशा है कि इससे पर्यावरण और वन संसाधनों पर ईंधन की खपत के प्रभाव का निर्धारण करने में मदद मिलेगी तथा इस बात का भी पता चल सकेगा कि घरेलू आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का किस हद तक इस्तेमाल हो रहा है। ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में परिवारों को उपलब्ध शौचालय सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की गई जबकि 1981 में यह जानकारी केवल नगरीय क्षेत्रों के बारे में ही एकत्रित की गई थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं के अलग से आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रश्नावली में यह प्रश्न भी शामिल किया गया कि क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का है। अनुसूची में अधिकांश प्रश्नों के उत्तरों के कोड पहले से ही दे दिए गए थे।

मकान सूची अनुसूची अप्रैल—अक्तूबर, 1990 के दौरान भरी गई। विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित अवधियों में आंकड़े एकत्रित किए गए :—

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मकान सूचीकरण की अवधि
1. आन्ध्र प्रदेश	15-6-90 से 14-7-90
2. अरुणाचल प्रदेश	1-9-90 से 30-9-90
3. असम	20-4-90 से 31-5-90
4. बिहार	3-5-90 से 20-5-90
5. गोवा	2-4-90 से 30-4-90
6. गुजरात	15-6-90 से 31-7-90

INTRODUCTORY NOTE

India has a long tradition of conducting population censuses. However, it has not so far undertaken any housing census. House numbering and Houselisting Operations have traditionally been undertaken a few months before each Census. Till 1951 each state was free to adopt its own houselist form. However, the definitions varied from state to state making the data unuseable.

With the commencement of Five Year Plans, the lack of data on housing was considered a serious handicap. In the 1961 Census it was, therefore, decided to canvass an uniform houselist all over India at the time of house numbering. Based on the data collected in the houselist a few tables giving the purpose for which the census houses are used and the material of the wall and floor were prepared in 1961 Census. In case of the census houses used as establishments, data were also collected on the nature of activity, type of power used and the number of persons employed in each establishment. In the 1971 Census similar questions were canvassed. However, a separate establishment schedule was also canvassed. In the 1981 Census the houselist schedule was reduced to the minimum. Except questions on the use to which the census house is put to and the physically handicapped, no other information was collected in the houselist. Information on the amenities available to the household was collected in a separate household schedule canvassed alongwith the main census in 1981. The idea was to integrate the data on household amenities with the number of members in the household, which was available from the Census. In place of the establishment schedule, an enterprise list was canvassed on behalf of the Central Statistical Organisation as part of the Economic Census. In 1991 Census also enterprise list was canvassed alongwith the houselist.

In the 1991 Census, the houselist was considerably expanded. Number of questions on amenities available to the household which were canvassed for each household in the 1981 main census were transferred to the houselist. As a result, the 1991 Census houselist had 22 items of information. The main purpose of collecting the household information at the time of houselist rather than at the main Census was to bring out the data on housing and households quickly. Canvassing the details along with the main Census had resulted in delay in processing of the data. To avoid this it was decided to canvass the details of amenities available to the household in the houselisting operation itself even though the houselisting operation is non-synchronous.

An Advisory Committee on technical issues connected with the holding of 1991 Census was set up by the Govt. of India on 31st August, 1988. This Advisory Committee vetted questionnaires which were later tested in selected areas during November-December, 1988 with the help of the staff of the Census Organisations.

In the 1991 Census houselist a question on the type of fuel used for cooking by the household was canvassed for the first time. This is expected to help in assessing the impact of the fuel consumption patterns on environment and forest resources and also reveal the extent to which alternative energy sources are being used for domestic needs. Availability of toilet facilities to the household was also collected in respect of both rural and urban areas as against urban areas only in 1981. To make available the data on amenities separately for scheduled caste households and scheduled tribe households, a question on whether the head of the household belonged to SC or ST was also introduced. Answers to most of the questions were pre-coded in the schedule itself.

The houselist schedule was canvassed during April—October, 1990. The period in which data were collected in various states are as follows :

State/Union Territory	Period of Houselisting
1. Andhra Pradesh	15-6-90 to 14-7-90
2. Arunachal Pradesh	1-9-90 to 30-9-90
3. Assam	20-4-90 to 31-5-90
4. Bihar	3-5-90 to 20-5-90
5. Goa	2-4-90 to 30-4-90
6. Gujarat	15-6-90 to 31-7-90

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	मकान सूचीकरण की अवधि
7. हरियाणा	1-5-90 से 20-5-90
8. हिमाचल प्रदेश	2-5-90 से 16-5-90
(हिमाच्छादित क्षेत्र)	18-6-90 से 7-7-90
9. जम्मू और कश्मीर	—
10. कर्नाटक	16-4-90 से 22-5-90
11. केरल	1-4-90 से 31-5-90
12. मध्य प्रदेश	15-6-90 से 15-7-90
13. महाराष्ट्र	1-4-90 से 31-5-90
14. मणिपुर	15-8-90 से 15-9-90
15. मेघालय	16-4-90 से 31-5-90
16. मिजोरम	7-5-90 से 6-6-90
17. नागालैण्ड	20-4-90 से 19-5-90
18. उड़ीसा	6-4-90 से 6-5-90
19. पंजाब	1-8-90 से 15-8-90
20. राजस्थान	16-8-90 से 15-9-90
21. सिक्किम	1-5-90 से 31-5-90
22. तमिलनाडु	15-7-90 से 15-8-90
23. त्रिपुरा	15-5-90 से 15-6-90
24. उत्तर प्रदेश	10-9-90 से 30-9-90
25. पश्चिम बंगाल	18-8-90 से 18-9-90
संघ राज्य-क्षेत्र	
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1-4-90 से 30-4-90
2. चण्डीगढ़	1-4-90 से 30-4-90
3. दादर और नागर हवेली	25-5-90 से 15-6-90
4. दमन और दीव	15-6-90 से 15-7-90
5. दिल्ली	1-9-90 से 28-9-90
6. लक्षद्वीप	21-4-90 से 20-5-90
7. पाण्डिचेरी	10-7-90 से 21-7-90

एक करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में आंकड़ों को जनगणना मकानों के 20 प्रतिशत सैम्पल के आधार पर संसाधित किया गया है। अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में आंकड़ों को शत-प्रतिशत आधार पर सारणीबद्ध किया गया है।

एकत्र किए गए आंकड़ों को सम्पादित, कोडिकृत किया गया है तथा निम्नलिखित सारणियां तयार की गई हैं :—

सारणी संख्या	शीर्षक
ज—1	जनगणना मकान और वे किस उपयोग में आते हैं
ज—2 भाग क	जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों का वितरण—नगरीय

State/Union Territory	Period of Houselisting
7. Haryana	1-5-90 to 20-5-90
8. Himachal Pradesh	2-5-90 to 16-5-90
(Snow Bound Areas)	18-6-90 to 7-7-90
9. Jammu & Kashmir	—
10. Karnataka	16-4-90 to 22-5-90
11. Kerala	1-4-90 to 31-5-90
12. Madhya Pradesh	15-6-90 to 15-7-90
13. Maharashtra	1-4-90 to 31-5-90
14. Manipur	15-8-90 to 15-9-90
15. Meghalaya	16-4-90 to 31-5-90
16. Mizoram	7-5-90 to 22-6-90
17. Nagaland	20-4-90 to 19-5-90
18. Orissa	6-4-90 to 6-5-90
19. Punjab	1-8-90 to 15-8-90
20. Rajasthan	16-8-90 to 15-9-90
21. Sikkim	1-5-90 to 31-5-90
22. Tamil Nadu	15-7-90 to 15-8-90
23. Tripura	15-5-90 to 15-6-90
24. Uttar Pradesh	10-9-90 to 30-9-90
25. West Bengal	18-8-90 to 18-9-90
Union Territories	
1. A & N Islands	1-4-90 to 30-4-90
2. Chandigarh	1-4-90 to 30-4-90
3. D & N Haveli	25-5-90 to 15-6-90
4. Daman & Diu	15-6-90 to 15-7-90
5. Delhi	1-9-90 to 28-9-90
6. Lakshadweep	21-4-90 to 20-5-90
7. Pondicherry	10-7-90 to 21-7-90

In case of bigger states like Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal with a population exceeding 10 million each, data have been processed on the basis of a 20% sample of Census houses. In respect of union territory of Andaman & Nicobar Islands, the data have been tabulated on a 100% basis.

The data collected have been edited, coded and the following tables have been generated :

Table Number	Title
H-1	Census Houses and the uses to which they are put.
H-2 Part A	Distribution of census houses by predominant material of roof, wall and floor of census houses—Urban

सारणी ज–2 भाग क का परिशिष्ट	आबाद जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार परिवारों का विवरण–नगरीय
ज–2 भाग ख	जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों का वितरण–ग्रामीण
सारणी ज–2 भाग ख का परिशिष्ट	आबाद जनगणना मकानों की, छत दीवार और फर्श में लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार परिवारों का वितरण–ग्रामीण
ज–3	धारणाधिकार, साइज और रहने के कमरों की संख्या के अनुसार परिवार
ज–3 अ०जा०	धारणाधिकार, साइज और रहने के कमरों की संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों के परिवार
ज–3 अ०ज०जा०	धारणाधिकार, साइज और रहने के कमरों की संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के परिवार
ज–4	बिजली, शौचालय सुविधा की उपलब्धता और आबाद मकानों के धारणाधिकार की स्थिति के अनुसार परिवार और 1000 की जनसंख्या का वितरण
ज–4 अ०जा०	बिजली, शौचालय सुविधा की उपलब्धता और आबाद मकानों के धारणाधिकार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के परिवार और 1000 की जनसंख्या का वितरण
ज–4अ०ज०जा०	बिजली, शौचालय सुविधा की उपलब्धता और आबाद मकानों के धारणाधिकार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति के परिवार और 1000 की जनसंख्या का वितरण
ज–5	पीने के पानी क स्रोत, बिजली और शौचालय सुविधा की उपलब्धता के अनुसार वर्गीकृत परिवार
ज–5 अ०जा०	पीने के पानी के स्रोत, बिजली और शौचालय सुविधा की उपलब्धता के अनुसार वर्गीकृत अनुसूचित जातियों के परिवार
ज–5 अ०ज०जा०	पीने के पानी के स्रोत, बिजली और शौचालय सुविधा की उपलब्धता के अनुसार वर्गीकृत अनुसूचित जनजातियों के परिवार
ज–6	खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की किस्म के अनुसार परिवार
ज–6 अ०जा०	खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की किस्म के अनुसार अनुसूचित जातियों के परिवार
ज-6 अ०ज०जा०	खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की किस्म के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के परिवार

इस खण्ड में ये सारणियां प्रकाशित की जा रही हैं। छः सारणियों में से दो सारणियों जिला और शहर स्तरों पर प्रकाशित की जा रही हैं जबकि सारणी ज–2 राज्य स्तर पर प्रस्तुत की जा रही है। शेष तीन सारणियां अर्थात् ज–4, ज–5 तथा ज–6, जिला तहसील और कस्बा स्तरों पर प्रकाशित की जा रही हैं। सारणी ज–4 में आबाद मकानों में बिजली और शौचालय की सुविधाओं तथा धारणाधिकार की स्थिति से सम्बन्धित आंकड़े दिए गए हैं। सारणी ज–5 में पीने के पानी के स्रोत, बिजली और शौचालय की सुविधाओं की उपलब्धता के आंकड़े दिए गए हैं तथा सारणी ज–6 में खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे ईंधन की क़िस्म के अनुसार परिवारों के आंकड़े दिए गए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी 1991 की ज–शृंखला सारणियों को भी इस खंड में प्रकाशित किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में उपर्युक्त सारणियों के अलग-अलग खंड प्रकाशित करने का प्रस्ताव हैं। एक अखिल भारतीय प्रकाशन प्रकाशित किया जाएगा जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े दिए जाएंगे। राज्य स्तर के प्रकाशन में जिला, शहर और उससे नीचे के स्तरों के आंकड़े दिए जाएंगे।

प्रत्येक सारणी से पूर्व उसकी मुख्य विशेषताओं को बताते हुए एक टिप्पणी दी गई है।

मकानसूची का नमूना इस टिप्पणी के परिशिष्ट–I में दिया गया है। विभिन्न सारणियों में बार-बार प्रयोग की गई कुछ पदावलियों को परिशिष्ट–II में स्पष्ट किया गया है। परिशिष्ट–III में मकानसूची भरने के लिए प्रगणकों के लिए अनुदेश दिये गये हैं। परिशिष्ट–IV में सारणीकरण प्रयोजनों के लिये जनगणना मकानों के सैम्पल के चयन के सम्बन्ध में जारी अनुदेश दिए गए हैं।

Appendix to Table H-2 Part A	Distribution of households by predominant material of roof, wall and floor of residential census houses occupied by them—Urban
H-2 Part B	Distribution of census houses by predominant material of roof, wall and floor of census houses—Rural.
Appendix to Table H-2 Part B	Distribution of households by predominant material of roof, wall and floor of residential census houses occupied by them—Rural.
H-3	Households by tenure status, size and number of rooms occupied.
H-3 ST	Households belonging to Scheduled Tribes by tenure status, size and number of rooms occupied.
H-4	Households and distribution of 1000 population by availability of electricity and toilet facilities and tenure status of house occupied.
H-4 ST	Households and distribution of 1000 population of Scheduled Tribes by availability of electricity and toilet facilities and tenure status of house occupied.
H-5	Households classified by source of drinking water, availability of electricity and toilet facilities.
H-5 ST	Households belonging to Scheduled Tribes classified by source of drinking water, availability of electricity and toilet facilities.
H-6	Households by type of fuel used for cooking.
H-6 ST	Households belonging to Scheduled Tribes by type of fuel used for cooking.

These tables are being presented in this volume. Two out of the six tables have been presented at district and city levels, while table H-2 is presented only at state level. The remaining three tables viz H-4, H-5 and H-6 are being presented at district, tahsil and town levels, Table H-4 gives data on households by availability of electricity and toilet facilities and tenure status of the house occupied Table H-5 gives data on households by source of drinking water, availability of electricity and toilet facilities and table H-6 gives data on households by type of fuel used for cooking.

As no caste has been notified as Scheduled Caste in this union territory, the Scheduled Tribe tables relating to H-series of 1991 census are being published in this volueme. There will be one All India Publication which gives the data for states and union territories. This publication gives the data for districts, cities and lower levels.

A note explaining the main features is given before each table.

A specimen of the Houselist is given as Appendix I to this note. A few terms frequently used in the various tables are explained in Appendix II. Appendix III gives the instructions to enumerators for filling up the houselist.

विश्लेषणात्मक टिप्पणी

ज-1 : जनगणना मकान और वे किस उपयोग में आते हैं

इस संघ राज्यक्षेत्र में अप्रैल, 1990 में मकान सूचीकरण के साथ-साथ जनगणना मकानों और उनके उपयोग के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी, जिसे इस सारणी में शामिल किया गया है। 1981 और 1991 की जनगणनाओं के अनुसार कुल जनगणना मकानों और आवासीय मकानों की तुलनात्मक स्थिति को दर्शित करने वाला विवरण नीचे दिया गया है :

कुल जनगणना मकानों और आवासीय मकानों को दर्शित करने वाला विवरण–1981-91

संघ राज्यक्षेत्र जिला	योग ग्रामीण नगरीय	कुल जनगणना मकान			आवासीय मकान		
		1981	1991	प्रतिशत वृद्धि	1981	1991	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	योग	51,941	76,121	+46.55	38,108	53,525	+40.46
	ग्रामीण	38,932	56,044	+43.95	27,696	39,194	+41.52
	नगरीय	13,009	20,077	+54.33	10,412	14,331	+37.64
अंडमान जिला	योग	44,203	66,732	+50.97	33,067	47,624	+44.02
	ग्रामीण	31,194	46,655	+49.56	22,655	33,293	+46.96
	नगरीय	13,009	20,077	+54.33	10,412	14,331	+37.64
निकोबार जिला	योग	7,738	9,389	+21.34	5,041	5,901	+17.06
	ग्रामीण	7,738	9,389	+21.34	5,041	5,901	+17.06
	नगरीय	..	..	..	..	..	..

उक्त विवरण से यह पता चलता है कि इस संघ राज्यक्षेत्र में 1981 की तुलना में 1991 की जनगणना में कुल जनगणना मकानों में लगभग 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि आवासीय मकानों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना मकानों और आवासीय मकानों में वृद्धि कमोबेश एक समान रही है जबकि एकमात्र नगरीय क्षेत्र अर्थात पोर्ट ब्लेयर कस्बे में जनगणना मकानों में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है किन्तु आवासीय मकानों में यह वृद्धि 37 प्रतिशत है। निकोबार जिले में कुल जनगणना मकानों में 21 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। तथापि, इस जिले में आवासीय मकानों में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस सारणी से यह पता चलता है कि 1991 की जनगणना के अनुसार इस संघ राज्यक्षेत्र में 76,121 जनगणना मकानों में से लगभग तीन चौथाई मकानों का उपयोग आवासीय मकानों के रूप में किया जा रहा था जबकि चार प्रतिशत मकानों का उपयोग दुकानों के रूप में किया जा रहा था। कुल जनगणना मकानों में से लगभग एक प्रतिशत मकानों का उपयोग होटलों, धर्मशालाओं, पर्यटक गृहों, निरीक्षण गृहों, रेस्टोरेंटों तथा मनोरंजन और सामुदायिक सभा स्थलों के रूप में किया जा रहा था। अण्डमान जिले में भी यही रुख देखा गया है। मकान सूचीकरण के समय निकोबार जिले में लगभग 12 प्रतिशत मकान खाली बताए गए जबकि 3/5 मकानों का उपयोग आवासीय प्रयोजनों के रूप में किया जा रहा था।

ज-2 : जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों का वितरण

इस सारणी के दो भाग हैं अर्थात् भाग–क में इस संघ राज्यक्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों के जनगणना मकानों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जबकि भाग–ख में ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है।

पोर्ट ब्लेयर न०वो० इस संघ राज्यक्षेत्र का अकेला नगरीय क्षेत्र है जो अण्डमान जिले में है। आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 2/5 से भी अधिक नगरीय मकानों में छत की प्रमुख सामग्री के रूप में लोहे/जस्ते अथवा अन्य धातु की नालीदार चादरों का उपयोग किया गया है जबकि दीवारों में मुख्यत: लकड़ी का उपयोग किया गया है। पोर्ट ब्लेयर कस्बे में फर्श के लिये 4/5 से भी अधिक मकानों में सीमेंट का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है। निकोबार जिले में कोई भी नगरीय क्षेत्र नहीं है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब आधे परिवार अपने मकान की छतों में घास, पत्तों, सरकंडों, फूस, लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों अथवा बांसों का उपयोग प्रमुख सामग्री के रूप में करते हैं। मकानों की छतों के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली अन्य सामग्री लोहे/जस्ते

ANALYTICAL NOTE

H-1 : Census Houses and the uses to which they are put

Information on census houses and the uses to which they are put was collected alongwith houselisting operations conducted in this union territory in April, 1990 and has been included in this table. A statement showing comparative picture of total census houses and residential houses at the two censuses viz., 1981 and 1991 is given below: —

Statement showing Total Census Houses and Residential Houses, 1981-91

Union territory District	Total Rural Urban	Total Census houses			Residential houses		
		1981	1991	percentage increase	1981	1991	Percentage increase
1	2	3	4	5	6	7	8
A & N Island	Total	51,941	76,121	+46.55	38,108	53,525	+40.46
	Rural	38,932	56,044	+43.95	27,696	39,194	+41.52
	Urban	13,009	20,077	+54.33	10,412	14,331	+37.64
Andamans district	Total	44,203	66,732	+50.97	33,067	47,624	+44.02
	Rural	31,194	46,655	+49.56	22,655	33,293	+46.96
	Urban	13,009	20,077	+54.33	10,412	14,331	+37.64
Nicobars district	Total	7,738	9,389	+21.34	5,041	5,901	+17.06
	Rural	7,738	9,389	+21.34	5,041	5,901	+17.06
	Urban	..	..	..	..	..	..

It may be seen from above that total census houses registered an increase of about 47 per cent in 1991 census in this union territory over 1981 census while residential houses showed an increase of 40 per cent. In the rural areas the increase in the census houses and residential houses is more or less of the same order while in the only urban area i.e. Port Blair town, the census houses have increased by 54 per cent but the increase in the use of census houses for residential purposes is of the order of 37 per cent. An increase of 21 per cent in total census houses has been observed in Nicobars district. However, the increase in the residential houses in this district is of the order of 17 per cent.

It may be seen from this table that out of 76,121 census houses, in the union territory as per 1991 census, nearly three-fourth of the houses were being used as residential houses while four per cent were used as shops. Hotels, sarais Dharmshalas, tourist homes, inspection houses, restaurants and places of entertainment and community gathering etc. account for nearly one per cent of total census houses. In the District of Andamans a similar trend is observed. Nearly 12 per cent of the houses in Nicobars district were reported to be vacant at the time of houselisting while around three fifth of the houses were being used for residential purposes.

H-2 : Distribution of census houses by predominant material of roof, wall and floor of census houses

This table contains two parts viz., Part-A presents data in respect of census houses of urban areas of this territory while Part-B provides information for rural areas.

Port Blair M.B. is the only urban area of this territory which falls in Andamans district. The analysis of data reveals that more than two-fifth of the urban houses use corrugated iron/zinc or other metal sheets as predominant materials of roof while wood is widely used for walls. Cement is predominantly used by more than four-fifth of houses for floors in Port Blair town. There is no urban area in Nicobars district.

In the rural areas of union territory of Andaman and Nicobar Islands, around one-half of households use grass, leaves, reeds, thatch, wood, mud, unburnt bricks or bamboo as the main material for roofs of the houses. Other most commonly used material for roof of the houses is corrugated iron, zinc or other metal sheets. For walls, grass,

अथवा अन्य धातु की नालीदार चादरें हैं। दीवारों के निर्माण में घास, पत्तों, सरकंडों अथवा बांसों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इनके बाद लकड़ी का स्थान है। जहां तक फर्श का सम्बन्ध है, आधे से अधिक मकानों में निर्माण सामग्री के रूप में आमतौर पर मिट्टी और उसके बाद सीमेंट का उपयोग किया गया है। दोनों ही जिलों में मकानों की छतों के निर्माण के लिए घास, पत्तों, सरकंडों, फूस, लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों अथवा बांसों का उपयोग प्रमुख निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है जबकि दीवारों के निर्माण के लिए आमतौर पर घास, पत्तों, सरकंडों अथवा बांसों का उपयोग किया जाता है। अंडमान जिले में मकानों के फर्श में मिट्टी और उसके बाद सीमेंट का उपयोग किया जाता है जबकि निकोबार जिल में सीमेंट और उसके बाद बांसों अथवा लट्ठों का उपयोग किया जाता है।

ज-3 : धारणाधिकार की स्थिति, साइज और रहने के कमरों की संख्या के अनुसार परिवार

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र के कुल परिवारों में से लगभग तीन-चौथाई परिवार दो अथवा उससे कम कमरों वाले मकानों में रहते हैं। अण्डमान जिले में भी यही रुख देखा गया है। निकोबार जिले में करीब आधे परिवार एक अथवा उससे कम कमरे वाले मकानों में रहते हैं जबकि 85 प्रतिशत से भी अधिक परिवार दो अथवा उससे कम कमरों वाले मकानों में रहते हैं। अण्डमान और निकोबार दोनों ही जिलों में कुल परिवारों में से आधे से अधिक परिवार अपने मकानों में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति के अनुसार आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि निकोबार जिले में कुल परिवारों में से आधे परिवार अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। अण्डमान जिले में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में से 4/5 परिवार दो अथवा उससे कम कमरों वाले मकानों में रहते हैं जबकि निकोबार जिले में 90 प्रतिशत से भी अधिक परिवार दो अथवा उससे कम कमरों वाले मकानों में रहते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकाशन में ज–श्रृंखला की सारणियों के आधार पर दिए गए परिवारों की संख्या और प्राथमिक जनगणना सार में प्रकाशित परिवारों की संख्या में मामूली अन्तर है। इस अन्तर का कारण यह है कि दोनों आंकड़े दो अलग-अलग अवधियों में एकत्र किए गए हैं तथा इन्हें अलग-अलग पद्धतियों से संसाधित किया गया है। प्राथमिक जनगणना सार के आंकड़ों को मैनुअल तौर पर संकलित किया जाता है जबकि ज-श्रृंखला सारणियों में दिए गए आंकड़े कम्प्यूटर पर संसाधित किए जाते हैं। चूंकि अन्तर बहुत ही मामूली है, अतः इन आंकड़ों का समाधान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

ज-4 : बिजली तथा शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता और आबाद मकानों के धारणाधिकार की स्थिति के अनुसार परिवार और 1000 की जनसंख्या का वितरण

इस सारणी में परिवारों को बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता से सम्बन्धित आंकड़े दिए गए हैं। इसके विश्लेषण से यह पता चलता है कि 3/5 से भी अधिक परिवारों को बिजली उपलब्ध है। इनमें 3/5 से भी अधिक जनसंख्या रहती है। जहां तक शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता का सम्बन्ध है, एक-तिहाई से भी अधिक परिवारों जिनमें एक-तिहाई से भी अधिक जनसंख्या रहती है, में यह सुविधा उपलब्ध है। अण्डमान जिले में भी लगभग यही स्थिति है। तथापि, ग्रामीण-नगरीय तौर पर इसमें भारी विभिन्नता है। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब आधे परिवारों को जिनमें आधी से भी अधिक जनसंख्या रहती है, बिजली उपलब्ध है जबकि एक-चौथाई से कुछ अधिक परिवारों को जिनमें एक-चौथाई जनसंख्या रहती है शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पोर्ट ब्लेयर में जो कि अण्डमान जिले और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र का अकेला नगरीय क्षेत्र है, 92 प्रतिशत से भी अधिक परिवारों को जिनमें लगभग 91 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, बिजली उपलब्ध है जबकि 2/3 परिवारों को जिनमें दो-तिहाई जनसंख्या रहती है, शौचालय की सुविधा उपलब्ध हैं। निकोबार जिले में एक-तिहाई से भी अधिक परिवारों को जिनमें आधी से अधिक जनसंख्या रहती है, बिजली की सुविधा उपलब्ध है जबकि लगभग 1/5 परिवारों को जिनमें 1/6 से अधिक जनसंख्या रहती है, शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

निकोबार जिले के आधे से अधिक परिवार अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में से करीब आधे परिवारों को जिनमें अनुसूचित जनजाति की आधे से भी अधिक जनसंख्या रहती है, बिजली उपलब्ध है जबकि बहुत ही थोड़े परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में से केवल एक प्रतिशत जनसंख्या ही इस सुविधा का लाभ उठा रही है। एकमात्र नगरीय क्षेत्र अर्थात् अण्डमान जिले के पोर्ट ब्लेयर कस्बे में अनुसूचित जनजाति के 4/5 से भी अधिक परिवारों को जिनमें अनुसूचित जनजाति की 4/5 से अधिक जनसंख्या रहती है, बिजली उपलब्ध है जबकि आधे से भी अधिक परिवारों को जिनमें 3/5 से अधिक जनसंख्या रहती है, शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अण्डमान जिले में अनुसूचित जनजाति के लगभग आधे ग्रामीण परिवारों जिनमें अनुसूचित जनजाति की लगभग आधी जनसंख्या रहती है, बिजली की सुविधा उपलब्ध है जबकि लगभग 1/3 परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। निकोबार जिले में अनुसूचित जनजातियों के कुल परिवारों में से 2/5 से भी अधिक परिवारों को जिनमें अनुसूचित जनजाति की आधी से भी अधिक जनसंख्या रहती है, बिजली की सुविधा उपलब्ध है जबकि शौचालय की सुविधा बहुत ही कम परिवारों को उपलब्ध है।

ज-5 : पीने के पानी के स्रोत, बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार वर्गीकृत परिवार

इस सारणी के विश्लेषण से यह पता चलता है कि इस संघ राज्यक्षेत्र में कुल परिवारों में से एक-तिहाई से भी अधिक परिवारों को उनके अहाते के अन्दर पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं जबकि लगभग दो-तिहाई परिवारों को पीने का पानी बाहर से लाना पड़ता है। कुल परिवारों में से

leaves, reeds or bamboo is the most widely used material followed by wood. As regards flooring, in more than one-half of the houses, mud is most commonly used material followed by cement.

H-3 : Households by tenure status, size and number of rooms occupied

In the union territory of Andaman and Nicobar Islands, around three-fourth of total households live in houses having two rooms or less. A similar trend is observed in the case of Andamans district. In Nicobars district, around one-half of households occupy one room or less while the percentage of households occupying two rooms or less is more than 85. In both Andamans and Nicobars districts, more than half of the total households live in own houses. Analysis of the data by scheduled tribe reveals that one-half of total households in Nicobars district belong to scheduled tribe. Among the scheduled tribe households in Andamans district, over four-fifth of households live in houses having two rooms or less while in Nicobars district, more than 90 per cent of households live in houses having two rooms or less.

It may be mentioned that the number of households given in this publication based on H-Series tables differ slightly from those published in primary census abstract. The difference is due to the fact that two sets of data are obtained at two different periods of time and also based on different methods of processing. PCA figures are compiled manually while the figures given in H-Series are processed on computer. The difference being small, no attempt has been made to reconcile the two sets of figures.

H-4 : Households and distribution of 1000 population by availability of electricity and toilet facilities and tenure status of house occuppied

The analysis of this table, which presents data regarding availabiity of electricity and toilet facilities to the households reveals that more than three-fifth of households are having electricity covering more than three-fifth of population. As regards availability of toilet facilities, more than one-third of households enjoy this facility covering over one-third of population. In Andamans district, almost similar pattern is observed. However, rural-urban differentials are significant. In the case of rural areas, over one-half of households are having electricity covering more than one-half of population while only a little over one-fourth of households enjoy toilet facility covering one-fourth of population. Port Blair, which is the only urban area in the Andamans district as well as union territory of Andaman & Nicobar Islands, more than 91 per cent households have electricity covering around 91 per cent of population while toilet facilities are enjoyed by around two-third of households covering two-third of population. In Nicobars district, more than half of households have electricity covering more than half of population while toilet facility is enjoyed by about one-fifth of households covering more than one-sixth of population.

More than half of total households of Nicobars district belong to scheduled tribe. Among the scheduled tribe households in union territory of A & N Islands, about one half of total households have electric supply covering more than one-half of total population of scheduled tribe while toilet facility is enjoyed by only a small proportion of such households covering only one per cent of scheduled tribe population. In the only urban area viz., Port Blair town which is in Andamans district, more than four-fifth of scheduled tribe households have electric supply covering more than four-fifth of such population while more than one-half households have toilet facility covering over three-fifth of the population. About one-half of rural households belonging to scheduled tribe in Andamans district have electricity covering nearly one-half of such population while about one-third of households have toilet faciltiy. Over two-fifth of total scheduled tribe households in Nicobars district have electric supply covering more than half of such households while toilet facility is available to a very small proportion of households.

H-5 : Households classified by source of drinking water, availability of electricity and toilet facilities

The analysis of this table reveals that more than one-third of total households in this union territory have drinking water facilities within the premises while about two-third of the households have to fetch drinking water from sources

दो-तिहाई से भी अधिक परिवारों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत नल हैं। तत्पश्चात्, 1/5 से भी अधिक परिवार कुएं से पानी लेते हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल परिवारों में से एक चौथाई परिवारों को उनके अहाते के अन्दर ही पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। तीन चौथाई परिवार पीने का पानी बाहर से लाते हैं। अधिकांश परिवारों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत नल है। एक-चौथाई से भी अधिक परिवार कुंओं से पीने का पानी लेते हैं।

जहां तक अहाते के अन्दर पीने के पानी की उपलब्धता का सम्बन्ध है, पोर्ट ब्लेयर कस्बे में जो कि इस संघ राज्यक्षेत्र का अकेला नगरीय क्षेत्र है, करीब तीन-चौथाई परिवारों में यह सुविधा उपलब्ध है। कुआं, नल, हैंड पम्प/ट्यूब वैल, नदी/नहर, तालाब और अन्य जैसे पीने के पानी के विभिन्न स्रोतों में से अधिकांश परिवारों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत नल है।

इस संघ राज्यक्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के परिवारों में तीन-चौथाई से भी अधिक परिवारों को उनके अहाते से बाहर पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे अधिकांश परिवारों के पीने के पानी का मुख्य स्रोत कुआं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के अधिकांश परिवार पीने का पानी बाहर से लाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत कुआं है जबकि नगरीय क्षेत्रों के अधिकांश परिवारों द्वारा पीने के पानी के लिए नल का उपयोग किया जाता है।

ज-6 : खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की किस्म के अनुसार परिवार

इस सारणी से यह पता चलता है कि इस संघ राज्यक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों द्वारा खाना पकाने के लिए ईंधन के तौर पर लकड़ी का उपयोग किया जाता है। लगभग 1/10 ग्रामीण परिवार मुख्य ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। अण्डमान और निकोबार दोनों ही जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में यही रुख देखा गया है।

जहां तक नगरीय क्षेत्र अर्थात् पोर्ट ब्लेयर का सम्बन्ध है, कुल परिवारों में से लगभग 3/5 परिवार खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। लगभग एक-चौथाई परिवार खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं जबकि 1/10 से कुछ अधिक परिवार खाना पकाने की गैस का उपयोग करते हैं।

इस संघ राज्यक्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के परिवारों में अधिकांश परिवारों द्वारा खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। दोनों ही जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही रुख देखा गया है। तथापि, अण्डमान जिले के नगरीय क्षेत्र अर्थात् पोर्ट ब्लेयर कस्बे में अनुसूचित जनजाति के लगभग दो-तिहाई परिवार खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं तथा इसके बाद लकड़ी और खाना पकाने की गैस का स्थान है।

located outside their premises. Tap accounts for main source of drinking water for more than two-third of total households followed by well which is used by over one-fifth of households. In the rural areas of Andaman & Nicobar Islands about one-fourth of total households have drinking water facilities within the premises. For three-fourth of households the drinking water facilities are available outside their premises. Tap is the major source of drinking water for a majority of households. Over one-fourth of households use well as source of drinking water.

Regarding the availability of drinking water within the premises, about three-fourth of the house-holds have this facility in Port Blair town which is the only urban area of this union territory. Among the various sources of drinking water like well, tap, hand pump/tubewell, river/canal, tank and others, tap is used as main source of drining water in more than three-fourth of households.

Among the scheduled tribe households in this union territory, more than three-fourth of households have drinking water facilities outside their premises. Well is the main source of drinking water in a majority of such households. In the rural areas, for a majority of house-holds belonging to scheduled tribe, the source of drinking water is available outside the premises. Well is the main source of drinking water in the rural areas while tap is used by a majority of households in the urban areas.

H-6 : Households by type of fuel used for cooking

It is observed from this table that in the rural areas of this union territory, wood is most commonly used as fuel for cooking by a majority of households. About one-tenth of rural households use kerosene as the main fuel. In the rural areas of both Andamans and Nicobars districts, same trend is observed.

As regards urban area i.e. Port Blair town, around three-fifth of total households use kerosene for cooking purposes. About one-fourth households use wood as fuel for cooking while a little over one-tenth households use cooking gas.

Among the households belonging to scheduled tribe in this territory, wood is widely use as fuel by a majority of households for cooking. A similar trend is observed in the rural areas of both the districts. However, in the urban area of Andamans district i.e. Port Blair town, about two-third of total households belonging to scheduled tribe use kerosene as the main fuel for cooking followed by wood and cooking gas.

मकानों और परिवारों को उपलब्ध सुविधा सारणियां
TABLES ON HOUSES AND HOUSEHOLD AMENITIES

ज-1 : जनगणना मकान और वे किस उपयोग में आते हैं
H-1 : Census Houses and the uses to which they are put

इस सारणी में जनगणना मकानों की कुल संख्या, खाली मकानों की संख्या और उपयोग के अनुसार आबाद जनगणना मकानों का वितरण दर्शित किया गया है। जनगणना मकानों के विभिन्न आवासीय और गैर-आवासीय उपयोगों को आवास; दुकान-सह-आवास; पारिवारिक उद्योग सहित वर्कशाप/फैक्ट्री-सह-आवास; अन्य उपयोगों सहित आवास; होटल, सराय, धर्मशाला, टूरिस्ट होम और निरीक्षण गृह; खान-पान गृहों को छोड़कर दुकानें; व्यापार गृह और कार्यालय; कारखाने, वर्कशाप और वर्कशैड; रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें और खान-पान स्थल; पूजा स्थलों को छोड़ कर मनोरंजन स्थल और सामुदायिक केन्द्र (पंचायत घर); पूजा स्थल (अर्थात् मन्दिर, चर्च, मस्जिद, गुरूद्वारा आदि) और अन्य गैर-आवासीय मकानों के रूप में समूहबद्ध किया गया है। राज्य, जिला और शहर स्तरों पर योग, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इस सारणी में देश में मकानों की स्थिति और उनके उपयोगों को दर्शाया गया है और यह सारणी 1981 की जनगणना की सारणी एच-1 के अनुरूप है।

यह सारणी परिवार अनसूची, कॉलम 3 और 7 में रिकार्ड किए गए उत्तरों के आधार पर तैयार की गई है।

This table gives the total number of census houses, the vacant houses and the distribution of occupied census houses by their use. The various residential and non-residential uses of census houses are grouped as Residence; Shop-cum-residence; Workshop/factory-cum-residence including household industry; Residences in combination of other uses; Hotels, sarais, dharamshalas, tourists homes and inspection houses; Shops excluding eating houses; Business houses and offices; Factories, workshops and worksheds; Restaurants, sweetmeat shops and eating places; Places of entertainment and community gathering (panchayat ghar) excluding places of worship; places of worship (e.g., temple, church, mosque, gurudwara, etc.) and other non-residential houses. The data are presented separately for total, rural and urban areas at state, district and city levels. This table gives the housing stock in the country and its uses and corresponds to Table H-1 of the 1981 Census.

This table has been prepared on the basis of the answers recorded in columns 3 and 7 of the houselist schedule.

ज-1 : जनगणना मकान और

H-1 : CENSUS HOUSES AND THE

राज्य/जिला/ State/District	योग/ग्रामीण/ नगरीय Total/ Rural/ Urben	जनगणना मकानों की कुल संख्या Total number of census houses	मकान सूचीकरण के समय खाली जनगणना मकान Census houses vacant at the time of house listing	निम्नलिखित तौर पर उपयोग में आबाद जनगणना मकान Occupied Census Houses used as			
				आवास Residence	दुकान-सह-आवास Shop-cum residence	पारिवारिक उद्योग सहित वर्कशाप/कार-खाना-सह-आवास Workshop Factory-cum residence including house hold industry	अन्य उपयोगों सहित आवास Residence in com-bination with other uses
1	2	3	4	5	6	7	8
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह							
	योग	76,121	6,416	53,525	1,163	1,054	599
	ग्रामीण	56,044	4,692	39,194	935	1,001	445
	नगरीय	20,077	1,724	14,331	228	53	154
अण्डमान							
	योग	66,732	5,330	47,624	1,055	449	551
	ग्रामीण	46,655	3,606	33,293	827	396	397
	नगरीय	20,077	1,724	14,331	228	53	154
निकोबार							
	योग	9,389	1,086	5,901	108	605	48
	ग्रामीण	9,389	1,086	5,901	108	605	48
	नगरीय	..	..	..	..	..	..

वे किस उपयोग में आते हैं
USES TO WHICH THEY ARE PUT

निम्नलिखित तौर पर उपयोग में आबाद जनगणना मकान
Occupied Census Houses used as

होटल, सराय, धर्मशाला, टूरिस्ट होम और निरीक्षण गृह Hotels, sarais, dharam-shalas, tourist homes and inspection houses	खान-पान गृहों को छोड़ कर दुकानें Shops excluding eating houses	व्यवसाय गृह और कार्यालय Business houses and offices	कारखाने, वर्कशाप और वर्कशैड Factories work shops and work sheds	रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें और खान-पान गृह Restaurants, sweetmeat shops and eating places	पूजा स्थल को छोड़ कर मनोरंजन स्थल और सामुदायिक केन्द्र (पंचायत घर) Places of entertain-ment and community gathering (Panchayat ghar) excluding places of worship	पूजा स्थल (अर्थात् मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि) Places of worship e.g. Temple Church, Mosque, Gurdwara etc.)	अन्य गैर-आवासी मकान Other non-residential houses	State/Disttrict Total Rural Urban
9	10	11	12	13	14	15	16	2 1
								Andaman & Nicobar Islands
234	3,092	990	1,284	320	240	664	6,540	Total
144	1,823	661	716	250	180	579	5,424	Rural
90	1,269	329	568	70	60	85	1,116	Urban
								Andamans
189	2,699	835	1,158	226	199	573	5 844	Total
99	1,430	506	590	156	139	488	4,728	Rural
90	1,267	329	568	70	60	85	1,116	Urban
								Nicobars
45	393	155	126	94	41	91	696	Total
45	393	155	126	94	41	91	696	Rural
..	..	..	..	..	..	..	..	Urban

ज-2 : भाग क और ख जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों का वितरण

H-2 Parts A and B—Distribution of Census houses by predominant material of roof, wall and floor of Census houses.

इस सारणी में जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों का वितरण दिया गया है। यह सारणी दो भागों में तैयार की गई है। भाग-क में राज्य/जिला/शहर स्तर पर नगरीय क्षेत्रों और भाग-ख में राज्य/जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इस सारणी में मकानों की गुणवत्ता दर्शित की गई है।

परिशिष्ट

इस सारणी के परिशिष्ट में आबाद आवासीय जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार संस्थागत परिवारों को छोड़ कर परिवारों का वितरण दर्शित किया गया है। यह परिशिष्ट 1981 की जनगणना की सारणी परिवार के समान है।

यह सारणी और इसके परिशिष्ट मकान-सूची के कालम 3, 4, 5, 6, 7, और 9 में रिकार्ड किए गए उत्तरों के आधार पर तैयार की गई है।

This table gives the distribution of census houses by material of roof, wall and floor of census houses. The table has been prepared in two parts. Part-A presents data for urban areas at state, levels and Part B presents data for rural areas at state levels. The table shows the quality of the housing stock.

Appendix

The appendix gives the distribution of households excluding institutional households by predominant material of roof, wall and floor of the residential census houses occupied by them. This appendix corresponds to Table HH-1 of the 1981 Census.

This table and its appendix have been prepared on the basis of the answers recorded in columns 3, 4, 5, 6, 7 and 9 of the houselist.

ज-2—भाग-क : जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख
H-2 PART A : DISTRIBUTION OF CENSUS HOUSES BY PREDOMINANT

दीवार की सामग्री Material of wall	कुल जनगणना मकान Total census houses	छत की सामग्री Material of roof: घास, पत्ते, सरकंडे, फूस, लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटें या बांस Grass, leaves, reeds, thatch, wood, mud, unburnt bricks or bamboo	टायलें (खपरोल), स्लेट या पटरा Tiles, slate or shingle	लोहे, जस्ते या अन्य धातु की तालीदार चादरें Corrugated iron, zink or other metal sheets
1	2	3	4	5
				अण्डमान और Andaman and
				I- फर्श की सब I- All materials of
सब सामग्री	20,077	1,634	141	8,742
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	1,155	298	..	223
मिट्टी	33	17	..	12
कच्ची ईंट	369	5	22	70
लकड़ी	13,747	1,076	95	7,238
पक्की ईंट	252	12	3	94
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	340	42	1	152
पत्थर	18	7	1	4
सीमेंट कंकरीट	3,897	147	19	891
इकरा	2	..	..	1
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	264	30	..	57
				II फर्श की सामग्री— II Material of
सब सामग्री	2,292	447	22	805
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	875	257	..	130
मिट्टी	26	15	..	7
कच्ची ईंट	22	3	..	8
लकड़ी	1,158	146	19	584
पक्की ईंट	12	..	1	6
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	87	17	..	39
पत्थर	1	..	..	1
सीमेंट कंकरीट	71	4	2	22
इकरा	1	..	..	1
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	39	5	..	7
				III फर्श की सामग्री III Material of floor
सब सामग्री	1,370	54	5	785
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	15	3	..	2
मिट्टी	6	2	..	4
कच्ची ईंट	1	..	..	..
लकड़ी	1,270	46	3	757
पक्की ईंट	3	..	..	1
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	17	..	..	7
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	55	1	2	13
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	3	2	..	1

सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों का वितरण—नगरीय
MATERIAL OF ROOF, WALL AND FLOOR OF CENSUS HOUSES—URBAN

छत की सामग्री Material of roof						दीवार की सामग्री Material of wall
ऐस्बेस्टस सीमेंट की चादरें Asbestos cement sheets	ईंट, पत्थर और चूना Bricks, stone and lime	पत्थर Stone	आर० बी० सी०/ आर० सी० सी० कंक्रीट Concrete RBC/RCC	अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई All other materials and material not stated		
6	7	8	9	10	1	
निकोबर द्वीप समूह Nicobar Islands						
सामग्री floor						
5,155	62	92	1,320	2,931	All materials	
220	..	..	..	414	Grass, leaves, reeds or bamboo	
1	..	..	..	3	Mud	
156	9	13	65	29	Unburnt bricks	
3,172	..	..	..	2,166	Wood	
92	9	1	26	15	Burnt bricks	
103	6	11	3	22	GI sheets or other metal sheets	
4	1	..	1	..	Stone	
1,381	35	67	1,211	146	Cement concrete	
..	..	..	..	1	Ekra	
26	2	..	14	135	All other materials and material not stated	
मिट्टी Mud						
305	13	5	9	686	All materials	
161	..	..	..	327	Grass, leaves, reeds or bamboo	
1	..	..	..	3	Mud	
2	8	..	1	..	Unburnt bricks	
100	..	..	..	309	Wood	
5	..	..	..	..	Burnt bricks	
18	2	1	1	9	GI sheets or other metal sheets	
..	..	..	..	..	Stone	
16	3	4	7	13	Cement concrete	
..	..	..	..	..	Ekra	
2	..	..	..	25	All other materials and material not stated	
लकड़ी/तख्ते wood/planks						
396	1	2	2	125	All materials	
2	..	..	..	8	Grass, leaves, reeds or bamboo	
..	..	..	..	..	Mud	
1	..	..	..	..	Unburnt bricks	
350	..	..	..	114	Wood	
1	..	..	..	1	Burnt bricks	
8	1	..	..	1	GI sheets or other metal sheets	
..	..	..	..	..	Stone	
34	..	2	2	1	Cement concrete	
..	..	..	..	..	Ekra	
..	..	..	..	..	All other materials and material not stated	

1	2	3	4	5
				IV फर्श की सामग्री— IV Material of floor-
सब सामग्री	62	13	1	6
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	2	1	..	1
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	1	..	..	..
लकड़ी	44	10	1	4
पक्की ईंट	..	..	..	..
जी०आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	..	..	..	..
पत्थर	1	1	..	..
सीमेंट कंकरीट	13	..	..	1
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	1	1	..	..
				V फर्श की सामग्री— V Material of floor-
सब सामग्री	159	5	3	75
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	4	3	..	..
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	..	..	..	—
लकड़ी	125	2	3	70
पक्की ईंट	20	..	..	2
जी०आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	1	..	..	1
पत्थर	1	..	..	1
सीमेंट कंकरीट	8	..	..	1
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	..	..	..	..
				VI फर्श की सामग्री— VI Material of floor
सब सामग्री	16,006	1,104	110	7,027
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	256	34	..	88
मिट्टी	1	..	..	1
कच्ची ईंट	342	2	22	61
लकड़ी	11,076	864	69	5,794
पक्की ईंट	215	10	2	85
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	222	25	1	98
पत्थर	15	6	1	2
सीमेंट कंकरीट	3,736	141	15	851
इकरा	1	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	142	22	..	47

—जारी
—contd.

6	7	8	9	10	1
बांस या लट्ठे **Bamboo or Logs**					
28	..	..	..	14	All materials
..	..	..	..	..	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
1	..	..	..	..	Unburnt bricks
27	..	..	..	2	Wood
..	..	..	..	..	Burnt Bricks
..	..	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
..	..	..	..	12	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	..	..	All other materials and material not stated
ईंट, पत्थर और चूना **Bricks, Stone, and Lime**					
58	1	..	..	17	All materials
1	..	..	..	..	Grass, leaves, reeds of bamboo
..	..	..	..	..	Mud
..	..	..	..	..	Unburnt bricks
33	..	..	..	17	Wood
18	..	..	..	..	Burnt bricks
..	..	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
6	1	..	..	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	..	..	All other materials and material not stated
सीमेंट **Cement**					
4,345	46	80	1,293	2,001	All materials
56	..	..	..	78	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
152	1	13	62	29	Unburnt bricks
2,643	..	..	..	1,706	Wood
68	9	1	26	14	Burnt bricks
76	3	5	2	12	GI sheets or other metal sheets
4	1	..	1	..	Stone
1,325	30	61	1,194	119	Cement concrete
..	..	..	..	1	Ekra
21	2	..	8	42	All other materials and material not stated

ज-2—भाग-क
H-2—Part-A

1	2	3	4	5
				VII फर्श की सामग्री– VII Material of floor
सब सामग्री	39	6	..	6
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	..	..	..	..
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	1	..	..	1
लकड़ी	24	6	..	4
पक्की ईंट	..	..	..	..
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	4	..	..	..
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	4	..	..	..
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	6	..	..	1
				VIII फर्श की सामग्री– VIII Material of floor
सब सामग्री	149	5	..	38
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	3	..	..	2
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	2	..	..	..
लकड़ी	50	2	..	25
पक्की ईंट	2	2	..	..
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	9	..	..	7
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	10	1	..	3
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	73	..	..	1

—समाप्त
—concld.

6	7	8	9	10	1
मोजेक/टाइलें Mosaic/Titles					
13	..	3	9	2	All materials
..	..	..	..	..	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
..	..	..	..	..	Unburnt bricks
12	..	..	..	2	Wood
..	..	..	..	..	Burnt bricks
1	..	3	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
..	..	..	4	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	5	..	All other materials and materials not stated
अन्य सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई Others and materials not stated					
10	1	2	7	86	All materials
..	..	..	..	1	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
..	..	..	2	..	Unburnt bricks
7	..	..	..	16	Wood
..	..	..	..	..	Burnt bricks
..	..	2	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
..	1	..	4	1	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
3	..	..	1	68	All other materials and material not stated

ज-2 भाग क : जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी
H-2 PART A : DISTRIBUTION OF CENSUS HOUSES BY PREDOMINANT

परिशिष्ट

आबाद आवासीय जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में
Distribution of households by predominant material of roof, wall

दीवार की सामग्री Material of wall	कुल परिवार Total House holds	छत की सामग्री Material of roof: घास, पत्ते, सरकंडे, फूस, लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटें या बांस Grass, Leaves, Reeds Thatch, Wood, Mud, Unburnt Bricks or Bamboo	छत की सामग्री Material of roof: टाइलें (खपरेल) स्लेट या पटरा Tiles, Slate or Shingle	छत की सामग्री Material of roof: लोहे, जस्ते या अन्य धातु की नालीदार चादरें Corrugated iron, Zincor other metal sheets
1	2	3	4	5
				अण्डमान और Andaman and
				I फर्श की सब I All materials of
सब सामग्री	15,291	1,319	86	6,984
घास, पत्त, सरकंड या बांस	976	232	..	176
मिट्टी	25	15	..	7
कच्ची ईंट	287	4	1	62
लकड़ी	11,022	866	64	5,870
पक्की ईंट	197	12	1	75
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	190	36	1	84
पत्थर	12	6	4	1
सीमेंट कंकरीट	2,415	136	15	683
इकरा	1	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	166	12	..	26
				II फर्श की सामग्री– II Material of Floor
सब सामग्री	1,852	367	21	629
घास, पत्त, सरकड या बांस	741	196	..	102
मिट्टी	22	13	..	6
कच्ची ईंट	15	3	..	4
लकड़ी	946	136	19	473
पक्की ईंट	10	..	1	3
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	56	15	..	21
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	39	4	1	15
इरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	23	..	..	3

टिप्पणी :–इस सारणी में संस्थागत परिवार सम्मिलित नहीं हैं।

प्रमुख सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों का वितरण—नगरीय
MATERIAL OF ROOF, WALL AND FLOOR OF CENSUS HOUSES—URBAN

APPENDIX

लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार परिवारों का वितरण—नगरीय
and floor of residential census houses occupied by them—Urban

छत की सामग्री Material of roof					दिवार की सामग्री Material of wall
ऐस्बेस्टस सीमेंट चादरें Asbestos Cement Sheets	ईंट, पत्थर और चूना Bricks, Stoue and Lime	पत्थर Stone	आर० बी० सी०/ आर० सी० सी० कंकरीट Concrete RBT/RCC	अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई All other materials and material not stated	
6	7	8	9	10	1
निकोबार द्वीपसमूह **Nicobar Islands**					
सामग्री floor					
3,924	31	53	618	2,276	All materials
209	..	..	..	359	Grass, leaves, reeds or bamboo
1	..	..	..	2	Mud
134	7	2	53	24	Unburnt bricks
573	..	..	..	1,649	Wood
80	5	1	12	11	Brunt bricks
47	4	1	..	17	GI sheets or other metal sheets
1	..	..	..	..	Stone
869	13	49	534	116	Cement concrete
..	..	..	..	1	Ekra
10	2	..	19	97	All other materials and material not stated
मिट्टी **Mud**					
245	7	4	..	579	All materials
155	..	..	..	288	Grass, leaves, reeds or bamboo
1	..	..	..	2	Mud
2	6	..	..	..	Unburnt bricks
68	..	..	..	250	Wood
4	..	..	..	..	Burnt bricks
10	1	..	..	9	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
4	..	4	..	11	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
1	..	..	..	19	All other materials and material not stated

NOTE :—This appendix excludes institutional households.

1	2	3	4	5
				III फर्श की सामग्री– III Material of floor
सब सामग्री	1,029	32	2	600
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	10	2	..	1
मिट्टी	3	2	..	1
कच्ची ईंट	1	..	..	..
लकड़ी	963	26	..	586
पक्की ईंट	2	..	..	1
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	6	..	..	1
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	42	1	2	9
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	2	1	..	1
				IV फर्श की सामग्री– IV Material of floor
सब सामग्री	39	2	1	4
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	1	..	..	1
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	1	..	..	..
लकड़ी	23	..	1	3
पक्की ईंट	..	..	..	..
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	..	..	..	
पत्थर	1	1	..	..
सीमेंट कंकरीट	12	..	..	..
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	1	1	..	..
				V फर्श की सामग्री– V Material of floor-
सब सामग्री	93	4	1	42
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	1	1	..	..
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	..	..	..	..
लकड़ी	67	3	1	40
पक्की ईंट	19	..	..	1
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	1	..	..	1
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	5	..	..	..
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	..	..		..

—जारी
—*contd.*

शिष्ट
DIX

6	7	8	9	10	1
लकड़ी/तख्त **Wood-planks**					
336	..	2	..	57	All materials
1	..	..	..	6	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
1	..	..	..	..	Unburnt bricks
300	..	..	..	51	Wood
1	..	..	..	..	Brunt bricks
5	..	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
28	..	2	..	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..		..	All other materials and material not stated
बांस या लट्ठे **Bamboo or Logs**					
19	..	..	..	13	All materials
..	..	..	..	..	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
1	..	..	..	..	Unburnt bricks
18	..	..	..	1	Wood
..	..	..	..	..	Burnt bricks
..	..	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
..	..	..	..	12	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	..	..	All other materials and material not stated
ईंट, पत्थर और चूना **Bricks, Stone and Lime**					
36	1	..	..	9	All materials
..	..	..	..	..	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
..	..	..	..	..	Unburnt bricks
14	..	..	..	9	Wood
18	..	..	..	..	Burnt bricks
..	..	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
4	1	..	..	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	..	..	All other materials and material not stated

1	2	3	4	5
				VI फर्श की सामग्री– VI Material of floor-
सब सामग्री	12,156	903	61	5,671
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	221	33	..	70
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	268	1	1	58
लकड़ी	8,968	693	43	4,743
पक्की ईंट	164	10	..	68
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	119	21	1	54
पत्थर	11	5	4	1
सीमेंट कंकरीट	2,309	130	12	655
इकरा	1	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	95	10	..	22
				VII फर्श की सामग्री– VII Material offloor-
सब सामग्री	26	6	..	4
घास, पत्ते सरकंडे या बांस	..	..	..	..
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	..	..	..	..
लकड़ी	21	6	..	4
पक्की ईंट	..	..	..	..
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	1	..	..	..
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	2	..	..	..
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	2	..	..	..
				VIII फर्श की सामग्री– VIII Material of floor
सब सामग्री	96	5	..	34
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	2	..	..	2
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	2	..	..	..
लकड़ी	34	2	..	21
पक्की ईंट	2	2	..	..
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	7	..	..	7
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	..	1	..	4
इकरा	0	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	43	..	..	..

—समाप्त
—concld.

शिष्ट
DIX

6	7	8	9	10	1
सीमेंट **Cement**					
3,274	22	46	612	1,567	All materials
53	..	..	..	65	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
130	1	2	51	24	Unburnt bricks
2,159	..	..	..	1,330	Wood
57	5	1	12	11	Burnt bricks
32	3	..	..	8	GI sheets or other metal sheets
1	..	..	..	..	Stone
833	11	43	532	93	Cement concrete
..	..	..	..	1	Ekra
9	2	..	17	35	All other materials and material not stated
मोजेक/टाइलें **Mosaic/Tiles**					
11	..	1	4	..	All materials
..	..	..	..	..	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
..	..	..	..	..	Unburnt bricks
11	..	..	..	..	Wood
..	..	..	..	..	Burnt bricks
..	..	1	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
..	..	..	2	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	2	..	All other materials and material not stated
अन्य सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई **Others and material not stated**					
3	1	..	2	51	All materials
..	..	..	..	..	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
..	..	..	2	..	Unburnt bricks
3	..	..	..	8	Wood
..	..	..	..	..	Burnt bricks
..	..	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
..	1	..	..	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	..	43	All other materials and materials not stated

ज-3 भाग ख : जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी प्रमुख
H-2 PART B : DISTRIBUTION OF CENSUS HOUSES BY PREDOMINANT

दीवार की सामग्री Material of wall	कुल जनगणना मकान Total census houses	छत की सामग्री Material of Roof		
		घास, पत्ते, सरकंडे, फूस, लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटें या बांस Grass, leaves reeds, thach, wood, mud, unburnt bricks or bamboo	टाइलें (खपरेल), स्लेट या पटरा Tiles, slate or shingle	लोहे, जस्ते या अन्य धातु की नालीदार चादरें Corru-gated iron, zinc or other metal sheets
1	2	3	4	5
				अण्डमान और Andaman and
				I फर्श की सब I All materials of
सब सामग्री	56,044	27,126	247	15,823
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	26,921	22,337	..	3,015
मिट्टी	118	55	6	35
कच्ची ईंट	625	62	12	254
लकड़ी	20,742	3,148	164	10,342
पक्की ईंट	264	22	4	151
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	1,496	335	5	816
पत्थर	119	2	3	43
सीमेंट कंकरीट	3,554	67	53	904
इकरा	17	4	..	4
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	2,188	1,094	..	259
				II फर्श की सामग्री– II Material of floor—
सब सामग्री	29,312	20,810	25	5,672
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	21,545	18,237	..	2,223
मिट्टी	79	53	1	17
कच्ची ईंट	89	43	2	27
लकड़ी	5,831	1,363	18	2,992
पक्की ईंट	28	5	..	17
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	236	59	1	137
पत्थर	17	1	..	9
सीमेंट कंकरीट	136	14	3	57
इकरा	7	4	..	2
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	1,344	1,031	..	191

सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों का वितरण–ग्रामीण
MATERIAL OF ROOFWALL AND FLOOR OF CENSUS HOUSES—RURAL

छत की सामग्री Material of Roof					दीवार की सामग्री Material of wall
ऐस्बेस्टस सीमेंट चादरें Asbestos cement sheets	ईंट, पत्थर और चूना Bricks, stone and lime	पत्थर Stone	आर० बी० सी०/ आर० सी० सी० कंकरीट Concrete RBC/RCC	अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई All other materials and material not stated	
6	7	8	9	10	1
निकोबार द्वीप समूह Nicobar Islands					
सामग्री floor					
6,369	98	75	586	5,730	All materials
402	..	..	..	1,167	Grass, leaves, reeds or bamboo
5	..	..	..	17	Mud
232	5	6	27	27	Unburnt bricks
3,621	..	..	..	3,467	Wood
45	19	7	11	5	burnt bricks
249	4	35	6	46	GI sheets or other metal sheets
59	2	..	4	6	Stone
1,676	58	24	513	259	Cement concrete
..	..	1	1	7	Ekra
80	..	2	24	729	All other materials and material not stated
मिट्टी Mud					
482	7	15	6	2,295	All materials
204	..	..	..	881	Grass, leaves, reeds or bamboo
1	..	..	..	7	Mud
7	1	1	1	7	Unburnt bricks
208	..	..	..	1,250	Wood
2	1	..	..	3	Burnt bricks
16	2	10	..	11	GI sheets or other metal sheets
3	..	..	1	3	Stone
25	3	4	2	28	Cement concrete
..	..	..	..	1	Ekra
16	..	..	2	104	All other materials and material not stated

1	2	3	4	5
				राज्य अण्डमान और State Andaman and
				III फर्श की सामग्री— III Material of floor—
सब सामग्री	2,694	1,298	43	728
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	686	613	..	43
मिट्टी	4	..	..	1
कच्ची ईंट	10	..	1	3
लकड़ी	1,882	665	42	625
पक्की ईंट	20	6	..	6
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	50	6	..	39
पत्थर	2	..	..	1
सीमेंट कंकरीट	16	1	..	6
इकरा	1	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	23	7	..	4
				IV फर्श की सामग्री— IV Material of floor—
सब सामग्री	3,696	3,284	23	162
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	2,820	2,690	..	54
मिट्टी	3	1	..	1
कच्ची ईंट	16	5	5	4
लकड़ी	811	560	17	100
पक्की ईंट	4	2	..	..
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	5	1	..	2
पत्थर	2	1	..	..
सीमेंट कंकरीट	14	5	1	1
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	21	19	..	—
				V फर्श की सामग्री— V Material of floor—
सब सामग्री	201	35	18	96
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	38	22	..	7
मिट्टी	..	..	..	
कच्ची ईंट	3	1	..	2
लकड़ी	137	12	18	73
पक्की ईंट	7	..	..	5
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	4	..	..	3
पत्थर	1	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	11	..	..	6
इकरा	..	..	..	—
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	..	..	..	..

—जारी
—contd.

6	7	8	9	10	1
निकोबार द्वीप समूह **Nicobar Islands**					
लकड़ी/तख्ते **wood/planks**					
390	6	2	..	227	All materials
13	..	..	..	17	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	3	Mud
4	2	..	..	..	Unburnt bricks
355	..	..	..	195	Wood
4	3	1	..	..	Burnt bricks
2	1	..	..	2	GI sheets or other metal sheets
1	..	..	..	..	Stone
9	..	..	..	..	Cement concrete
..	..	1	..	..	Ekra
2	..	..	..	10	All other materials and material not statce
बांस या लट्ठे **Bamboo or Logs**					
137	5	..	1	84	All materials
38	..	..	..	38	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	1	Mud
1	1	..	..	..	Unburnt bricks
90	..	..	..	44	Wood
1	..	..	1	..	Burnt bricks
2	..	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	1	..	..	..	Stone
4	3	..	..	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
1	..	..	..	1	All other materials and material not stated
ईंट, पत्थर और चूना **Bricks, stone and lime**					
21	5	..	1	25	All materials
1	..	..	..	8	Grass, leaves, reeds or bamboo
	..	..	..	..	Mud
	..	..	..	..	Unburnt bricks
17	..	..	..	17	Wood
1	1	..	..	..	Burnt bricks
..	1	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	1	..	..	..	Stone
2	2	..	1	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	..	..	All other materials and material not stated

1	2	3	4	5
				राज्य अण्डमान और State Andaman and
				VI फर्श की सामग्री— VI Material of floor—
सब सामग्री	19,319	1,624	132	9,114
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	1,793	741	..	687
मिट्टी	31	..	5	16
कच्ची ईंट	506	13	4	217
लकड़ी	11,996	537	64	6,523
पक्की ईंट	202	9	4	122
जी० आई० चादर या अन्य धातुओं की चादर	1,193	268	3	630
पत्थर	97	..	3	33
सीमेंट कंकरीट	3,326	47	49	832
इकरा	4	..	..	2
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	171	9	..	52
				VII फर्श की सामग्री— VII Material of floor—
सब सामग्री	59	4	5	8
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	..	..	..	..
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	1	..	..	1
लकड़ी	29	3	4	5
पक्की ईंट	..	..	..	..
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	4	1	1	1
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	24	..	..	..
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	1	..	..	1
				VIII फर्श की सामग्री— VIII Material of floor—
सब सामग्री	763	71	1	43
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	39	34	..	1
मिट्टी	1	1	..	..
कच्ची ईंट	..	..	..	..
लकड़ी	56	8	1	24
पक्की ईंट	3	..	..	1
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	4	..	..	4
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	27	..	..	2
इकरा	5	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामगी नहीं बताई गई	628	28	..	11

—समाप्त
—concld.

6	7	8	9	10	1
निकोबार द्वीप समूह **Nicobar Island**					
सीमेंट **cement**					
5,316	65	57	550	2,461	All materials
146	..	..	..	219	Grass, levaes, reeds or bamboo
4	..	..	..	6	Mud
220	1	5	26	20	Unburnt bricks
2,940	..	..	..	1,932	Wood
36	14	5	10	2	Burnt bricks
229	..	25	6	32	GI sheets or other metal sheets
55	..	..	3	3	Stone
1,627	50	20	483	218	Cement concrete
..	..	..	1	1	Ekra
59	..	2	21	28	All other materials and material not stated
मोजेक/टाइलें **Mosaic/Tiles**					
8	..	..	24	10	All materials
..	..	..	..	..	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
..	..	..	..	..	Unburnt bricks
8	..	..	..	9	Wood
..	..	..	..	..	Burnt bricks
..	..	..	..	1	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
..	..	..	24	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	..	..	All other materials and material not stated
अन्य सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई **Others and material not stated**					
15	..	1	4	628	All materials
..	..	..	..	4	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
..	..	..	..	..	Unburnt bricks
3	..	..	..	20	Wood
1	..	1	..	..	Burnt bricks
..	..	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
9	..	..	3	13	Cement concrete
..	..	..	..	5	Ekra
2	..	..	1	586	All other material and material not stated

ज-2 भाग ख : जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में लगी
H-2 PART B : DISTRIBUTION OF CENSUS HOUSES BY PREDOMINANT

परि
APPEN

आबाद आवासीय जनगणना मकानों की छत, दीवार और फर्श में
Distribution of households by predominant material of roof, wall

दीवार की सामग्री Material of wall	कुल परिवार Total house-holds	छत की सामग्री Material of roof: घास, पत्ते, सरकंडे, फूस, लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटें या बांस Grass, leaves, reeds, thatch, wood, mud, unburnt bricks or bamboo	टाइलें (खपरैल), स्लेट या पटरा Tiles, slate or shingle	लोहे, जस्ते या अन्य धातु की नालीदार चादरें Corrugated iron, zinc or other metal sheets
1	2	3	4	5
अण्डमान और Andaman and				
I फर्श की सब I All materials of				
सब सामग्री	41,756	20,763	163	11,758
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	21,351	17,748	..	2,394
मिट्टी	95	52	1	23
कच्ची ईंट	436	38	7	170
लकड़ी	15,750	2,494	109	7,789
पक्की ईंट	159	15	2	104
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	1,007	259	3	518
पत्थर	88	1	1	29
सीमेंट कंकरीट	2,332	27	40	655
इकरा	2	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	536	129	..	76
II फर्श की सामग्री– II Material of floor				
सब सामग्री	22,159	15,716	16	4,365
घास, पत्ते, सरकठडे या बांस	16,996	14,416	..	1,764
मिट्टी	68	49	1	11
कच्ची ईंट	49	28	..	14
लकड़ी	4,613	1,073	12	2,400
पक्की ईंट	17	3	..	11
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	139	43	1	83
पत्थर	8	..	..	5
सीमेंट कंकरीट	82	6	2	36
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	187	98	..	41

टिप्पणी : ईस सारणी में संस्थागत परिवार सम्मिलित नहीं हैं।

प्रमुख सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों का वितरण—ग्रामीण
MATERIAL OF ROOF, WALL AND FLOOR OF CENSUS HOUSES—RURAL

शिष्ट—जारी
DIX—*contd.*

लगी प्रमुख सामग्री के अनुसार परिवारों का वितरण—ग्रामीण
and floor of residential census houses occupied by them—Rural

छत की सामग्री Material of roof					दीवार की सामग्री Material of wall
एसबेस्टस सीमेंट चादरें Asbestos cement sheets	ईंट, पत्थर और चूना Bricks, stone and lime	पत्थर Stone	आर० बी० सी०/ आर० सी० सी० कंक्रीट Concrete RBC/RCC	अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई All other materials and material not stated	
6	7	8	9	10	1
निकोबार द्वीप समूह **Nicobar Islands**					
सामग्री floor					
4,527	56	33	285	4,171	All materials
311	..	..	..	898	Grass, leaves, reeds or bamboo
4	..	..	..	15	Mud
182	2	3	12	22	Unburnt brichs
2,634	..	..	..	2,724	Wood
22	7	1	7	1	Burnt bricks
178	1	13	1	34	GI sheets or other metal sheets
50	2	..	3	2	Stone
1,104	44	14	248	200	Cement concrete
..	..	1	..	1	Ekra
42	..	1	14	274	All other materials and material not stated
318	3	5	1	1,735	All materials
148	..	..	..	668	Grass, leaves, reeds or bamboo
1	..	..	..	6	Mud
2	..	..	..	5	Unburnt bricks
148	..	..	..	980	Wood
1	1	..	..	1	Burnt bricks
3	1	2	..	6	GI sheets or other metal sheets
2	..	..	1	..	Stone
10	1	3	..	24	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
3	..	..	..	45	All other materials and materia lnot sated

NOTE : This appendix excludes institutional households.

1	2	3	4	5
				अण्डमान और निकोबार Andaman and Nicobar
			III फर्श की सामग्री— III Material of floor—	
सब सामग्री	2,034	1,092	31	462
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	567	514	..	32
मिट्टी	4	..	..	1
कच्ची ईंट	5	..	..	1
लकड़ी	1,416	565	31	411
पक्की ईंट	12	6	..	3
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	16	5	..	9
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	9	1	..	3
इकरा	1	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	4	1	..	2
			IV फर्श की सामग्री— IV Material of floor—	
सब सामग्री	2,989	2,648	20	135
घास, पत्ते , सरकंडे या बांस	2,274	2,166	..	43
मिट्टी	4	2	..	1
कच्ची ईंट	11	3	5	2
लकड़ी	677	465	14	87
पक्की ईंट	1	..	..	..
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	4	1	..	1
पत्थर	2	1	..	..
सीमेंट कंकरीट	7	1	1	1
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	9	9	..	..
			V फर्श की सामग्री— V Material of floor—	
सब सामग्री	112	17	7	56
घास,पत्ते, सरकंडे या बांस	24	12	..	6
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	1	..	..	1
लकड़ी	79	5	7	44
पक्की ईंट	3	..	..	3
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	1	..	..	1
पत्थर	1	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	3	..	..	1
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	..	..	..	..

टिप्पणी : इस सारणी में संस्थागत परिवार सम्मिलित नहीं हैं ।

–जारी
—*contd.*

–जारी
—*contd.*

6	7	8	9	10	1
द्वीप समूह—जारी **Islands**—contd.					
लकड़ी/तख्ते **Wood/planks**					
281	2	1	..	165	All materials
6	..	..	..	15	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	3	Mud
4	..	..	..	..	Unburnst bricks
264	..	..	..	145	Wood
1	2	..	..	..	Burnt bricks
..	..	..	..	2	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
5	..	..	..	..	Cement concreet
..	..	1	..	..	Ekra
1	..	..	..	..	All other materials and material not stated
बांस या लट्ठे **Bamboo or Logs**					
113	5	..	1	67	All materials
35	..	..	..	30	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	1	Mud
..	1	..	..	..	Unburnt bricks
75	..	..	..	36	Wood
..	..	..	1	..	Burnt bricks
2	..	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	1	..	..	..	Stone
1	3	..	..	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	..	..	All other materials and material
ईंट, पत्थर और चूना **Bricks, stone and lime**					
17	1	..	..	14	All materials
..	..	..	..	6	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
..	..	..	..	..	Unburnt bricks
15	..	..	..	8	Wood
..	..	..	..	..	Burnt bricks
..	..	..	..	..	GI sheet or other metal sheets
..	1	..	..	..	Stone
2	..	..	..	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	..	..	All other materials and material not stated

NOTE : This appendix excludes institutional households.

1	2	3	4	5
				VI फर्श की सामग्री— VI Material of floor—
सब सामग्री	14,121	1,237	86	6,717
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	1,458	610	..	548
मिट्टी	18	..	..	10
कच्ची ईंट	369	7	2	151
लकड़ी	8,912	378	42	4,831
पक्की ईंट	125	6	2	87
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	845	209	2	423
पत्थर	77	..	1	24
सीमेंट कंकरीट	2,202	19	37	612
इकरा	1	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	114	8	..	31
				VII फर्श की सामग्री— VII Material of floor-
सब सामग्री	37	2	3	6
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	..	..	..	..
मिट्टी	..	..	..	..
कच्ची ईंट	1	..	..	1
लकड़ी	18	1	3	5
पक्की ईंट	..	..	..	..
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	1	1	..	..
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	17	..	..	..
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और समाग्री नहीं बताई गई	..	..	..	..
				VIII फर्श की सामग्री— VIII Material of floor—
सब सामग्री	304	51	..	17
घास, पत्ते, सरकंडे या बांस	32	30	..	1
मिट्टी	1	1	..	..
कच्ची ईंट	..	..	..	..
लकड़ी	35	7	..	11
पक्की ईंट	1	..	..	..
जी० आई० चादरें या अन्य धातुओं की चादरें	1	..	..	1
पत्थर	..	..	..	..
सीमेंट कंकरीट	12	..	..	2
इकरा	..	..	..	..
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	222	13	..	2

–समाप्त
—Concld.

–शिष्ट
—DIX

6	7	8	9	10	1
सीमेंट Cement					
3,787	45	27	265	1,957	All materials
122	..	..	..	178	Grass, leaves, reeds or bamboo
3	..	..	..	5	Mud
176	1	3	12	17	Unburnt bricks
2,126	..	..	..	1,535	Wood
19	4	1	6	..	Burnt bricks
173	..	11	1	26	GI sheets or other metal sheets
48	..	..	2	2	Stone
1,083	40	11	230	170	Cement concrete
..	..	..	..	1	Ekra
37	..	1	14	23	All other materials and material not stated
मोजेक/टाइलें Mosaic/Tiles					
3	..	..	17	6	All materials
..	..	..	..	..	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
..	..	..	..	..	Unburnt bricks
3	..	..	..	6	Wood
..	..	..	..	..	Burnt bricks
..	..	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
..	..	..	17	..	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
..	..	..	..	..	All other materials and m ater
अन्य सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई Others and material not stated					
8	..	..	1	227	All materials
..	..	..	..	1	Grass, leaves, reeds or bamboo
..	..	..	..	..	Mud
..	..	..	..	..	Unburnt bricks
3	..	..	..	14	Wood
1	..	..	..	..	Burnt bricks
..	..	..	..	..	GI sheets or other metal sheets
..	..	..	..	..	Stone
3	..	..	1	6	Cement concrete
..	..	..	..	..	Ekra
1	..	..	..	206	All other materials and material not stated

ज-3 : धारणाधिकार की स्थिति, साइज और रहने के कमरों की संख्या के अनुसार परिवार

H-3 : Households by tenure status, size and number of rooms occupied

इस सारणी में राज्य, जिला और शहर स्तरों पर योग, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारणाधिकार की स्थिति, परिवार के साइज और रहने के कमरों की संख्या के अनुसार परिवारों का वितरण दिया गया है। इस सारणी में 1-2 सदस्यों, 3–5 सदस्यों, 6–8 सदस्यों और 9+ सदस्यों के परिवार साइजों का उपयोग किया गया है। इस सारणी में संस्थागत परिवारों को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि उनकी धारणाधिकार की स्थिति और रहने के कमरों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित नहीं की गई थी।

सारणी ज-3 अ० ज० जा० में राज्य और जिला स्तरों पर अनसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी दी गई है।

यह सारणी मकान सूची के कालम 9, 12, 13, 14 और 23 में रिकार्ड किए गए उत्तरों के आधार पर तैयार की गई है।

This table gives the distribution of households by tenure status, household size and number of rooms occupied for total, rural and urban areas at state, district and city levels. The household sizes used in this table are 1-2 members, 3-5 members, 6-8 members and 9+ members. This table excludes institutional households for whom the tenure status and number of living rooms occupied by them were not collected.

Table H-3 ST gives similar information for Scheduled Tribe households respectively at state and district levels.

This table has been prepared on the basis of answers recorded in columns 9, 12, 13, 14 and 23 of the house-list.

ज-3 : धारणाधिकार की स्थिति, साइज और
H-3 : HOUSEHOLDS BY TENURE STATUS, SIZE

धारणाधिकार की स्थिति Tenure Status	परिवार का साइज Household size	परिवारों की कुल संख्या Total No. of house holds	निम्नलिखित कमरों वाले Number of households		
			कोई पृथक कमरा नहीं No exclusive Room	1 कमरा 1 Room	2 कमरे 2 Rooms
1	2	3	4	5	6
					अण्डमान और निकोबार Andaman and Nicobar
					योग
योग	योग	57,047	16	19,696	23,764
	1—2	10,564	7	4,489	4,371
	3—5	27,766	6	9,525	12,190
	6—8	14,378	3	4,392	5,917
	9+	4,339	..	1,290	1,286
अपना	योग	29,618	2	10,879	10,861
	1—2	3,606	..	1,730	1,319
	3—5	13,032	1	5,043	5,076
	6—8	9,389	1	3,022	3,472
	9+	3,591	..	1,084	994
किराये का	योग	22,525	12	7,365	10,573
	1—2	5,788	7	2,311	2,541
	3—5	12,214	4	3,806	5,874
	6—8	3,926	1	1,080	1,920
	9+	597	..	168	238
अन्य	योग	4,904	2	1,452	2,330
	1—2	1,170	..	448	511
	3—5	2,520	1	676	1,240
	6—8	1,063	1	290	525
	9+	151	..	38	54
					ग्रामीण
योग	योग	41,756	14	14,062	17,641
	1—2	8,063	7	3,315	3,407
	3—5	19,421	5	6,530	8,733
	6—8	10,821	2	3,143	4,476
	9+	3,451	..	1,074	1,025
अपना	योग	24,413	2	9,125	9,027
	1—2	3,060	..	1,477	1,124
	3—5	10,551	1	4,162	4,168
	6—8	7,740	1	2,491	2,874
	9+	3,062	..	995	861
किराये का	योग	14,009	12	4,035	6,946
	1—2	4,086	7	1,515	1,857
	3—5	7,256	4	1,978	3,724
	6—8	2,372	1	484	1,237
	9+	295	..	58	128
अन्य	योग	3,334	..	902	1,668
	1—2	917	..	323	426
	3—5	1,614	..	390	841
	6—8	709	..	168	365
	9+	94	..	21	36

टिप्पणी : इस सारणी संस्थागत परिवार सम्मिलित नहीं हैं।

रहने के कमरों की संख्या के अनुसार परिवार
AND NUMBER OF ROOMS OCCUPIED

परिवारों की संख्या occupying							
	3 कमरे 3 Rooms	4 कमरे 4 Rooms	5 कमरे 5 Rooms	6 और उससे अधिक कमरे 6 Rooms & above	अविनिर्दिष्ट कमरे Unspecified room	धारणाधिकार की स्थिती Tenure Status	परिवार का साईज Household sige
	7	8	9	10	11	1	2
द्वीपसमूह Islands							
TOTAL							
	8,626	2,617	753	1,086	489	Total	Total
	1,080	250	56	90	221		1—2
	4,163	1,083	261	362	176		3—5
	2,561	855	263	322	65		6—8
	822	429	173	312	27		9+
	4,500	1,744	567	756	309	Owned	Total
	284	84	21	23	145		1—2
	1,836	616	172	200	88		3—5
	1,693	669	219	259	54		6—8
	687	375	155	274	22		9+
	3,391	653	152	215	164	Rented	Total
	666	121	27	46	69		1—2
	1,906	365	74	102	83		3—5
	710	126	37	42	10		6—8
	109	41	14	25	2		9+
	735	220	34	115	16	Others	Total
	130	45	8	21	7		1—2
	421	102	15	60	5		3—5
	158	60	7	21	1		6—8
	26	13	4	13	3		9+
RURAL							
	6,554	1,835	579	718	353	Total	Total
	870	178	45	60	181		1—2
	2,956	698	189	213	97		3—5
	2,067	634	213	234	52		6—8
	661	325	132	211	23		9+
	3,661	1,325	455	532	286	Owned	Total
	228	60	18	15	138		1—2
	1,442	437	133	129	79		3—5
	1,417	529	182	196	50		6—8
	574	299	122	192	19		9+
	2,367	379	102	117	51	Rented	Total
	537	86	21	27	36		1—2
	1,232	206	46	53	13		3—5
	527	70	27	25	1		6—8
	71	17	8	12	1		9+
	526	131	22	69	16	Others	To al
	105	32	6	18	7		1—2
	282	55	10	31	5		3—5
	123	35	4	13	1		6—8
	16	9	2	7	3		9+

NOTE :—This table excludes institutional households.

ज-3
H-3

1	2	3	4	5	6
					नगरीय/
योग	योग	15,291	2	5,634	6,123
	1—2	2,501	..	1,174	964
	3—5	8,345	1	2,995	3,457
	6—8	3,557	1	1,249	1,441
	9+	888	..	216	261
अपना	योग	5,205	..	1,754	1,834
	1—2	546	..	253	195
	3—5	2,481	..	881	908
	6—8	1,649	..	531	598
	9+	529	..	89	
किराये का	योग	8,516	..	3,330	3,627
	1—2	1,702	..	796	684
	3—5	4,958	..	1,828	2,150
	6—8	1,554	..	596	683
	9+	302	..	110	110
अन्य	योग	1,570	2	550	662
	1—2	253	..	125	85
	3—5	906	1	286	399
	6—8	354	1	122	160
	9+	57	..	17	18
					जिला : DISTRICT : योग /
योग	योग	50,350	6	16,475	21,159
	1—2	9,120	1	3,875	3,713
	3—5	25,029	3	8,373	10,991
	6—8	12,938	2	3,621	5,438
	9+	3,263	..	606	1,017
अपना	योग	25,507	..	8,338	9,783
	1—2	3,023	..	1,407	1,133
	3—5	11,534	..	4,158	4,643
	6—8	8,372	..	2,350	3,254
	9+	2,578	..	423	753
किराये का	योग	20,574	4	6,804	9,454
	1—2	5,116	1	2,076	2,181
	3—5	11,282	2	3,578	5,315
	6—8	3,629	1	1,000	1,742
	9+	547	..	150	216
अन्य	योग	4,269	2	1,333	1,922
	1—2	981	..	392	399
	3—5	2,213	1	637	1,033
	6—8	937	1	271	442
	9+	138	..	33	48

—जारी
—Contd.

7	8	9	10	11	2	
URBAN						
2,072	782	174	368	136	Total	Total
210	72	11	30	40	1—2	
1,207	385	72	149	79	3—5	
494	221	50	88	13	6—8	
161	104	41	101	4	9+	
839	419	112	224	13	Total	Owned
56	24	3	8	7	1 —2	
394	179	39	71	9	3 —5	
276	140	37	63	4	6 —8	
113	76	33	82	3	9+	
1,024	274	50	98	113	Total	Rented
129	35	6	19	33	1 —2	
674	159	28	49	70	3 —5	
183	56	10	17	9	6—8	
38	24	6	13	1	9+	
209	89	12	46	..	Total	Others
25	13	2	3	..	1—2	
139	47	5	29	..	3—5	
35	25	3	8	..	6 —8	
10	4	2	6	..	9+	
अण्डमान ANDAMANS						
TOTAL						
8,107	2,492	711	997	403	Total	Total
985	234	52	76	184	1—2	
3,898	1,040	248	324	152	3—5	
2,454	824	249	301	49	6—8	
770	394	162	296	18	9+	
4,256	1,646	536	717	231	Total	Owned
259	74	19	19	112	1 —2	
1,727	586	164	189	67	3 —5	
1,632	643	207	248	38	6 —8	
638	343	146	261	14	9+	
3,185	640	149	179	159	Total	Rented
607	117	27	40	67	1—2	
1,790	359	74	83	81	3—5	
682	124	36	34	10	6—8	
106	40	12	22	1	9+	
666	206	26	101	13	Total	Others
119	43	6	17	5	1 —2	
381	95	10	52	4	3 —5	
140	57	6	19	1	6 —8	
26	11	4	13	3	9+	

ज 3
H-3

1	2	3	4	5	6
					जिला अण्डमान— DISTRICT Andaman—
					ग्रामीण
योग	योग	35,059	4	10,841	15,036
	1—2	6,619	1	2,701	2,749
	3—5	16,684	2	5,378	7,534
	6—8	9,381	1	2,372	3,997
	9+	2,375	..	390	756
अपना	योग	20,302	..	6,584	7,949
	1—2	2,477	..	1,154	938
	3—5	9,053	..	3,277	3,735
	6—8	6,723	..	1,819	2,656
	9+	2,049	..	334	620
किराये का	योग	12,058	4	3,474	5,827
	1—2	3,414	1	1,280	1,497
	3—5	6,324	2	1,750	3,165
	6—8	2,075	1	404	1,059
	9+	245	..	40	106
अन्य	योग	2,699	..	783	1,260
	1—2	728	..	267	314
	3—5	1,307	..	351	634
	6—8	583	..	149	282
	9+	81	..	16	30
					नगरीय/
योग	योग	15,291	2	5,634	6,123
	1—2	2,501	..	1,174	964
	3—5	8,345	1	2,995	3,457
	6—8	3,557	1	1,249	1,441
	9+	888	..	216	261
अपना	योग	5,205	..	1,754	1,834
	1—2	546	..	253	195
	3—5	2,481	..	881	908
	6—8	1,649	..	531	598
	9+	529	..	89	133
किराये का	योग	8,516	..	3,330	3,627
	1—2	1,702	..	796	684
	3—5	4,958	..	1,828	2,150
	6—8	1,554	..	596	683
	9+	302	..	110	110
अन्य	योग	1,570	2	550	662
	1—2	253	..	125	85
	3—5	906	1	286	399
	6—8	354	1	122	160
	9+	57	..	17	18

—जारी
—Contd.

7	8	9	10	11	2	1
जारी contd.						
RURAL						
6,035	1,710	537	629	267	Total	Total
775	162	41	46	144	1 –2	
2,691	655	176	175	73	3 –5	
1,960	603	199	213	36	6 –8	
609	290	121	195	14	9+	
3,417	1,227	424	493	208	Total	Owned
203	50	16	11	105	1 –2	
1,333	407	125	118	58	3 –5	
1,356	503	170	185	34	6– 8	
525	267	113	179	11	9+	
2,161	366	99	81	46	Total	Rented
478	82	21	21	34	1—2	
1,116	200	46	34	11	3—5	
499	68	26	17	1	6—8	
68	16	6	9	..	9+	
457	117	14	55	13	Total	Others
94	30	4	14	5	1—2	
242	48	5	23	4	3—5	
105	32	3	11	1	6—8	
16	7	2	7	3	9+	
URBAN						
2,072	782	174	368	136	Total	Total
210	72	11	30	40	1—2	
1,207	385	72	149	79	3—5	
494	221	50	88	13	6—8	
161	104	41	101	4	9+	
839	419	112	224	23	Total	Owned
56	24	3	8	7	1—2	
394	179	39	71	9	3—5	
276	140	37	63	4	6—8	
113	76	33	82	3	9+	
1,024	274	50	98	113	Total	Rented
129	35	6	19	33	1 –2	
674	159	28	49	70	3 –5	
183	56	10	17	9	6 –8	
38	24	6	13	1	9+	
209	89	12	46	..	Total	Others
25	13	2	3	..	1 –2	
139	47	5	29	..	3 –5	
35	25	3	8	..	6 –8	
10	4	2	6	..	9+	

NOTE : –This table excludes institutional households.

जे-3—
H-3—

1	2	3	4	5	6
					जिला— DISTRICT—
					योग
योग	योग	6,697	10	3,221	2,605
	1—2	1,444	6	614	658
	3—5	2,737	3	1,152	1,199
	6—8	1,440	1	771	479
	9+	1,076	..	684	269
अपना	योग	4,111	2	2,541	1,078
	1—2	583	..	323	186
	3—5	1,498	1	885	433
	6—8	1,017	1	672	218
	9+	1,013	..	661	241
किराये का	योग	1,951	8	561	1,119
	1—2	672	6	235	360
	3—5	932	2	228	559
	6—8	297	..	80	178
	9+	50	..	18	22
अन्य	योग	635	..	119	408
	1—2	189	..	56	112
	3—5	307	..	39	207
	6—8	126	..	19	83
	9+	13	..	5	6
					ग्रामीण/
योग	योग	6,697	10	3,221	2,605
	1—2	1,444	6	614	658
	3—5	2,737	3	1,152	1,199
	6—8	1,440	1	771	479
	9+	1,076	..	684	269
अपना	योग	4,111	2	2,541	1,078
	1—2	583	..	323	186
	3—5	1,498	1	885	433
	6—8	1,017	1	672	218
	9+	1,013	..	661	241
किराये का	योग	1,951	8	561	1,119
	1—2	672	6	235	360
	3—5	932	2	228	559
	6—8	297	..	80	178
	9+	50	..	18	22
अन्य	योग	635	..	119	408
	1—2	189	..	56	112
	3—5	307	..	39	207
	6—8	126	..	19	83
	9+	13	..	5	6

जारी
Contd.

7	8	9	10	11	2	1
निकोबार NICOBARS						
TOTAL						
519	125	42	89	86	Total	Total
95	16	4	14	37	1–2	
265	43	13	38	24	3–5	
107	31	14	21	16	6–8	
52	35	11	16	9	9+	
244	98	31	39	78	Total	Owned
25	10	2	4	33	1–2	
109	30	8	11	21	3–5	
61	26	12	11	16	6–8	
49	32	9	13	8	9+	
206	13	3	36	5	Total	Rented
59	4	..	6	2	1—2	
116	6	..	19	2	3—5	
28	2	1	8	..	6–8	
3	1	2	3	1	9+	
69	4	8	14	3	Total	Others
11	2	2	4	2	1–2	
40	7	5	8	1	3–5	
18	3	1	2	..	6—8	
..	2	..	..	..	9+	
RURAL						
519	125	42	89	86	Total	Total
95	16	4	14	37	1—2	
265	43	13	38	24	3—5	
107	31	14	21	16	6—8	
52	35	11	16	9	9+	
244	98	31	39	78	Total	Owned
25	10	2	4	33	1—2	
109	30	8	11	21	3—5	
61	26	12	11	16	6–8	
49	32	9	13	8	9+	
206	13	3	36	5	Total	Rented
59	4	..	6	2	1—2	
116	6	..	19	2	3—5	
28	2	1	8	..	6—8	
3	1	2	3	1	9+	
69	14	8	14	3	Total	Others
11	2	2	4	2	1–2	
40	7	5	8	1	3–5	
18	3	1	2	..	6–8	
..	2	..	..	..	9+	

ज-3
H-3

1	2	3	4	5	6
					जिला : निकोबार DISTRICT: NICOBAR
					नगरीय/
योग	योग	..	..	..	..
	1—2	..	..	..	..
	3—5	..	..	..	..
	6—8	..	..	..	..
	9+	..	..	..	..
अपना	योग	..	..	..	..
	1—2	..	..	..	..
	3—5	..	..	..	..
	6—8	..	..	..	..
	9+	..	..	..	..
किराये का	योग	..	..	..	..
	1—2	..	..	..	..
	3—5	..	..	..	..
	6—8	..	..	..	..
	9+	..	..	..	..
अन्य	योग	..	..	..	..
	1—2	..	..	..	..
	3—5	..	..	..	..
	6—8	..	..	..	..
	9+	..	..	..	..

—समाप्त
—Concld.

7	8	9	10	11	2	1

—समाप्त
—Contd.

URBAN

..	..	..	..	..	Total	Total
..	..	..	..	..	1 –2	
..	..	..	..	..	3 –5	
..	..	..	..	..	6 –8	
..	..	..	..	..	9+	
..	..	..	..	..	Total	Owned
..	..	..	..	..	1 –2	
..	..	..	..	..	3 –5	
..	..	..	..	..	6 –8	
..	..	..	..	..	9+	
..	..	..	..	..	Total	Rented
..	..	..	..	..	1 –2	
..	..	..	..	..	3 –5	
..	..	..	..	..	6 –8	
..	..	..	..	..	9+	
..	..	..	..	..	Total	Others
..	..	..	..	..	1 –2	
..	..	..	..	..	3 –5	
..	..	..	..	..	6 –8	
..	..	..	..	..	9+	

ज-3 अ० ज० जा० : धारणाधिकार की स्थिति, साइज और
H-3 ST : HOUSEHOLDS BELONGING TO SCHEDULED TRIBES BY TENURE

धारणाधिकार की स्थिति Tenure status	परिवार का साईज Household size	परिवारों की कुल संख्या Total number of Household	निम्नलिखित कमरों वाले Number of households: कोई पृथक कमरा नहीं No exclusive room	1 कमरा 1 Room	2 कमरे 2 Rooms
1	2	3	4	5	6
					अण्डामान और Andaman and
					योग
योग	योग	4,250	2	2,868	981
	1—2	521	..	341	138
	3—5	1,552	2	1,058	378
	6—8	1,116	..	785	220
	9+	1,061	..	684	245
अपना	योग	3,603	1	2,658	704
	1—2	356	..	273	67
	3—5	1,244	1	969	231
	6—8	997	..	746	180
	9+	1,006	..	670	223
किराये का	योग	414	1	151	195
	1—2	108	..	52	48
	3—5	199	1	64	105
	6—8	72	..	24	23
	9+	35	..	11	14
अन्य	योग	233	..	59	82
	1—2	57	..	16	23
	3—5	109	..	25	39
	6—8	47	..	15	12
	9+	20	..	3	8
					ग्रामीण
योग	योग	4,004	2	2,754	908
	1—2	483	..	319	127
	3—5	1,424	2	1,004	335
	6—8	1,059	..	756	208
	9+	1,038	..	675	238
अपना	योग	3,524	1	2,614	680
	1—2	343	..	265	63
	3—5	1,209	1	950	223
	6—8	972	..	734	171
	9+	1,000	..	665	223
किराये का	योग	305	1	93	163
	1—2	89	..	41	43
	3—5	140	1	33	85
	6—8	52	..	12	26
	9	24	..	7	9
अन्य	योग	175	..	47	65
	1—2	51	..	13	21
	3—5	75	..	21	27
	6—8	35	..	10	11
	9+	14	..	3	6

टिप्पणी : इस सारणी में "अस्थायी परिवार" सम्मिलित नहीं है।

कमरों की संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के परिवार
STATUS, SIZE AND NUMBER OF ROOMS OCCUPIED

परिवारों की संख्या occupying						
3 कमरे 3 Rooms	4 कमरे 4 Rooms	5 कमरे 5 Rooms	6 और उससे अधिक कमरे 6 rooms & above	अविनिर्दिष्ट कमरे Unspecified room	परिवार का साईज Household size	धारणाधिकार की स्थिति Tenure status
7	8	9	10	11	2	1
निकोबार द्वीपसमूह Nicobar Islands						
TOTAL						
160	63	17	128	31	Total	Total
13	4	1	21	3	1—2	
34	12	3	56	9	3—5	
52	15	4	29	11	6—8	
61	32	9	22	8	9+	
112	51	16	35	26	Total	Owned
7	2	1	4	2	1—2	
12	9	3	9	7	3—5	
37	11	4	8	11	6—8	
56	29	8	14	6	9+	
31	7	1	26	2	Total	Rented
4	2	..	2	..	1—2	
15	1	..	12	1	3—5	
9	2	..	9	..	6—8	
3	2	1	3	1	9+	
17	5	..	67	3	Total	Others
2	..	..	15	1	1—2	
7	2	..	35	1	3—5	
6	2	..	12	..	6—8	
2	1	..	5	1	9+	
RURAL						
149	55	16	90	30	Total	Total
10	3	1	20	3	1—2	
31	10	2	31	9	3—5	
48	11	4	21	11	6—8	
60	31	9	18	7	9+	
107	50	15	31	26	Total	Owned
6	2	1	4	2	1—2	
10	9	2	7	7	3—5	
35	10	4	7	11	6—8	
56	29	8	13	6	9+	
26	3	1	17	1	Total	Rented
2	1	..	2	..	1—2	
14	..	..	6	1	3—5	
7	1	..	6	..	6—8	
3	1	1	3	..	9+	
16	2	..	42	3	Total	Others
2	..	..	14	1	1—2	
7	1	..	18	1	3—5	
6	..	..	8	..	6—8	
1	1	..	2	1	9+	

NOTE :—This table excludes institutional households.

ज–3–अ०ज०जा०
H-3—S

1	2	3	4	5	6
					नगरीय
योग	योग	246	..	114	73
	1–2	38	..	22	11
	3–5	128	..	54	43
	6–8	57	..	29	12
	9	23	..	9	7
अन्य	योग	79	..	44	24
	1–2	13	..	8	4
	3–5	35	..	19	11
	6–8	25	..	12	9
	9	6	..	5	..
किराये का	योग	109	..	58	32
	1–2	19	..	11	5
	3–5	59	..	31	20
	6–8	20	..	12	2
	9	11	..	4	5
अन्य	योग	58	..	12	17
	1–2	6	..	3	2
	3–5	34	..	4	12
	6–8	12	..	5	1
	9+	6	..	..	2
					जिला
					District :
					योग
योग	योग	933	1	473	285
	1—2	154	..	70	62
	3—5	446	1	239	143
	6–8	251	..	131	64
	9+	82	..	33	16
अपना	**योग**	**593**	..	356	172
	1–2	**83**	..	**42**	**38**
	3–5	**267**	..	**177**	**77**
	6–8	**187**	..	**109**	**50**
	9+	**56**	..	**28**	**7**
किराये का	**योग**	**204**	**1**	**85**	**81**
	1–2	**42**	..	**19**	**17**
	3—5	**109**	**1**	**46**	**47**
	6—8	**38**	..	**15**	**11**
	9+	**15**	..	**5**	**6**
अन्य	**योग**	**136**	..	**32**	**32**
	1—2	**29**	..	**9**	**7**
	3—5	**70**	..	**16**	**19**
	6–8	**26**	..	**7**	**3**
	9+	**11**	..	..	**3**

—जारी
—Contd.

7	8	9	10	11	2	1
						URBAN
11	8	1	38	1	Total	Total
3	1	..	1	..	1—2	
3	2	1	25	..	3—5	
4	4	..	8	..	6—8	
1	1	..	4	1	9+	
5	1	1	4	..	Total	Owned
1	..	..	..	..	1—2	
2	..	1	2	..	3—5	
2	1	..	1	..	6—8	
..	..	..	1	..	9+	
5	4	..	9	1	Total	Rented
2	1	..	..	..	1—2	
1	1	..	6	..	3—5	
2	1	..	3	..	6—8	
..	1	..	..	1	9+	
1	3	..	25	..	Total	Others
..	..	..	1	..	1—2	
..	1	..	17	..	3—5	
..	2	..	4	..	6—8	
1	..	..	3	..	9+	
अण्डमान						
Andman						
TOTAL						
59	21	2	88	4	Total	Total
5	2	..	15	..	1—2	
11	5	1	46	..	3—5	
26	8	1	20	1	6—8	
17	6	..	7	3	9+	
38	12	2	11	2	Total	Owned
2	..	..	1	..	1—2	
3	3	1	6	..	3—5	
20	4	1	2	1	6—8	
13	5	..	2	1	9+	
16	6	..	14	1	Total	Rented
3	2	..	1	..	1—2	
7	1	..	7	..	3—5	
4	2	..	6	..	6—8	
2	1	..	..	1	9+	
5	3	..	63	1	Total	Others
..	..	..	13	..	1—2	
1	1	..	33	..	3—5	
2	2	..	12	..	6—8	
2	..	..	5	1	9+	

ज-3 अ०ज जा —
H-3 ST—

1	2	3	4	5	6
					ग्रामीण
योग	योग	687	1	359	212
	1—2	116	..	48	51
	3—5	318	1	185	100
	6—8	194	..	102	52
	9+	59	..	24	9
अपना	योग	514	..	312	148
	1—2	70	..	34	34
	3—5	232	..	158	66
	6—8	162	..	97	41
	9+	50	..	23	7
किराये का	योग	95	1	27	49
	1—2	23	..	8	12
	3—5	50	1	15	27
	6—8	18	..	3	9
	9+	4	..	1	1
अन्य	योग	78	..	20	15
	1—2	23	..	6	5
	3—5	36	..	12	7
	6—8	14	..	2	2
	9+	5	..	..	1
					नगरीय
योग	योग	246	..	114	73
	1—2	38	..	22	11
	3—5	128	..	54	43
	6—8	57	..	29	12
	9+	23	..	9	7
अपना	योग	79	..	44	24
	1—2	13	..	8	4
	3—5	35	..	19	11
	6—8	25	..	12	9
	9+	6	..	5	..
किराये का	योग	109	..	58	32
	1—2	19	..	11	5
	3—5	59	..	31	20
	6—8	20	..	12	2
	9+	11	..	4	5
अन्य	योग	58	..	12	17
	1—2	6	..	3	2
	3—5	34	..	4	12
	6—8	12	..	5	1
	9+	6	..	..	2

—जारी
—Contd.

7	8	9	10	11	2	1
RURAL						
48	13	1	50	3	Total	Total
2	1	..	14	..	1—2	
8	3	..	21	..	3—5	
22	4	1	12	1	6—8	
16	5	..	3	2	9+	
33	11	1	7	2	Total	Owned
1	..	..	1	..	1—2	
1	3	..	4	..	3—5	
18	3	1	1	1	6—8	
13	5	..	1	1	9+	
11	2	..	5	..	Total	Rented
1	1	..	1	..	1—2	
6	..	..	1	..	3—5	
2	1	..	3	..	6—8	
2	..	..	..	..	9+	
4	..	..	38	1	Total	Others
..	..	..	12	..	1—2	
1	..	..	16	..	3—5	
2	..	..	8	..	6—8	
1	..	..	2	1	9+	
URBAN						
11	8	1	38	1	Total	Total
3	1	..	1	..	1—2	
3	2	1	25	..	3—5	
4	4	..	8	..	6—8	
1	1	..	4	1	9+	
5	1	1	4	..	Total	Owned
1	..	..	..	..	1—2	
2	..	1	2	..	3—5	
2	1	..	1	..	6—8	
..	..	..	1	..	9+	
5	4	..	9	1	Total	Rented
2	1	..	..	..	1—2	
1	1	..	6	..	3—5	
2	1	..	3	..	6—8	
..	1	..	..	1	9+	
1	3	..	25	..	Total	Others
..	..	..	1	..	1—2	
..	1	..	17	..	3—5	
..	2	..	4	..	6—8	
1	..	..	3	..	9+	

ज–3 अ०ज०जा०—
H–3 ST–

1	2	3	4	5	6
					जिला DISTRICT
					योग
योग	योग	3,317	1	2,395	696
	1–2	367	..	271	76
	3–5	1,106	1	819	235
	6–8	865	..	654	156
	9+	979	..	651	229
अपना	योग	3,010	1	2,302	532
	1–2	273	..	231	29
	3–5	977	1	792	157
	6–8	810	..	637	130
	9+	950	..	642	216
किराये का	योग	210	..	66	114
	1–2	66	..	33	31
	3–5	90	..	18	58
	6–8	34	..	9	17
	9+	20	..	6	8
अन्य	योग	97	..	27	50
	1–2	28	..	7	16
	3–5	39	..	9	20
	6–8	21	..	8	9
	9+	9	..	3	5
					ग्रामीण
योग	योग	3,317	1	2,395	696
	1–2	367	..	271	76
	3–5	1,106	1	819	235
	6–8	865	..	654	156
	9+	979	..	651	229
अपना	योग	3,010	1	2,302	532
	1–2	273	..	231	29
	3–5	977	1	792	157
	6–8	810	..	637	130
	9+	950	..	642	216
किराये का	योग	210	..	66	114
	1–2	66	..	33	31
	3–5	90	..	18	58
	6–8	34	..	9	17
	9+	20	..	6	8
अन्य	योग	97	..	27	50
	1–2	28	..	7	16
	3–5	39	..	9	20
	6–8	21	..	8	9
	9+	9	..	3	5

–जारी
—contd.

7	8	9	10	11	2	1
निकोबार NICOBARS						
TOTAL						
101	42	15	40	27	Total	Total
8	2	1	6	3	1—2	
23	7	2	10	9	3—5	
26	7	3	9	10	6—8	
44	26	9	15	5	9+	
74	39	14	24	24	Total	Owned
5	2	1	3	2	1—2	
9	6	2	3	7	3—5	
17	7	3	6	10	6—8	
43	24	8	12	5	9+	
15	1	1	12	1	Total	Rented
1	..	..	1	..	1—2	
8	..	..	5	1	3—5	
5	..	..	3	..	6—8	
1	1	1	3	..	9+	
12	2	..	4	2	Total	Others
2	..	..	2	1	1—2	
6	1	..	2	1	3—5	
4	..	..	..	..	6—8	
..	1	..	..	..	9+	
RURAL						
101	42	15	40	27	Total	Total
8	2	1	6	3	1—2	
23	7	2	10	9	3—5	
26	7	3	9	10	6—8	
44	26	9	15	5	9+	
74	39	14	24	24	Total	Owned
5	2	1	3	2	1—2	
9	6	2	3	7	3—5	
17	7	3	6	10	6—8	
43	24	8	12	5	9+	
15	1	1	12	1	Total	Rented
1	..	..	1	..	1—2	
8	..	..	5	1	3—5	
5	..	..	3	..	6—8	
1	1	1	3	..	9+	
12	2	..	4	2	Total	Others
2	..	..	2	1	1—2	
6	1	..	2	1	3—5	
4	..	..	..	..	6—8	
..	1	..	..	..	9+	

ज-3 अ०ज०जा०—
H-3 ST—

1	2	3	4	5	6
					नगरीय
योग	जोड़	..	..	..	..
	1—2	..	..	..	..
	3—5	..	..	..	..
	6—8	..	..	..	..
	9+	..	..	..	..
अपना	जोड़	..	..	..	..
	1—2	..	..	..	..
	3—5	..	..	..	..
	6—8	..	..	..	..
	9+	..	..	..	..
किराये का	जोड़	..	..	..	..
	1—2	..	..	..	..
	3—5	..	..	..	..
	6—8	..	..	..	..
	9+	..	..	..	..
अन्य	जोड़	..	..	..	..
	1—2	..	..	..	..
	3—5	..	..	..	..
	6—8	..	..	..	..
	9+	..	..	..	..

समाप्त
concld.

7	8	9	10	11	2	1
URBAN						
..	..	..	..	..	Total	Total
..	..	..	..	..	1—2	
..	..	..	..	..	3—5	
..	..	..	..	..	6—8	
..	..	..	..	..	9+	
..	..	..	..	..	Total	Owned
..	..	..	..	..	1—2	
..	..	..	..	..	3—5	
..	..	..	..	..	6—8	
..	..	..	..	..	9+	
..	..	..	..	..	Total	Rented
..	..	..	..	..	1—2	
..	..	..	..	..	3—5	
..	..	..	..	..	6—8	
..	..	..	..	..	9+	
..	..	..	..	..	Total	Others
..	..	..	..	..	1—2	
..	..	..	..	..	3—5	
..	..	..	..	..	6—8	
..	..	..	..	..	9+	

ज-4—बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता और आबाद मकानों के धारणाधिकार की स्थिति के अनुसार परिवार और 1000 की जनसंख्या का विवरण

H-4 : Households and Distribution of 1,000 population by availability of electricity and toilet facilities and tenure status of house occupied

इस सारणी में आबाद मकानों की धारणाधिकार की स्थिति और परिवार को उपलब्ध बिजली और शौचालय सुविधाओं के अनुसार परिवारों का वितरण दिया गया है। इस सारणी में परिवार के धारणाधिकार की स्थिति तथा बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार 1000 की जनसंख्या का वितरण भी दिया गया है। संस्थागत परिवारों की धारणाधिकार की स्थिति नहीं पूछी गई थी लेकिन ऐसे परिवारों से बिजली और शौचालय की सुविधा की उपलब्धता के बारे में जानकारी पूछी गई थी अतः संस्थागत परिवारों को "योग" में सम्मिलित किया गया है। इस सारणी में राज्य, जिला, तहसील और कस्बा स्तरों पर योग, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी ज-4 अ० ज० जा० में राज्य और जिला स्तरों पर योग, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए अनसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी अलग-अलग दी गई है ।

यह सारणी मकान सूची के कालम 9, 12, 17, 18 और 23 में रिकार्ड किए गए उत्तरों के आधार पर तैयार की गई है।

This table gives the distribution of households by tenure status of house occupied and availability of electricity and toilet facilities to the household. This table also shows the distribution of 1,000 population by tenure status of the household and availabitity of electricity and toilet facilities. The institutional household are included in 'Total' only as the tenure status was not canvassed but information regarding availibility of electricity and toilet facilities was collected from such households. The table present data for total, rural and urban areas separately at state, district, tehsil and town levels.

Tables H-4—ST give similar information for Scheduled Caste ond Scheduled Tribe households respectively for total, rural and urban areas separately at state and district levels.

This table has been prepared on the basis of answers recorded in columns 9, 12, 13, 17, 18 and 23 of the houselist.

एच–4 : बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता और आवाद मकानों के धारणाधिकार की स्थिति के अनुसार परिवार और 1000 की जनसंख्या का वितरण

H-4 : HOUSEHOLD S AND DISTRIBUTION OF 1000 POPULATION BY AVAILABILITY OF ELECTRICITY AND TOILET FACILITIES AND TENURE STATUS OF HOUSE OCCUPIED

आवाद मकान के धारणाधिकार की स्थिति Tenure Status of house occupied	परिवारों की कुल संख्या Total number of households	कुल जनसंख्या (प्रति 1000) Total population (per 1000)	जिन्हें बिजली उपलब्ध है Electricity available to		जिन्हें शौचालय सुविधा उपलब्ध है Toilet facility available to		आवाद मकान के धारणधिकार की स्थिति Tenure status of house occupied
			परिवारों की संख्या Number of Households	जनसंख्या (प्रति 1,000) Population (Per 1000)	परिवारों का संख्या Number of Households	जनसंख्या (प्रति 1,000) Population (per 1000)	
1	2	3	4	5	6	7	1
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह **Andaman and Nicobar Islands**							
योग							Total
योग	57,080	1,000	36,259	641	21,053	362	Total
अपना	29,618	592	15,430	332	6,849	142	Owned
किराये का	22,525	323	17,440	251	11,853	174	Rented
अन्य	4,904	74	3,363	52	2,328	36	Others
ग्रामीण							Rural
योग	41,776	1,000	22,401	547	10,995	255	Total
अपना	24,413	662	11,034	330	3,943	112	Owned
किराये का	14,009	261	9,404	173	5,626	104	Rented
अन्य	3,334	65	1,950	39	1,415	28	Others
नगरीय							Urban
योग	15,304	1,000	13,858	910	10,058	668	Total
अपना	5,205	391	4,396	338	2,906	228	Owned
किराये का	8,516	502	8,036	474	6,227	373	Rented
अन्य	1,570	99	1,413	91	913	60	Others

टिप्पणी :–संस्थागत परिवारों से मकान के धारणाधिकार की स्थिति नहीं पूछी गई थी लेकिन ऐसे परिवारों से बिजली और शौचालय की सुविधा की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी। अ : ऐसे संस्थागत परिवारों और उनकी प्रति 1,000 जनसंख्या को केवल कालम 1 में योग में ही सम्मिलित किया गया है।

NOTE : –Tenure status of house wa snot canvassed for institutional households but availability of electricity and toilet facility was collected from such households. As such institutional households and their population per 1000 are included in total only.

ज-4—जारी

H-4—contd.

1		2	3	4	5	6	7		1
				अण्डामान Andamans					
योग									Total
	योग	50,377	1,000	32,447	650	19,620	392	Total	
	अपना	25,507	571	13,523	324	6,702	160	Owned	
	किराये का	20,574	345	16,015	270	10,910	188	Rented	
	अन्य	4,269	76	2,888	53	1,988	37	Others	
ग्रामीण									Rural
	योग	35,073	1,000	18,589	539	9,562	274	Total	
	अपना	20,302	649	9,127	319	3,796	131	Owned	
	किराये का	12,058	277	7,979	182	4,683	109	Rented	
	अन्य	2,699	66	1,475	36	1,075	27	Others	
नगरीय									Urban
	योग	15,304	1,000	13,858	910	10,058	668	Total	
	अन्य	5,205	391	4,396	338	2,906	228	Owned	
	किराये का	8,516	502	8,036	474	6,227	373	Rentd	
	अन्य	1,570	99	1,413	91	913	60	Others	
				डिगलीपुर तहसील Diglipur Tehsil					
ग्रामीण									Rural
	योग	4,808	1,000	1,850	372	1,597	319	Total	
	अपना	3,313	748	897	271	720	169	Owned	
	किराये का	1,268	212	916	149	840	144	Rented	
	अन्य	227	40	37	6	37	7	Others	
				मायाबन्दर तहसील Mayabander Tehsil					
ग्रामीण									Rural
	योग	4,623	1,000	2,151	473	1,529	325	Total	
	अपना	2,803	680	916	256	563	154	Owned	
	किराये का	1,507	264	1,080	192	847	151	Rented	
	अन्य	311	55	155	26	119	20	Others	
				रंगत तहसील Rangat Tehsil					
ग्रामीण									Rural
	योग	7,468	1,000	4,331	579	2,086	268	Total	
	अपना	3,660	562	1,549	261	675	105	Owned	
	किराये का	3,320	378	2,421	274	1,097	124	Rented	
	अन्य	487	59	361	44	314	39	Others	

ज-4—जारी

H-4—contd.

1	2	3	4	5	6	7	2	1
			पोर्ट ब्लेयर Port Blair					
ग्रामीण								Rural
	योग	10,036	k,000	5,641	559	2,530	267	Total
	अपना	5,774	635	2,980	349	1,021	123	Owned
	किराये का	3,707	293	2,377	186	1,336	105	Rented
	अन्य	551	48	284	25	172	15	Others
			फरारगंज तहसील Ferrargunj Tehsil					
ग्रामीण								**Rural**
	योग	8,138	1,000	4,616	610	1,820	234	Total
	अपना	4,752	663	2,785	424	817	128	Owned
	किराये का	2,254	221	1,185	116	563	57	Rented
	अन्य	1,123	112	638	67	433	45	Others
			पोर्ट ब्लेयर (न० बो०) Port Blair (M.B.)					
नगरीय								Urban
	योग	15,304	1,000	13,858	910	10,058	668	Total
	अपना	5,205	391	4,396	338	2,906	228	Owned
	किराये का	8,516	502	8,036	474	6,227	373	Rented
	अन्य	1,570	99	1,413	91	913	60	Others

अ- 4—जारी

H-4—contd.

1		2	3	4	5	6	7	2	1
				निकोबार Nicobars					
योग									Total
	योग	6,703	1,000	3,812	586	1,433	171	Total	
	अपना	4,111	719	1,907	377	147	30	Owned	
	किराये का	1,951	190	1,425	133	943	84	Rented	
	अन्य	635	65	475	48	340	33	Others	
ग्रामीण									Rural
	योग	6,703	1,000	3,812	586	1,433	171	Total	
	अपना	4,111	719	1,907	377	147	30	Owned	
	किराये का	1,951	190	1,425	133	943	84	Rented	
	अन्य	635	65	475	48	340	33	Others	
नगरीय									Urban
	योग	..	..	..	..	..	..	Total	
	अपना	..	..	..	..	..	..	Owned	
	किराये का	..	..	..	..	..	..	Rented	
	अन्य	..	..	..	..	..	..	Others	
				कार निकोबार तहसील Car Nicobar Tehsil					
ग्रामीण									Rural
	योग	2,466	1,000	1,382	579	560	136	Total	
	अपना	1,736	834	748	440	57	34	Owned	
	किराये का	614	129	550	109	486	95	Rented	
	अन्य	112	27	81	21	16	4	Others	
				नानकौरी तहसील Nancowry Tehsil					
ग्रामीण									Rural
	योग	4,237	1,000	2,430	592	873	202	Total	
	अपना	2,375	618	1,159	322	90	26	Owned	
	किराये का	1,337	243	875	155	457	75	Rented	
	अन्य	523	97	394	72	324	58	Others	

अ–4 अ० ज० ज० : बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता और आबाद मकानों के धारणाधिकार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के परिवार और 1000 की जनसंख्या का वितरण

H-4 ST : HOUSEHOLDS AND DISTRIBUTION OF 1000 POPULATION OF SCHEDULED TRIBES BY AVAILABILITY OF ELECTRICITY AND TOILET FACILITIES AND TENURE STATUS OF HOUSE OCCUPIED

आबाद मकान के धारणाधिकार की स्थिति Tenure Status of house occupied	परिवारों की कुल संख्या Total number of household	कुल जनसंख्या (प्रति 1000) Total population (per 1000)	जिन्हें बिजली उपलब्ध है Electricity available to		जिन्हें शौचालय सुविधा उपलब्ध है Toilet facility available to		आबाद मकान के धारणाधिकार की स्थिति Tenure status of house occupied
			परिवारों की संख्या Numbe of Households	जनसंख्या (प्रति 1,000) Population (per 1000)	परिवारों की संख्या Number of Households	जनसंख्या (प्रति 1,000) Population (per 1000)	
1	2	3	4	5	6	7	1
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह **Andaman and Nicobar Islands**							
योग							Total
योग	4,250	1,000	1,999	517	543	99	Total
अपना	3,603	899	1,593	453	187	44	Owned
किराये का	414	65	291	45	239	37	Rented
अन्य	233	36	115	19	117	18	Others
ग्रामीण							Rural
योग	4,004	1,000	1,795	503	400	77	Total
अपना	3,524	924	1,544	464	164	41	Owned
किराये का	305	48	189	29	161	24	Rented
अन्य	175	27	62	10	75	12	Others
नगरीय							Urban
योग	246	1,000	204	842	143	601	Total
अपना	79	323	49	204	23	102	Owned
किराये का	109	444	102	425	78	331	Rented
अन्य	58	233	53	213	42	168	Others

टिप्पणी : इस सारणी में संस्थागत परिवार सम्मिलित नहीं हैं।

NOTE — This table excludes institutional households.

ज-4 अ० ज० जा०—जारी

H-4 S T—contd.

1	2	3	4	5	6	7	1
			अण्डमान Andaman				
योग							Total
योग	933	1,000	521	563	301	293	Total
अपना	593	670	267	307	100	92	Owned
किराये का	204	201	171	173	133	133	Rented
अन्य	136	129	83	83	68	67	Others
ग्रामीण							Rural
योग	687	1,000	317	464	158	183	Total
अपना	514	794	218	344	77	89	Owned
किराये का	95	115	69	84	55	62	Rented
अन्य	78	92	30	36	26	32	Others
नगरीय							Urban
योग	246	1,000	204	842	143	601	Total
अपना	79	323	49	204	23	102	Owned
किराये का	109	444	102	425	78	331	Rented
अन्य	58	233	53	213	42	168	Others

ज-4 अ० ज० जा०—समाप्त

H-4 S T—concld.

1		2	3	4	5	6		1
				जिला : निकोबार DISTRICT : Nicobars				
ोग								Total
	योग	3,317	1,000	1,478	508	242	62 Total	
	अपना	3,010	943	1,326	481	87	34 Owned	
	किराये का	210	39	120	21	106	19 Rented	
	अन्य	97	18	32	7	49	9 Others	
ग्रामीण								Rural
	योग	3,317	1,000	1,478	508	242	62 Total	
	अपना	3,010	943	1,326	481	87	34 Owned	
	किराये का	210	39	120	21	106	19 Rented	
	अन्य	97	18	32	7	49	9 Others	
नगरीय								Urban
	योग	..	..	..	..	..	.. Total	
	अपना		..	..	..	..	.. Owned	
	किराये का	..	..	..	..	..	.. Rented	
	अन्य	..	..	..	..	..	.. Others	

ज-5 पीने के पानी के स्रोत, बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार वर्गीकृत परिवार

H-5 Households classified by source of drinking water, availability of electricity and toilet facility

इस सारणी में राज्य, जिला, तहसील और कस्बा स्तरों पर योग, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी के स्रोतों तथा बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार परिवारों का प्रतिवर्गीकरण दिया गया है। पीने के पानी के स्रोत ये हैं—कुंआ, नल, हैंडपम्प, नलकूप, नदी/नहर, तालाब और अन्य। इन्हें आगे मकान के अहाते के अन्दर/अहाते के बाहर उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस सारणी में ऐसे परिवारों की संख्या दी गई है जिन्हें ये तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, केवल दो सुविधाएं उपलब्ध हैं और केवल एक सुविधा उपलब्ध है। इस सारणी में राज्य/जिला/तहसील/कस्बा स्तरों पर योग ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी ज-5 अ० ज० जा० में राज्य और जिला स्तरों पर योग ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए क्रमशः अनसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में इसी प्रकार की अलग-अलग जानकारी दी गई है।

यह सारणी मकान-सूची के कालम 9, 12, 15, 16, 17 और 18 में रिकार्ड किए गए उत्तरों के आधार पर तैयार की गई है।

This table gives the cross-classification of households by source of drinking water supply and availability of electricity and toilet facilities for total, rural and urban areas at state, district, tehsil and town levels. The sources of drinking water supply are well, tap, handpump/tubewell, river/canal, tank and others. These have been further classified as available within the premises and outside the premises of the house. This table indicates the number of households to whom all the three amenities are available, number of households to whom only two facilities are available and those to whom only one facility is available. This table presents data for total, rural and urban areas at State/District/Tehsil/Town levels.

Table H-5 ST gives similar information for Scheduled Tribe households respectively for total, rural and urban areas separately at state and district levels.

This table has been prepared on the basis of answers recorded in columns 9, 12, 15, 16, 17 and 18 of the houselist.

अ–5 : पीने के पानी के स्रोत, बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार वर्गीकृत परिवार

H-5 : HOUSEHOLDS CLASSIFIED BY SOURCE OF DRINKING WATER AVAILABILITY OF ELECTRICITY AND TOILET FACILITIES

पीने के पानी का स्रोत		परिवारों की कुल संख्या Total number of households	बिजली ELECTRICITY				Source of drinking water	
			उपलब्ध Available		अनुपलब्ध Not available			
			शौचालय Toilet		शौचालय Toilet			
			उपलब्ध Available	अनुपलब्ध Not available	उपलब्ध Available	अनुपलब्ध Not available		
1		2	3	4	5	6	1	
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह Andaman and Nicobar Islands								
		योग/TOTAL						
सभी स्रोत	योग	57,080	19,472	16,787	1,581	19,240	Total	All Sources
	अहाते में	22,052	14,564	4,622	374	2,492	Within premises	
	अहाते से बाहर	35,028	4,908	12,165	1,207	16,748	Outside premises	
कुआं	योग	12,480	2,055	3,773	304	6,348	Total	Well
	अहाते में	3,670	1,181	1,044	87	1,358	Within premises	
	अहाते से बाहर	8,810	874	2,729	217	4,990	Outside premises	
नल	योग	38,444	16,921	11,848	1,049	8,626	Total	Tap
	अहाते में	17,901	13,271	3,488	255	887	Within premises	
	अहाते से बाहर	20,543	3,650	8,360	794	7,739	Outside premises	
हैंड पम्प/नलकूप	योग	296	49	60	9	178	Total	Handpump/
	अहाते में	41	9	19	3	10	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	255	40	41	6	168	Outside premises	
नदी/नहर	योग	3,530	137	488	186	2,719	Total	River/Canal
	अहाते में	181	2	32	22	125	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,349	135	456	164	2,594	Outside premises	
तालाब	योग	193	68	32	2	91	Total	Tank
	अहाते में	107	34	4	1	68	Within premises	
	अहाते से बाहर	86	34	28	1	23	Outside premises	
अन्य	योग	2,137	242	586	31	1,278	Total	Others
	अहाते में	152	67	35	6	44	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,985	175	551	25	1,234	Outside premises	
		ग्रामीण/RURAL						
सभी स्रोत	योग	41,776	9,505	12,896	1,490	17,885	Total	All Sources
	अहाते में	10,687	5,709	2,555	338	2,085	Within premises	
	अहाते से बाहर	31,089	3,796	10,341	1,152	15,800	Outside premises	
कुआं	योग	11,564	1,490	3,594	297	6,183	Total	Well
	अहाते में	3,023	671	941	83	1,328	Within premises	
	अहाते से बाहर	8,541	819	2,653	214	4,855	Outside premises	
नल	योग	24,558	7,773	8,285	973	7,527	Total	Tap
	अहाते में	7,324	5,025	1,555	223	521	Within premises	
	अहाते से बाहर	17,234	2,748	6,730	750	7,006	Outside premises	

जी-5—जारी

H-5—contd.

1		2	3	4	5	6	1	
				ग्रामीण/RURAL				
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	269	29	55	9	176	Total	Handpump/
	अहाते में	31	5	14	3	9	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	238	24	41	6	167	Outside premises	
नदी/नहर	योग	3,522	134	483	186	2,719	Total	River/ Canal
	अहाते में	180	2	31	22	125	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,342	132	452	164	2,594	Outside premises	
तालाब	योग	113	16	14	2	81	Total	Tank
	अहाते में	76	3	4	1	68	Within premises	
	अहाते से बाहर	37	13	10	1	13	Outside premises	
अन्य	योग	1,750	63	465	23	1,199	Total	Others
	अहाते में	53	3	10	6	34	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,697	60	455	17	1,165	Outside premises	
				नगरीय/URBAN				
सभी स्रोत	योग	15,304	9,967	3,891	91	1,355	Total	All sources
	अहाते में	11,365	8,855	2,067	36	407	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,939	1,112	1,824	55	948	Outside premises	
कुआं	योग	916	565	179	7	165	Total	Well
	अहाते में	647	510	103	4	30	Within premises	
	अहाते से बाहर	269	55	76	3	135	Outside premises	
नल	योग	13,886	9,148	3,563	76	1,099	Total	Tap
	अहाते में	10,577	8,246	1,933	32	366	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,309	902	1,630	44	733	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	27	20	5	..	2	Total	Handpump/
	अहाते में	10	4	5	..	1	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	17	16	..	..	1	Outside premises	
नदी और नहर	योग	8	3	5	..	..	Total	River/Canal
	अहाते में	1	..	1	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	7	3	4	..	..	Outside premises	
तालाब	योग	80	52	18	..	10	Total	Tank
	अहाते में	31	31	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	49	21	18	..	10	Outside premises	
अन्य	योग	387	179	121	8	79	Total	Others
	अहाते में	99	64	25	..	10	Within premises	
	अहाते से बाहर	288	115	96	8	69	Outside premises	

अ-5—जारी

H-5—contd.

1		2	3	4	5	6	1	
				अण्डमान Andamans				
				योग/TOTAL				
सभी स्रोत	योग	50,377	18,193	14,254	1,427	16,503	Total	All Sources
	अहाते में	19,972	13,665	4,024	268	2,015	Within premises	
	अहाते से बाहर	30,405	4,528	10,230	1,159	14,488	Outside premises	
कुआं	योग	8,137	1,530	2,033	262	4,312	Total	Well
	अहाते में	2,504	886	593	67	958	Within premises	
	अहाते से बाहर	5,633	644	1,440	195	3,354	Outside premises	
नल	योग	36,837	16,194	11,417	944	8,282	Total	Tap
	अहाते में	17,012	12,668	3,352	175	817	Within premises	
	अहाते से बाहर	19,825	3,526	8,065	769	7,465	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	258	35	41	8	174	Total	Handpump/
	अहाते में	24	8	8	2	6	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	234	27	33	6	168	Outside premises	
नदी/नहर	योग	3,185	137	361	186	2,501	Total	River/Canal
	अहाते में	180	2	32	22	124	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,005	135	329	164	2,377	Outside premises	
तालाब	योग	185	60	32	2	91	Total	Tank
	अहाते में	107	34	4	1	68	Within premises	
	अहाते से बाहर	78	26	28	1	23	Outside premises	
अन्य	योग	1,775	237	370	25	1,143	Total	Others
	अहाते में	145	67	35	1	42	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,630	170	335	24	1,101	Outside premises	
				ग्रामीण/RURAL				
सभी स्रोत	योग	35,073	8,226	10,363	1,336	15,148	Total	All Sources
	अहाते में	8,607	4,810	1,957	232	1,608	Within premises	
	अहाते से बाहर	26,466	3,416	8,406	1,104	13,540	Outside premises	
कुआं	योग	7,221	965	1,854	255	4,147	Total	Well
	अहाते में	1,857	376	490	63	928	Within premises	
	अहाते से बाहर	5,364	589	1,364	192	3,219	Outside premises	
नल	योग	22,951	7,046	7,854	868	7,183	Total	Tap
	अहाते में	6,435	4,422	1,419	143	451	Within premises	
	अहाते से बाहर	16,516	2,624	6,435	725	6,732	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	231	15	36	8	172	Total	Handpump/
	अहाते में	14	4	3	2	5	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	217	11	33	6	167	Outside premises	
नदी और नहर	योग	3,177	134	356	186	2,501	Total	River/Canal
	अहाते में	179	2	31	22	124	Within premises	
	अहाते से बाहर	2,998	132	325	164	2,377	Outside premises	
तालाब	योग	105	8	14	2	81	Total	Tank
	अहाते में	76	3	4	1	68	Within premises	
	अहाते से बाहर	29	5	10	1	13	Outside premises	

जि-5—जारी

H-5—contd.

1		2	3	4	5	6	1	
अन्य	योग	1,388	58	249	17	1,064	Total	Others
	अहाते में	46	3	10	1	32	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,342	55	239	16	1,032	Outside premises	
				नगरीय/URBAN				
सभी स्रोत	योग	15,304	9,967	3,891	91	1,355	Total	All sources
	अहाते में	11,365	8,855	2,067	36	407	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,939	1,112	1,824	55	948	Outside premises	
कुआं	योग	916	565	179	7	165	Total	Well
	अहाते में	647	510	103	4	30	Within premises	
	अहाते से बाहर	269	55	76	3	135	Outside premises	
नल	योग	13,886	9,148	3,563	76	1,099	Total	Tap
	अहाते में	10,577	8,246	1,933	32	366	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,309	902	1,630	44	733	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	27	20	5	..	2	Total	Handpump/
	अहाते में	10	4	5	..	1	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	17	16	..	..	1	Outside premises	
नदी/नहर	योग	8	3	5	..	..	Total	River/Canal
	अहाते में	1	..	1	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	7	3	4	..	..	Outside premises	
तालाब	योग	80	52	18	..	10	Total	Tank
	अहाते में	31	31	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	49	21	18	..	10	Outside premises	
अन्य	योग	387	179	121	8	79	Total	Others
	अहाते में	99	64	25	..	10	Within premises	
	अहाते से बाहर	288	115	96	8	69	Outside premises	
				डिगलीपुर तहसील/Diglipur Tehsil ग्रामीण/RURAL				
सभी स्रोत	योग	4,808	1,168	682	429	2,529	Total	All sources
	अहाते में	750	494	77	33	146	Within premises	
	अहाते से बाहर	4,058	674	605	396	2,383	Outside premises	
कुआं	योग	1,281	114	170	82	915	Total	Well
	अहाते में	221	38	46	22	115	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,060	76	124	60	800	Outside premises	
नल	योग	2,294	952	395	249	698	Total	Tap
	अहाते में	494	456	30	2	6	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,800	496	365	247	692	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	12	1	..	2	9	Total	Handpump/
	अहाते में	2	..	..	1	1	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	10	1	..	1	8	Outside premises	

ज-5—जारी
H-5—contd.

1		2	3	4	5	6	1	
नदी/नहर	नदी और नहर	873	84	99	86	604	Total	River/Canal
	अहाते में	30	..	1	8	21	Within premises	
	अहाते से बाहर	843	84	98	78	583	Outside premises	
तालाब	योग	1	1	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	1	1	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	347	16	18	10	303	Total	Others
	अहाते में	3	..	..	..	3	Within premises	
	अहाते से बाहर	344	16	18	10	300	Outside premises	
			मायाबन्दर तहसील—ग्रामीण					
			Mayabunder Tehsil—RURAL					
सभी स्रोत	योग	4,623	1,217	934	312	2,160	Total	All sources
	अहाते में	1,488	875	222	105	286	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,135	342	712	207	1,874	Outside premises	
कुआं	योग	756	69	146	26	515	Total	Well
	अहाते में	167	32	26	6	103	Within premises	
	अहाते से बाहर	589	37	120	20	412	Outside premises	
नल	योग	2,968	1,122	717	226	903	Total	Tap
	अहाते में	1,207	840	177	88	102	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,761	282	540	138	801	Outside premises	
हैण्ड पम्प/	योग	9	3	3	1	2	Total	Handpump/
नलकूप	अहाते में	4	2	..	..	2	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	5	1	3	1	..	Outside premises	
नदी और	योग	736	22	64	58	592	Total	River/Canal
नहर	अहाते में	83	1	16	11	55	Within premises	
	अहाते से बाहर	653	21	48	47	537	Outside premises	
तालाब	योग	..	..	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	154	1	4	1	148	Total	Others
	अहाते में	27	..	3	..	24	Within premises	
	अहाते से बाहर	127	1	1	1	124	Outside premises	
			रंगत तहसील—ग्रामीण					
			Rangat Tehsil—RURAL					
सभी स्रोत	योग	7,468	1,821	2,510	265	2,872	Total	All Sources
	अहाते में	1,719	1,200	313	21	185	Within premises	
	अहाते से बाहर	5,749	621	2,197	244	2,687	Outside premises	
कुआं	योग	920	148	326	31	415	Total	Well
	अहाते में	123	18	37	2	66	Within premises	
	अहाते से बाहर	797	130	289	29	349	Outside premises	
नल	योग	5,765	1,652	2,057	207	1,849	Total	Tap
	अहाते में	1,584	1,181	269	18	116	Within premises	
	अहाते से बाहर	4,181	471	1,788	189	1,733	Outside premises	

अ-5—जारी
H-5—contd.

1		2	3	4	5	6	1	
हैण्ड पम्प/	योग	20	3	10	..	7	Total	Handpump/
नलकूप	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	20	3	10	..	7	Outside premises	
नदी और	योग	605	16	74	26	489	Total	River/Canal
नहर	अहाते में	9	1	5	..	3	Within premises	
	अहाते से बाहर	596	15	69	26	486	Outside premises	
तलाब	योग	4	..	4	..	..	Total	Tank
	अहाते में	1	..	1	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	3	..	3	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	154	2	39	1	112	Total	Others
	अहाते में	2	..	1	1	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	152	2	38	..	112	Outside premises	
				पोर्ट ब्लेयर तहसील—ग्रामीण **Port Blair Tehsil—RURAL**				
सभी स्रोत	योग	10,036	2,393	3,248	137	4,258	Total	All Sources
	अहाते में	2,751	1,347	684	51	669	Within premises	
	अहाते से बाहर	7,285	1,046	2,564	86	3,589	Outside premises	
कुआं	योग	3,358	537	1,017	74	1,730	Total	Well
	अहाते में	1,217	250	346	32	589	Within premises	
	अहाते से बाहर	2,141	287	671	42	1,141	Outside premises	
नल	योग	5,397	1,811	1,974	46	1,566	Total	Tap
	अहाते में	1,483	1,092	326	15	50	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,914	719	1,648	31	1,516	Outside premises	
हैण्ड पम्प/	योग	20	6	3	2	9	Total	Handpump/
नलकूप	अहाते में	6	2	2	..	2	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	14	4	1	2	7	Outside premises	
नदी और	योग	703	10	100	12	581	Total	River/Canal
नहर	अहाते में	37	..	9	3	25	Within premises	
	अहाते से बाहर	666	10	91	9	556	Outside premises	
तालाब	योग	13	3	6	1	3	Total	Tank
	अहाते में	2	1	..	1	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	11	2	6	..	3	Outside premises	
अन्य	योग	545	26	148	2	369	Total	Others
	अहाते में	6	2	1	..	3	Within premises	
	अहाते से बाहर	539	24	147	2	366	Outside premises	
				फरारगंज तहसील—ग्रामीण **Farrarganj Tehsil—RURAL**				
सभी स्रोत	योग	8,138	1,627	2,989	193	3,329	Total	All Sources
	अहाते में	1,899	894	661	22	322	Within premises	
	अहाते से बाहर	6,239	733	2,328	171	3,007	Outside premises	
कुआं	योग	906	97	195	42	572	Total	Well
	अहाते में	129	38	35	1	55	Within premises	
	अहाते से बाहर	777	59	160	41	517	Outside premises	

ज-5—जारी
H-5—contd.

1		2	3	4	5	6	1	
नल	योग	6,527	1,509	2,711	140	2,167	Total	Tap
	अहाते में	1,667	853	617	20	177	Within premises	
	अहाते से बाहर	4,860	656	2,094	120	1,990	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	170	2	20	3	145	Total	Handpump/
	अहाते में	2	..	1	1	..	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	168	2	19	2	145	Outside premises	
नदी और नहर	योग	260	2	19	4	235	Total	River/Canal
	अहाते में	20	..	..	..	20	Within premises	
	अहाते से बाहर	240	2	19	4	215	Outside premises	
तालाब	योग	87	4	4	1	78	Total	Tank
	अहाते में	73	2	3	..	68	Within premises	
	अहाते से बाहर	14	2	1	1	10	Outside premises	
अन्य	योग	188	13	40	3	132	Total	Others
	अहाते में	8	1	5	..	2	Within premises	
	अहाते से बाहर	180	12	35	3	130	Outside premises	

पोर्ट ब्लेयर (म० पो०)—नगरीय
Port Blair (M.B.)—URBAN

सभी सोत	योग	15,304	9,967	3,891	91	1,355	Total	All Sources
	अहाते में	11,365	8,855	2,067	36	407	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,939	1,112	1,824	55	948	Outside premises	
कुआं	योग	916	565	179	7	165	Total	Well
	अहाते में	647	510	103	4	30	Within premises	
	अहाते से बाहर	269	55	76	3	135	Outside premises	
नल	योग	13,886	9,148	3,563	76	1,099	Total	Tap
	अहाते में	10,577	8,246	1,933	32	366	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,309	902	1,630	44	733	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	27	20	5	..	2	Total	Handpump/
	अहाते में	10	4	5	..	1	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	17	16	..	..	1	Outside premises	
नदी और नहर	योग	8	3	5	..	..	Total	River/Canal
	अहाते में	1	..	1	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	7	3	4	..	..	Outside premises	
तालाब	योग	80	52	18	..	10	Total	Tank
	अहाते में	31	31	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	49	21	18	..	10	Outside premises	
अन्य	योग	387	179	121	8	79	Total	Others
	अहाते में	99	64	25	..	10	Within premises	
	अहाते से बाहर	288	115	96	8	69	Outside premises	

ज-5—जारी
H-5—contd.

1		2	3	4	5	6	6	
				निकोबार Nicobars				
				योग/TOTAL				
सभी स्रोत	योग	6,703	1,279	2,533	154	2,737	Total	All Sources
	अहाते में	2,080	899	598	106	477	Wihtin premises	
	अहाते से बाहर	4,623	380	1,935	48	2,260	Outside premises	
कुआं	योग	4,343	525	1,740	42	2,036	Total	Well
	अहाते में	1,166	295	451	20	400	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,177	230	1,289	22	1,636	Outside premises	
नल	योग	1,607	727	431	105	344	Total	Tap
	अहाते में	889	603	136	80	70	Within premises	
	अहाते से बाहर	718	124	295	25	274	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	38	14	19	1	4	Total	Handpump/
	अहाते में	17	1	11	1	4	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	21	13	8	..	..	Outside premises	
नदी और नहर	योग	345	..	127	..	218	Total	River/Canal
	अहाते में	1	..	..	..	1	Within premises	
	अहाते से बाहर	344	..	127	..	217	Outside premises	
तालाब	योग	8	8	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	8	8	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	362	5	216	6	135	Total	Others
	अहाते में	7	..	..	5	2	Within premises	
	अहाते से बाहर	355	5	216	1	133	Outside premises	
				ग्रामीण/RURAL				
सभी स्रोत	योग	6,703	1,279	2,533	154	2,737	Total	All sources
	अहाते में	2,080	899	598	106	477	Within premises	
	अहाते से बाहर	4,623	380	1,935	48	2,260	Outside premises	
कुआं	योग	4,343	525	1,740	42	2,036	Total	Well
	अहाते में	1,166	295	451	20	400	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,177	230	1,289	22	1,636	Outside premises	
नल	योग	1,607	727	431	105	344	Total	Tap
	अहाते में	889	603	136	80	70	Within premises	
	अहाते से बाहर	718	124	295	25	274	Ouside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	38	14	19	1	4	Total	Hanpump/
	अहाते में	17	1	11	1	4	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	21	13	8	..	..	Outside premises	
नदी और नहर	योग	345	..	127	..	218	Total	River/Canal
	अहाते में	1	..	..	..	1	Within premises	
	अहाते से बाहर	344	..	127	..	217	Outside premises	

ज-5—जारी
H-5 —contd.

1		2	3	4	5	6	1	
तालाब	योग	8	8	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	8	8	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	362	5	216	6	135	Total	Others
	अहाते में	7	..	..	5	2	Within premises	
	अहाते से बाहर	355	5	216	1	133	Outside premises	
				नगरीय/URBAN				
सभी स्रोत	योग	..	..	..	..	..	Total	All Sources
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
कुआं	योग	..	..	..	..	..	Total	Well
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
नल	योग	..	..	..	..	..	Total	Tap
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	..	..	..	..	..	Total	Handpump/
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
नदी/नहर	योग	..	..	..	..	..	Total	River/Canal
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
तालाब	योग	..	..	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	..	..	..	..	..	Total	Others
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
				कार निकोबार तहसील—ग्रामीण Car Nicobars Tehsil—RURAL				
सभी स्रोत	योग	2,466	536	846	24	1,060	Total	All Sources
	अहाते में	890	467	228	18	177	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,576	69	618	6	883	Outside premises	
कुआं	योग	1,752	86	692	8	966	Total	Well
	अहाते में	383	61	163	6	153	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,369	25	529	2	813	Outside premises	
नल	योग	695	449	143	16	87	Total	Tap
	किराये का	494	406	54	12	22	Within premises	
	योग	201	43	89	4	65	Outside premises	

अ-5—समाप्त
H-5—concld.

1		2	3	4	5	6		
हैण्डपम्प/ट्यूबवैल/कूप	योग	14	1	11	..	2	Total	Handpump/
	अहाते में	13	..	11	..	2	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	1	1	..	..	..	Outside premises	
नदी/नहर	योग	..	..	..	..	..	Total	River/Canel
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
तालाब	योग	..	..	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	5	..	..	..	5	Total	Others
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	5	..	..	..	5	Outside premises	

नानकौरी तहसील—ग्रामीण
Nancoury Tehsil—RURAL

सभी स्रोत	योग	4,237	743	1,687	130	1,677	Total	All Sources
	अहाते में	1,190	432	370	88	300	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,047	311	1,317	42	1,377	Outside premises	
कुआं	योग	2,591	439	1,048	34	1,070	Total	Well
	अहाते में	783	234	288	14	247	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,808	205	760	20	823	Outside premises	
नल	योग	912	278	288	89	257	Total	Tap
	अहाते में	395	197	82	68	48	Within premises	
	अहाते से बाहर	517	81	206	21	209	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	24	13	8	1	2	Total	Handpump/
	अहाते में	4	1	..	1	2	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	20	12	8	..	..	Outside premises	
नदी/नहर	योग	345	..	127	..	218	Total	River/Canal
	अहाते में	1	..	..	..	1	Within premises	
	अहाते से बाहर	344	..	127	..	217	Outside premises	
तालाब	योग	8	8	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	8	8	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	357	5	216	6	130	Total	Others
	अहाते में	7	..	..	5	2	Within premises	
	अहाते से बाहर	350	5	216	1	128	Outside premises	

ज--5 अ०ज०ज।० : पीने के पानी स्रोत, बिजली और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार वर्गीकृत अनुसूचित जनजातियों के परिवार
H-5 ST : HOUSEHOLDS BELONGING TO SCHEDULED TRIBES CLASSIFIED BY SOURCE OF DRINKING WATER AVAILABILITY OF ELECTRICITY AND TOILET FACILITIES

पीने के पानी का स्रोत		परिवारों की कुल संख्या Total number of households	बिजली Electricity: उपलब्ध Available — शौचालय Toilet: उपलब्ध Available	बिजली Electricity: उपलब्ध Available — शौचालय Toilet: अनुपलब्ध Not available	बिजली Electricity: अनुपलब्ध Not available — शौचालय Toilet: उपलब्ध Available	बिजली Electricity: अनुपलब्ध Not available — शौचालय Toilet: अनुपलब्ध Not available		Source of drinking water
1		2	3	4	5	6		1
			अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman and Nicobar Islands					
			योग/TOTAL					
सभी स्रोत	योग	4,250	430	1,569	113	2,138	Total	All sources
	अहाते में	963	199	339	80	345	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,287	231	1,230	33	1,793	Outside premises	
कुआं	योग	2,814	161	1,073	23	1,557	Total	Well
	अहाते में	631	67	276	11	277	Within premises	
	अहाते से बाहर	2,183	94	797	12	1,280	Outside premises	
नल	योग	823	243	219	78	283	Total	Tap
	अहाते में	274	130	49	59	36	Within premises	
	अहाते से बाहर	549	113	170	19	247	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	41	15	14	3	9	Total	Hnadpump/
	अहाते में	18	..	12	2	4	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	23	15	2	1	5	Outside premises	
नदी/नहर	योग	128	2	4	2	120	Total	River/Canal
	अहाते में	19	..	1	2	16	Within premises	
	अहाते से बाहर	109	2	3	..	104	Outside premises	
तालाब	योग	3	2	..	1	..	Total	Tank
	अहाते में	2	1	..	1	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	1	1	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	441	7	259	6	169	Total	Others
	अहाते में	19	1	1	5	12	Within premises	
	अहाते से बाहर	422	6	258	1	157	Outside premises	
			ग्रामीण/RURAL					
सभी स्रोत	योग	4,004	287	1,508	113	2,096	Total	All Sources
	अहाते में	852	105	326	80	341	Within premises	
	अहाते से बाहर	3,152	182	1,182	33	1,755	Outside premises	
कुआं	योग	2,771	137	1,069	23	1,542	Total	Well
	अहाते में	614	52	275	11	276	Within premises	
	अहाते से बाहर	2,157	85	794	12	1,266	Outside premises	
नल	योग	633	135	164	78	256	Total	Tap
	अहाते में	184	53	39	59	33	Within premises	
	अहाते से बाहर	449	82	125	19	223	Outside premises	

टिप्पणी : इस सारणी में संस्थागत परिवार सम्मिलित नहीं हैं।
NOTE : This table excludes institutional households.

ज-5 अ० ज०आ०—जारी
H-5 ST—contd.

1		2	3	4	5	6	1	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	35	10	13	3	9	Total	Handpump
	अहाते में	17	..	11	2	4	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	18	10	2	1	5	Outside premises	
नदी/नहर	योग	126	..	4	2	120	Total	River/Canal
	अहाते में	19	..	1	2	16	Within premises	
	अहाते से बाहर	107	..	3	..	104	Outside premises	
तालाब	योग	1	..	..	1	..	Total	Tank
	अहाते में	1	..	..	1	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	438	5	258	6	169	Total	Others
	अहाते में	17	..	..	5	12	Within premises	
	अहाते से बाहर	421	5	258	1	157	Outsdie premises	
				नगरीय/URBAN				
सभी स्रोत	योग	246	143	61	..	42	Total	All Sources
	अहाते में	111	94	13	..	4	Within premises	
	अहाते से बाहर	135	49	48	..	38	Outside premises	
कुआं	योग	43	24	4	..	15	Total	Well
	अहाते में	17	15	1	..	1	Within premises	
	अहाते से बाहर	26	9	3	..	14	Outside premises	
नल	योग	190	108	55	..	27	Total	Tap
	अहाते में	90	77	10	..	3	Within premises	
	अहाते से बाहर	100	31	45	..	24	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	6	5	1	..	..	Total	Handpump/
	अहाते में	1	..	1	..	..	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	5	5	..	..	..	Outside premises	
नदी/नहर	योग	2	2	..	..	..	Total	River/Canal
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	2	2	..	..	..	Outside premises	
तालाब	योग	2	2	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	1	1	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	1	1	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	3	2	1	..	..	Total	Others
	अहाते में	2	1	1	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	1	1	..	..	..	Outside premises	

ब-5 ग्र० ज० सा०—धारी
H-5 ST—contd.

1		2	3	4	5	6	1	
				अण्डमान Andamans				
				योग/TOTAL				
सभी स्रोत	योग	933	277	244	24	388	Total	All Sources
	अहाते में	193	117	28	5	43	Within premises	
	अहाते से बाहर	740	160	216	19	345	Outside premises	
कुआं	योग	317	70	73	6	168	Total	Well
	अहाते में	47	24	12	..	11	Within premises	
	अहाते से बाहर	270	46	61	6	157	Outside premises	
नल	योग	420	188	117	13	102	Total	Tap
	अहाते में	112	91	13	1	7	Within premises	
	अहाते से बाहर	308	97	104	12	95	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	17	9	1	2	5	Total	Handpump/
	अहाते में	2	..	1	1	..	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	15	9	..	1	5	Outside premises	
नदी/नहर	योग	34	2	2	2	28	Total	River/Canal
	अहाते में	18	..	1	2	15	Within premises	
	अहाते से बाहर	16	2	1	..	13	Outside premises	
तालाब	योग	3	2	..	1	..	Total	Tank
	अहाते में	2	1	..	1	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	1	1	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	142	6	51	..	85	Total	Others
	अहाते में	12	1	1	..	10	Within premises	
	अहाते से	130	5	50	..	75	Outside premises	
				ग्रामीण/RURAL				
सभी स्रोत	योग	687	134	183	24	346	Total	All Sources
	अहाते में	82	23	15	5	39	Within premises	
	अहाते से बाहर	605	111	168	19	307	Outside premises	
कुआं	योग	274	46	69	6	153	Total	Well
	अहाते में	30	9	11	..	10	Within premises	
	अहाते से बाहर	244	37	58	6	143	Outside premises	
नल	योग	230	80	62	13	75	Total	Tap
	अहाते में	22	14	3	1	4	Within premises	
	अहाते से बाहर	208	66	59	12	71	Outside premises	

ब-5 अ० अ० जा०—बारी
H-5 ST—contd.

1		2	3	4	5	6	1	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	11	4	..	2	5	Total	Handpump/
	अहाते में	1	..	..	1	..	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	10	4	..	1	5	Outside premises	
नदी/नहर	योग	32	..	2	2	28	Total	River/Canal
	अहाते में	18	..	1	2	15	Within premises	
	अहाते से बाहर	14	..	1	..	13	Outside premises	
तालाब	योग	1	..	..	1	..	Total	Tank
	अहाते में	1	..	..	1	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	139	4	50	..	85	Total	Others
	अहाते में	10	..	..	..	10	Within premises	
	अहाते से बाहर	129	4	50	..	75	Outside premises	
				नगरीय/URBAN				
सभी स्रोत	योग	246	143	61	..	42	Total	All Sources
	अहाते में	111	94	13	..	4	Within premises	
	अहाते से बाहर	135	49	48	..	38	Outside premises	
कुआं	योग	43	24	4	..	15	Total	Well
	अहाते में	17	15	1	..	1	Within premises	
	अहाते से बाहर	26	9	3	..	14	Outside premises	
नल	योग	190	108	55	..	27	Total	Tap
	अहाते में	90	77	10	..	3	Within premises	
	अहाते से बाहर	100	31	45	..	24	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	6	5	1	..	..	Total	Handpump/
	अहाते में	1	..	1	..	..	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	5	5	..	..	..	Outside premises	
नदी/नहर	योग	2	2	..	..	..	Total	River/Canal
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	2	2	..	..	..	Outside premises	
तालाब	योग	2	2	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	1	1	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	1	1	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	3	2	1	..	..	Total	Others
	अहाते में	2	1	1	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	1	1	..	..	..	Outside premises	

ज-5 अ० [illegible] जारी
H-5S.T.—contd.

1		2	3	4	5	6	1	
				जिला : निकोबार DISTRICT : Nicobars				
				योग/TOTAL				
स्रोत	योग	3,317	153	1,325	89	1,750	Total	All Sources
	अहाते में	770	82	311	75	302	Within premises	
	अहाते से बाहर	2,547	71	1,014	14	1,448	Outside premises	
कुआं	योग	2,497	91	1,000	17	1,389	Total	Well
	अहाते में	584	43	264	11	266	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,913	48	736	6	1,123	Outside premises	
नल	योग	403	55	102	65	181	Total	
	अहाते में	162	39	36	58	29	Within premises	Tap
	अहाते से बाहर	241	16	66	7	152	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	24	6	13	1	4	Total	Handpump/
	अहाते में	16	..	11	1	4	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	8	6	2	..	..	Outside premises	
नदी/नहर	योग	94	..	2	..	92	Total	River/Canal
	अहाते में	1	..	..	..	1	Within premises	
	अहाते से बाहर	93	..	2	..	91	Outside premises	
टैंक	योग	..	..	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	299	1	208	6	84	Total	Others
	अहाते में	7	..	..	5	2	Within premises	
	अहाते से बाहर	292	1	208	1	82	Outside premises	
				ग्रामीण/RURAL				
सभी स्रोत	योग	3,317	153	1,325	89	1,750	Total	All Sources
	अहाते में	770	82	311	75	302	Within premises	
	अहाते से बाहर	2,547	71	1,014	14	1,448	Outside premises	
कुआं	योग	2,497	91	1,000	17	1,389	Total	Well
	अहाते में	584	43	264	11	266	Within premises	
	अहाते से बाहर	1,913	48	736	6	1,123	Outside premises	
नल	योग	403	55	102	65	181	Total	Tap
	अहाते में	162	39	36	58	29	Within premises	
	अहाते से बाहर	241	16	66	7	152	Outside premises	

ज-5 अ०अ०जा०—समाप्त
H-5 S.T.—contd.

1		2	3	4	5	6		1
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	24	6	13	1	4	Total	Handpump/
	अहाते में	16	..	11	1	4	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	8	6	2	..	..	Outside premises	
नदी/नहर	योग	94	..	2	..	92	Total	River/Canal
	अहाते में	1	..	..	..	1	Within premises	
	अहाते से बाहर	93	..	2	..	91	Outside premises	
टैंक	योग	..	..	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	299	1	208	6	84	Total	Others
	अहाते में	7	..	..	5	2	Within premises	
	अहाते से बाहर	292	1	208	1	82	Outside premises	
				नगरीय/URBAN				
सभी स्रोत	योग	..	..	..	..	..	Total	All Sources
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
कुआं	योग	..	..	..	..	..	Total	Well
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
नल	योग	..	..	..	..	..	Total	Tap
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
हैण्ड पम्प/नलकूप	योग	..	..	..	..	..	Total	Handpump/
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	Tubewell
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
नदी/नहर	योग	..	..	..	..	..	Total	River/Canal
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
टैंक	योग	..	..	..	..	..	Total	Tank
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premises	
अन्य	योग	..	..	..	..	..	Total	Others
	अहाते में	..	..	..	..	..	Within premises	
	अहाते से बाहर	..	..	..	..	..	Outside premses	

ज-6—खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की किस्म के अनुसार परिवार

H-6 Households by type of fuel used for Cooking

इस सारणी में खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की किस्म के अनुसार परिवारों का वितरण दिया गया है। इस सारणी में संस्थागत परिवार सम्मिलित हैं। राज्य, जिला, तहसील और कस्बा स्तरों पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इस सारणी में खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की किस्में ये हैं—उपले, बिजली, कोयला/कोक/लिगनाइट, लकड़ी का कोयला, खाना पकाने की गैस, लकड़ी, बायोगैस, मिट्टी का तेल और अन्य यह एक नई सारणी है क्योंकि परिवारों द्वारा खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन की किस्मों के बारे में 1991 की जनगणना में पहली बार आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। इस सारणी में राज्य/जिला/तहसील/कस्बा स्तरों पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी ज-6 अ० ज० जा० में राज्य और जिला स्तरों पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए क्रमशः अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में इसी प्रकार की अलग-अलग जानकारी दी गई है।

यह सारणी मकान-सूची के कालम 7, 9 और 19 में रिकार्ड किए गए उत्तरों के आधार पर तैयार की गई है।

This table gives the distribution of households by type of fuel used for cooking. This table includes institutional households. The data are presented separately for rural and urban areas at state, district, tehsil and town levels. The types of fuel used for coking presented in this table are cowdung-cake, electricity, coal/coke/lignite, charcoal, cooking gas, wood, bio-gas, kerosene and others. This is a new table as the data on the type of fuel used for cooking by the households has been collected for the first time in the 1991 Census. This table presents data for rural and urban areas at state/district/tehsil/town level.

Table H-6 ST gives the similar information for Scheduled Tribe households for rural and urban area, separately at state and district levels.

This table has been prepared on the basis of answers recorded in columns 9, 12 and 19 of the houselist.

ब-6 : खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले
H-6 : HOUSEHOLDS BY TYPE OF

राज्य/जिला/तहसील/कस्बा State/District/Tehsil/Town	ग्रामीण/नगरीय Rural/Urban	परिवारों की कुल संख्या Total Number of house-holds	खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने Type of Fuel used		
			उपले Cowdung cake	बिजली Electricity	कोयल/कोक/लिगनाइट Coal/ Coke/ Lignite
1	2	3	4	5	6
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह					
	ग्रामीण	41,776	22	30	21
	नगरीय	15,304	10	10	13
अण्डमान	ग्रामीण	35,073	21	21	12
	नगरीय	15,304	10	10	13
डिगलीपुर तहसील	ग्रामीण	4,808	9	..	..
मायाबन्दर तहसील	ग्रामीण	4,623	3	..	1
रंगत तहसील	ग्रामीण	7,468	4	7	..
पोर्ट ब्लेयर तहसील	नगरीय	10,036	3	5	9
फरारगंज तहसील	ग्रामीण	8,138	2	9	2
पोर्ट ब्लेयर (न० बो०)	ग्रामीण	15,304	10	10	13
निकोबार	ग्रामीण	6,703	1	9	9
	नगरीय	..	..	..	..
कार निकोबार तहसील	ग्रामीण	2,466	..	7	1
नानकौरी तहसील	ग्रामीण	4,237	1	2	8

टिप्पणी :- कालम 3 में दी गई परिवारों की कुल संख्या में वे परिवार भी सम्मिलित हैं जो कि खाना नहीं पकाते हैं।

ईंधन की किस्म के अनुसार परिवार
FUEL USED FOR COOKING

ईंधन की किस्म for Cooking						ग्रामीण/नगरीय	
लकड़ी का कोयला Charcoal	खाना पकाने की गैस Cooking gas	लकड़ी Wood	बायोगैस Bio-gas	मिट्टी का तेल Kerosene	अन्य Others	Rural/ Urban	State/District/Tehsil/Town राज्य/जिला/तहसील/कस्बा
7	8	9	10	11	12	2	1
							Andaman andNicobar Islands
5	275	37,074	17	3,956	349	Rural	
3	1,989	3,723	276	8,981	250	Urban	
1	151	31,245	16	3,340	256	Rural	Andamans
3	1,989	3,723	276	8,981	250	Urban	
..	1	4,577	..	168	52	Rural	Diglipur Tehsil
..	..	4,388	..	200	31	Rural	Mayabunder Tehsil
..	..	6,991	..	439	26	Rural	Rangat Tehsil
..	125	7,920	15	1,854	100	Rural	Port Blair
1	25	7,369	1	679	47	Rural	Ferrarganj Tehsil
3	1,989	3,723	276	8,981	250	Urban	Port Bloir (M.B.)
4	124	5,829	1	616	93	Rural	Nicobars
..	..	..	..	..	..	Urban	
1	123	1,855	1	461	14	Rural	Car Nicobars Tehsil
							Nancowry Tehsil
3	1	3,974	..	155	79	Rural	Nancovery Tehsil

ज-6 अ० ज० जा० : खाना पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले
H-6 : ST HOUSEHOLDS BELONGING TO SCHEDULED

राज्य/जिला/तहसील/कस्बा	ग्रामीण/नगरीय	परिवारों की कुल संख्या Total Number of households	खाना पकाने के लिए उपयोग में Type of Fuel: उपले Cowdung cake	बिजली Electricity	कोयला/कोक/लिगनाइट Coal/Coke/ Lignite
		3	4	5	6
अन्डमान और Andaman and					
अण्डमान	ग्रामीण	4,004	1	2	2
	नगरीय	246	..	2	..
	ग्रामीण	687	1	..	1
	नगरीय	246	..	2	..
नीकोबार	ग्रामीण	3,317	..	2	1
	नगरीय	..	..	..	..

टिप्पणी :— 1. कालम 3 में दी गई परिवारों की कुल संख्या में वे परिवार भी सम्मिलित हैं जोकि खाना नहीं पकाते हैं।

2. इस सारणी में संस्थागत परिवार सम्मिलित नहीं है।

ईंधन की किस्म के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के परिवार
TRIBES BY TYPE OF FUEL USED FOR COOKING

खाए जाने वाले ईंधन की किस्म used for cooking							
लकड़ी का कोयला Charcoal	खाना पकाने की गैस Cooking gas	लकड़ी Wood	बायोगैस Bio-gas	मिट्टी का तेल Kerosen	अन्य Others	Rural Urban	District/ Tchsil/ Town
7	8	9	10	11	12	2	1
निकोबार द्वीपसमूह Nicobar Islands							
1	10	3,880	1	89	14	Rural	
..	11	50	8	160	3	Urban	
..	..	663	..	18	2	Rural	**Andamans**
..	11	50	8	160	3	Urban	
1	10	3,217	1	71	12	Rural	**Nicobars**
..	..	..	..	..	..	Urban	

NOTE :—1. Total number of households in column 3 also includes those households which do not do any cooking.
2. This table excludes institutional households.

भारत की जनगणना 1991

गणना सूची

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम ..... कोड नं. .....

जिले का नाम ..... कोड नं. .....

शहरीय/ग्रामीण/ग्रामीण भाग/ .....

गणना खण्ड/सर्किल आदि का नाम ..... कोड नं. .....

ग्राम/कस्बे का नाम ..... कोड नं. .....

वार्ड/मोहल्ला/इलाके का नाम या नं. .....

गणना खण्ड नं. .....

कोड नं. .....

विकास खण्ड का नाम ..... कोड नं. .....

पृष्ठ सं. .....

परिशिष्ट

मकान नम्बर	मकान में या उस स्थानीय पहचान का अन्य विवरण जो जनगणना द्वारा दिया गया है।	जनगणना मकान नं.	संबंधित मकान में लगी प्रमुख सामग्री: दीवार	छत	फर्श	जनगणना मकान किस उपयोग में आता है (यदि पूर्णतः या अंशतः एक या अनेक उद्यमों के लिए उपयोग में लाया जाता है तो उद्यम सूची करें)	यदि मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय है: परिवार नं.	परिवार के सदस्यों की संख्या	केवल परिवार के मृतिया के लिए सिर्फ: नाम	पुरुष (1) स्त्री (2)	अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सिर्फ	क्या परिवार अपना मकान है या किराये पर है? (यदि किराये पर है तो 3)	परिवार के पास रहने के कमरों की संख्या	परिवार को उपलब्ध सुविधाएं: पीने के पानी की आपूर्ति: घर में	मकान के अहाते में (1) या कॉलोनी/बस्ती में बाहर (2)	बिजली हां (1)/ नहीं (2)	शौचालय हां (1)/ नहीं (2)	खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन	क्या परिवार या परिवार का एक या अनेक अथवा जनगणना मकान के बाहर और आसपास से एक या अनेक उद्यम चला रहा है? यदि हां तो उद्यम सूची करें।	परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या: पुरुष	स्त्री	योग	अन्य विवरण
		1	4	5	6				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

APPENDIX - I

CENSUS OF INDIA 1991

HOUSELIST

Page No.....

CONFIDENTIAL

Name of State/UT..... Code No. ..... Name of village/town..... Code No. .....

Name of District..... Code No. ..... Name of Ward/mohalla/hamlet..... Code No. .....

Name of Tehsil/Taluk/P.S./..... Code No. ..... Name of Dev. Block..... Code No. .....

Name of Urb. Unit, etc..... Code No. ..... Enumeration Block No. ..... Code No. .....

House No.	Building No. (Give serial No. of house in case of houses with multiple entrances)	Census House No.	Predominant material of census house			Purpose for which census house is used (if wholly or partly used for running one or more enterprises, fill enterprise list)	If used wholly or partly as a residence														Remarks
			Wall	Roof	Floor		Household No.	Serial No. of the Person listed	For Head of Household only, write Name	Male (1)/Female (2)	SC (1)/ST (2) (If SC ascertain religion and write 'H' for Hindu and 'S' for Sikh within brackets after code 1)	Does the household live in owned or rented house? Write 1 for owned 2 for rented 3 for others	No. of living rooms in the occupation of household	Facilities available to the household: Drinking water supply – Source	Drinking water supply – Within premises (1)/ Outside premises (2)	Electricity - Yes (1)/No (2)	Toilet Yes (1)/No (2)	Type of fuel used for cooking	Is the household or one or more members of the household engaged in one or more enterprises outside this census house and without premises or in the open air? If yes, fill enterprise list	No. of persons normally residing in the household: Males	Females	Persons	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
Total							Total													Total			

Key to Codes:

Wall: (1) Grass, bamboo, reeds or thatching (2) Mud (3) Unburnt bricks (4) Wood (5) Stone (6) G.I. sheets or other metal sheets (7) Concrete (8) Burnt bricks (9) Any other (10)

Roof: (1) Thatch/straw/reeds/bamboo/mud/grass/leaves (2) Tiles, slate or shingle (3) Corrugated iron, zinc or other metal sheets (4) Asbestos cement sheets (5) Stone, lime and mud (6) Concrete (7) Burnt bricks (8) Any other (9)

Floor: (1) Mud (2) Wood/Planks (3) Vegetation or straw (4) Tiles, bricks and stone (5) Cement (6) Mosaic/Tiles (7) Any other (8)

Signature of Enumerator..... Date.....

Signature of Supervisor..... Date.....

परिशिष्ट II

कुछ चुनिन्दा पदावलियां और उनकी परिभाषाएं

भवन

आमतौर पर एक पूरी इमारत को भवन कहते हैं। कभी-कभी इमारतों में एक से अधिक संघटक इकाईयां होती हैं, जिन्हें निवास, दुकान, व्यापार घर, कार्यालय, कारखाना, वर्कशाप, वर्कशैड, स्कूल, मनोरंजन स्थल, पूजा-स्थल, गोदाम, स्टोर आदि के रूप में एक से अधिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है या उनके उपयोग में लाए जाने की सम्भावना है। यह भी सम्भव है कि किसी ऐसी इमारत या उसकी संघटक इकाई को एक से अधिक उपयोग में लाया जाता हो, उदाहरण के लिए, दुकान-सह-निवास, वर्कशाप-सह-निवास, कार्यालय-सह-निवास।

जनगणना मकान

जनगणना मकान एक भवन या भवन का वह भाग है जिसका अलग मुख्य प्रवेश द्वार है। यह द्वार रास्ते पर या साझे के अहाते, बरामदे या जीने इत्यादि में हो सकता है किन्तु यह जनगणना मकान एक पृथक इकाई की तरह प्रयोग होना चाहिए या समझा जाना चाहिए। हो सकता है कि वह खाली हो या किसी तरह के उपयोग में आता हो। हो सकता है कि वह रहने के काम में आता हो या गैर-आवासीय उपयोग में या दोनों ही प्रकार के उपयोग में आता हो।

परिवार और परिवार की किस्म

परिवार ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो सामान्यतः एक साथ रहते हों और यदि काम की आवश्यकता उन्हें मजबूर न करे तो एक ही रसोई से खाना खाते हों। परिवार ऐसे व्यक्तियों का हो सकता है जिनका आपस में रक्त-सम्बन्ध हो अथवा ऐसा सम्बन्ध नहीं हो या उसमें दोनों प्रकार के व्यक्ति हों। असम्बन्धित व्यक्तियों के परिवार के उदाहरण हैं, बोर्डिंग हाउस, मैस, होस्टल; आवासीय होटल, उद्धार-गृह, जेल, आश्रम आदि। इन्हें "संस्थागत परिवार" कहा जाता है। परिवार एक व्यक्ति का, दो व्यक्तियों का और अनेक व्यक्तियों का भी हो सकता है। जनगणना प्रयोजनों के लिए इस प्रकार की प्रत्येक इकाई को "परिवार" समझा जाएगा।

यदि असंबंधित व्यक्तियों का समूह एक जनगणना मकान में रहता हो लेकिन वे एक रसोई से खाना नहीं खाते हों तो उन्हें संस्थागत परिवार नहीं माना जाएगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को एक अलग परिवार माना जाना चाहिए। जनगणना मकान में रहने वाले व्यक्ति एक परिवार के सदस्य हैं या नहीं हैं, इसे जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सामूहिक रसोई का होना।

कमरा

सामान्यतः एक कमरे की चार दीवारें, दरवाजा और एक छत होनी चाहिए और वह एक व्यक्ति के सोने के लिए पर्याप्त लम्बा-चौड़ा होना चाहिए अर्थात् इसकी लम्बाई कम से कम 2 मीटर, चौड़ाई कम से कम $1\frac{1}{2}$ मीटर तथा ऊंचाई 2 मीटर होनी चाहिए। खुला बरामदा; रसोई, स्टोर, गैरेज पशु बांधने का स्थान, स्नान-गृह तथा शौचालय और ऐसे कमरे जिनमें घरेलू उद्योग जैसे कि हथकरघा स्थापित है और जो सामान्यतः रहने और सोने के प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं तो वह "रहने के कमरों" की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। परन्तु यदि किसी कमरे को सोने, बैठने, खाना खाने, सामान रखने और खाना पकाने आदि के मिले-जुले उपयोग में लाया जाता हो, तो उसे "रहने का कमरा" माना जाए।

कहीं-कहीं शंक्वाकार तम्बू या झोंपड़ी में भी मनुष्य रहते हैं। इस प्रकार के काम-चलाऊ आवास के कमरे में चार दीवारें नहीं होंगी। अतः उक्त परिभाषा इस प्रकार के आवास के लिए पूर्णतः लागू नहीं होगी। ऐसी स्थिति में तम्बू या शंक्वाकार झोंपड़ी इत्यादि को कमरा ही समझा जाए।

देश के कुछ भागों में विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार के पास कई झोंपड़ियां हो सकती हैं जो विभिन्न उपयोगों में लाई जाती हैं जैसे; मुख्य आवास, बैठक, रसोई, भण्डार और रात में होने के लिए आदि। हालांकि यह अलग-अलग संरचनाएं हैं परन्तु उपयोग के एकत्व को ध्यान में रख कर इन सभी को एक जनगणना मकान माना गया होगा। ऐसे जनगणना मकान में मुख्य आवास के अतिरिक्त जिन झोंपड़ियों का उपयोग सोने के लिए किया जाता है, उन्हें भी रहने के कमरों में गिना जाए।

यदि गैरेज का उपयोग नौकर द्वारा किया जाता है और वह उसमें एक अलग परिवार की तरह रहता है तब उसकी गणना नौकर के परिवार के लिए उपलब्ध कमरे के रूप में की जाए। यदि नौकर को मालिक के परिवार का सदस्य माना जाता है तब गैरेज को परिवार के पास उपलब्ध एक अतिरिक्त रहने के कमरे के रूप में गिना जाए।

APPENDIX II

A few selected terms and their definitions

Building

A building is generally a single structure on the ground. Sometimes it is made up of more than one component unit which are used or likely to be used as dewellings (residences) or establishments such as shops, business houses, offices factories, worksheds, schools, places of entertainment, places of worship. godowns, stores, etc. It is also possible that buildings which have component units may be used for a combination of purposes such as shop- cum-residence, work-shop-cum-residence, office-cum-residence, etc.

Census house :

A Census House is a building or part of a building having a separate main entrance from the road or common courtyard or staircase, etc., used or recognised as a separate unit. It may be occupied or vacant. It may be used for a residential or non-residential purpose or both.

Household and type of household

A Household is a group of persons who commonly live together and would take their meals from a common Kitchen unless the exigencies of work prevented any of them from doing so. There may be a household of persons related by blood or a household of unrelated persons or having a mix of both. Examples of unrelated households are boarding houses messes, hostels, residential hotels, rescue homes, jails, ashrams, etc. These are called 'Institutional households'. There may be one member households, 2 member households or multi-member households. For census purposes, each one of these types is regarded as a 'Household'.

If a group of persons who are unrelated to each other live in a census house but do not have their meals from the common kitchen, they would not constitute an institutional house-hold. Each such person should be treated as a separate household. The important link in finding out whether there is a household or not is a comon Kitchen.

Room

A room should have four walls with a doorway with a roof over head and should be wide and long enough for a person to sleep in, i.e., it should have a length of not less than 2 metres and a breadth of atleast 1-1/2 metres and 2 metres in height. A room, however, which is used in common for sleeping, sitting, dining, storing and cooking, etc., should be regarded as a room. An unenclosed verandah, Kitchen, store, garage, cattleshed and latrine and rooms in which a household industry such as a handloom is located, which are not normally usable for living or sleeping are excluded from the definition of a living room for the purpose of this question.

One is likely to come across conical shaped hut or tent in which human-beings reside. In such improvised accommodation, there will be no four walls to a room and therefore, the above definition would not strictly apply to such types of accommodation. In such cases, the tent or conical hut etc. have been construded to be a room.

In certain parts of the country, particularly in rural areas, the pattern of housing may present some problems. For example, a household may be in occupation of several huts put to different uses such as main residence, sitting room, store and even for sleeping at night. By strict application of the definition each one will be reckoned as a census house, but this does not reflect the real situation. While huts used as store or cattleshed pose no problems, those used as sleeping rooms beyond the main residence, should be counted as rooms rather than separate census houses.

If a garage is used by a servant and he lives in it as a separate household, it should be reckoned as a room available to the servant 's household. If the servant is considered as a member of the household then the garage room should be reckoned as an additional room of the household.

कस्बा/शहर/नगरीय समूह

कस्बा

कस्बे को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया जाता है :

(क) नगरपालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित कस्बा क्षेत्र समिति, आदि वाले सभी स्थान।

(ख) निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले अन्य सभी स्थान :—

(i) जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो,

(ii) काम करने वाली कम से कम 75 प्रतिशत पुरुष जनसंख्या गैर-कृषि कार्यों में कार्यरत हो, और

(iii) जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो (1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील),

शहर

एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगरीय इकाई को शहर माना जाता है।

नगरीय समूह

नगरीय समूह निम्नलिखित को मिला कर बनता है :—

(क) संलग्न बाह्य विकास वाला ऐसा शहर जिसका बाह्य विकास सांविधिक सीमाओं से बाहर तो है किंतु संलग्न ग्राम और ग्रामों की सीमाओं के अन्दर आता है, अथवा

(ख) इसी प्रकार के बाह्य विकास वाला एक कस्बा या ऊपर (क) में बताये गए अनुसार अपने बाह्य विकासों सहित साथ-साथ लगे दो अथवा उससे अधिक कस्बे, अथवा

(ग) एक शहर तथा अपने बाह्य विकासों सहित एक अथवा उससे अधिक संलग्न कस्बे जिसके सभी बाह्य विकास आपस में सटे हुए हों।

Town/City/Urban Agglomeration

Town

A town is defined as :

(a) All places with a municipality, corporation, cantonment board or notified town area committee, etc.

(b) All other places which satisfy the following criteria;

(i) a minimum population of 5,000 ;

(ii) at least 75 per cent of male working population engaged in non-agricultural pursuits; and

(iii) a density of population of at least 400 persons per sq. km. (1,000 persons per sq. mile).

City

An urban unit having the population of one lakh and above is treated as city.

Urban Agglomeration

An urban agglomeration may constitute :

(a) A city with continuous outgrowth (the part of outgrowth being outside the statutory limits but falling within the boundaries of the adjoining village or villages);

(b) One town with similar outgrowth or two or more adjoining towns with their outgrowths as in (a) : or

(c) A city and one or more adjoining towns with their outgrowths all of which form a continuous spread.

93-M/J(N)278RGI—8

परिशिष्ट III

मकान सूची भरने के लिए प्रगणकों के लिए अनुदेश

भूमिका

1991 में जनगणना करने से पहले यह आवश्यक है कि उन सभी स्थानों का पता लगाया जाए जहां लोग रहते हैं या उनके रहने की संभावना है। मकान सूची भरने का मुख्यत: यही प्रयोजन है और यह कार्य जनगणना के लिए महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम है।

2. मकान सूची का फार्म जो मकान सूची भरने के लिए प्रस्तावित है, इस पुस्तक के अन्त में संलग्न है। यह एक सरल सूची है। इसके द्वारा मूलभूत जानकारी एकत्रित की जाएगी जिससे जनगणना के लिए प्रगणक ब्लाक बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, जनगणना परिवार को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी एकत्रित की जाएगी। मकान सूची उद्यमों के लिए आधार का काम भी करती है जिनके विवरण अलग से "उद्यम सूची" में मकान सूचीकरण कार्य के साथ-साथ भरे जाएंगे।

3. मकान सूची भरने की विधि और विभिन्न संकल्पनाओं एवं उनके विषय में स्पष्टीकरण इस पुस्तक में विस्तृत तौर से दिए गए हैं। अनुदेशों से भली-भांति परिचित होना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मकान सूचीकरण कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मकानों की सूची तैयार करने के अतिरिक्त आपको परिवार को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े भी एकत्रित करने हैं जो योजना-प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं। मकान सूचीकरण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप संकल्पनाओं, परिभाषाओं एवं अनुदेशों को कितनी भली-भांति समझते हैं और मकान सूची भरने में इनका कितना सही-सही अनुसरण करते हैं। यदि आपको इन अनुदेशों के बारे में किसी भी प्रकार की शंका है तो अपने सुपरवाइजर या चार्ज अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने में संकोच न करें। जनगणना प्रगणक होने के नाते आपका यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और निःसंदेह आप इस कार्य को गर्व एवं निष्ठा से पूर्ण करेंगे।

4. मकान सूचीकरण कार्य में जो मूल कदम उठाए जाने हैं वे निम्नलिखित हैं :–

(1) आपको दिये गए क्षेत्र का नजरी नक्शा (Notional Map) और खाका (Lay-out Sketch) तैयार करना,

(2) भवन और जनगणना मकानों में नम्बर डालना,

(3) मकान सूची भरना,

(4) मकान सूची सार तैयार करना,

(5) उद्यम सूची भरना, जिसके लिए आपको अलग से अनुदेश दिए गए हैं,

(6) उद्यम सूची सार तैयार करना।

5. क्षेत्र का नजरी नक्शा और खाका तैयार करने के बारे में पहले बताया जा रहा है और उसके बाद भवन, जनगणना मकान और परिवार के बारे में मूलभूत संकल्पनाएं समझाई गई हैं। उसके बाद मकान सूची भरने के लिए अनुदेश दिए गए हैं।

नजरी नक्शा और खाका तैयार करना

6. मकान सूची भरने के लिए यह आवश्यक है कि भवनों की स्थिति का पता लगाया जाए यह तभी सम्भव है जब आप अपने क्षेत्र से भली-भांति परिचित हों। नजरी नक्शा और खाका तैयार करने का अभिप्राय यही है कि आपको अपना कार्य-क्षेत्र बिलकुल स्पष्ट हो जाए। जैसा कि आप आगे देखेंगे कि खाका तैयार करने के पश्चात् ही जिन जनगणना मकानों पर नम्बर देना आवश्यक है आप नम्बर दे पाएंगे। अत: सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र का नजरी नक्शा और खाका तैयार करना है।

नजरी नक्शा (Notional Map)

7. नजरी नक्शा जैसा कि नाम से ही स्वत: स्पष्ट है, किसी पैमाने पर तैयार नहीं किया जाता है। इसे सारे गांव या नगरीय ब्लाक के लिए तैयार किया जाता है। नजरी नक्शे में सम्पूर्ण ग्राम या नगरीय ब्लाक की सामान्य भौगोलिक स्थिति दिखाई जानी चाहिए। यदि ग्राम का बन्दोबस्ती या पैमायशी नक्शा उपलब्ध है तो इस नजरी नक्शे को तैयार करना आसान होगा। इस नक्शे की नकल की जा सकती है और भौगोलिक विवरण किए जा सकते हैं। भौगोलिक विवरण में गांव की सीमाएं, सुपरिचित सड़कें, बैलगाड़ी मार्ग, रेल लाइन, पहाड़ियां, नदियां, नाले आदि जैसे स्थाई लक्षण और भू-चिह्न आदि दिखाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त नजरी नक्शे में आबादी स्थलों को भी दिखाया जाए। नजरी नक्शे में यदि सम्भव हो तो हैमलेटों (पारे, टोले, मजरे, ढ़ाणियां) की सीमाएं भी दिखाई जाएं और जहां इनको किसी नाम विशेष से जाना जाता है तो उनका नाम भी दर्ज किया जाए। नजरी नक्शा तैयार करने के लिए आपको एक अलग शीट दी जाएगी। कृपया नजरी नक्शा इसी शीट पर बनाएं।

APPENDIX-III

INSTRUCTIONS TO ENUMERATORS FOR FILLING UP THE HOUSELIST

Introduction

Before the census of the population is taken in 1991, it is essential to locate and to identify all places which ar occupied or used or which are likely to be occupied or used by people. The houselisting operations are mainly mean for this purpose and houselisting is a primary but important step in the census.

2. The houselist which is proposed to be canvassed during the houselisting operations is given at the end of this book. It will be noticed that the form is simple. It collects certain basic information which will help in forming enumeration blocks for the census itself. In addition, information on the amenities available to the census household is collected. The houselist also serves as a frame for the enterprises for which a separate "Enterprise List" will have to be canvassed as part of the houselisting operations.

3. The manner in which the houselist has to be completed and the concepts and their explanation are described in detail in this book. It is absolutely essential for you to become thoroughly familiar with these instructions since this job of houselisting is an extremely important one. Apart from listing of houses you will also be collecting some useful data on the amenities available to the household which are required for planning purposes. The success of the houselisting operations is very much dependent on a thorough understanding of the concepts, definitions and instructions and on a faithful application of these concepts and definitions and your following the instructions in the actual filling of the houselist form. If you have any doubt you should not hesitate to ask your Supervisor or your Charge Officer for clarification. As a census enumerator you have a great responsibility and there is no doubt that you will perform this task with pride and devotion to duty.

4. The houselisting operations will involve certain basic steps which may be briefly summarised as follows :

(1) The preparation of a notional map and a lay-out sketch of the area assigned to you.

(2) Numbering of buildings and census houses.

(3) Filling up the houselist itself.

(4) Preparation of the houselist abstract.

(5) Filling up the Enterprise List for which separate instructions have been issued to you.

(6) Preparation of the abstract of the Enterprise List.

5. The preparation of notional map and the lay-out sketch is first described and after that the basic concepts relating to a building, at census house and the household are indicated. Thereafter, the actual instructions with regard to filling up of the houselist have been given.

Preparation of notional maps and lay-out sketches

6. In order to be able to complete the houselist it would be necessary to locate and identify the buildings and houses This can only be done if you are thoroughly familiar with the area assigned to you for these operations. The purpose of the lay-out sketch and the notional map is essentially to ensure that your jurisdiction is quite clear, Also, as will be seen later, it is only if a lay-out sketch is prepared that you will be able to allot census house numbers wherever necessary. The first step, therefore, is to prepare the notional map and lay-out sketch of the area assigned to you.

Notional Map

7. The notional map, as its very name indicates, is a map which is not drawn to scale. It is prepared for the entire village or urban block and is meant to show the location of each enumeration block within the village or town. Whether it is for a village or an urban block, the notional map will have to show the general topographical details of the entire village or urban block. If a survey map is already available with the village revenue official, the preparation of the notional map will be easy because that can be copied out and the topographical details entered. The topographical details which should be indicated on the notional map would include permanent features and landmarks such as the village site, well-known roads, cart tracks, hills, rivers, nallas, etc., as also railway line and similar clearly recognizable features. It is important that the boundaries of panchayats, patwaris' circles or halkas or hamlets are distinguished if possible and the names of hamlets should also be entered wherever they are known by particular names. For the purpose of preparation of the notional map, you will be provided a separate sheet. Please use this for preparation of the notional map.

93-M/J(N)278RGI—8(a)

8. इस प्रकार से आप देखेंगे कि नजरी नक्शा गांव अथवा नगरीय प्रगणक ब्लाक का एक रेखाचित्र है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के नजरी नक्शे के नमूने अनुलग्नक 'क' और 'ख' पर देखें।

9. बड़े ग्रामों के लिए जिनमें एक से अधिक प्रगणक-ब्लाक हों, सारे गांव का नजरी नक्शा बनाना कठिन होगा। ऐसी स्थिति में केवल अपने ब्लाक का ही नजरी नक्शा बनाएं।

खाका (Layout Sketch)

10. नजरी नक्शा तैयार कर लेने के बाद आपको अपने ब्लाक का पूर्ण विवरण सहित खाका तयार करना है। इसे भी पैमाने पर तैयार नहीं करना है यह भी हाथ से तैयार किया गया कच्चा नक्शा है। खाका प्रगणक-ब्लाक में स्थित आबादी-स्थलों का विस्तृत मानचित्र है, जिसमें गलियां और उनमें स्थित भवन दर्शाए जाएंगे ताकि इस खाके के आधार पर गणना कार्य किया जा सके। नजरी नक्शे की ही तरह खाके में भी महत्वपूर्ण भौगोलिक विवरण दिखाए जाने चाहिए। खाका सही तौर पर बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि आप अपने ब्लाक को अच्छी तरह से घूम-फिर कर देख लें। ब्लाक का दौरा करने के उपरान्त आपको ब्लाक का एक सिरे से खाका तैयार करना चाहिए।

यह महत्वपूर्ण है कि दो ब्लाकों को अलग करने वाली सीमा साफ-साफ दिखाई जाए। ब्लाकों को बांटने वाली लाइनें, जहां भी सम्भव हो, प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर रखी जाएं। जहां बन्दोबस्ती/पैमायशी नक्शे उपलब्ध हों वहां सीमा के दोनों ओर खेत नम्बर भी दिए जाएं। अन्यथा खेतों के स्वामी/काश्तकार के नाम दे कर या खेत का यदि कोई नाम हो तो उसका ही उल्लेख कर वह सीमा प्रदर्शित की जा सकती है।

11. खाके में प्रत्येक भवन को दिखाना है। पक्के मकान को वर्ग □ और कच्चे भवन को त्रिभुज △ के निशान से दिखाना चाहिए। पूर्णतः या अंशतः आवासीय या पूर्णतः गैर-आवासीय भवनों को अलग-अलग दिखाने के लिए निम्नलिखित निशानों का प्रयोग करें :–

□ पक्के भवन––चाहे पूर्णतः या अंशतः आवासीय हो

▣ पक्के भवन––पूर्णतः गैर-आवासीय

△ कच्चे भवन––चाहे पूर्णतः या अंशतः आवासीय हों

▲ कच्चे भवन––पूर्णतः गैर-आवासीय

12. पक्के और कच्चे भवनों को खाके में उक्त प्रकार दर्शाने से भवनों की पहचान करने में सुविधा होगी। हमारे देश के भवनों के निर्माणक विविधता को देखते हुए पक्के और कच्चे भवनों की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है। सामान्यतः कच्चे भवन वे होंगे जो अधिक टिकाऊ न हों। यदि इस खाके को कोई कुछ वर्षों बाद देखे तो इसके बसाहत की संरचना में संभवतः काफी परिवर्तन पा सकता है। खाका तैयार करने के लिए उन भवनों को पक्का मानें जिनकी दीवारें और छत निम्नलिखित सामग्री से बनी हो।

दीवार की सामग्री : पक्की ईंटें, पत्थर (चूने या सीमेंट की चिनाई), सीमेंट कंक्रीट, लकड़ी या इकरा आदि।

छत की सामग्री : टाइलें, लोहे की नालीदार चादरें (जी० सी० आई० शीटें), एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, आर० बी० सी०, आर० सी० सी० और इमारती लकड़ी आदि।

उक्त सामान के अलावा यदि भवन निर्माण में कच्ची ईंटों, बांस, मिट्टी, घास, सरकण्डों, पत्तियों इत्यादि का उपयोग हुआ हो या जिनमें पत्थर, पक्की ईंटें आदि ढीली-ढाली बिना गारे-सीमेंट की चिनाई के लगी हों तो वे कच्चे भवन माने जाएंगे।

13. जब खाके पर प्रत्येक भवन की स्थिति रेखांकित कर लें तब उनको नम्बर दें। भवनों पर नम्बर देने के लिए यह उपयुक्त होगा कि किसी भी सुविधाजनक और स्पष्ट क्रम को अपनाया जाए। मकानों के नम्बर किस दिशा से दिए जाएं इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है जैसे बांये से दांये या घड़ी की गति अनुसार या उत्तर पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर इत्यादि। यह बहुत कुछ खाके के ऊपर निर्भर करेगा। जहां तक हो सके कोई सुविधाजनक एवं समझने योग्य क्रम अपनाया जाए तो उचित होगा। प्रत्येक भवन को खाके में नम्बर दें और उनका क्रम स्पष्ट करने के लिए आवश्यकतानुसार थोड़ी-थोड़ी दूरी पर तीर का निशान लगाएं। दिशा संकेत उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब गलियां एक-दूसरे को आपस में काटती हैं जिसकी वजह से भवन नम्बर का सिलसिला टूट जाता है। यह अच्छा होगा कि खाके पर पहले पेंसिल से नम्बर दिए जाएं और उसके बाद मौके की स्थिति के आधार पर उनकी जांच की जाए ताकि यह पता चल सके कि नम्बरों का यह सिलसिला सुविधाजनक है या इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ मामलों में यदि नम्बर बदलने की आवश्यकता महसूस हो तो इसमें आवश्यक परिवर्तन कर लें। जब आप इस बात से सन्तुष्ट हो जाएं कि नम्बर देने का क्रम ठीक है तो उन्हें स्याही से पक्का कर दें। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के खाकों के नमूने अनुलग्नक 'ग' और 'घ' पर देखे जा सकते हैं।

14. जिन गांवों के बन्दोबस्ती/पैमायशी नक्शे नहीं हैं और जिनकी सीमाएं निश्चित नहीं हैं, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी सीमाएं किन्हीं स्थायी/सुपरिचित भू-चिह्नों/लक्षणों द्वारा दर्शायी जाएं ताकि यह सन्देह न रहे कि किस भवन की गणना कौन से गांव में की जानी है।

15. जंगल के क्षेत्रों में स्थित बस्तियां सामान्यतः किसी निश्चित आधार पर नहीं होती हैं। यह संभव है कि जंगल में बसे कुछ गांव राजस्व गांव या मौजों की तरह हों। ऐसे गांवों के लिए खाका सामान्य पद्धति के अनुसार बनाया जा सकता है। जंगल के अन्य क्षेत्रों में जहां बिखरे हुए आबादी समूह हों, उनकी गणना के लिए यह सुविधाजनक होगा कि आप सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जैसे फोरेस्ट गार्ड का गश्ती क्षेत्र (Beat) को इकाई

8. The notional map will in effect be an outline map of the village or urban block. Specimen notional maps for rural and urban areas may be seen at Annexes A and B.

9. In the case of very large villages when there are many blocks, it may be difficult to indicate the outline of the entire village. In such cases, it is sufficient if you show in the notional map the block assigned to you.

Lay-out Sketch

10. Having prepared the notional map, you would have to prepare the detailed lay-out sketch of oyur block. The lay-out sketch is in effect detailed map of the block assinged to you in which will be shown the streets and the buildings on the streets. The main purpose of this lay-out sketch is to clearly present the streets in the block and the buildings so that based on the lay-out sketch the oporations can be carried out. As in the case of the nertional map, in the lay-out sketch also important topographical details should be shown. This is not a document which is drawn to a scale. It is a free hand drawing. In order to be able to draw the lay-out sketch it would be necessary for you to go around the village or block assigned to you so that you become familiar with the area, the way the streets run and the main topographical features. Having gone around the village or block, you should start from one end of the village or block and draw a sketch.

It is important that the dividing lines between one block and another should be clearly demarcated. Such dividing lines, besides following some natural boundaries wherever possible, should also be indicated by the survey numbers that fall on either side of the dividing line in cadastrally surveyed villages, In villages which are not cadastrally surveyed, the line can be indicated by the name of the owner of the field on either side of the line or by the name of the field, if any.

11. In the lay-out sketch every single building or house should be shown. *Pucca* and *Kucha* houses must be shown by signs like a square □ for a *Pucca* house and a triangle △ for *Kutcha* house further classifying them as wholly or partly residential or wholly non-residential by shading as follows :

□ — *Pucca* house, whether wholly or partly residential

■ *Pucca* wholly non-residential

△ *Kutcha* house, whether wholly or partly residential

▲ *Kutcha* wholly non-residential.

12. It is difficult to give a comprehensive and detailed definition of the terms '*Pucca*' and '*Kutcha*' houses to cover different patterns of structures all over the country. The categorisation of the houses as *Pucca* or *Kutcha* for the purpose of depicting them on the lay-out stetches will facilitate their identification. Also as *Kutcha* houses are not likely to be long-lasting, anyone referring to the lay-out sketches a few years later can easily distinguish settlement areas which are likely to have undergone a change. For the purpose of preparation of lay-out sketches, a *Pucca* house may be treated as one which has its walls as roof made of the following materials :

Wall material : Burnt bricks, stone (duly packed with lime or cement), cement concrete or timber, Ekra, etc.

Roof material : Tiles, GCI (galvanized corrugated iron) sheets, asbestos cement sheets, RBC (re-inforced. brick concrete), RCC (re-inforced cement concrete) and timber, etc.

Houses, the wallsand /or roof of which are made of materials other than those mentioned above such as unburnt bricks, bamboos, mud, grass, reeds, thatch, loosely packed stone, etc., may be treated as *Kutcha* houses.

13. When once the location of every building or house is demarcated on the sketch it will be a simple matter to decide on numbering the buildings houses in one series following certain principles. No hard and fast rule can be laid down as to the direction in which the house numbers should run *i.e.* left to right or in a clockwise order or north-west to south-east and so on. Much depends on the lay-out. So long as some convenient and intelligible order is followed it whould be alright. The numbers allotted to each house should be marked on the sketch and with the help of arrow marks at convenient intervals, the direction in which the house numbers run should be indicated. This is particularly important when streets cut across one another and the house numbering series along a street get interrupted. It will be of advantage if the numbers are roughly marked in pencil on this sketch and later verified with the actual state of things on ground to see if the order of numbering given in the lay-out sketch would be convenient or any change is needed, for after all the sketch is only a rough one and the actual state of buildings on ground may suggest a more convenient order of numbering at some places. Having satisfied yourself that the numbering has gone on right lines you may ink them. Specimen lay-out sketches for rural and urban areas may be seen at Annexes C and D.

14. Where villages are not cadastrally surveyed and the village boundaries not fixed by survey, it is essential that the limits of each village are defined by some permanent features so that one is sure that any house falling in a particular area may be reckoned with reference to a particular village.

15. In the forest areas, all habitations are not on a settled pattern. There are forest villages which may be just like other revenue villages or mauzas. For such villages, the normal procedure for preparing layout sketches may be folllowed. But apart from such villages, there could be clusters of habitations spread out in the forest. Your work will be

मानते हुए जंगल का खाका बनाएं। तत्पश्चात् इस प्रकार के आबादी समूहों को खाके में दिखाएं। यदि इस प्रकार के समूह का कोई स्थानीय नाम हो तो वह नाम भी खाके में लिखें। यदि कोई नाम नहीं है तो यह आवश्यक होगा कि किसी सुपरिचित स्थाई लक्षण/भू-चिह्न के आधार पर उनकी पहचान बताई जाए, उदाहरण के लिए नदी, पहाड़ियों की श्रृंखला, सड़क इत्यादि। खाके में ऐसे आबादी समूह की सीमाओं को दिखाने के पश्चात् प्रत्येक भवन की स्थिति दिखाई जानी चाहिए और उस पर नम्बर डालना चाहिए। इस प्रकार, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई में पड़ने वाले सभी आबादी समूहों को एक ही गांव मान कर मकान नम्बर दिए जाएं और मकान सूची तैयार की जाए।

16. अक्सर कुछ आदिवासी अपनी बस्तियां बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आबादी समूहों की तत्कालीन स्थिति ऊपर बताए गए तरीके से सावधानीपूर्वक किसी सुपरिचित स्थाई लक्षण के अनुसार नक्शे में बतानी चाहिए।

17. चाय, काफी आदि बागानों के मामले में पद्धति थोड़ी सी अलग है। ऐसे बागानों में पड़ने वाले गांवों की सूची आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहले से ही बना ली गई होगी और यह सूची आवश्यक कोड इत्यादि के साथ पहले से उपलब्ध होगी। आपको आबंटित किए गए गांवों/क्षेत्रों की सीमाओं का पता करने तथा आबादी किस तरह बसी हुई है उसका अध्ययन करने के लिए आप बागान प्राधिकारियों से सम्पर्क करें। तत्पश्चात् क्षेत्र में जाकर खाका तैयार करें।

18. नगरीय क्षेत्र--इन क्षेत्रों में भी नजरी नक्शों और खाकों को तैयार करने में आपको वही पद्धति अपनानी है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बताई गई है। संभवतः कुछ नगरीय इकाईयों में म्युनिसिपल प्रशासन ने पहले ही नक्शे बनाये हों। यदि ऐसा है तो उनका उपयोग कर लें। अक्सर नगरों की सीमाएं ठीक ढंग से नहीं दर्शायी जाती हैं जिनके कारण नगरों के सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में अनेक सन्देह उत्पन्न होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि नक्शे बिलकुल साफ हों जिनमें निश्चित बन्दोबस्ती नम्बरों तथा अन्य स्थायी लक्षणों द्वारा सीमाएं दर्शित की जाएं। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि सड़क के एक तरफ का भाग नगर की सीमा में पड़ता हो और दूसरा भाग सीमा से बाहर हो। सुपरवाइजरी अधिकारियों द्वारा नक्शों के ठीक होने का प्रमाणीकरण कराने से पहले इन सभी बातों की जांच क्षेत्र में आपको सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों तथा नगर सीमाओं के बाहर नगरीय विकास के सभी मामले सुपरवाइजरी अधिकारियों की जानकारी में स्पष्ट तौर पर लाए जाएं जिससे कि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि इस प्रकार के क्षेत्रों की गणना उन प्रशासनिक इकाईयों में ही की जा रही है जिनमें कि वे पड़ते हैं।

19. नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक सड़क और गली के साथ प्रत्येक भवन की स्थिति को दिखाते हुए अपने ब्लाक का विस्तृत और स्पष्ट खाका तैयार करें। यह संभव है कि उनकी आबादी और भवनों की संख्या अधिक होने के कारण आपको अपने ब्लाक के लिए एक से अधिक खाके बनाने पड़ें जिसमें ब्लाक के अलग-अलग भाग दर्शाए गए हों। जैसा भी हो, खाके में पहले सभी सड़कें और गलियां उनके नामों सहित साफ-साफ दिखाई जानी चाहिए तत्पश्चात् इस खाके के प्रत्येक भवन को दिखाना चाहिए। आपका तथा दूसरों का कार्य सरल हो जाएगा यदि आप पूर्णतः गैर-आवासीय मकानों को पैरा नम्बर 11 में बताये गये तरीके के अनुसार शैड (हैचिंग) कर दें ताकि पूर्णतः गैर आवासीय और आवासीय मकानों में अन्तर स्पष्ट हो जाएगा महत्वपूर्ण स्थायी भवन उदाहरणार्थ टाउन हाल, बड़े कार्यालय भवन, कचहरी, डाकघर, अस्पताल, स्कूल, चर्च, मार्केट इत्यादि को नक्शे में अवश्य दिखाया जाना चाहिए।

20. ऐसे नगरों के लिए जहां भवनों पर नम्बर देने की संतोषजनक पद्धति पहले से ही है, वहां आप भवनों पर इस प्रकार दिए गए नम्बरों को ही अपना लें। यदि आपके ब्लाक में कुछ भवनों पर नम्बर नहीं हैं तो खाके की सहायता से नम्बर लगा लें। ऐसे नगरों में जहां भवनों पर नम्बर देने का कोई उचित पद्धति नहीं है यह आवश्यक है कि आप स्वयं अपने ब्लाक में खाके में दर्शाए गए भवनों पर नीचे बताए गए तरीके के अनुसार नम्बर दें। जहां पहली बार मकानों पर नम्बर डालने की विधिवत् प्रणाली लागू किए जाने का प्रस्ताव है, ये नक्शे अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भवनों और जनगणना मकानों को नम्बर देना

21. आपको सभी क्षेत्रों में भवनों एवं जनगणना मकानों को नम्बर देने हैं। आगे दिए गए अनुदेश मकान सूचीकरण के लिए भवन एवं जनगणना मकान सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। भवन आसानी से पहचाने जाने वाली निर्मित इकाई या निर्मित इकाईयों का समूह है जिसको एक ही भवन नम्बर देना है। जैसा कि आगे स्पष्ट किया गया है संपूर्ण भवन या तो एक जनगणना मकान हो सकता है या कभी-कभी उसका एक भाग भी जनगणना मकान हो सकता है। मकान सूचीकरण का मुख्य उद्देश्य उन सभी निर्मित इकाईयों को नम्बर देना है जिनका उपयोग आवासीय या अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

22. भवन--आम तौर पर एक पूरी इमारत को भवन कहते हैं। कभी-कभी इमारतों में एक से अधिक संघटक इकाईयां होती हैं, जिन्हें निवास, दुकान, व्यापार-घर, कार्यालय कारखाना, वर्कशाप, वर्कशैड, स्कूल, मनोरंजन स्थल, पूजा-स्थल, गोदाम, स्टोर आदि के रूप में एक से अधिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है या उनके उपयोग में लाए जाने की सम्भावना है। यह भी सम्भव है कि किसी ऐसी इमारत या उसकी संघटक इकाई को एक से अधिक उपयोग में लाया जाता हो, उदाहरण के लिए ,दुकान-सह-निवास- वर्कशाप-सह-निवास, कार्यालय-सह-निवास।

23. कहीं-कहीं एक सड़क पर लगातार कई भवन होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ऐसा लगता है कि वे एक ही भवन हैं। वस्तुतः ये अलग-अलग इकाइयां (भवनों की) होती हैं और संभव है कि अलग-अलग समय बनी हों और उनके अलग-अलग मालिक हों। ऐसी स्थिति हालांकि यह सम्पूर्ण इमारत देखने में एक भवन नजर आती हैं फिर भी इसके प्रत्येक हिस्से को एक अलग भवन माना जाना चाहिए और इसे

facilitated if, for the purpose of netting such clusters, a lay-out plan is prepared of the forest area comprising the lowest administrative unit (such as, beat of a Forest Guard). Then the clusters should be drawn on the lay-out sketch. Name of the cluster should also be written, if it has a local name. If there is no name, then it would be necessary to identify it with reference to any known permanent feature such as a stream, a range of hills, road and so on. After drawing the boundaries of such clusters on the lay-out sketch, the location of each house should be indicated on it and a number assigned to each house. Habitations (clusters) falling within the area of the smallest forest administrative unit should be taken as one village for the purpose of house numbering and houselisting.

16. Since it is likely that some of the tribal habitations may change their locationssnowsandsthen, it issnecessary to define the location of a habitation area with reference to any known permanent feature as indicated above in regard to the clusters in forest areas.

17. In the case of tea estates, coffee estates, plantations, etc., the pattern may be slightly different. You will be well advised to first contact the estate or plantation authorities, study the pattern of habitation and then decide on the lay-out plan and listing of villages. Listing of villages of such estates will have been done by your superior officers and a list may have been prepared already and such village or villages assigned to you with necessary code number and so on. In that case, your task is easy. You have only to find out from the estate or plantation authorities, the boundaries of the village or area allotted to you. You should then visit the area and decide on the lay-out sketch.

18. **Urban areas** : The preparation of notional maps and the lay-out sketches (containing house numbers) in urban areas should essentially follow the same procedure as in the rural areas except that in most urban units the draughtsman of the Municipal Administration might have already prepared town maps perhaps even to scale, and these may come in extremely handy. It has been found from experience that the boundaries of towns are often time loosely defined and not properly demarcated giving rise to several doubts regarding the areas lying on the outskirts of towns. It is important that the map should very clearly indicate the boundaries by means of definite survey numbers and also other permanent features. Sometimes, one side of the road may fall within the town limits and the other side get excluded as it may be outside the defined boundary of the town. All these points should be carefully verified on the ground before the maps are certified to be correct by the supervising authorities. Cases of sub-urban growth adjoining the limits of a town and such cases as one side of a street falling outside the limit of a town should be brought to the notice of the superior officers who will have to ensure that such built up areas are properly accounted for within the administrative unit in which they fall.

19. In urban area very detailed plans showing the location of every building or house along every road and street in your block should be clearly prepared. In view of the very large number and close location of houses in urban areas it may be necessary to have a number of sketches each covering limited area. A lay-out sketch of your block should be prepared in which all the roads and streets should be clearly indicated and their names also written. Then each building and house should be located on this sketch. It will facilitate your work and of others if the wholly non-residential houses are distinguished from the residential houses by hatching as indicated in paragraph 11. Here again the important permanent buildings such as say, town-hall, large office building, court building, post office, hospital, school, church, market building, etc; should be indicated on the map.

20. For those towns which already have a satisfactory house-numbering system, you should adopt the same for preparation of house-numbering maps referred to above. The house numbering can be brought up-todate with the help your lay-out map. But if there is no proper housenumbering system in the town, you will be required to assign numbers to the houses in the lay-out sktech(es) of your jursdiction in the manner indicated below. Where a rationalised house-numbering system is proposed to be introduced for the first time these sketches will greatly help the authorities.

Numbering of buildings and census houses in rural and urban areas

21. You have to give numbers to 'Buildings' and 'Census Houses' in all areas. The instructions given hereafter will guide you to determine a building or a census house for the purpose of houselisting. A building is a readily distinguishable structrure or group of structures which is taken as the unit for house numbering. The entire building may be deemed one census house or sometimes part of it, as will be expalined. *The objective is to ultimately number and list out all physical units of constructions which are used for different purposes, residential or otherwise.*

22. Building : A building is generally a single structure on the ground. Sometimes it is made up of more than one component unit which are used or likely to be used as dwellings (residences) or establishments such as shops. business houses, offices, factories, workshops, worksheds, schools, places of entertainment, places of worship, godowns, tores etc. it is also possible that buildings which have component units may be used for a combination of purposes such as shop-cum-residence, workshop-cum-residence, office-cum-residence, etc.

23. Sometimes a series of different buildings may be found along a street which are joined wth one another by common walls on either side looking like a continuous structure. These different units are practically independent of one another and likely to have been built at different times and owned by different persons. In such cases though the whole structure with all the adjoining units apparently appears to be one building, each portion should be treated as a

अलग-अलग नम्बर दिया जाना चाहिए । दूसरी ओर विशेषत: बड़े नगरों में बहु-मंजिली इमारतें के ऐसे उदाहरण आएंगे जिनमें अलग-अलग फ्लैटों के अलग-अलग मालिक हों, ऐसी स्थिति में भी पूरी इमारत को एक भवन माना जाएगा एंव प्रत्येक फ्लैट अलग जनगणना मकान माना जाएगा ।

24. कभी-कभी ऐसी इमारतों में नगरपालिका इत्यादि के द्वारा विभिन्न फ्लैटों को अलग-अलग भवन मानकर नम्बर दे दिये जाते हैं । ऐसी स्थिति में आप ऐसे प्रत्येक फ्लैट को अलग-अलग भवन मानें क्योंकि ऐसा करने से मकानों को पुन: नम्बर देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

25. यदि किसी बड़े अहाते में कई इमारतें हों जिनके अलग-अलग मालिक हों तो प्रत्येक इमारत को अलग-अलग भवन माना जाएगा । कभी-कभी किसी उपक्रम (Undertasting), कम्पनी या सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कालोनियां बनाई जाती हैं जो एक अहाते के अन्दर होती हैं । ऐसी स्थित में अहाते के अन्दर प्रत्येक इमारत को अलग-अलग भवन माना जाएगा । यदि ऐसे भवनों में कई फ्लैटों या ब्लाक हो जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और उनमें से प्रत्येक का अलग प्रवेश द्वारा हो जिसमें सांझे के आंगन या जीने से होकर पहुंचा जा सके तथा जिनमें भिन्न परिवार रहते हों तो ऐसे प्रत्येक फ्लैट या ब्लाक अलग जनगणना मकान माने जाएंगे ।

26. सामान्यता एक संरचना (Structure) में चार दीवारें और एक छत होती है लेकिन कुछ क्षेत्रों में मकानों का स्वरूप इस प्रकार का होता है कि उनमें कोई दीवार नहीं होती । उदाहरण के लिए, शंक्वाकार (Concial) छत वाले भवन, जिनकी छत लगभग जमीन को छूती है और उनमें प्रवेश द्वारा भी होता है पर कोई भी दीवार नहीं होती है ऐसी संरचनाओं को भी परिस्थिति के अनुसार भवन एंव जनगणना मकान माना जाएगा ।

27. यदि किसी अहाते या चारदीवारी के अन्दर एक ही मालिक की गई संरचनाएं हों जैसे नगरों में मुख्य भवन, नौकरों के लिए क्वार्टर, गैरेज इत्यादि तो इन सबके लिए एक ही भवन नम्बर दिया जाए तथा प्रत्येक संघटक संरचनाओं को उप नम्बर जैसे 1(1), 1(2), 1(3), इत्यादि दिया जाय बशर्ते ये संरचनाएं आगे दी गई जनगणना मकान की परिभाषा के अनुरूप हों ।

28. खाके में भवनों को नम्बर देने के विषय में सामान्य अनुदेशों का पहले ही जिक्र हो चुका है । इस संबंध में निम्नलिखित विस्तृत अनुदेशों का विशेष ध्यान रखा जाए :—

(i) किसी एक सड़क/गली पर स्थित भवनों को एक ही क्रम में नम्बर दिया जाए । नम्बर देने के लिए सड़कों को उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में लें । सड़कों के किनारे स्थित भवनों को नम्बर देते समय यह ध्यान रखें कि सड़क के एक छोर से आखिर तक एक ही क्रम रखा जाए और उसके बाद ही सड़क पार कर दूसरी तरफ जाएं और तब उल्टी दिशा में उसी क्रम से दूसरी तरफ नम्बर देने का क्रम जारी रखें जैसा नीचे स्पष्ट किया जाता है :

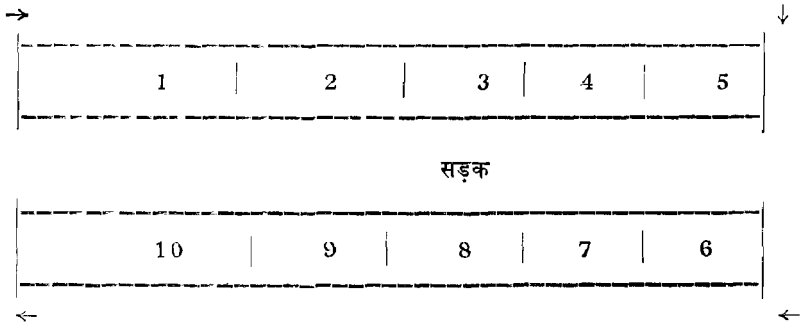

(ii) याद रहे कि किसी भी हालत में नम्बर देने के लिए सड़कों/गालियों को बीच से पार न करें । किसी कस्बे/नगर के प्रगणक ब्लाक में गली की सीध में नम्बर देने शुरु किए जाएं न कि अपनी इच्छा से किन्हीं भी अन्य भौगोलिक दिशाओं में ।

(iii) भवन नम्बरों के लिए अरबी (अंतर्राष्ट्रीय) अंक जैसे 1, 2, 3 . . . . . प्रयोग में लाए जाएं ।

(iv) ऐसा भवन जो बन रहा हो और जिसकी छत बन चुकी हो, उसको भवन नम्बर दे दिया जाए । इसी प्रकार यदि कोई भवन गिराया जा रहा हो और उसकी छत गिर चुकी हो तो उसे छोड़ दिया जाय ।

(v) यदि भवनों पर नम्बर डालने का काम समाप्त हो जाने के बाद या पहले से ही नम्बर डालें गए भवनों के बीच कोई नया कया कच्चा पक्का भवन पाया जाता है तो उसे साथ वाले पिछले भवन का बटा नम्बर दिया जाए जैसे, 10/1, 10/2 . . . ।

टिप्पणी : इन्हें 10(1) या, 10(2) आदि नम्बर न दिए जाएं क्योंकि इस प्रकार के नम्बर तो जैसा कि आगे स्पष्ट किया जाएगा एक ही भवन के जनगणना मकानों पर दिए जाते हैं । दूसरी ओर 10/1 का अर्थ होगा एक अलग भवन, जो कि भवन नम्बर 10 के बाद बना है या जिस पर नम्बर बाद में डाला गया है ।

separate building and given separate numbers. On the other hand, you may come across cases, particularly in large cities of multi-storeyed ownership flats. In these cases while the structure looks like one building, the flats are owned by different persons. In case of such mult-storeyed structures, having a number of flats owned by different persons, the entire structure should be treated as one building and each flat as a separate house.

24. Sometimes in metropolitan cities the local authorities may have considered the flats in a block or in large colonies as separate'buildings and numbered them as such. If the house numbering system of the local authorities is adopted as such, you may treat each such flat as a separate building because this will avoid your having to renumber these.

25. If within a large enclosed area there are separate structures owned by different persons then each such structure should be treated as one or more separate buildings. Sometimes there may be a number of structures within an enclosed area or compound owned by an undertaking or company or government which are occupied by their employees. Each such structure should be treated as a separate building. If such buildings have a number of flats or blocks which are independent of one another having separate entrance from a common courtyard or staircase and occupied by different households each such flat or block should be considered as a separate census house.

26. Usually a structure will have four walls and a roof. But in some areas the very nature of construction of houses is such that there may not be any wall. For example, a conical roof almost touches the ground and an entrance is also provided and there will not be any wall as such. Such structures should be treated as buildings and census house as the case may be.

27. If there is more than one structure within an enclosed or open compound (premises) belonging to the same person, *e.g.*, the main house, the servant's quarter, the garage, etc., only onesbuilding number should be given for this group and each of the constituent separate structures assigned a sub-number like 1(1),1(2), 1(3) and so on provided these structures satisfy the definition of a 'Census House' given hereafter.

28. The buildings should be numbered as follows :

(*i*) If in a village the locality consists of a number of streets, the buildings in the various streets should be numbered continuously. Streets should be taken in uniform order from North-west to South-east. It has been observed that the best way of numbering the buildings is to continue with one consecutive serial on one side of the street and compl t: numbering on that side before crossing over to the end of the other side of the street and continuing with the serial, stopping finally opposite to where the fisst number began.

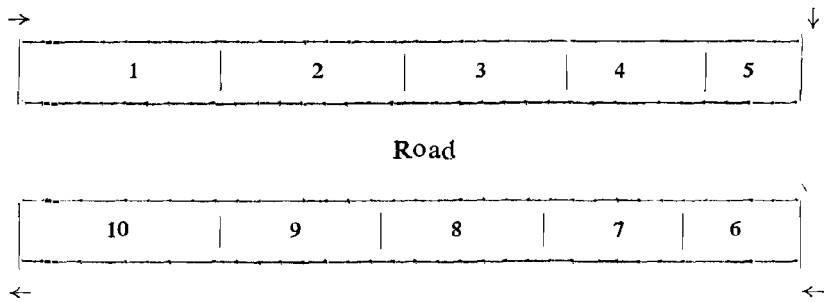

(*ii*) In a town/ city enumeration block, the numbering will have to run along the axis of the street and not in any arbitrary geographical direction.

(*iii*) Arabic numerals, i.e.,, 1,2,3,....etc., should be used for building numbers.

(*iv*) A building under construction, the roof of which has been completed should be given a number in the serial.

(*v*) If a new building either *Pucca or Kutcha* is found after the house numbering has been completed or in the *midst* of buildings already numbered, it should be given a new number which may bear a sub-number of the adjacent building number e.g., 10/1....

NOTE : These shoud not be unmbered as 10(1) or 10(2) etc., as sueh numbering would apply to cessus houses within the same building. On the other hand, 10/1 would mean a separate building that has come up after building No. 10.

जनगणना मकान

29. जनगणना मकान एक भवन या भवन का वह भाग है जिसका अलग मुख्य प्रवेश द्वारा है । यह द्वार रास्ते पर या सांझे के अहाते, बरामदें या जीने इत्यादि में हो सकता है किन्तु यह जनगणना मकान एक पृथक इकाई की तरह प्रयोग होना चाहिए या समझा जाना चाहिए । हो सकता है कि वह खाली हो या किसी तरह के उपयोगों में आता हो । हो सकता है कि वह रहने के काम में आता हो या गैर-आवासीय उपयोग में या दोनों ही प्रकार के उपयोग में आता है ।

30. यदि किसी भवन में कई फ्लैट या ब्लाक हों और वे एक दूसरे से अलग हों और उनमें से प्रत्येक का प्रवेश द्वारा अलग होकर रास्ता, सड़क, जीने या अहाते में (जहां से मुख्य द्वारा पर जा सके) खुलता हो तो ऐसा प्रत्येक फ्लैट या ब्लाक को अलग जनगणना मकान समझा जाएगा । यदि किसी घिरे हुए अहाते में पृथक इमारतें हों जो भिन्न व्यक्तियों की हों अथवा एक व्यक्ति की हों किन्तु भिन्न व्यक्तियों के उपयोग में आ रही हों तो वे अलग-अलग भवन होंगे और प्रत्येक भवन अलग-अलग जनगणना मकान समझा जाएगा । यदि अहाते की सभी इमारतों को एक साथ एक भवन माना जाता है तो इनमें से प्रत्येक इमारत अलग जनगणना मकान मानी जाएगी यदि उसका अलग प्रवेश द्वारा हो ।

31. कुछ मामलों में जनगणना मकान की परिभाषा को अक्षरशः लागू करने में कठिनाई हो सकती है । उदाहरण के लिए, किसी नगरीय क्षेत्र में एक फ्लैट में पांच कमरे हैं और सामूहिक सीढ़ी या आंगन से प्रत्येक कमरे में सीधे प्रवेश किया जा सकता है । परिभाषा के अनुसार इन्हें पांच जनगणना मकान माना जाएगा । परन्तु यदि इन सभी कमरों में एक ही परिवार रह रहा हो तो इन्हें पांच जनगणना मकान मानना उचित नहीं होगा । ऐसे मामलों में निवास "उपयोग के एकत्व" (Singleness of use) को ध्यान में रखना चाहिए और पूरे फ्लैट को एक ही जनगणना मकान मानना चाहिए । दूसरी ओर, यदि दो अलग-अलग परिवार इन पांच कमरों में रह रहे हों, जिनमें से एक के पास तीन और दूसरे के पास दो कमरे हों तो पहले तीन कमरों को एक जनगणना मकान माना जाएगा और शेष दो कमरों को दूसरा जनगणना मकान । परन्तु यदि प्रत्येक कमरा अलग-अलग परिवार के पास हो, तो ऐसे प्रत्येक कमरे को अलग-अलग जनगणना मकान माना जाए ।

32. होस्टल होटल आदि के मामलों में यदि प्रत्येक कमरे का , जिनमें लोग रहते हैं, दरवाजा सामूहिक बरामदा सीढ़ी, आंगन या सामूहिक कमरे की ओर खुलती हो, जैसा कि सामान्यतः पाया जाता है तो ऐसे मामलों में सम्पूर्ण होस्टल होटल के भवन को एक जनगणना मकान माना जाएगा । परन्तु यदि ऐसे होस्टल/होटल में ऐसे आउट-हाउस या कोई संरचना हो जिनका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों या एक ही प्रयोजन के लिए किया जाता हो तो मुख्य होस्टल होटल से सम्बद्ध ऐसी प्रत्येक संरचना को पृथक जनगणना मकान माना जाएगा और उसे मुख्य भवन का उप-नम्बर दिया जाएगा ।

33. देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा पाया जाता है कि एक परिवार के उपयोग में कई झोंपड़ियां एक अहाते या चारदीवारी के अन्दर होती हैं । जबकि मुख्य निवास किसी एक झोंपड़ी में होता है, अन्य झोंपड़ियों को सोने के लिए, रसोई, स्नान-गृह बैठक आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है ऐसी स्थिति में हालांकि प्रत्येक झोंपड़ी एक अलग संरचना है लेकिन रहने के लिए वे एक ही इकाई हैं और इसलिए सामूहिक रूप से उन्हें एक ही जगणना मकान माना जाएगा । फिर भी उस अहाते में यदि कुछ ऐसी झोंपड़ियां भी हों जिनका उपयोग परिवार के रहने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता हो जैसे पशुओं के रहने के लिए शैड, काम करने के लिए शैड इत्यादि, तो उन्हें पृथक जनगणना मकान माना जाएगा । इस बात का पता लगाया जा कि इस इस प्रकार की इकाई एक ही परिवार के उपयोग में है या एक से अधिक के । यदि अहाते में एक से अधिक परिवार रहते हैं तो उनके उपयोग में आने वाली झोपड़ी समूहों को पृथक पृथक जनगणना मकान माना जाए ।

34. यह भी सम्भव है कि कोई परिवार किसी और संरचना का उपयोग करता हो । जैसे बैठक जो कि मुख्य निवास स्थान से कुछ दूरी पर हो या उनके बीच में कोई अन्य संरचना या कोई सड़क/गली पड़ती हो तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होगा कि बैठक के रूप में उपयोग की जाने वाली ऐसी अलग संरचना को भिन्न जनगणना मकान समझा जाए।

35. प्रायः यह देखा गया है कि नगरपालिका आदि के द्वारा प्रत्येक स्थान को (चाहे मकान बना हुआ हो या न बना हुआ हो) स्वामित्व के आधार पर नम्बर दे दिया जाता है । इस प्रकार के खुलों स्थान चाहे उनमें चारदीवारी हो या नहीं, जनगणना मकान नहीं माने जाएंगे । केवल वही संरचनाएं जिनमें छत हो जनगणना मकान मानी जाएंगी । शक्वाकार छतों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है ।

36. पम्प हाउस, मंदिर और इसी प्रकार की अन्य संरचनाओं को भी जनगणना मकान नम्बर देना चाहिए बशर्ते कि वे इतनी छोटी न हों कि कोई भी व्यक्ति उनमें रह न सके ।

37. प्रत्येक जनगणना मकान पर नम्बर दिया जाए । यदि कोई भवन अपने आप में एक जनगणना मकान है, तो जनगणना मकान का वही नम्बर होगा जो उस भवन का लेकिन यदि इस भवन के विभिन्न भाग अलग-अलग इकाइयां हों और अलग-अलग जनगणना मकान कहे जा सकते हों तो प्रत्येक जनगणना मकान को एक उप-नम्बर, उस भवन नम्बर के साथ कोष्ठकों में दिया जाएगा जैसे 10(1), 10(2) आदि या 11(1) 11(2), 11(3) आदि ।

परिवार

38. परिवार ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो सामान्यतः एक साथ रहते हों और यदि काम की आवश्यकता उन्हें मजबूर न करे तो एक ही रसोई से खाना खाते हों । परिवार ऐसे व्यक्तियों का हो सकता है जिनका आपस में रक्त-संबंध हो अथवा ऐसा संबंध नहीं हो या उसमें दोनों

Census House

29. A Census House is a building or part of building having a separate main entrance from the road or common courtyard or staircase, etc., used, or recognised as a separate unit. It may be occupied or vacant. It may be used for a residential or non-residential purpose or both.

30. If a building has a number of flats or blocks which are independent of one another having separate entrances of their own from the road or a common staircase or a common courtyard leading to a main gate, they will be considered as separate census houses. If within a large enclosed area, there are separate building owned by different persons then each such building should be treated as one or more separate buildings. You may come across cases where within an enclosed compound there may be separate buildings owned by an undertaking or company or even government actually in occupation of different persons. For example, I.O.C. colony where the buildings are owned by the Corporation but these are in occupation of their employees. Each such building should be reckoned as a separate building. But if in any one of these buildings there be flats in occupation of different households, each such flat should be treated as a separate census house.

31. It may be difficult to apply the definition of census house strictly in certain cases. For example, in an urban area, a flat has five rooms each room having direct entrance to the common staircase or courtyard. By definition this has to be treated as five census houses. If all these five rooms are occupied by a single households it is not realistic to treat them as five census houses. In such a case (singleness' of use of these rooms alongwith the main house should be considered and the entire flat should be treated as one census house. On the other hand, if two independent households occupy these five rooms, the first household living in 3 rooms and the second household occupying 2 rooms, then considering the use the first three rooms together should be treated as one census house and the remaining rooms as another census house. But if each room is occupied by an independent household then each such room should be treated as a separate census house.

32. In case of hostels, hotels, etc., even if the door of each room in whcih an inmate lives opens to a common verandah, staircase, courtyard or a common room, as it happens almost invariably, the entire hostel/hotel building should be treated as one census house. But if such hostels/hotels have out-houses or other structure used for different purposes or the same purpose then each such structure attached to the main hostel/hotel should be treated as a separate census house and will be given sub-numbers of the main building.

33. In some parts of the country, in rural areas, the pattern of habitation is such that a group of huts located in a compound, whether enclosed or unenclosed is occupied by one household. While the main residence may be located in one hut, other huts may be used for sleeping, as a kitchen, bath room, baithak, etc. Though each of the huts is a separate structure, they form a single housing unit and therefore, have to be treated collectively as a single census house. If some of the huts are used by one household and the others by a second household as residence, then the two groups of huts should be treated as separate census houses. However, if there are also other huts in the compound used for other purposes and not as part of the households residence such as, cattle shed, workshed, etc., they should be treated as separate census houses.

34. It is also possible that a household uses another structure, e.g., a baithak, separated from the main residence by some distance or by other structures or by a road. In such cases, it may become necessary to treat that separate structure used as "baithak" as a separate census house.

35. It is usual to find in municipal towns and cities that every site whether built upon or not is numbered by the municipal authorities on property basis. Such open sites, even if these are enclosed by a compound wall, should not be listed for census purposes. Only cases where a structure with roof has come up should be treated as a census house and listed. But in some areas the very nature of construction of houses is such that there may not be any wall. For example, a conical roof almost touches the ground and an entrance is also provided and there will not be any wall as such. Such structures should of course be treated as buildings and census houses and numbered and listed.

36. Pump houses, temples and other similar structures must also be numbered and given census house numbers. These are places where people can also live. Obviously, such structure need not be numbered if they are so small that no person can live in them.

37. Each census house should be numbered. If a building by itself is a single census house, then the number of the census house will be the same as the building number. But if different parts of constituent units of a building qualify to be treated as separate census houses, each census house should be given a sub-number within brackets after the building number as 10 (1), 10(2), etc. or 11(1), 11(2), 11(3), etc.

Household

38. A household is a group of persons who commonly live together and would take their meals from a common kitchen unless the exigencies of work prevented any of them from doing so. There may be a household of persons related by blood or a household of unrelated persons or having a mix of both. Examples of unrelated households

प्रकार के व्यक्ति हों । असंबंधित व्यक्तियों के परिवार के उदाहरण हैं बोर्डिंग हाउस, मैस, होस्टल, आवासीय होटल, उद्धार गृह, जेल, आश्रम आदि । इन्हें "संस्थागत परिवार" कहा जाता है । परिवार एक व्यक्ति का, दो व्यक्तियों का और अनेक व्यक्तियों का भी हो सकता है । जनगणना प्रयोजनों के लिए इस प्रकार को प्रत्येक इकाई को "परिवार" समझा जाएगा ।

39. यदि असंबंधित व्यक्तियों का समूह एक जनगणना मकान में रहता हो लेकिन वे एक रसोई से खाना नहीं खाते हों तो उन्हें संस्थागत परिवार नहीं माना जाएगा । प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को एक अलग परिवार माना जाना चाहिए । जनगणना मकान में रहने वाले व्यक्ति एक परिवार के सदस्य हैं या नहीं, इसे जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सामूहिक रसोई का होना ।

40. प्रत्येक परिवार को पहचान नम्बर दिया जाए । चूंकि परिवार किसी न किसी भवन/जनगणना मकान से संबंधित होगा इसलिए भवन/जनगणना मकान के दरवाजे पर केवल भवन और जनगणना मकान नम्बर ही लिखा जाए । परिवार का नम्बर न लिखा जाए ।

मकान सूची भरना

41. नजरी नक्शा/खाका तैयार करने और भवनों/जनगणना मकानों पर नम्बर डालने के बाद अगला कदम उन्हें मकान सूची में सूचीबद्ध करना है ।

42. 1991 की जनगणना में सभी क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली मकान सूची के फार्म का नमूना इस पुस्तक के अन्त में अनुलग्नक "ङ" पर दिया गया है ।

43. मकान सूची भरने में निम्नलिखित अनुदेश आपका मार्गदर्शन करेंगे ।

44. मकान सूची फार्म में सबसे ऊपर राज्य का नाम, जिले का नाम, तालुक/तहसील/पुलिस स्टेशन/विकास खण्ड/सर्कल का नाम, ग्राम/शहर का नाम, वार्ड/मुहल्ला/हैमलेट का नाम और/या नम्बर, प्रगणक का ब्लाक नम्बर और इन सबके कोड नम्बर लिखने हैं । उक्त प्रविष्टियों का सामूहिक नाम "लोकेशन कोड नम्बर" है जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक भरें । लोकेशन कोड ही एक ऐसा तरीका है जिससे किसी राज्य के प्रत्येक तहसील/पुलिस स्टेशन के प्रत्येक या ग्राम या नगर के एक ब्लाक को नम्बरों के समूह द्वारा पहचाना जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक जिला, तहसील या पुलिस स्टेशन और ग्राम या नगर, वार्ड/मुहल्ला/हैमलेट और प्रगणक के ब्लाक को कोड नम्बर दिये गये हैं । आपके चार्ज अधिकारी या सुपरवाइजर ने आपको संबंधित जिले, तहसील या पुलिस स्टेशन और ग्राम या नगर, वार्ड मुहल्ला और प्रगणक के ब्लाक का कोड नम्बर सूचित कर दिया होगा । आपको इन्हें केवल उचित जगह में विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के नामों के सामने लिखना होगा । कृपया यह नोट करें कि नगर का नम्बर रोमन अंकों में (I, II, III IV, । आदि) दिया जाना है एवं ग्राम के नम्बरों को अरबी अंकों में (1,2,3,4, आदि) लिखना है ताकि दोनों का अन्तर स्पष्ट हो । आप अपने ब्लाक की मकान सूची पर क्रमवार पृष्ठ नम्बर दें । विकास खण्ड का नाम और इसका नम्बर सुपरवाइजर या चार्ज अधिकारी द्वारा आपको दिया जायेगा । आपको इसे इस के लिए निश्चित स्थान पर लिखना है । राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में जहां जिले के बाद अगली इकाई विकास खण्ड है उस के लिए विकास खण्ड का नाम व नम्बर दोबारा से लिखे जायेंगे ।

कालम 1 : लाइन नम्बर

45. मकान सूची में प्रत्येक लाइन को क्रमानुसार नम्बर दिया जाना है आपके ब्लाक की समस्त प्रविष्टियों को लगातार एक ही क्रम में दर्ज किया जाना है । नम्बर देने के लिए अरबी अंकों को लिखना है । उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, आदि ।

कालम 2 : भवन नम्बर (नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी या जनगणना द्वारा दिया गया नम्बर)

46. भवनों पर नम्बर देने की विधि विस्तार से पैरा नम्बर 28 में बताई जा चुकी है ।

47. इसके अनुसार खाका बनाते समय खाके में दिखाए गए भवनों में से प्रत्येक को आपने नम्बर दे दिया होगा । जहां पर नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नम्बर देने की विधि सन्तोषजनक है वहां आपने उसी विधि को अपना लिया होगा और इन नम्बरों को खाने में दे दिया होगा । ऐसे मामलों में जहां नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नम्बर देने की विधि सन्तोषजनक नहीं है, आपने पहले बताए गए तरीके के अनुसार व्यवस्थित ढंग से भवनों को नम्बर दे दिए होंगे और उन्हें खाके पर दर्शित कर दिया होगा ।

48. ऊपर वर्णित तरीकों में से किसी भी तरीके से खाके में दिए गए नम्बर जो पहले से ही भवन पर दिए हुए होंगे या आपके द्वारा भवन पर लिख दिए गए होंगे, उन्हें इस कालम में दर्ज करना है ।

49. भवनों पर नम्बर देने के लिए अरबी अंकों (जैसे 1, 2, 3 . . .) का प्रयोग किया जाए । ऐसे मामलों में जहां पहले से ही भवनों में संतोषजनक नम्बर मौजूद हों वहां स्पष्टतः यह अनुदेश लागू नहीं होंगे ।

are boarding houses, messes, hostels, residential hotels, rescue homes, jails,ashrams, etc. These are called "Institutional Households". There may be one member households, 2 member households or multimember households. For census purposes each one of these types is regarded as a "Household".

39. If a group of persons who are unrelated to each other live in a census house but do not have their meals from a common kitchen, then they would not constitute an institutional household. Each such person should be treated as a separate household. The important link in finding out whether there is a household or not is a common kitchen.

40. Each household will be listed according to the instructions that follow and a distinguishing number allotted to each household. As each household will be related to the physical structure of a census house, the household number as such need not be painted on the door of each census house. Only the building and census house number will be painted.

Houselisting

41. After the preparation of the notional maps and lay-out sketches (containing house numbers) and the numbering of the houses, the next step is to list them in a prescribed schedule, namely, the houselist.

42. At the 1991 census, a houselist form will be canvassed on universal basis. Specimen form of the schedule to be so canvassed is given as Annexe 'E' at the end of this book.

43. The instructions given below will guide you in filling up the houselist.

44. On the top of the houselist form, provision is made to note the name of the State with Code No, District with Code No., Name of Tehsil/Taluka/Police Station/Development Block/Circle and its Code No., Name of Village/Town and its Code No., Name or No. of Ward/Mohalla/Hamlet and Enumerator's Block No. These entries which will be referred to as "Location Code" hereafter are to be filled in by you very carefully. The Location Code is the method by which every village or town in any tehsil or police station in every district of a state is identified by a combination of numbers. For this purpose every state, district, tehsil or police station, village or town, ward/mohalla/hamlet and enumerator's block in your state would have been allotted code numbers. Your Charge Officer or Supervisor would have indicated to you the state, district, tehsil or police station and the village or town, ward/mohalla hamlet and enumerator's block code numbers allotted to you. You will have to enter these numbers in the relevant spaces against the names of the various jurisdictional units. Please note that the town number is to be given in Roman figures (I,II,III IV, etc.) to distingusih it from the village number which will be indicated by Arabic numerals (*1, 2, 3,4 etc.*). You should enter page number of the houselist continuously for your block.

You will also be provided by your supervisor or charge officer the name of the Development Block and its code number. You have to enter the same in the space provided for this. In States/UTs where the Development Block is the next unit below the District, the name and the code number will be repeated here.

Col. 1 : Line No.

45. Every line in the Houselist is to be numbered serially. The line numbers should be continuous for you block. Arabic numerals should be used for this purpose, e.g., 1, 2, 3, 4, etc.

Col. 2 : Building No. (municipal or local authority or census No.)

46. Some municipal towns may have a satisfactory system of numbering the buildings and after preparation of of the lay-out sketch of your area, you would have given the same number to the building located on the sketch.

47. While preparing the lay-out sketch in the manner described earlier you will have assigned building numbers to each of the buildings shown in the lay-out sketch. Where the numbering system of the municipality or local authority is satisfactory, you would have adopted it and given these numbers in the lay-out sketch. In cases, where this numbering system by the municipality or local authority is not satisfactory, you would have given numbers to the buildings in a systematic manner as described earlier and it is this numbering system adopted by you that would have to be indicated in the lay-out sketch. Of course, you might have had to merely update or revise the numbering system that already exists in some cases. There can also be cases where no numbering system existed earlier. In these cases you would have numbered the buildings and assigned them numbers in the lay-out sketch. Where the numbers in any of the systems have not been indicated on the buildings themselves, you would also have painted them as mentioned earlier. Irrespective of the situation, you would have assigned a number to every building in the lay-out sketch.

48. The number which has been assigned in the lay-out sketch in any of the system described above and which has already been put on the building or which might have been painted by you on the building should be entered in this column.

49. Arabic numbers (e. g., 1,2,3,....) should be used for building numbers. In cases where there are numbers already present and painted or fixed, these instructions naturally will not apply. These instructions will apply entirely depending on local circumstances.

50. अनेक नगरों में ऐसी कई बड़ी कालोनियां है जहां फ्लैटों के ब्लाक हैं। सामान्यत: ऐसे ब्लाक को एक भवन नम्बर दिया जाना चाहिए और उनमें स्थित फ्लैटों को अलग-अलग जनगणना मकान मानकर भवन के उप-नम्बर दिए जाने चाहिए। परन्तु संभव है इसके विपरीत स्थानीय अधिकारियों ने इस प्रकार के फ्लैटों को लगातार नम्बर दे दिए हों। इस प्रकार की स्थिति दिल्ली मद्रास, बम्बई, आदि नगरों और सरकारी कालोनियों में हैं। ये अनुदेश पहले ही दिए जा चुके हैं कि जो नम्बर स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं उन्हीं को अपना लिया जाए। ऐसे मामले में आपको चाहिए कि आप उन्हीं नम्बरों को मकान सूची के कालम 2 और 3 में दर्ज करें क्योंकि ऐसे भवनों को अलग से नम्बर नहीं दिए जा रहें हैं। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी भवनों को नम्बर दिए जा चुके हैं, आप कालम 2 में एक ब्रैकेट लगाएं जिसके अन्तर्गत उन सभी फ्लैटों के नम्बर होने चाहिए जो एक भवन के अन्तर्गत आते हैं। यह काम निम्नलिखित तरीके से किया जाना है :—

मकान सूची

लाइन नम्बर	भवन नम्बर (नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी या जनगणना द्वारा दिया गया नम्बर)	जनगणना मकान नम्बर
1	2	3
1	215 ⎫	215
2	216 ⎭	216
3	217 ⎫	217
4	218 ⎭	218
5	219 ⎫	219
6	220 ⎭	220
7	221 ⎫	221
8	222 ⎭	222

दिए गए उदाहरण में प्रत्येक भवन के चार फ्लैट हैं।

कालम 3 : जनगणना मकान नम्बर

51. यह पहले से ही विस्तृत रूप में बताया जा चुका है कि जनगणना मकान क्या है ? परिभाषा को फिर से दोहराते हुए जनगणना मकान एक भवन या भवन का वह भाग है जिसका अलग मुख्य प्रवेश द्वार है। यह द्वार रास्ते पर या साझे के अहाते, बरामदे या जीने इत्यादि में हो सकता है किन्तु यह जनगणना मकान एक पृथक इकाई की तरह प्रयोग होना चाहिए या समझा जाना चाहिए। हो सकता है कि वह खाली हो या किसी तरह के उपयोग में आता हो। हो सकता है कि वह रहने के काम में आता हो या गैर-आवासीय उपयोग में या दोनों ही प्रकार के उपयोग में आता हो। जैसे आवास, दुकान, दुकान-सह-आवास, पूजागृह, वर्कशाप तथा स्कूल आदि।

52. दिए गए अनुदेशों के अनुसार ही आपने किसी भवन या उसके किसी भाग को जनगणना मकान नम्बर दे दिया होगा। वह नम्बर इस कालम में लिखा जाना है। यह ध्यान रखें कि एक ही भवन के अन्दर के जनगणना मकानों को नम्बर एक ही क्रम में दिए जाएं जो वृत्ताकार (Clockwise) या अन्य कोई सुविधाजनक तरीके में होगा। यदि किसी भवन में कई फ्लैट या ब्लाक हों, जिनका अपना अलग-अलग प्रवेश द्वारा हो और वे एक दूसरे से स्वतन्त्र हों तथा किसी साझे की सड़क या सीढ़ियों या आंगन से उस भवन के मुख्य द्वार से जुड़े हों तो उन्हें अलग-अलग जनगणना मकान गिना जायेगा। यदि एक अहाते में स्थित विभिन्न-संरचनाओं को एक भवन माना गया है, तो प्रत्येक ऐसी संरचना को जिसका अलग प्रवेश द्वार हो अलग-अलग जनगणना मकान समझा जाएगा।

53. कभी-कभी भवन के विभिन्न भागों में या कमरों के समूहों में या अकेले कमरों में विभिन्न परिवार रहते हैं। यदि इन विविभिन्न भागों के अलग-अलग प्रवेश द्वार, साझे के बरामदे, सीढ़ियों या आंगन से हों तो ऐसे प्रत्येक भाग को अलग-अलग जनगणना मकान समझा जायेगा।

54. यदि किसी भवन में एक ही जनगणना मकान है तो इस कालम मे नोट किया जाने वाला जनगणना मकान नम्बर वही होगा जो पहले कालम 2 में लिखा गया इस भवन का नम्बर है। लेकिन यदि भवन में ऐसे कई भाग हैं जिन्हें परिभाषा के अनुसार अलग-अलग जनगणना मकान गिना जाना है तो जनगणना मकान नम्बर के साथ ब्रैकेट में उप-नम्बर देकर निश्चित किया जायेगा, जैसे 9(1), 9(2) . . . . 12(1), 12(2), 12(3) . . आदि।

टिप्पणी : यह ध्यान रखें कि जनगणना मकानों को उप-नम्बर ब्रैकेट में दिए जाएंगे जैसे 9(1), 9(2) आदि। इन्हें आप 9/1 या 9/2 नम्बर न दें क्योंकि यह पद्धति तो ऐसे नये भवन के लिए अपनाई गई है जिसे पहले नम्बर नहीं दिया गया है और जो 9 नम्बर के बाद और 10 नम्बर से पहले आता है।

50. In many cases there may be large colonies or blocks of flats where continuous serial numbering has been adopted by the local authorities. Strictly speaking. each building in which there may be a set of flats should be given a building number and the flats themselves given census house numbers. However, local authorities may have numbered the flats continuously without reference to the separate buildings. Such situations exist in Delhi, Madras, Bombay, etc. and in official colonies. In such cases we need not change the numbering system and may adopt it as such. In such cases you will obviously have to enter the same number in columns 2 and 3 of the houselist since a separate building number is now not being given. However, to ensure that all buildings have been covered, you should put a bracket in column 2 enclosing all those flat numbers which are located in one single building unit. The manner in which this is done is indicated below :-

Houselist

Line No.	Building No. (Municipal or local authority or Census No.)	Census House No.
1	2	3
1	215 ⎫	215
2	216 ⎬	216
3	217 ⎭	217
4	218	218
5	219 ⎫	219
6	220 ⎬	220
7	221 ⎭	221
8	222	222

In the example given, each building consists of 4 flats.

Col 3 : Census House No.

51. What is a census house has already been described in detail earlier. To recall the definition a census house is a structure or part of a structure with a separate entrance which may be inhabited or vacant and which may be used for any purpose by human beings such as dwelling, a shop, a shop-cum-dwelling, a place of worship or a place of business, workshop, school, etc.

52. In accordance with the instructions, you would have allotted census house number to a building or to part of a building. If there is only one census house in the building, then the number of the census house will be the same as the building number. This will be repeated in this column. If a building has a number of flats or blocks which have separate entrances of their own and are independent of each other giving on the road or a common staircase or a common courtyard leading to the main gate, they will be considered as separate census houses. If all the structures within an enclosed compound are together treated as one building then each structure with a separate entrance should be treated as a separate census house. The order in which census houses within a building should be numbered, should be continuous, preferably clockwise or in any convenient manner if at all it is difficult to do it clockwise.

53. Sometimes a building which may form a single structure may be occupied in its different parts or suites of rooms or even some single rooms by different households. These individual parts are likely to have separate entrances from a common Verandah, staircase or a courtyard, Then each of these parts would assume the character of a separate census house.

54. The census house number to be noted in this column will be the same as the building number already note in column 2, if the building is by itself a single census house. But if the building is made up of portions each of which has been treated as a separate census house according to the definition, then each of these census houses will bear the building number with a separate sub-number in brackets for each census house, e.g., 9(1), 9(2).....12(1), 12(2), 12(3).....etc.

NOTE : You should not indicate the number as 9/1 or 9/2 etc., as this method will be used in the assignment of a number to a new building not previously numbered that has come up after building No 9 and before No 10,

कालम 4, 5 और 6 : जनगणना मकान में लगी प्रमुख सामग्री

55. इस प्रश्न को तीन भागों में बांटा गया है अर्थात् (क) दीवार की सामग्री, (ख) छत की सामग्री और (ग) फर्श की सामग्री। आपकी सुविधा के लिए प्रत्येक मद अर्थात् दीवार, छत और फर्श में लगी मुख्य निर्माण सामग्री का विवरण मकान सूची के नीचे आयताकार खानों के अन्तर्गत दिया गया है। हर प्रकार के सामग्री वर्ग के लिए कोड नम्बर दिया गया है। आपको केवल उपयोग में लाई गई सामग्री का पता करना है और उसे क्रमशः दीवार, छत और फर्श बनाने के उपयोग में लाई गई सामग्री को आयाताकार खाने में दिए गए विवरण के अनुसार कालम 4–6 तक के खाने में उपयुक्त कोड नम्बर भरना है।

कालम 4 : दीवार की सामग्री

56. दीवार की सामग्री के लिए दस कोड अनुसूची में दिए गए हैं। दीवार की सामग्री का पता करने के लिए आपको यह देखना है कि मकान की दीवार के मुख्य भाग को बनाने में अधिकतर कौन सी सामग्री उपयोग में लायी गई है और तदनुसार उपयुक्त कोड नम्बर छांटे। इस प्रकार छांटे गए कोड को कालम 4 में भरें। (–) डैश वहां पर दर्ज होगा जहां संरचना दीवार रहित लेकिन पिलर सहित है।

कालम 5 : छत की सामग्री

57. छत की सामग्री के लिए आठ कोड नम्बर दिए गए हैं। छत की सामग्री में आपको छत बनाने में उसके बाहरी हिस्से में लगी सामग्री जैसे टाइलें, फूस, लोहे या जस्ते की नालीदार या अन्य धातु की चादरें, एस्बेस्टस, सीमेंट की चादरें या कंक्रीट, लकड़ी, मिट्टी आदि को देखना है अर्थात् वह सामग्री जिस पर मौसम का प्रभाव पड़ता है न कि वह जो भीतरी छत के उपयोग में लाई गई है। यदि छत मुख्यतः ईंटों और पत्थरों की बनी है और उसका पलस्तर गारे, सीमेंट या चूने का है तो ऐसे मामलों में छत का सामान गारा, सीमेंट या चूना नहीं होगा बल्कि ईंट और पत्थर आदि होंगे जिनसे छत बनाई गई है। बहुमंजिले भवनों के लिए नीचे की मंजिल की छत, उसके ऊपर की मंजिल का फर्श होगी। अतः उसको बनाने में लगी सामग्री का पता करने के बाद आप कालम 5 के सामने दिए गए खाने में उपयुक्त कोड़ नम्बर लिखें।

कालम 6 : फर्श की सामग्री

58. फर्श की सामग्री के लिए अनुसूची में सात कोड दिए गए हैं। फर्श की सामग्री के लिए भी आपको उसमें लगी अधिकांशसामग्री को ही देखना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन की केवल बैठक का फर्श पच्चीकारी (मोजैक) से बना है और बाकी सभी कमरों और बरामदों का फर्श सीमेंट का बना हो तो फर्श की सामग्री सीमेंट ही होगी अर्थात् कोड नं० 5 लिखा जाएगा। इसी तरह किसी भवन के गुसलखाने का फर्श टाइलों से बना हो और बाकी सभी कमरों का फर्श सीमेंट का बना हो तो फर्श की सामग्री "सीमेंट" ही लिखी जाएगी। बहुमंजिलों भवनों के लिए ऊपरी मंजिल के फर्श की सामग्री ऊपर बताए अनुसार ही लिखी जाएगी। यह आवश्यक नहीं है कि, बहुमंजिले भवनों के बीच की छतों की सामग्री उनके ऊपर की मंजिलों के फर्श की सामग्री के समान ही हो। उदाहरण के लिए, दो मंजिल वाले भवन के लिए निचली मंजिल की छत आर० सी० सी० की हो सकती है जबकि ऊपर की मंजिल के फर्श की सामग्री मोजक हो सकती है।

58.1 इस बात का ध्यान रखें कि दीवार, छत और फर्श की सामग्री दर्ज करने के लिए आपको इस प्रश्न के सामने दिए गए खाने में केवल कोड नम्बर देना है न कि विवरण।

कालम 7 : जनगणना मकान किस उपयोग में आता है (यदि पूर्णतः या अंशतः एक या अनेक उद्यमों के लिए उपयोग में लाया जाता है तो उद्यमसूची भरें)

59. जनगणना मकान का वास्तविक उपयोग क्या है इसे इस कालम में लिखें। आपको याद होगा कि जनगणना मकान एक प्रयोजन के लिए या एक ही समय में अनेक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप जनगणना मकान के उपयोगों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन नीचे दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि जहां तक सम्भव हो उस प्रयोजन का विस्तार से वर्णन करें जिसके लिए जनगणना मकान का उपयोग किया जाता है।

(1) निवास दुकान-सह-निवास वर्क शाप-सह-निवास आदि।

(2) कारखाना/वर्कशाप या वर्कशैड आदि : कारखाना' तभी लिखें यदि यह इण्डियन फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है। ऐसा प्रतिष्ठान जहां शक्ति (power) का उपयोग होता हो तथा उसमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या जो बिना 'पावर' के चलता हो और 20 या उससे अधिक व्यक्ति उसमें कार्यरत हो वह कारखाना माना जाएगा (कारखानों के विस्तृत वर्णन के लिए कृपया अनुलग्नक 'झ' देखें)। 'वर्क शाप' ऐसी जगह है जहां किसी भी प्रकार का उत्पादन, मरम्मत, सर्विसिंग की जाती है या जहां सामान या वस्तुएं बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं लेकिन वह कारखाना होने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि वहां कुछ मशीनरी होनी चाहिए। ऐसा स्थान भी जहां पारिवारिक उद्योग हैं अर्थात् जहां हथकरघा, बीड़ी बनाना, पापड़ बनाना, खिलौने आदि बनाने का काम किया जाता है तो उसे यहां 'वर्क शाप' ही लिखना चाहिए। यदि इसे निवास के लिए भी उपयोग

Cols. 4, 5 & 6 : Predominant construction material of the census house

55. This question has been divided into three parts, *i.e.*, (*a*) material of wall; (*b*) material of roof; (*c*) material of floor. For your convenience the description of the predominant construction material has been indicated at the bottom of houselist under each item, *i.e.*, wall, roof and floor. A numerical code for a group of materials has been indicated. What you have to do is to enquire about the material and enter the appropriate code in Cols. 4-6 for each of the materials of wall, roof and floor respectively.

Col. 4 : Material of wall

56. For material of wall, 10 codes have been provided which are indicated in the schedule itself. In order to determine the material of wall you have to take into account the material out of which the major portions of the walls o the house are made and then select the appropriate code. The code thus selected should be entered in Col. 4. Dash (—) will be entered in case of structures with pillars without walls.

Col. 5 : Material of roof

57. For material of roof, 8 codes have been provided. These are indicated in the schedule itself. For determining the material of the roof, you have to take into account the material out of which the outer roof exposed to the weather and not the ceiling, is made, *i.e.*, tiles, thatch, corrugated iron, zinc or asbestos cement sheets, or concrete, wood, mud, etc. If the roof is mainly made of bricks and stone and has a mud plaster, cement plaster or lime plaster exposed to the sky, the material of roof in such cases will not be mud, cement or lime but it will be bricks, stone, etc., which constitute the fabric of the roof. In multistoreyed buildings the intervening floor will constitute the roof of the lower floor. After ascertaining the material of the roof you have to give the suitable numerical code in Col. 5.

Col. 6 : Material of floor

58. For material of floor, 7 codes have been provided as indicated in the schedule itself. For the material of floor you have again to take the major portion of material out of which the floor of the house is made, for example, if in a house only the drawing room has mosaic floor while all other rooms and corridors have just cement flooring, the material of floor to be recorded here will be 'cement', i.e. code 5. Again, if a house has tiled floor in the bath room and all other rooms have cement floor the meterial of floor will again be 'cement'. For multistoreyed buildings the floor of the upper storeys will be determined in the usual manner as discussed above. It may be noted that the material of the roof of the intervening floors of multi-storeyed buildings does not automatically become the material of floor of the upper storeys. The floor material of the upper storey could be different from the fabric of the roof for the lower storey. For example, in a two storeyed building, the roof of the ground floor could be RCC while the floor material of the first floor could be mosaic.

58 1. It is again emphasised that while recording the materials of wall,r oof and floor, you have only to give the code number in the columns provided for this purpose and not description.

Col. 7 : Purpose for which census house is used (if wholly or partly used for running one or more enterprises, fill enterprise list)

59. The actual use to which a census house is put has to be recorded in this column. As you will recall, a census house can be used for a single purpose or for various purposes at the same time. To illustrate the types of uses to which the census houses can be put, certain examples are given below. These are illustrative and you should not feel that you should enter only what is mentioned here but it is important for you to use this as guideline and *write the description of the purpose for which the census house is used as a fully as possible.*

(*i*) Residence, shop-cum-residence, workshop-cum-residence, etc.

(*ii*) Factory/workshop and workshed etc. "Factory" should be written if it is registered under the Indian Factories Act (Please see Annexe 'I'). An establishment using power and employing 10 or more persons or which is run without use of power and employing 20 or more persons is a factory. A 'workshop is a place where any kind of production, repair or servicing goes on or where goods and articles are made and sold, but is not large enough to be a factory. It is not necessary that some machinery should exist. Even a place where some household industry such as say, handloom weaving, *biri* rolling, *papad* making, toy making etc., is carried on, should be noted as a workshop. If it is also used as a residence it should be noted as

किया जाता है तो इसे वर्क शाप-सह-निवास लिखा जाना चाहिए। इस बात की अच्छी तरह पूछ-ताछ कीजिए कि क्या मकान किसी प्रकार का सामान बनाने या कुछ प्रोसेस करने या कुछ मरम्मत करने के लिए उपयोग किया जाता है या नहीं ? क्योंकि ऐसी बातें सरसरी तौर पर देखने में नहीं आती हैं विशेषतौर से जबकि पारिवारिक उद्योग के आधार पर कार्य किया जा रहा हो।

(3) दुकान : दुकान ऐसी जगह है जहां से नकद या उधार सामान खरीदा और/या बेचा जाता है।

(4) कार्यालय, व्यापार भवन, बैंक आदि : व्यापार भवन वह है जिसमें रुपये पैसे या अन्य वस्तुओं का कारोबार होता है।

(5) अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य केन्द्र, डाक्टर का क्लिनिक आदि।

(6) विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान।

(7) होटल-सराय-धर्मशाला-टूरिस्टहाउस-निरीक्षण–गृह आदि।

(8) रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान और होटल, मिठाई की ऐसी दुकान जहां मिठाई बनाई और बेची जाती है उसे वर्कशाप दर्ज करें)

(9) मनोरंजन का स्थान : उदाहरण के लिए सिनेमा, थियेटर, कम्युनिटी हाल (पंचायत घर) आदि।

(10) पूजा का स्थान आदि : उदाहरण के लिए मन्दिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि।

(11) संस्थान : उदाहरण के लिए, अनाथ–आश्रम, उद्धार-गृह जेल, बाल सुधार-गृह, बाल-बाड़ी आदि।

(12) अन्य उदाहरण के लिए, पशु-शैड, गैरेज, गोदाम, लाउंडरी, पैट्रोल-पम्प, यात्री विश्राम गृह आदि।
(प्रत्येक मामले में वास्तविक उपयोग का विस्तृत वर्णन करें।)

कालम 7 में प्रविष्टि लाइन पर करें और बिन्दीदार खाने में कुछ न लिखें।

60. ऐसे भी कुछ मामले होंगे जहां जनगणना मकानों को केवल मौसमी (seasonal) कामों के लिए उपयोग में लाया जाता हो और मकान सूची बनाते समय वह मौसमी काम नहीं हो रहा हो। इस प्रकार के मौसमी काम हैं, तेल मिल (घानी), गुड़ बनाना आदि। यह आवश्यक है कि इस प्रकार के जनगणना मकान में किए जाने वाले मौसमी काम को भी इस कालम में दर्ज किया जाए। इसलिए आपको चाहिए कि इस प्रकार के कार्य-कलापों के बारे में पूछताछ करें ताकि जनगणना मकानों का उपयोग करने के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तथापि मकान सूची भरते समय ऐसे भी मामले हो सकते हैं जबकि इस प्रकार के जनगणना मकानों को अन्य उपयोग में लाया जा रहा हो, जैसे निवास के लिए। ऐसी स्थिति में आपके उस मकान पर जाने के समय वह जिस उपयोग में लाया जा रहा हो, उसे भी दर्ज करें। ऐसे जनगणना मकानों के मामलों में जहां आपने उनका मौसमी उपयोग कालम 7 में नोट किया है वहां कृपया यह भी लिखें कि यह उपयोग 'मौसमी' है।

महत्वपूर्ण

61. यदि मकान सूची भरते समय जनगणना मकान खाली पाया जाता है तो इस कालम में 'खाली' लिखें। खाली होने के कारण जैसे 'टूटा-फूटा', 'मरम्मत में', 'अधूरा निर्माण', '(किराए पर देने के लिए' आदि को 'अन्य विवरण' कालम में लिखें। इसके अतिरिक्त यदि किसी जनगणना मकान में ताला लगा पाया जाता है जिसके निवासी यात्रा/तीर्थ-यात्रा पर गए हुए हैं तो उसे 'खाली' न दिखाया जाए, बल्कि उसका जिस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता रहा है, वहां पर लिखा जाए और उसके निवासी यात्रा/तीर्थ-यात्रा आदि पर गए हैं तो 'अन्य विवरण' कालम अर्थात् कालम 24 में लिखें कि मकान में ताला लगा है, निवासी यात्रा/तीर्थ-यात्रा आदि पर गए हैं। यदि किसी मकान में एक से अधिक परिवार रहते हैं तो कालम 7 में बाद की लाइनों में 'आवास' शब्द बार–बार न लिखें।

62. यदि कोई विशिष्ट जनगणना मकान पूर्णत: या अंशत: एक या अनेक उद्यमों के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो पहले आप इस कालम में जनगणना मकान किस उपयोग में लाया जाता है, दर्ज करें। तत्पश्चात् आपको उद्यम सूची में ऐसे उद्यम या उद्यमों का विवरण अलग से दिए गए अनुदेशों के अनुसार दर्ज करना है।

उद्यम Enterprises

63. उद्यम वह उपक्रम है जो किसी माल के उत्पादन और/या वितरण और/या किसी ऐसे सर्विस में लागा हो, जो केवल परिवार के अपने ही उपयोग के लिए न हो। किसी उद्यम के कर्मचारी परिवार के सदस्य या श्रमिक या दोनों हो सकते हैं। उद्यम का मालिक और उसे चलाने वाला एक परिवार या कई परिवार संयुक्त रूप में (साझेदारी) में या कोई संस्था हो सकती है। उद्यम का कार्य किसी एक जनगणना मकान में या एक से अधिक जनगणना मकानों में या जनगणना मकान के बाहर और खुले में, किया जा सकता है। किसी उद्यम का कार्य यदि वर्ष के कुछ हिस्से में परन्तु नियमित तौर पर चलता है, तो उसे भी उद्यम कहा जाएगा। कालम 7 में केवल उन्हीं उद्यमों का विवरण दर्ज करना है जिनका कार्य जनगणना मकान के अन्दर होता हो।

64. यह सम्भव है कि एक जनगणना मकान में एक से अधिक उद्यम चलते हों। यदि ये उद्यम किसी एक ही व्यक्ति अथवा एक ही परिवार के द्वारा संचालित हों परन्तु उनका लेखा-जोखा अलग-अलग रखा जाता हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी गणना अलग-अलग उद्यमों के रूप में की जाएगी। दूसरी ओर उन मामलों में जहां पृथक लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है वहां मुख्य कार्य-कलाप से सम्बन्धित केवल एक ही उद्यम होगा। मुख्य कार्य-कल

workshop-cum-residence. Make searching enquiry if a house is used for the purpose of production of any goods or for some processing or repairing even on a household industry basis, as these are not likely to be apparent to a casual observer.

(*iii*) Shop : A shop is a place where articles are bought and/or sold for cash or for credit.

(*iv*) Office, business house, bank, etc: Business house is that where transactions in money or other atricles take place.

(*v*) Hospital, dispensary, health centre, doctor's clinic, etc.

(*vi*) School and other educational institutions.

(*vii*) Hotel, sarai, dharmshala, tourist house, inspection house, etc.

(viii) Restaurant, sweetmeat shop and eating place: (A sweetmeat shop where sweetmeat is being made and sold should be recorded as workshop).

(*ix*) Place of entertainment:
Examples—Cinema house, theatre, community hall (panchayat ghar) etc.

(*x*) Place of worship, etc.
Examples—Temple, church, mosque, gurudwara, etc.

(*xi*) Institutions:
Examples—Orphange, rescue home, jail, reformatory children's care home, etc.

(*xii*) Others:

Examples—Cattle-shed, garage, godown, laundry, petrol filling station, passenger's shelter, etc. (the exact use to be fully described in each case).

The entry under column 7 will have to be made on the line and not in the dotted box.

60. Column 7 refers to the purpose for which a census house is used. There will be some cases where census are used only for seasonal activities and at the time the house listing is carried out by you, this seasonal activity may not be taking place. Such seasonal activities would be oil-mills (Ghani), Gur-making in sheds, etc. It is necessary that the seasonal use of such census house for running of an establishment is recognised and that this seasonal use is noted in the column. You should, therefore, make enquiries regarding such activities so that the complete picture regarding the use of the census house is available. However, at the time of houselisting, there may be cases where such census houses are being used for some other purpose such as a residence. Then the use to which this census house is being put at the time of your visit should, of course, be noted. In the case of census houses where their seasonal use has been noted by you in column 7 please write in the same column that this use is "Seasonal".

Important

61. If the census house is found vacant, i.e., if no person is living in it at the time of houselisting and it is not being used for any purpose, write 'vacant' in this column. The reason for vacancy such as 'dilapidated', 'under repair', 'incomplete construction', 'want of tenant', etc., may be recorded in the 'Remarks column. If on the other hand the census house is found locked because the occupants have gone on a journey or pilgrimage, then it should not be treated as 'vacant' but the use to which it is put should be recorded here and the fact that the occupants have gone on a journey or pilgrimage noted in the 'Remarks' column as 'House locked-occupants on journey/pilgrimage' etc. If a census house has more than one household in it, do not repeat the word 'residence' in subsequent lines in column 7

62. If a particular census house is wholly or partly used for running one or more enterprises, you must first enter the use to which it is put in this column. Having done so, you will have to go to the enterprise list and enter detail of such enterprise or enterprises there as will be described in the instructions for filling up the enterprise list which have been supplied to you separately.

Enterprise

63. An enterprise is an undertaking engaged in production and/or distribution of goods and/or services not for sole purpose of own consumption. The workers in an enterprise may consist of members of the household or hired workers or both. An enterprise may be owned and operated by one household or by several households jointly (on a partnership basis) or by an institutional body. The activities of an enterprise may be carried on in a single census house, in more than one census houses or in the open *i.e.* , without premises. The activity of the enterprise may also be carried on only for a part of the year but on a fairly regular basis. Such cases should also be considered as an enterprise. In column 7 details of only those enterprises which are carried on *within* census houses should be entered.

64. It is possible that more than one entrepreneurial activity is carried on in the same census house. If these activities are carried on by the same person or the same household but separate accounts are kept for each of these activities, they should be treated as separate enterprises. However, in cases where the activities cannot be distinguished

आय, उत्पादन अथवा कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक दर्जी कपड़ा भी बेचता है परन्तु दर्जीगिरी और कपड़ा बेचने का अलग-अलग लेखा-जोखा नहीं रखता है तब आपको इस बात का पता लगाना होगा कि उसे किस कार्य -कलाप से अधिक आय होती है या किसमें उसने अधिक व्यक्ति लगाए है। यही कार्य -कलाप ही उसका मुख्य उद्यम माना जाएगा।

65. जिन उद्यमों का काम जणनगणना मकान के बाहर और खुले में होता हो, उन्हें कालम 20 में दर्ज किया जाएगा। इस बारे में बाद में चर्चा की जाएगी।

66. कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित फसलों के उत्पादन को उद्यम नहीं माना जाएगा :

खाद्यान्न (धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ आदि)

दालें (अरहर, चना, मूंग, मसूर, उड़द, आदि)

कपास

जूट, मेस्ता

सूरज मुखी (सनहैम्प) अन्न समरूप फसलें

तिलहन का उत्पादन जैसे तिल, मूंगफली, सरसों, अलसी, अरण्डी, तोरिया आदि।

गन्ना

कन्द-मूल, सब्जियां, सिंगाड़ा, मिर्च और मसाले और फूल और पौधे के भाग।

कृषि उत्पादन जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है।

चाय

काफी

रबड़

तम्बाकू

काली मिर्च

इलायची

खाने योग्य गिरीदार फल अर्थात्, अखरोट, बादाम, काजू आदि।

नारियल और सुपारी का उत्पादन

फलों का उत्पादन जैसे केला, सेब, अंगूर, आम, संतरा, आदि।

गांजा, सिकोना, अफीम आदि का उत्पादन।

बागान की फसलों जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है (जैसे सुपारी; पान के पत्ते, कोको आदि)

महत्वपूर्ण---कृपया ध्यान दें कि यद्यपि चाय, खाफी, तम्बाकू आदि के उत्पादन को उद्यम नहीं माना गया है। परन्तु यदि किसी जनगणना मकान में उनकी प्रोसेसिंग की जाती है तो उसे उद्यम माना जाएगा : इसी प्रकार नारियल/काजू की गिरी निकालना भी उद्यम होगा।

67. खान और खदान का काम या इससे सम्बधित उत्पादन, प्रोसेसिंग, मरम्मत या सर्विसिंग के कार्य उद्यम होंगे। इसी प्रकार गैस, भाप का उत्पादन, प्रेषण और वितरण, पानी की आपूर्ति, निर्माण, थोक या खुदरा व्यापार, होटल और रेस्टोरेन्ट, परिवहन स्टोरेज, मालगोदाम, संचार, लेन-देन, बीमा, जमीन-जायदाद का काम और व्यापारिक सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा सेवाएं जैसे सरकारी, कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, मनोरंजन और सांस्कृतिक सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं जैसे मन्दिर आदि भी उद्यम होंगे। साथ ही यह भी नोट करें कि पशु पालन और दूध-उत्पादन, ऊन उत्पादन के लिए भेड़-पालन, अन्य पशुओं का पालन जैसे सूअर पालन, मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन, रेशम के कीड़ों का पालन और कोकल व कच्चे रेशम का उत्पादन, शिकार, करना, जानवरों को पकड़ना, ईंधन और अन्य जंगली उत्पादों का एकत्रीकरण और उनका विक्रय, जड़ी-बूटी, राल आदि पदार्थों का एकत्रीकरण, मछली पकड़ना और उन्हें बेचना, कृषि सेवा जैसे छिड़काव आदि सभी उद्यम कहलाएंगे-अन्य शब्दों में पशु पालन, कृषि सेवाएं, शिकार करना, जानवरों को पकड़ा और उनका शिकार करना, वन उद्योग (Forestry), लकड़ी काटना और मछली पकड़ना आदि कार्य भी उद्यम के अन्तर्गत आएंगे।

अनुलग्नक "ञ" में आर्थिक जनगणना की उद्यम सूची के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक कार्य कलापों के स्थूल विवरण दिए गए हैं जिससे आपको कृषि और गैर-कृषि उद्यमों की पहचान करने और उनमें अन्तर करने में सहायता मिलेगी।

68. इस बात का ध्यान रखें कि जनगणना मकान के अन्दर चलाए जाने वाले उद्यमों की प्रविष्टि कालम 7 में करनी है और जनगणना मकान के बाहर बिना अहाते या खुले में चलाए जाने वाले उद्यमों की प्रविष्टि कालम 20 में करनी है।

from one another, there will be only one enterprise pertaining to the major activity. The major activity can be recognised on the basis of the value of income, turnover or number of persons employed depending on the information readily available during your enquiries. For example, if a tailor sells cloth also but does not maintain separate accounts for his tailoring activity and selling of cloth, then you should find out which is the major activity by inquiring from which activity he gets a greater income or in which he employs more people, etc. This will be the activity of the enterprise.

65. Enterprises which are carried on in the open, i.e., without premises will be entered in column 20 as we shall see later.

66. Please note that the growing of agricultural crops mentioned below should not be classified as enterprises:

Cereal crops (paddy, wheat, jowar, bajra, maize, barley, etc.)

Pulses (arhar, gram, moong. masur, urd, etc.)

Raw cotton

Raw jute, mesta

Sunnhemp and other kindred fibres

Production of oil seeds such as sesamum, groundnuts, mustard, linseed, castor, rape seed, etc.

Sugarcane

Roots and tubers, vegetables, singhara, chillies and spices and flowers and parts of plants

Agricultural production not eslewhere classified

Tea

Coffee

Rubber

Tobacco

Pepper

Cardamom

Edible nuts, e.g., walnut, almond, cashewnut, etc.

Production of coconut and arecanut

Production of fruits, e.g., bananas, apples, grapes, mangoes, oranges, etc.

Production of ganja, cinchona, opium, etc.

Crops of plantation, not elsewhere classified (e.g., betel leaves, cocoa, etc.)

Important: Please note that while growing of tea, coffee, tobacco, etc., should not be classified as an enterprise if in a census house these are processed, for example, curing of tea, leaves, curing of tobacco, etc., then these activities of processing will have to be treated a enterprises. Similarly, manufacture of copra from coconut or the processing of cashewnuts will also be an enterprise.

67. Mining and quarrying or manufacturing, processing, repair or servicing activity are enterprises. Similarly, activities relating to generation and transmission and distribution of gas, steam, water supply, construction, wholesale or retail trade hotels and restaurants, transport, storage, warehousing, communication, financing, insurance, real estate and business services, community social and personal services, public administration and defence services such as government offices, schools, hospitals, recreation and cultural services, community services such as temples, etc., will also be enterprises. In addition, you must note that the rearing of cattle and production of milk, rearing of sheep for production of wool, rearing of other animals such as pigs, rearing of bees and production of honey, rearing of silk-worms and production of cocoons and raw silk, hunting, trapping, collection of fuel and other forest products and their sale, gathering of materials such as herbs resins, etc., catching and selling of fish, providing agricultural services such as spraying, etc., are all enterprises.. In other words, livestock production, agricultural services, hunting, trapping and game propagation, forestry and logging and fishing will also have to be classified as enterprises.

Annex 'J' gives a list of broad description of economic activities falling under the purview of Enterprise list of economic census which will also help you to identify and distinguish between agricultural and non-agricultural enterprises.

68. You will notice that an enterprise can be carried on within a census house or outside the census house without premises or in the open. The entries you make will be either in column 7 or column 20 depending on whether these enterprises are carried on within the census house or outside a census house without premises respectively.

बिना अहाते के उद्यम या तो किसी शापिंग सेन्टर/मार्केट स्थल में चलाए जाते हों या वे चलते फिरते प्रकार के हो सकते हैं। चलते–फिरते सभी उद्यमों को कालम 20 के माध्यम से ही दर्ज किया जाना है। किसी मार्केट/शापिंग सेन्टर में नियत स्थान पर स्थित उद्यम दो प्रकार के होंगे अर्थात् (1) किसी दुकान/जनगणना मकान के सामने या जनगणना मकान से जुड़े हुए स्थान में चलाए जा रहे उद्यम और (2) ऐसे उद्यम जो किसी शापिंग सेन्टर मार्केट स्थल में खुले में किसी नियत स्थान पर अवस्थित हैं और जिन्हें किसी जनगणना मकान दुकान के साथ संलग्न जोड़ा नहीं जा सकता। प्रथम प्रकार के उद्यमों को कालम 7 के माध्यम से और द्वितीय प्रकार के उद्यमों के कालम 20 के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी दुकान के एक कोने में या उसके सामने घड़ी साज का काम करने वाले को कालम 7 के माध्यम से दर्ज किया जाएगा जबकि किसी मर्किट/शापिंग सेन्टर में किसी नियत स्थान पर खुले में बैठे मोचियों को कालम 20 के माध्यम से दर्ज किया जाएगा।

69. यह ध्यान में रखें कि कोई कार्य–कलाप उद्यम की श्रेणी में तभी आएगा जब वह केवल परिवार के अपने ही उपयोग के लिए नहीं हों उदाहरण के लिए दूध उत्पादन के लिए पशु पालन का कार्य–कलाप उद्यम है। परन्तु दूध का उत्पादन स्वयं के उपयोग के लिए किया जाता हो और सामान्यतः उसे बेचा न जाता हो, तो ऐसे कार्य को उद्यम नहीं माना जाएगा। जहां पशु पालने वाला व्यक्ति कभी–कभी दूध बेचता है तो भी उसे उद्यम नहीं कहा जाएगा। क्योंकि वह पशु पालन और दूध का उत्पादन सामान्यतः अपने ही उपभोग के लिए करता है। इसी प्रकार की जांच सूअर, मुर्गी, मधु-मक्खी आदि पालने, लकड़ी एकत्र करने या जंगली पदार्थ एकत्र करने आदि कार्यों के बारे में भी की जानी है।

जैसा कि पहले भी बताया गया है कि देश के कुछ भागों में "बैठक' होती है जिसका उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा केवल सोने या बैठने के लिए किया जाता है परन्तु उन्हें कभी–कभी पृथक जनगणना मकान माना जाता है। यदि ऐसे जनगणना मकान में कोई उद्यम नहीं चलाया जाता। तो "बैठक" का विवरण उद्यम सूची में दर्ज नहीं करना है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण जहां जनगणना मकान को उद्यम नहीं माना जाएगा, वे हैं : गैरेज, पशु शेड आदि बशर्ते कि उनका उपयोग किसी आर्थिक कार्य कलाप के लिए नहीं किया जाता है।

70. यदि किसी उद्यम का कार्य एक से अधिक पास–पास के जनगणना मकानों में फैला हुआ हो तो उसे एक ही उद्यम माना जाए और उन ऐसे सभी जनगणना मकानों को कालम 7 में लिखने के बाद उनके सामने ब्रेकेट लगा दिया जाए ताकि यह पता चल सके कि सभी एक ही उद्यम से सम्बद्ध है परन्तु यदि किसी ऐसे उद्यम के विभिन्नकार्य-कलाप अलग-अलग जनगणना मकानों में चल रहे हों जो एक दूसरे से दूर हों तो प्रत्येक ऐसे जनगणना मकान में चल रहे कार्य –कलाप को अलग-अलग उद्यम माना जाएगा और उनका विवरण उसी लाइन में लिखा जाएगा जिसमें उस जनगणना मकान को दर्ज किया गया है।

71. जनगणना मकान के उपयोग के बारे में पूछताछ भली प्रकार से करनी चाहिए जिससे कोई भी उद्यम छूट न जाए। विशेषकर उस मामले में इसका महत्व ज्यादा हो जाता है जहां मकान आंशिक तौर पर आवासीय हो। कृपया ध्यान रखें कि जिस जनगणना मकान की आप गणना कर रहे हैं उसी के अन्दर चलाये जाने वाले उद्यम को ही खाना नं० 7 में दर्ज करना है।

72. ध्यान रखें कि यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल आवासीय है तो कालम 7 में केवल एक लाइन में प्रविष्टि होगी। यदि जनगणना में मकान पूर्णतः या अंशतः गैर–आवासीय हो तो आप उसके उपयोगों को एक लाइन में पूरे तौर पर बताएं और बाद वाली लाइन/लाइनों में विभिन्न उपयोगों का विवरण अलग–अलग लिखें। कृपया यह ध्यान दें कि प्रत्येक उद्यम के लिए कोष्ठक में उसकी क्रम संख्या लिखनी है जो आपके ब्लाक में प्रथम उद्यम से आरम्भ होगी। उदाहरण, के लिए, एक ऐसा जनगणना मकान है जिसमें दुकान और क्लिनिक दोनों हैं और वह आवासीय मकान भी है, कालम 1 से आरम्भ होने वाली प्रविष्टियां नीचे दिखाई गई हैं :—

लाइन नम्बर	भवन नं० (नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी या जनगणना द्वारा दिया गया नम्बर)	जनगणना मकान नम्बर	जनगणना मकान किस उपयोग में आता है (यदि पूर्णतः या अंशतः एक या अनेक उद्यमों के लिए उपयोग में लाया जाता है तो उद्यम सूची भरें)
(कालम 1)	(कालम 2)	(कालम 3)	कालम 7)
10	430	430(1)	निवास–सह–दुकन–सह– क्लिनिक
11	–	–	दुकान (6)
12	–	–	क्लिनिक (7)
13	–	430(2)	बेकरी–सह–आटा मिल
14	–	–	बेकरी (8)
15	–	–	आटा मिल (9)

The enterprises without premises are either carried on in a shopping centre/market place or of moving type. All enterprises of moving type are to be captured through col. 20 The enterprises which are having fixed location in a market place/shopping centre will be of two types viz. (i) enterprises operating in front of a shop/census house or attached to a census house and (ii) those having fixed location in the open air in a shopping centre/market place and cannot be attached/linked to a census house/shop. The enterprises of type (i) will be covered through col. 7 and the enterprises of type (ii) will be netted through col. 20. For example, watch repairer operating in one corner or in front of the shop will be netted hrough col. 7 whereas cobblers sitting in open at a fixed location in a market/shopping centre will be netted through col. 20.

69. It has been mentioned earlier that rearing of cattle or production of milk will be an enterprise. In such a case and in similar other cases, care should be taken to be sure that this activity can be classified as an enterprise. For example, if the milk is produced is for self consumption and is not usually sold as a regular practice, then this activity will not be treated as an enterprise. Occasional sale of milk where a person keeps cattle will not be an enterprise since he keeps cattle evidently for production of milk for self-consumption. The same approach should be adopted with regard to similar activities like rearing of pigs, hens, bees, gathering of wood or forest products, etc.

In some parts of the country as we have noticed earlier, there are 'baithaks' or 'sanghois' which sometimes have to be considered as separate census houses but which are only used by the household for sleeping or sitting, etc. No enterprise is carried on in such a census house and therefore, details of baithaks or sanghois need not be entered in the enterprise list. Similar examples where census houses will not be considered as having an enterprise would be a garage, cattle-shed etc., provided these are not used for any economic activity.

70. If the activity of an enterprise extends beyond the premises of a single census house to a group of contiguous houses, then the entire group of census houses could be regarded as a single enterprise and the census houses in which this enterprise is carried on should be bracketed together in column 7 to indicate that all these relate to a single enterprise. But if different activities of an enterprise are carried on in different census houses cut off from one another, then each such census house will have to be treated as a separate enterprise and details recorded in the line in which this census house is entered.

71. The use to which a census house is put should be enquired into thoroughly so that no enterprise is missed This is particularly important in cases where the house is partly residential. However, please note that only the enterprise carried on in the census house which you are enumerating will be noted in column 7.

72. You must note the way in which you will have to indicate the purpose for which the census house is used in this column. If a census house is used only for residential purposes then only one line need be entered in this column. However, if a census house is wholly or partly non-residential, you must enter the uses to which it is put in one line and then use the subsequent line or lines to describe the activity or activities which are carried on in this census house. Please note that the serial number of the enterprise will have to be noted within brackets against each such activity starting from the very first enterprise in your block. For example, if there is a census house in which a shop and a clinic are run in combination with residence, the entries beginning with column 1 would be as illustrated below :

Line No. (col. 1)	Building No. (Muncipal or local authority or census number) (col. 2)	Census house No. (col. 3)	Purpose for which census house is used (if wholly or partly used for running one or more enterprises, fill enterprise list) (col. 7)
1	2	3	4
10	430	430(1)	Residence-cum-shop-cum-clinic
11	—	—	Shop (6)
12	—	—	Clinic (7)
13	—	430(2)	Bakery-cum-Flour Mill
14	—	—	Bakery (8)
15	—	—	Flour Mill (9)

73. आप देखेंगे कि जनगणना मकान के गैर–आवासीय उपयोगों को अलग–अलग लाइनों में दर्ज किया गया है। इस उदाहरण में 'दुकान' और 'क्लिनिक' के सामने लिखे गये नम्बर आपके ब्लॉक के उद्यमों के नम्बरों की क्रम संख्या में होंगे। उदाहरण के लिए, यदि जनगणना मकान में केवल एक क्लिनिक या वर्क शाप है तो आपको केवल एक लाइन का उपयोग करना है। ऐसे मामलों में जहां किसी जनगणना मकान में अनेक उद्यम पूर्णतः या अंशतः गैर–आवासीय स्थिति में चलाए जा रहे हैं तब आप एक से अधिक लाइनों का प्रयोग करें जैसा कि उदाहरण में बताया गया है। इस पुस्तक के अन्त में अनुलग्नक 'छ' में ऐसी प्रविष्टियों के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं।

कालम 8 : परिवार नम्बर

74. जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, परिवार ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो सामान्यतः एक साथ रहते हों और यदि काम की आवश्यकता उन्हें मजबूर न करे तो एक ही रसोई से खाना खाते हों। परिवार ऐसे व्यक्तियों का हो सकता है जिनका आपस में रक्त सम्बन्ध हो अथवा ऐसा सम्बन्ध नहीं हो या उसमें दोनों प्रकार के व्यक्ति हो असम्बन्धित व्यक्तियों के परिवार के उदाहरण, हैं, बोर्डिंग हाउस, मैस, होस्टल, आवासीय होटल, उद्धार गृह, जेल, आश्रम आदि। इन्हें 'संस्थागत परिवार' कहा जाता है। परिवार एक व्यक्ति का, दो व्यक्तियों का और अनेक व्यक्तियों का भी हो सकता है। जनगणना प्रयोजनों के लिए इस प्रकार प्रत्येक को 'परिवार' समझा जाएगा। रसोइया या नौकर जो अपने मालिक के घर में रहता है और उसी परिवार में खाना खाता है वह उस परिवार का सदस्य माना जाएगा।

75. ध्यान रखें कि कालम 8 में परिवार का नम्बर तभी दिया जाएगा जब कालम 7 में जनगणना मकान पूर्णतः या शतः आवासीय दर्ज किया गया है। वहां जनगणना मकान पूर्णतः गैर –आवासीय है वहां कालम 8 में कोई प्रविष्टि नहीं होगी।

76. यदि एक जनगणना मकान में एक ही परिवार रहता है तो परिवार का नम्बर वही होगा जो जनगणना मकान का है। दूसरी ओर यदि एक जनगणना मकान में कई परिवार रहते हैं तो उन्हें अलग–अलग नम्बर दिया जाए। यह जनगणना मकान के नम्बर के साथ 'क', 'ख', 'ग', आदि अक्षरों के प्रयोग से किया जायेगा। उदाहरण के लिए, यदि भवन नम्बर 2, जनगणना मकान भी है और उसमें तीन परिवार हैं तो परिवार नम्बर 2 (क), 2 (ख) और 2(ग) होंगे। यदि भवन नम्बर 4 में दो जनगणना मकान हैं तो मकानों को 4 (1) और 4(2) के रूप में नम्बर दिया जाएगा। यदि इन मकानों में क्रमशः 3 और 2 परिवार हैं तो इन्हें क्रमशः ये नम्बर दिए जाएंगे 4(1) (क), 4(1) (ख), 4 (1) (ग) और 4 (2) (क) और 4 (2) (ख)। तथापि यदि भवन नम्बर 3 में एक ही जनगणना मकान हैं और उसमें केवल एक ही परिवार है तो उस परिवार का नम्बर भी 3 ही दर्ज किया जाएगा।

77. भवनों, जनगणना मकानों और परिवारों के नम्बर किस प्रकार आपस में सम्बन्धित हैं, यह नीचे के उदाहरण से स्पष्ट है :

विवरण	भवन नम्बर	जनगणना मकान नम्बर	परिवार नम्बर
1	2	3	4
1. एक जनगणना मकान और बिना परिवार वाला भवन नम्बर–9	9	9	–
2. एक जनगणना मकान और एक परिवार वाला भवन नम्बर –9	9	9	9
3. एक जनगणना मकान और दो परिवारों वाला भवन नम्बर–9	9	9	9(क) 9 (ख)
4. दो जनगणना मकान और प्रत्येक में एक परिवार वाला भवन नम्बर–9	9	9(1) 9(2)	9(1) 9(2)
5. दो जनगणना मकान और एक में दो परिवार और दूसरे में तीन परिवार वाला भवन नम्बर–9	9 – – – –	9(1) 9(2) – –	9(1) (क) 9(1) (ख) 9(2) (क) 9(2) (ख) 9(2) (ग)

78. ऐसे मामलों में जहां एक ही भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हों, तब भवन का नम्बर प्रत्येक लाइन में नहीं दोहराया जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी जनगणना मकान में एक से अधिक परिवार हों तब जनगणना मकान नम्बर कालम 3 में नहीं दोहराया जाएगा (कृपया ऊपर दिए गए उदाहरण को देखें)।

73. You will notice that the *non-residential uses* of this particular house are entered in separate lines. The numbers shown against the 'shop' and 'clinic' in this example will be the serial number of the enterprise in your block. If for instance in the census house, only a clinic or a workshop was being run, then you would have obviously used only one line. It is in the cases where enterprises are run in combination with or without residence in a census house, that you would have to use more than one line as indicated in the example. You will find more examples illustrating how should make entries in Annexe-G at the end of this book.

Col. 8 : Household No.

74. A 'Household' is a group of persons who commonly live together and would take their meals from a common kitchen unless the exigencies of work prevented any of them from doing so. It may be made up of related or un-related persons or of mixed type. A cook or a servant living in the house of his employer and taking his food there is part of that household. A hostel where a number of unrelated persons live together is an institutional household provided it has a common kitchen. So also is a jail.

75. There can be a household No. in column 8 only if you have noted in column 7 that the census house is wholly or partly residential. There cannot be an entry in this column in a case where the census house is wholly non-residential.

76. There may be more than one household in a census house. Each household should be given a separate number. This can be done by using the alphabets (a), (b), (c), etc.,as suffixes to the census house No. For example, if building No. 2 is a census house and has three households, the household numbers will be 2(a), 2(b) and 2(c). If building number 4 has two census houses, these houses will be numbered as 4(1) and 4(2). If within these houses there are respectively 3 and 2 households then they will be numbered as 4(1)(a, 4(1)(b), 4(1)(c)and 4(2)(a) and 4(2)(b) respectively. If however, building No. 3 is a census house and has only one household the household No. to be entered in this column will be No. 3 only.

77. You will notice how the numbering of the buildings, census houses and the households are closely linked. This link is best illustrated by an example as follows :

Particulars	Building Number	Census house Number	Household Number
1	2	3	4
1. Building No. 9 having one census house and no household	9	9	—
2. Building No. 9 having one census house and one household	9	9	9
3. Building No. 9 having one census house and two households	9	9	9(a)
	—	—	9(b)
4. Building No. 9 having two census houses and one household each	9	9(1)	9(1)
	—	9(2)	9(2)
5. Building No. 9 having two census houses and two households in one and three in the other	9	9(1)	9(1)(a)
	—	—	9(1)(b)
	—	9(2)	9(2)(a)
	—	—	9(2)(b)
	—	—	9(2)(c)

78. *In such a case where the same building contains more than one census house, the building number should not be repeated in the subsequent lines. If a census house contains more than one household, the census house number should not be repreated in the subsequent lines in column* 3. ***(Please see example above)***.

कालम 9 : परिवार की क्रम संख्या

79. यदि जनगणना मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय है, आपने मकान सूची के कालम 8 में परिवार नम्बर नोट कर लिया होगा। यह परिवार नम्बर कालम 9 में क्रमवार संख्यांकित किया जाएगा जो प्रगणक ब्लाक में क्रम सं० "1" से आरम्भ होगा।

कालम 10 से 12 : केवल परिवार के मुखिया के लिए लिखे

80. कालम 10 से 12 तक केवल परिवार के मुखिया के लिये भरे जाने हैं। आपको परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। यह भी लिखना है कि वह स्त्री है या पुरुष। यदि यह अनसूचित जाति या अनसूचित जनजाति का है तो अनसूचित जाति या अनसूचित जनजाति लिखें। यदि वह अनसूचित जाति का है तो उसका धर्म भी लिखें।

कालम 10 : नाम

81. इस कालम में प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम लिखा जाना चाहिए। जनगणना के लिये मुखिया वह व्यक्ति है जिसे परिवार में ऐसी मान्यता मिली हो। सामान्यतः यह वह व्यक्ति होता है जो परिवार की देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी उठाता है और परिवार की ओर से निर्णय लेता है। यह आवश्यक नहीं कि परिवार का मुखिया बुजुर्ग पुरुष हो बल्कि एक महिला या कम उम्र की स्त्री या पुरुष भी हो सकता है परन्तु इस बारे में आप किसी विवाद में न पड़ें बल्कि परिवार के मुखिया के रूप में जिसे परिवार मान्यता प्रदान करे उसका नाम दर्ज कर लें। परिवार के मान्यता प्राप्त मुखिया की अनुपस्थिति में मकान सूची बनाते समय परिवार के देख भाल की जिम्मेदारी जिस भी व्यक्ति पर हो उसे परिवार का मुखिया दर्ज करें।

82. छात्रावास, मैस, चैमरीज, आदि जैसे संस्थागत परिवारों के विषय में (जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के रिश्तेदार न हों) उस संस्थान के मैनेजर या सुपरिन्टेंडेंट या उस व्यक्ति को जिस पर संस्थान को चलाने की जिम्मेदारी हो या जिसे संस्थान के सभी लोग सामान्यतः 'मुखिया' मानते हों मुखिया दर्ज किया जाए। होस्टल जेल आदि कुछ संस्थागत परिवारों के लिये जहां पर उक्त संस्थान के मुखिया को होस्टल-वार्डन, जेलर आदि पदनामों से जाना जाता है उसका पदनाम इस कालम में दर्ज करें।

83. संस्थागत परिवारों के बारे में इस कालम में मुखिया के नाम या पदनाम के बाद कोष्ठकों में "स" लिखें। जहां तक अन्य कालमों को भरने का प्रश्न है आपको यह ध्यान देना है कि संस्थागत परिवारों के मामले में कालम 11 से 14 नहीं भरे जाएंगे और इन कालमों में प्रत्येक संस्थागत परिवार के सामने (—) डैश दर्ज होगा। आपको 15 से 23 तक के कालम संस्थागत परिवारों सहित सभी परिवारों के बारे में भरने हैं।

कालम 11 : पुरुष (1)/स्त्री (2)

84. यदि परिवार का मुखिया पुरुष है तो "1" और यदि स्त्री है तो "2" इस कालम में लिखें। हिजड़ों और खुसरों के लिये इस कालम में "1" लिखें।

कालम 12 : अ०जा० (1)/अ०ज०जा० (2) (यदि अ०जा० का है तो धर्म पता करें और कोड "1" के बाद हिन्दुओं के लिए "हि" और सिक्खों के लिए "सि" लिखें)

85. आपके सुपरवाइजर द्वारा आपको आपके राज्य की अनसूचित जातियों (अ० जा०) और अनसूचित जनजातियों (अ० ज० जा०) की सूची दी जाएगी। मकान सूची भरते समय आपको परिवार के मुखिया से पता करना है कि क्या वह अ० जा० या अ० ज० जा० का सदस्य है? यदि इस का उत्तर "हां" मिलता है तो जाति/जनजाति का नाम पता करें। यदि व्यक्ति द्वारा बताई गई जाति/जनजाति का नाम आपकी सूची में है तो दिए गए खाने में अ० जा० के लिए "1" और अ० ज० जा० के लिए "2" दर्ज करें। यदि मुखिया अपनी जाति अ० जा० बताता है तो आपको मुखिया के धर्म की जांच करनी है। वह या तो हिन्दु धर्म का होना चाहिए या सिक्ख धर्म का क्योंकि अ० जा० के लोग इन दो धर्मों के अलावा अन्य किसी धर्म के नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति हिन्दू या सिक्ख धर्म का नहीं है वह अ० जा० का सदस्य नहीं हो सकता है। अनसूचित जनजाति का सदस्य किसी भी धर्म का हो सकता है।

85.1. यदि परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति का है तो चाहे वह हिन्दू हो या सिक्ख अपने इस कालम में कोड "1" के सामने कोष्ठकों के भीतर 'हि' या 'सि' दर्ज करना है। यदि इस कालम में 1 (हि) दर्ज है तो इसका मतलब है कि मुखिया अनुसूचित जाति का हिन्दू है। इसी प्रकार प्रविष्टि 1 (सि) का अभिप्राय है कि परिवार का मुखिया अनसूचित जाति का सिक्ख है। संस्थागत और गैर अ०जा०/अ०ज०जा० वाले परिवार के मुखियों के लिए आपने इस कालम में डैश (–) लगाना है।

कालम 13 : क्या परिवार अपने मकान में रहता है या किराए के? अपने मकान के लिए 1, लिकराए के लिए 2 और अन्य के लिए 3 लिखें।

86. यदि परिवार किसी ऐसे जनगणना मकान में रहता है जो उसका अपना है और जिसके लिए वह किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई किराया नहीं देता है तो यह माना जाए कि परिवार अपने मकान में रहता है। इसे दर्ज करने के लिए प्रश्न के सामने दिए गए खाने में "1" दर्ज करें। यदि कोई परिवार किसी फ्लैट या मकान में 'स्वामित्व' के आधार पर रहता है और उस फ्लैट या मकान की कीमत किश्तों में भुगतान कर रहा है और अभी तक पूरी किश्तों का भुगतान नहीं किया है तो उसे भी अपने मकान में रहने वाला माना जाए।

Col. : 9 Serial number of the household

79. If the Census house is wholly or partly residential, the household number must have been noted by you in col. 8 of the Houselist. This household number will be serially numbered in col. 9 starting from '1' for the enumerator's block.

Col. 10-12 : For head of household only

80. Columns 10-12 are required to be filled in only in respect of the head of household. You have to write the name and sex of the head of household, whether he/she belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe and religion in case belonging to Scheduled Caste under these columns.

Col. 10 : Name

81. The name of the head of each household should be written. The head of the household for census purposes is a person who is recognised as such in the household. He or she is generally the person who bears the chief responsibility of the management of the household and takes decisions on behalf of the household. The head of the household need not necessarily be the eldest male member, but may even be a female or a younger member of either sex. You need not enter into any long argument about it but record the name of the person who is recognised by the household as its head. In the case of an absentee *de jure* 'Head', the person on whom the responsibility of managing the affairs of the household falls at the time of houselisting, should be regarded as the Head.

82. In the case of institutions like boarding houses, messes, chummeries, which should be regarded as households of unrelated persons living together and which may be called institutional households, the Manager or Superintendent or the person who is administratively responsible or who by common consent is regarded as 'Head' should be recorded as the head of the household. In the case of certain institutional households, such as hostels, jails, etc., where the head of the institutional household, can be recognised by designation, such as, hostel warden, jailor, etc., you may enter this designation in this column.

83. In the case of institutional households, please write 'I' within brackets after the name or designation of the head in this column. Regarding filling up of further columns, please note that in the case of Institutional household columns 11 to 14 will not be filled in and a dash (—) will be put against each Institutional household in these columns. The remaining columns 15 to 23 are applicable to all households including institutional households.

Col. 11 : Male (1)/Female (2)

84. If the head of the household is a male write '1' and if female write '2' in this column. For eunuchs and hermaphrodites, you have to write '1' in the column.

Col. 12 : SC(1)/ST(2) (if SC, ascertain religion and write 'H' for Hindus and 'S' for Sikhs within brackets after Code 1)

85. You will besup plied with a list of Scheduled Castes (S.C.) and Scheduled Tribes (S.T.) in relation to your State/Union Territory by your supervisor. While filling this column of the Houselist, you will have to ascertain from the head of household whether he/she is a member of Scheduled Caste or a Scheduled Tribe. If in reply to this question, the answer is in the affirmative, ascertain the name of caste/tribe. If the name of caste/tribe returned by the person appears in the list, you have to write '1' in case of Scheduled Caste or '2' in case of Scheduled tribe in this column. If the head of household returns himself/herself as Scheduled Caste, you have to check his/her religion. He or she should belong to Hinduism or Sikhism. A person belonging to a Scheduled Caste cannot belong to any other religion. Persons who belong to a religion other than Hinduism and Sikhism will not be treated as members of any of the Scheduled Castes. But a member of a Scheduled Tribe may belong to any religion.

85.1 If the head of household belongs to Scheduled Caste, you have to write 'H' or 'S' within brackets after code '1' in this column depending on whether he/she belongs to Hinduism or Sikhism. The entry 1 (H) in this column will mean that the head of the household is a Scheduled Caste and belongs to Hinduism. Likewise, the entry 1 (S) will mean that the head of household is a Scheduled Caste and belongs to Sikhism. In case of Institutional and non-SC/ST head of households, you have to put dash (—) in this column.

Col. 13 : Does the household live in owned or rented house ? Write 1 for owned, 2 for rented and 3 for others

86. If a household is occupying a census house owned by itself and is not paying anything to anybody in the form of rent, then the household may be considered as living in owned house. This should be recorded by putting '1' in the column provided for this question. A household living in a flat or a house taken on 'ownership' basis on payment of instalments, should be regarded as living in its own house, notwithstanding the fact that all instalmennts have not been paid.

86.1. यदि कोई परिवार किसी मकान में किराए पर रहा रहा है या किसी ऐसे मकान में रहता हो जो उसका अपना नहीं है तो इस खाने में "2" लिखें। मकान किराये पर तभी हो सकता है जब उसमें रहने वाला (किराएदार) नकद या किसी अन्य रूप में किराया देता हो या उसके भुगतान के लिये कोई करार किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मकान मालिक किसी परिवार को बिना किराया दिए मकान में रहने की अनुमति देता है ऐसे मामलों में भी परिवार को किराए के मकान में रहने वाला ही माना जाए। उदाहरण के लिये, सरकारी संस्थानों या कम्पनियों आदि के द्वारा अपने कर्मचारियों को 'बिना किराए के' दिए गए मकान। ऐसी स्थिति में इस खाने में "2" दर्ज करना है। संस्थागत और बेघर परिवारों के लिये इस खाने में डैश (—) का चिह्न लगाएं।

86.2. यदि परिवार ऐसे मकान में रहता है जो न तो उसका अपना है और न किराए का है ऐसी स्थिति में इस कालम में "3" लिखें।

कालम 14 : परिवार के पास रहने के कमरों की संख्या

87. सामान्यतः एक कमरे की चार दीवारें, दरवाजा और एक छत होनी चाहिए और वह एक व्यक्ति के सोने के लिए पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए, अर्थात् इसकी लम्बाई कम से कम 2 मीटर चौड़ाई कम से कम 1-1/2 मीटर तथा ऊंचाई 2 मीटर होनी चाहिए। खुला बरामदा, रसोई, स्टोर, गैरेज, पशु बांधने का स्थान, स्नानगृह तथा शौचालय और ऐसे कमरे जिनमें घरेलू उद्योग जैसे कि हथ-करघा स्थापित है और जो सामान्यतः रहने और सोने के प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं तो वह 'रहने के कमरों' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किए जाने हैं। परन्तु यदि किसी कमरे को सोने, बैठने, खाना खाने, सामान रखने और खाना पकाने आदि के मिले-जुले उपयोग में लाया जाता हो, तो उसे 'रहने का कमरा' माना जाए।

87.1. कहीं-कहीं शंक्वाकार (Conical) तम्बू या झोंपड़ी में भी मनुष्य रहते हैं। इस प्रकार के काम चलाऊ आवास के कमरे में चार दीवारें नहीं होंगी। अतः उक्त परिभाषा इस प्रकार के आवास के लिये पूर्णतः लागू नहीं होगी। ऐसी स्थिति में तम्बू या शंक्वाकार झोंपड़ी इत्यादि को कमरा ही समझा जाए।

87.2. देश के कुछ भागों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार के पास कई झोंपड़ियां हो सकती हैं जो विभिन्न उपयोगों में लाई जाती हैं जैसे, मुख्य आवास, बैठक, रसोई, भण्डार और रात में सोने के लिये आदि। हालांकि यह अलग-अलग संरचनाएं हैं परन्तु उपयोग के एकत्व को ध्यान में रखकर इन सभी को एक जनगणना मकान माना गया होगा। ऐसे जनगणना मकान में मुख्य आवास के अतिरिक्त जिन झोंपड़ियों का उपयोग सोने के लिए किया जाता है, उन्हें भी रहने के कमरों में गिना जाए।

87.3. यदि गैरेज का उपयोग नौकर द्वारा किया जाता है और वह उसमें एक अलग परिवार की तरह रहता है तब उसकी गणना नौकर के परिवार के लिए उपलब्ध कमरे के रूप में की जाए। यदि नौकर को मालिक के परिवार का सदस्य माना जाता है तब गैरेज को परिवार के पास उपलब्ध एक अतिरिक्त रहने के कमरे के रूप में गिना जाए।

87.4. यदि किसी कमरे में एक से अधिक परिवार रहते हों तो उस कमरे को उनमें से किसी भी परिवार का नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, एक परिवार के पास उपलब्ध कमरे को रहने का कमरा तभी गिना जाएगा जब वह केवल उसके ही कब्जे में हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी कमरे में दो परिवार रहते हों तो प्रत्येक परिवार की मकान सूची में दिए गए खाने में "0" लिखें। यदि दो परिवारों में से प्रत्येक के पास रहने के लिए एक-एक कमरा है और उसके अलावा एक सांझे का भी कमरा है तो उस साझे के कमरे की गणना किसी भी परिवार में नहीं की जाएगी। यह प्रश्न संस्थागत और बेघर परिवारों पर लागू नहीं होता है। ऐसे परिवारों के लिये खाने में डैश (—) का निशान लगाएं।

कालम 15–18 : परिवार को उपलब्ध सुविधाएं

88. यह प्रश्न तीन भागों में बांटा गया है अर्थात् पीने के पानी की आपूर्ति, बिजली और शौचालय की सुविधाएं। यह प्रश्न संस्थागत परिवारों पर भी लागू होता है।

कालम 15–16 : पीने के पानी की आपूर्ति

89. पीने के पानी की आपूर्ति के इस प्रश्न को दो उपभागों में बांटा गया है। पहला उप भाग पीने के पानी के स्रोत से सम्बन्धित है। मकान सूची के नीचे पीने के पानी की आपूर्ति के 6 स्रोत दिए गए हैं और प्रत्येक के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में कोड भी दिए गए हैं। आपको कालम 15 में समुचित कोड दर्ज करना है।

89.1. यदि वर्ष में कोई परिवार पीने के पानी दो या दो से अधिक स्रोतों से लेता है तो वर्ष के अधिकांश भाग में जिस स्रोत से पानी लिया जाता है उसे लिखें। इसके बाद प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर भरें, अर्थात् क्या पीने के पानी की सुविधा अहाते में उपलब्ध है या अहाते के बाहर। यदि पीने का पानी अहाते में ही उपलब्ध है तो कालम 16 में "1" लिखें। यदि पीने के पानी की सुविधा अहाते में उपलब्ध नहीं है तो कालम 16 में "2" लिखें।

89.2. पीने के पानी का स्रोत मकान के अहाते में है या नहीं, यह निश्चित करने में आपको कुछ कठिनाई हो सकती है। यदि कुआं, हैंड पम्प या नलकूप मकान में ही है या मकान के अहाते में कहीं भी स्थित हो तो स्रोत को मकान के अहाते में माना जाएगा। यदि मकान का आंगन किसी नदी या नहर पर खुलता हो और उससे पीने का पानी लिया जाता हो तो ऐसी सुविधा को भी मकान के अहाते के अन्दर माना जाएगा। अन्यथा इसे अहाते में नहीं माना जाएगा।

86.1 If the household lives in a rented house write '2' in the column. A housing unit is rented if rent is paid or contracted for, by the occupants in cash or in kind Where an owner permits a household to live in a house, rent free, even then the household should be treated as living in arənted house, as for example, rent free accommodation provided to employees by Government, Institutions, Companies etc. in such cases, you should write '2' in the column. For institutional households, put a dash (—) in the column.

86.2 If the household lives in a house which is neither owned nor rented, code '3' may be written in the column.

Col. 14 : Number of living rooms in occupation of household

87. A room should have four walls with a doorway with a roof over head and should be wide and long enough for a person to sleep in i.e., it should have a length of not less than 2 metres and breadth of atleast $1\frac{1}{2}$ metres and 2 metre in height. A room, however, which is used in common for sleeping, sitting, dining, storing and cooking, etc., should be regarded as a room. An unenclosed verandah, kitchen, store, garage, cattleshed, bathroom and latrine and rooms in which a household industry such as a handloom is located, which are not normally usable for living or sleeping are excluded from the definition of a living room for the purpose of this question.

87.1 One is likely to come across conical shaped hut or tent in which human beings reside. In such improvised accommodation there will be no four walls to a room and therefore, the above definition would not strictly apply to such types of accommodation. In such cases, the tent or conical hut, etc., may by itself be construed to be a room.

87.2 In certain parts of the country, particularly in rural areas, the pattern of housing may present some problems. For example, a household may be in occupation of several huts put to different uses such as main residence sitting room, store and even for sleeping at night. By strict application of the definition each one will be reckoned as a census house, but this does not reflect the real situation. While huts used as store or cattleshed pose no problems those used as sleeping rooms beyond the main residence, should be counted as rooms rather than separate census houses

87.3 If a garage is used by a servant and he lives in it as a separate household, it should be reckoned as a room available to the servant's household. If the servant is considered as a member of the household then the garage room should be reckoned as an additional room of the household. Write the number of rooms available to household in the column provided.

87.4 A living room which is shared by more than one household will not be counted for any of them. In other words, only living room exclusively in possession of the household will be counted. For example, if two households share a single living room and therefore neither has a living room exclusively, enter "O" in the column in the houselist of each of the households. If two households have a living room each but in addition also share a common living room, then common room will not be counted for either of the households. This question is not applicable to institutional households. In the case of such households put a dash (—) in the column.

Cols. 15—18 : Facilities available to the household

88. This is divided into three parts, i.e.,drinking water supply, electricity and toilet. This is applicable to institutional households also.

Col 15—16 : Drinking water supply

89. This question relating to drinking water supply has been divided into two sub-parts. The first sub-part deal with the source of drinking water supply. Six sources of drinking water supply have been given at the bottom of houses list alongwith international numerical code against each. You have to enter the appropriate numerical code in column 15.

89.1 If a household gets drinking water from two or more sources throughout the year, the source availed of during the greater part of the year should be recorded. After recording the numerical code in the column proceed further for recording the answer of the sub-part of the same question, namely, whether the drinking water supply is within the premises or outside premises. If the water supply is available within the premises, write '1' is column 16. If the water supply is not available within the premises, write '2' in column 16.

89.2 You may have a problem in detemining whether water supply is available within the premises or not. Local conditions vary tremendously in this country. We may have a well, a hand pump or tube-well within the house or even the backyard of the house opening to a river or canal. In all such cases, if within the house site the source of water is located, we may take it that drinking water supply is available within the premises. Otherwise it is not available within the premises.

कालम 17 : बिजली

90. यदि परिवार को बिजली की सुविधा उपलब्ध है तो दिए गए खाने में "1" लिखें। यदि बिजली उपलब्ध नहीं है तो दिए गए खाने में "2" दर्ज करें। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि यहां अभिप्राय परिवार में बिजली की उपलब्धता से है न कि परिवार में बिजली के उपयोग से। हो सकता है कि आपने जाने के समय परिवार बिजली का उपयोग न कर रहा हो, परन्तु पता यह लगाना है कि मकान में बिजली उपलब्ध है या नहीं।

कालम 18 : शौचालय

91. यदि परिवार को अहाते में शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं तो दिए गए खाने में "1" लिखें अन्यथा खाने में "2" लिखें।

91.1. डिजाइन या संरचना से कुछ भवन ऐसे हो सकते हैं जिनमें शौचालय संलग्न नहीं हो। परन्तु यह सुविधा उस भवन की प्रत्येक मंजिल या उसके कम्पाउंड पर कुछ दूरी पर हो सकती है। यह शौचालय संलग्न शौचालय के स्थान पर है। यदि किसी परिवार में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है तो यह माना जाएगा कि उस भवन के अहाते में ही यह सुविधा है और ऐसे परिवार के लिए कोड "1" दर्ज किया जाएगा।

कालम 19 : खाना बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन

92. मकान सूची के नीचे अंकों में दिए गए कोड नम्बरों सहित खाना बनाने के लिये उपयोग में लाए जाने वाले 9 प्रकार के ईंधन दर्ज हैं। आपको यह पता करना है कि खाना बनाने के लिए अधिकांशतः किस प्रकार के ईंधन को उपयोग में लाया जाता है और इस कालम में समुचित कोड नम्बर दर्ज करना है। यदि किसी परिवार में खाना बनाने के लिए एक से अधिक प्रकार के ईंधन को उपयोग में लाया जाता है तो आपको उपयोग में लाए जाने वाले मुख्य ईंधन को ही दर्ज करना है। यदि कोई परिवार खाना नहीं बनाता है तो इस कालम में आपको डैश (—) दर्ज करना है

कालम 20 : क्या परिवार या परिवार का एक या अनेक सदस्य जनगणना मकान के बाहर और खुले में एक या अनेक उद्यम चला रहा है ? यदि हां, तो उद्यम सूची भरें

93. आपको याद होगा कि उद्यम की परिभाषा में यह बताया गया है कि उद्यम जनगणना मकान के बाहर और खुले में चलाया जा सकता है (कृपया पैरा 63 देखें) इस कालम से इस प्रकार के उद्यमों का पता चलेगा।

94. कई बार ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब परिवार किसी जनगणना मकान में रह रहा हो और ऐसे उद्यम में लगा हो जो इस मकान के बाहर स्थित है और यह उद्यम किसी अन्य मकान में भी नहीं चलाया जा रहा। यह कालम ऐसी ही स्थितियों के लिये है। यह ध्यान रखें कि यदि कोई परिवार एक जनगणना मकान में रहता है और किसी अन्य जनगणना मकान में कोई उद्यम चला रहा है और यदि वह दूसरा मकान भी आपके ब्लाक में ही है तो जिस जनगणना मकान में उद्यम चलाया जा रहा है तो उसे कालम 7 में दर्ज किया जाएगा। यदि उक्त मकान जिसमें उद्यम चलाया जा रहा है आपके ब्लाक में नहीं आता है तो जिस प्रगणक के ब्लाक में यह मकान आता है वह इसे कालम 7 में ही दर्ज करेगा। कालम 20 में हमारा प्रयास केवल उन उद्यमों को दर्ज करने का है जो जनगणना मकान के बाहर और खुले में चलाए जा रहे हैं। इसके उदाहरण, ईंटें बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खुले मैदान में रस्सी बनाना, साइकिल की मरम्मत करना, पटरी पर बैठकर जूते मरम्मत करना, फेरी लगाना, मछली पकड़ना, समाचार पत्र बेचना आदि हैं।

95. उन परिवारों के लिये जो जनगणना मकान में रहते हैं और कोई उद्यम मकान के बाहर चलाते हैं तो उस कालम में 'हां' लिख कर उद्यम की उपयुक्त क्रम संख्या ब्रैकेट में लिखें। आपके ब्लाक में उद्यमों की संख्या इस कालम में क्रमवार होगी। इस प्रकार के उद्यमों के ब्यौरे उद्यम सूची में दर्ज करने होंगे।

96. जहां कोई परिवार अपने रहने के जनगणना मकान के बाहर और खुले में एक से अधिक उद्यम चला रहा है तो इस प्रकार के सभी उद्यमों को अलग-अलग लिखना आवश्यक है। इसके लिए आपको प्रत्येक उद्यम को एक अलग लाइन में लिखना होगा। कृपया नोट करें कि ऐसे मामलों में आपको लाइन-नम्बर भी देना होगा, क्योंकि आप एक अतिरिक्त लाइन का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसमें भवन नम्बर, जनगणना मकान नम्बर, जनगणना मकान का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, परिवार नम्बर, मुखिया का नाम और कालम 11—19 तक कोई प्रविष्टियां नहीं होंगी। ऐसे मामलों में कालम 1 में लाइन नम्बर दिया जाए और कालम 20 में आवश्यक प्रविष्टि की जाए। कृपया इस प्रकार की अन्य प्रविष्टियों के लिये अन्य कालमों में डैश (—) लगाएं। दूसरे शब्दों में भवन नम्बर, जनगणना मकान नम्बर आदि प्रविष्टियां नहीं दोहराई जाएंगी।

97. उद्यम जब जनगणना मकान के अन्दर (अर्थात् कालम 7) और जब जनगणना मकान के बाहर और खुले में (अर्थात् कालम 20) चलाये जा रहे हैं इन दोनों के लिये प्रविष्टियां किस प्रकार भरी जाएं उनके कुछ नमूने नीचे के उदाहरणों में दर्शाये गये हैं।

Col 17 : Electricity

90. If electricity is available to the household, enter '1' in the column; if it is not available record '2' in the column It should be noted that we are concerned with the availability of electricity to thehousehold as distinct from actual use of electricity by the household. The household may or may not be using electricity at the time of the visit but the fact that it is available is what we are interested in.

Col 18 : Toilet

91. If toilet facilities are available to the household within the premises of the house, write '1' in the column otherwise record '2'.

91.1 There are, however, some buildings, which by design or structure may not have attached latrines but may have this facility at a little distance away within the same floor or compound of the building. These latrines substitute the attached latrines. A household having such facility will also be treated as having such facility within the premises and code '1' should be recorded for such households.

Col 19 : Type of fuel used for cooking

92. Nine types of fuel used for cooking along with their numerical codes have been given at the bottom of the houselist. You have to ascertain from the household the type of fuel used mostly for cooking and write an appropriate code in this column. If the household is using more than one fuel for cooking, the predominant fuel used for cooking may be recorded. Dash (—) will be entered in this-column in case the household does not to any cooking.

Col 20 : Is the Household or one or more members of the household engaged in one or more enterprises outside this census house and without premises or in the open air ? If yes, fill Enterprise List

93. You will recall that in the definition of an enterprise, it has been mentioned that an enterprise can be carried on outside the census house and without premises or in the open air (please see para 63). This column is mean to identify such enterprises.

94. There may be cases where a household lives in a census house and is engaged in an enterprise outside the census house in which they live and this enterprise may itself not be carried on within some other house. This column is meant to record such cases. You will notice that if a household lives in one census house and carries on an enterprise in some other census house, then the census house in which the enterprise is carried on will be covered under column 7 if the census house in which the enteprise is carried on is within your block. Even if it is not within your block, your colleague in the block in which the census house in which the enterprise is carried on will have covered it in column 7. What we are trying to cover in column 20 is a situation where a household carries on an enterprise outside the census house in which it lives, and this enterprise is carried on without any premises or in the open air. Such examples could be brick making, pottery, rope-making in the open, cycle-repairing and shoe-repairing on pavements, hawkers, fishing, selling of newspapers, etc.

95. In such cases, where a household lives in the census house being covered by you, but carries on an enterprise outside the census house and without any premises you should note this fact in this column. All that you need say if such an enterprise is being carried on is "yes" and give the appropriate serial number of the enterprise within bracket. The numbering of enterprises in this column will run continuously for your block. Details of such enterprises will have to be entered in the enterprise list.

96. Where a household has more than one enterprise which is carried on outside the census house in which it lives and without any premises, it is necessary to cover such enterprises separately. For this purpose, you will have to enter each of these enterprises a in separate line. Please note that in such cases you will have to give a line number, since you will be using an extra line but there will be no entry regarding building number, census house number, use to which the census house is put, household number, name of head of household and columns 11 to 19. In such cases, there will only be an entry in column 1 which relates to line number and column 20. In all other columns relating to such entries please put a dash (—) In other words, building number, census house number, etc., will not be repeated.

97. The manner in wihch the entries will be made in cases where enterprises exist both in census houses (i.e. column 7) and outside census houses without premises (i.e. column 20) is illustrated in the following examples.

लाइन नम्बर	भवन नं० (नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी या जनगणना द्वारा दिया गया नम्बर)	जनगणना मकान नंबर	जनगणना मकान किस उपयोग में आता है (यदि पूर्णतः या अंशतः एक या अनेक उद्यमों के लिये उपयोग में लाया जाता है, उद्यम सूची भरें)	परिवार नम्बर	परिवार के मुखिया का नाम	क्या परिवार या परिवार का एक या अनेक सदस्य जनगणना मकान के बाहर और खुले में एक या अनेक उद्यम चला रहा है ? यदि हां, तो उद्यम सूची भरें
(कालम 1)	(कालम 2)	(कालम 3)	(कालम 7)	(कालम 8)	(कालम 10)	(कालम 20)
1	2	3	4	5	6	7
1	434	434	मंदिर-सह-आवास	434	नारायण शर्मा	–
2	–	–	मंदिर (1)	–	–	–
3	435	435(1)	स्कूल-सह-आवास	435(1)	देवदास	–
4	–	–	स्कूल (2)	–	–	–
5	–	–	कैन्टीन (3)	–	–	–
6	–	435 (2)	आवास	435 (2)	रामनाथ व्यास	हां (1)
7	436	436	सिनेमा घर (4)	–	–	–
8	437	437	आवास-सह-क्लिनिक	437	डा० विमला वर्मा	–
9	–	–	डाक्टर-क्लिनिक (एलोपैथिक) (5)	–	–	–
10	438	438 (1)	दुकान-सह-वर्कशाप-सह-आवास	438 (1)	राजन	–
11	–	–	वर्कशाप (6)	–	–	–
12	–	–	दुकान (7)	–	–	–
13	–	438 (2)	आवास	438 (2)	भोला राम	हां (2)
14	439	439 (1)	आवास	439 (1)	यादव	हां (3)
15	–	439 (2)	शंगोई	–	–	–
16	440	440	आवास	440	केशव	हां (4)
17	–	–	–	–	–	–
18	441	441	बोर्डिंग हाउस	441	रामनाथ (स)	हां (5) –
योग	XX	11	XXX	9	XXX	XX

कालम 21 से 23 : जनगणना परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या

98. परिवार में सामान्यतः रहने वाले पुरुषों की संख्या कालम 21 में, स्त्रियों की संख्या कालम 22 में और कुल सदस्यों की संख्या कालम 23 (कालम 21+22) में लिखें।

98.1. इन कालमों में सामान्यतः रहने वालों की संख्या लिखी जानी है, चाहे मकान सूची भरे जाने के दिन परिवार के कुछ लोग अनुपस्थित ही क्यों न हों। अतिथियों को छोड़ दिया जाए क्योंकि उन्हें उनके सामान्य निवास के स्थान पर गिना जाएगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी परिवार के साथ तीन महीने या उससे अधिक समय से रह रहा हो तो उसे गिन लिया जाए। इसी प्रकार परिवार का कोई सदस्य जो तीन महीने या उससे अधिक समय से अपने निवास स्थान से बाहर रह रहा हो तो उसे छोड़ दिया जाए।

Line No.	Building No. (municipal or local authority or census No.)	Census house No.	Purpose for which census house is used (if wholly or partly used for running one or more enterprises' fill enterprise list)	Household No.	Name of the head of household	Is the household or one or more members of the household engaged in one or more enterprises outside this census house and without premises or in the open air ? If yes, fill enterprise list.
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 7)	(Col. 8)	(Col. 10)	(Col. 20)
1	2	3	4	5	6	7
1	434	434	Temple-cum-residence	434	Narayan Sharma	..
2	..	..	Temple (1)	..	..	..
3	435	435(1)	School-cum-residence	435(1)	Devdas	..
4	..	..	School (2)	..	..	..
5	..	..	Canteen (3)	..	..	..
6	..	435(2)	Residence	435(2)	Ramnath Vyas	Yes(1)
7	436	436	Cinema House(4)	..	..	..
8	437	437	Residence-cum-clinic	437	Dr. Vimla Varma	..
9	..	..	Doctors Clinic-allopa-thic (5)	..	..	..
10	438	438(1)	shop-cum-work shop-cum-residence	438(1)	Rajan	..
11	..	..	Workshop(6)	..	..	..
12	..	..	Shop(7)	..	..	..
13	..	438(2)	Residence	438(2)	Bhola Ram	Yes(2)
14	439	439(1)	Residence	439(1)	Yadav	Yes(3)
15	..	439(2)	*Sanghoi*	..	..	..
16	440	440	Residence	440	Keshav	Yes(4)
17	..	..	..	..	..	Yes(5)
18	441	441	Boarding House	441	Ram Nath (1)	..
Total	XX	11	XXX	9	XXX	XX

Cols 21 to 23 : Number of persons normally residing in census household

98. Enter the number of males normally residing in the household in column 21, females in column 22 and total number of persons in column 23 (columns 21 + 22).

98.1 In these columns normal residents are to be recorded even thorgh some of them may be absent on the day of your visit. Casual visitors should be excluded as they will be considered at their respective places of normal residence. But a person who had stayed with the household for a period of 3 months or more should, however, be included. Correspondingly, normal residents absent for over 3 months or more should be excluded from the household in which they normally reside.

प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में इन कालमों का योग लिखें ।

कालम 24 : अन्य विवरण

99. यह कालम भवन, जनगणना मकान और जनगणना परिवार के बारे में कोई उपयोगी या महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए है। मकान सूचीकरण के दौरान प्राप्त अनुभवों के बारे में यह रोचक तथ्य बतलाएगा।

100. यदि कालम 7 में 'खाली' दर्ज किया गया है तो आपको इस कालम में टूटा-फूटा' 'मरम्मट' में', 'अपूर्ण निर्माण', 'किराए के लिए खाली' त्यादि कारण भी लिखने होंगे। इस कालम में यह भी नोट करें कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहां बेघर व्यक्ति रहते हैं।

सामान्य

101. कालम 3, 8 और 21 से 23 तक का योग मकान सूची के प्रत्येक पृष्ठ के लिये करना है। वह तरीका जिसके अनुसार योग किया जाना है; मकान सूची फार्म के नीचे की टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है। तथापि उसका सारांश निम्न प्रकार है :—

(क) कालम 3 में जनगणना मकानों की कुल प्रविष्टियों को जोड़ कर लिखें। उदाहरण के लिए यदि इस कालम में ए2/100, ए2/101-(1), ए2/101(2), ए2/102, ए2/103(1), ए2/103(2), ए2/103(3), ए2/104 और ए2/105 प्रविष्टियां हैं तो इस पृष्ठ में कालम 3 का योग 9 होगा।

(ख) कालम 8 के योग के लिये यदि प्रविष्टियां ए 2/100, ए2/101(1) (क), ए2/101(1)(ख), ए2/102, ए2/103(1) (क), ए2/103(1) (ख), ए2/103(2), ए2/104, ए2/105 हैं तो इस कालम में परिवारों की कुल संख्या 9 होगी।

(ग) कालम 21, 22 और 23 के लिये कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक कालम के लिये यह योग अलग-अलग होगा।

मकान सूची सार

102. मकान सूची में प्रविष्टियों को भरने के पश्चात् अर्थात् अपने सारे ब्लाक की मकान सूची को पूरा करने के पश्चात् आपको मकान सूची सार तैयार करना है ताकि मकान सूची में एकत्रित जनगणना मकानों की संख्या, परिवारों की संख्या और अन्य विवरण आसानी से उपलब्ध हों। मकान सूची सार के फार्म का नमूना इन अनुदेशों के अन्त में अनुलग्नक 'च' पर दिया गया है।

103. मकान सूची सार तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर भी, सार तैयार करने के सम्बन्ध में यहां कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। कृपया मकान सूची सार के कालम 3 से 8 को भरने के अनुदेशों को विशेषकर ध्यानपूर्वक पढ़ें जिनमें उपयोग के आधार पर जनगणना मकानों की संख्या ज्ञात करने के लिये प्रविष्टियां की जानी हैं।

कालम 1 : मकान सूची की पृष्ठ संख्या

आपको याद होगा कि मकान सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बर देना है और उसे क्रमवार रखना है। आपके द्वारा लिखी गई पृष्ठ संख्या एक दूसरे के नीचे इस कालम में लिखी जाएगी।

कालम 2 : जनगणना मकान की कुल संख्या (मकान सूची के कालम 3 से)

जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि यह संख्या मकान सूची के कालम 3 से प्राप्त होगी। कृपया नोट करें कि मकान सूची में आपको कालम 3 की प्रविष्टियों का योग करना है और प्रत्येक पृष्ठ के नीचे इस योग को लिखना है। इस योग की जांच करें और सार में दर्ज करें।

कालम 3 से 8 उपयोग के अनुसार जनगणना मकानों की संख्या

मकान सूची तैयार करते समय जनगणना मकानों के विभिन्न उपयोग आपने कालम 7 में दर्ज किए होंगे। जैसे आवासीय, अंशतः आवासीय खाली (यदि उनका उपयोग नहीं किया जा रहा हो) या गैर-आवासीय। मकान सूची के कालम 7 से इस प्रकार के प्रत्येक वर्ग में आने वाले जनगणना मकानों की प्रविष्टियों को अलग-अलग जोड़ना होगा और उन्हें मकान सूची सार के कालम 3, 4 और 6 में अलग-अलग दर्ज करना होगा। मकान सूची सार के कालम 5 और 7 केवल योग लिखने के लिये हैं और उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

कृपया नोट करें कि यदि किसी जनगणना मकान में एक से अधिक परिवार हैं और जनगणना मकान का उपयोग केवल 'आवासीय' है तो जनगणना मकान और परिवार के बीच भ्रांति के कारण जनगणना मकान की दोबारा गिनती न हो जाए।

कालम 8 : अन्य उपयोग में लाए जा रहे जनगणना मकान (कालम 2 में से कालम 7 घटाएं)

यह कालम जनगणना मकान के अन्य उपयोगों (पूर्णतः गैर-आवासीय) के बारे में है। कालम 7 को कालम 2 की संख्या में से घटाकर प्राप्त शेष को इस कालम में दर्ज किया जायेगा।

Total of these columns should be struck at the end of each page.

Col 24 : Remarks

99. This will provide space for any useful or significant information about the building, census house, census household and other particulars regarding the building inventory. This will provide interesting facts regarding observations made during the houselisting operations.

100. If there is any entry in column 7 as 'vacant' you have also to record the reason such as 'dilapidated', 'under repair', 'incomplete construction', 'want of tenant', etc., in this column. Also make a note in this column of likely places where houseless persons can be found.

General

101. Total of-columns, 3, 8 and 21 to 23 will have to be struck for each page of the houselist. The manner in which he total is to be struck has been explained in the foot-note of thehouselist form. However, this is recapitulated below :

(a) The total of census houses in column 3 will be the number of entries for each page. For example, if the entries in this column are A2/100, A2/101(1), A2/101(2), A2/(102, A2/103(1), A2/103(2), A2/103(3), A2/104 and A2/105, then the total for this page would be 9.

(b) For total in column 8, if the entries are A2/100, A2/101(1) (a), A2/101(1) (b), A2/102, A2/103(1) (a), A2/103 (1) (b), A2/103(2), A2/104, A2/105 then the total number of households in this column will be 9.

(c) For columns 21, 22 and 23 there should be no difficulty. It will be a simple total for each column separately.

Houselist Abstract

102. After filling the entries in the houselist *i.e.*, after completing houselisting for your entire block, you have now to prepare a Houselist Abstract so that certain figures of the number of census houses, households and other particulars collected in the houselist are easily available. The specimen of the Houselist Abstract is given at Annexe-F at the end of these instructions.

103. There should be no difficulty in preparing the abstract. However, certain indications as to how the abstract should be prepared are given here. In particular, you are requested to carefully read the instructions regarding filling of columns 3 to 8 of the houselist abstract which relate to the number of census houses on the basis of the use to which they are put.

Col 1 : Page No of houselist

You will recall that you must number each page of the house list, and you will have to arrange them serially. The page number recorded by you will be noted here one below the other.

Col 2 : Total No of Census houses (from Col 3 of houselist)

As mentioned in the heading itself, this figure will be obtained from col. 3 of the houselist. Please note that in the houselist itself you have to total up entries in column 3 and enter the total at the bottom of each page. Please check this total and carry it over to the abstract.

Cols 3 to 8 : Number of Census houses by use

The purpose for which a census house is used will have been noted by you in column 7 of the houselist. The figures of columns 3, 4 and 6 of the abstract could be got by carefully adding up the different uses to, which census houses are put from column 7 of the houselist. You will have noted census houses by use as only residential, partly residential, vacant if not being used and census houses which are not used at all wholly or partly as residence but have other uses such as workshops,etc. You will have to separately add the census houses falling into each of these categories from col. 7 of the houselist and enter them separately under columns 3, 4 and 6 of the houselist abstract. Columns, 5 and 7 of the houselist abstract are just totals and should present no difficlty.

Please note that if in a census house there is more than one household, there is still only one use to which this census house is put namely, "Residential" and *you should take care to see that no duplicate counting takes place due to any confusion between census house and hoseholds.*

Col 8 : Census houses put to other uses (Col 2 minus Col 7)

This column refers to census house put to other uses. The figures to be noted here will be derived by subtracting column 7 from column 2.

कालम 9 : परिवारों की कुल संख्या

यह संख्या मकान सूची के कालम 8 के नीचे दिए योग से प्राप्त होगी।

कालम 10 से 12 : कुल जनसंख्या

इन कालमों में मकान सूची के तत्समान कालम 21 से 23 में दिए गए प्रत्येक पृष्ठ के योग को दर्ज करें। नमूने के लिये कृपया अनुलग्नक 'ज देखें।

104. आपको मकान की दो सूची प्रतियां तैयार करनी हैं और उन्हें मकान सूची सार के साथ अपने सुपरवाइजर को सौंपनी हैं। मकान सूची सार की एक प्रति तैयार करना पर्याप्त है।

105. कृपया नजरी नक्शे, खाके, मकान सूची और मकान सूची सार के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने ब्लाक के लोकेशन कोड को लिखना न भूलें। लोकेशन कोड का विवरण आपको आपके चार्ज अधिकारी या सुपरवाइजर द्वारा दिए जाएंगे। लोकेशन कोड में राज्य से लेकर ब्लाक तक के सभी विवरण अवश्व दिए जाएं।

106. अपने ब्लाक की मकान सूची का कार्य पूरा करने के पश्चात् आपके पास निम्नलिखित कागज अवश्य होने चाहिए:--

(क) नजरी नक्शा

(ख) खाका

(ग) मकान सूची फार्म के दो सेट एक साथ पिन किए हुए

(घ) मकान सूची सार

(ङ) उद्यम सूची के फार्म एक साथ पिन किए हुए

(च) उद्यम सूची सार

कृपया इन सभी को आप खाली फार्मों सहित अपने सुपरवाइजर को दे दें।

इस सम्बन्ध में आपके चार्ज अधिकारी द्वारा भी आपको अनुदेश दिए जाएंगे।

Col 9 : Total No. of households

This figure will be obtained from the total at the bottom of column 8 of the houselist.

Cols. 10 to 12 : Total population

Under each of these columns, please enter the page total under the corresponding columns, i.e., columns 21 to 23 of the houselist. Please see Annexe 'H' for a model of a filled in houselist abstract.

104. You should prepare a duplicate set of the houselist form giving all the pages and entries and submit both the copies to your supervisor alongwith the houselist abstract. It is enough if one copy of the houselist abstract is prepared.

105. Please do not forget to note on the notional map, the lay-out sketch and on each page of the houselist and of the houselist abstract relevant location particulars of your block which will be supplied to you by your Charge Officer or Supervisor. The location particulars must include the details from the State down to your block.

106. After you have completed the houselisting operations of your block, you must have with you the following documents :

(a) Notional Map
(b) Layout Sketch
(c) Houselist Forms, pinned together (2 sets)
(d) Houselist Abstract
(e) Enterprise Lists, pinned together
(f) Enterprise List Abstract

Please hand these over to your supervisor alongwith all unfilled forms.

Instructions on this matter be issued to you by your charge officer also.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
Name of State/Union Territory हरियाणा

जिले का नाम — कोड सं०
Name of District कुरुक्षेत्र — Code No. 01

विकास खंड/तहसील आदि का नाम — कोड सं०
Name of Tehsil/Taluka/P.S./Dev. Block/Circle etc. कालवा — Code No. 01

गाँव/कस्बा का नाम — कोड सं०
Name of Village/Town मुखा — Code No. 168

वार्ड/मुहल्ले का नाम या नम्बर — कोड सं०
Name or No. of Ward/Locality/Hamlet X — Code No. X

गणना के ब्लाक का नम्बर
Enumerator's Block No. 212 & 213

विकास खंड का नाम — कोड सं०
Name of Dev. Block — Code No

संकेत :
REFERENCES

ब्लाक की सीमा — Block Boundary

पक्का मकान (नम्बर सहित) — Pucca House (with No.)
- निवासीय — Residential — 12
- गैर निवासीय — Non-residential

कच्चा मकान (नम्बर सहित) — Kutcha House (with No.)
- निवासीय — Residential — 1
- गैर निवासीय — Non-residential — 2

पक्की सड़क — Pucca Road

कच्ची सड़क — Kutcha Road

आम रास्ता — Common way

रेलवे लाइन — Railway Line
- (i) बड़ी लाइन — Broad Gauge
- (ii) छोटी लाइन — Meter Gauge

नदी — River

नहर — Canal

तालाब — Pond

कुआँ, पानी का नल — Well, Watertap

मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि — Temple, Mosque, Church etc.

स्कूल, चिकित्सालय, पंचायत घर, डाकघर आदि — S D P PO
School, Dispensary, Panchayat Ghar, Post Office etc.

टिप्पणी NOTE
(i) कृपया ब्लाक में मुख्य सड़कों, गलियों और मोहल्लों आदि के नाम लिखें। मंदिर, स्कूल, चिकित्सालय, पंचायत घर, डाकघर आदि संस्थाओं के नाम भी लिखें।
Please write the names of prominent roads, streets and Mohallas etc. in the block. Also indicate the names of institutions like Temples, Schools, Dispensaries, Panchayat Ghars, Post Offices etc.

(ii) कृपया उस दिशा को तीर के चिह्न से दिखाएं जिस ओर से ब्लाक के नम्बर दिये गए हैं।
Please indicate by an arrow the direction in which the numbering has been done in the Block.

गणनाकार का नाम
Name of Enumerator

हस्ताक्षर
Signature

सुपरवाइजर के हस्ताक्षर
Signature of Supervisor

अनुलग्नक 'क'

प्रगणक के ब्लाक का नक्शा नक्शा/खाका
Notional Map/Layout Sketch of Enumerator's Block

भारत की जनगणना 1991
CENSUS OF INDIA 1991

मकान सूचीकरण/जनगणना
Houselisting/Enumeration

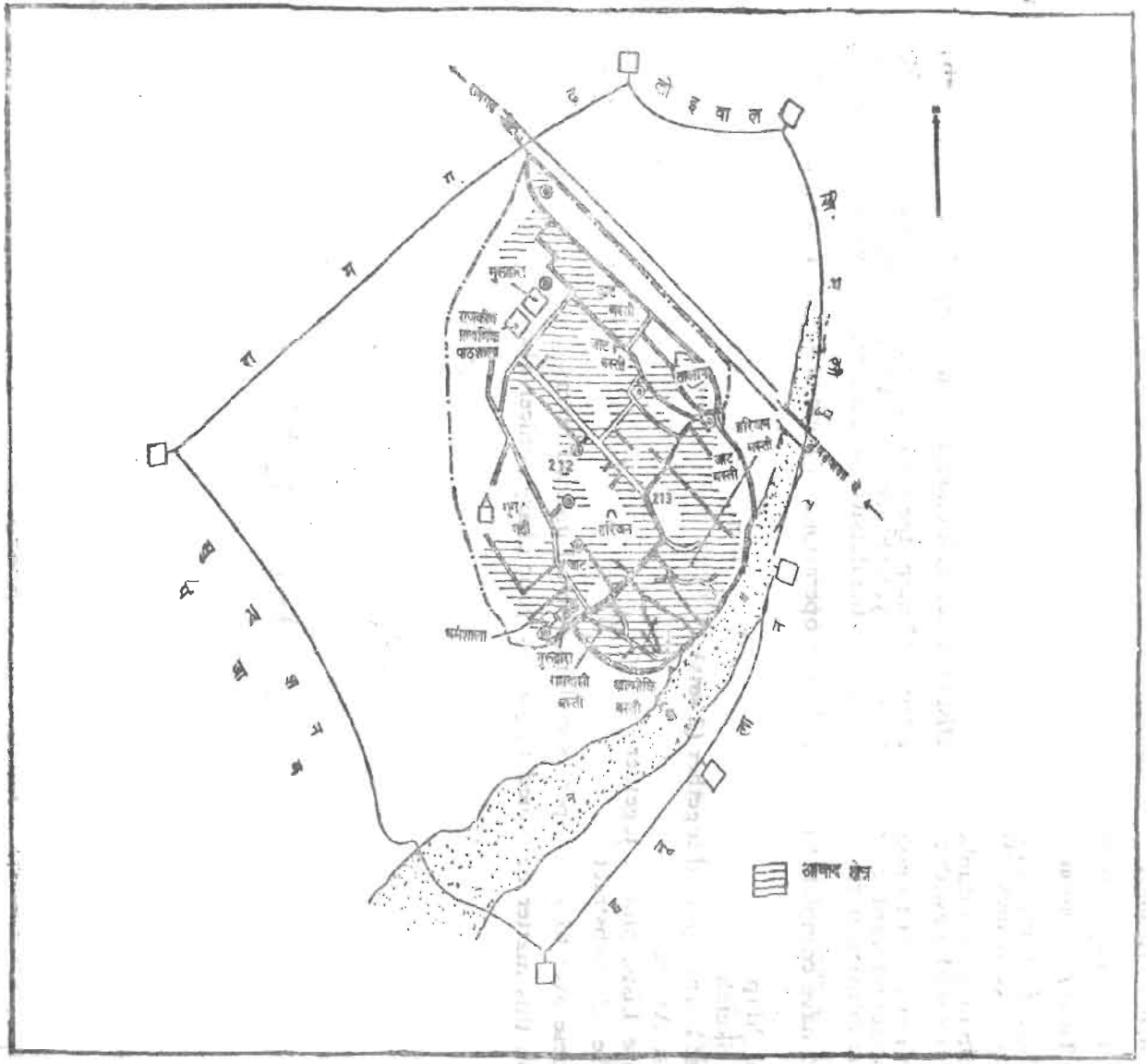

नक्शे में दिखाए गए विवरण केवल उदाहरण स्वरूप है
अनुलग्नक 'क' नक्शा नक्शा-प्रारूपण

ANNEXE A

प्रगणक के ब्लाक का नगरी नक्शा/खाका
Notional Map/Layout Sketch of Enumerator's Block

भारत की जनगणना 1991
CENSUS OF INDIA 1991

मकान सूचीकरण/जनगणना
Houselisting/Enumeration

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम HARYANA
Name of State Union Territory

जिले का नाम / Name of District AMBALA — कोड सं० / Code No. 01

तहसील/तालुका/पुलिस थाना/विकास खंड/शक्ति आदि का नाम / Name of Tehsil/Taluka/P.S./Dev. Block/Circle etc. KALKA — कोड सं० / Code No. 03

ग्राम/नगर का नाम / Name of Village/Town MANKA — कोड सं० / Code No. 168

वार्ड/मोहल्ला/हैमलेट का नाम या नम्बर / Name or No. of Ward/Mohalla/Hamlet X — कोड सं० / Code No. X

प्रगणक के ब्लाक का नम्बर / Enumerator's Block No. 212 & 213

विकास खंड का नाम / Name of Dev. Block — कोड सं० / Code No.

संकेत :
REFERENCES

ब्लाक की सीमा / Block Boundary

पक्का मकान (नम्बर सहित) / Pucca House (with No.)
- निवासीय / Residential — 12
- गैर निवासीय / Non-residential

कच्चा मकान (नम्बर सहित) / Kutcha House (with No.)
- निवासीय / Residential — 5
- गैर निवासीय / Non-residential — 4

पक्की सड़क / Pucca Road

कच्ची सड़क / Kutcha Road

आम रास्ता / Common way

रेलवे लाइन / Railway Line
- (i) बड़ी लाइन / Broad Gauge
- (ii) छोटी लाइन / Metal Gauge

नदी / River

नहर / Canal

तालाब / Pond

कुआं, पानी का नल / Well, Water Tap

मन्दिर, मस्जिद, चर्च आदि / Temple, Mosque, Church etc. — S D P PO

स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि / School, Dispensary, Panchayat Ghar, Post Office etc.

टिप्पणी / NOTE :
(i) कृपया ब्लाक के मुख्य सड़कों, गलियों और मोहल्लों आदि के नाम लिखें। मन्दिर, स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि संस्थाओं के नाम भी लिखें।
Please write the names of prominent roads, streets and Mohallas etc. in the Block. Also indicate the names of institutions like Temples, Schools, Dispensaries, Panchayat Ghars, Post Offices etc.

(ii) कृपया उस दिशा की तीर के चिह्न से दिखाएं जिस ओर से ब्लाक में नम्बर दिए गए हैं।
Please indicate by an arrow the direction in which the numbering has been done in the Block.

प्रगणक का नाम / Name of Enumerator

हस्ताक्षर / Signature

सुपरवाइजर के हस्ताक्षर / Signature of Supervisor

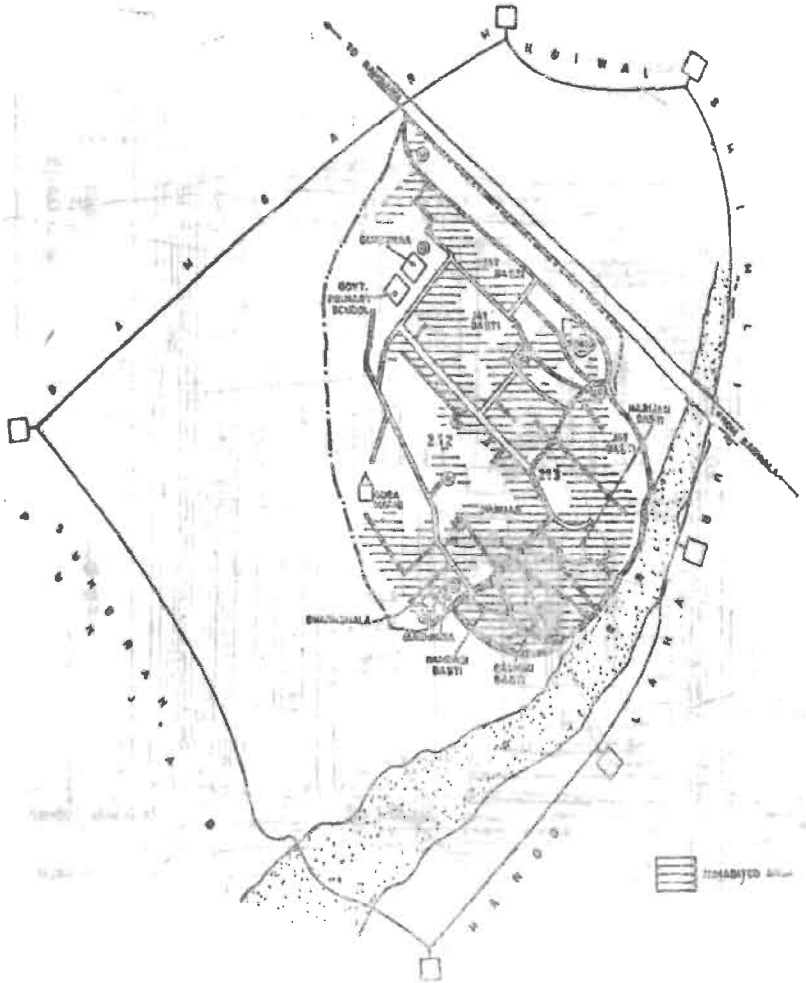

SOME DETAILS SHOWN IN THE MAP ARE INDICATIVE

Annexe 'A' Notional Map-Kurali

अनुलग्नक 'ख'

भारत की जनगणना 1991
CENSUS OF INDIA 1991

प्रगणक के ब्लाक का नजरी नक्शा/चर्चा
Notional Map/Layout Sketch of Enumerator's Block

मकान सूचीकरण/जनगणना
Houselisting/Enumeration

कब्रिस्तान
अम्बाला छावनी से
अलेग्जेंडर रोड
जगाधरी को
सिंडीकेट बैंक
डा. लुम्बा का क्लीनिक
प्रीमियर मोटर गैरेज
राधे मंदिर
वकील
गांधी मैदान
नाला
निकलसम रोड
सिंगला का क्लीनिक
दूध का डिपो
इन्दिरा गांधी पार्क
स्वामी दयानन्द मार्ग
डा. लक्ष्मी गुप्ता का क्लीनिक

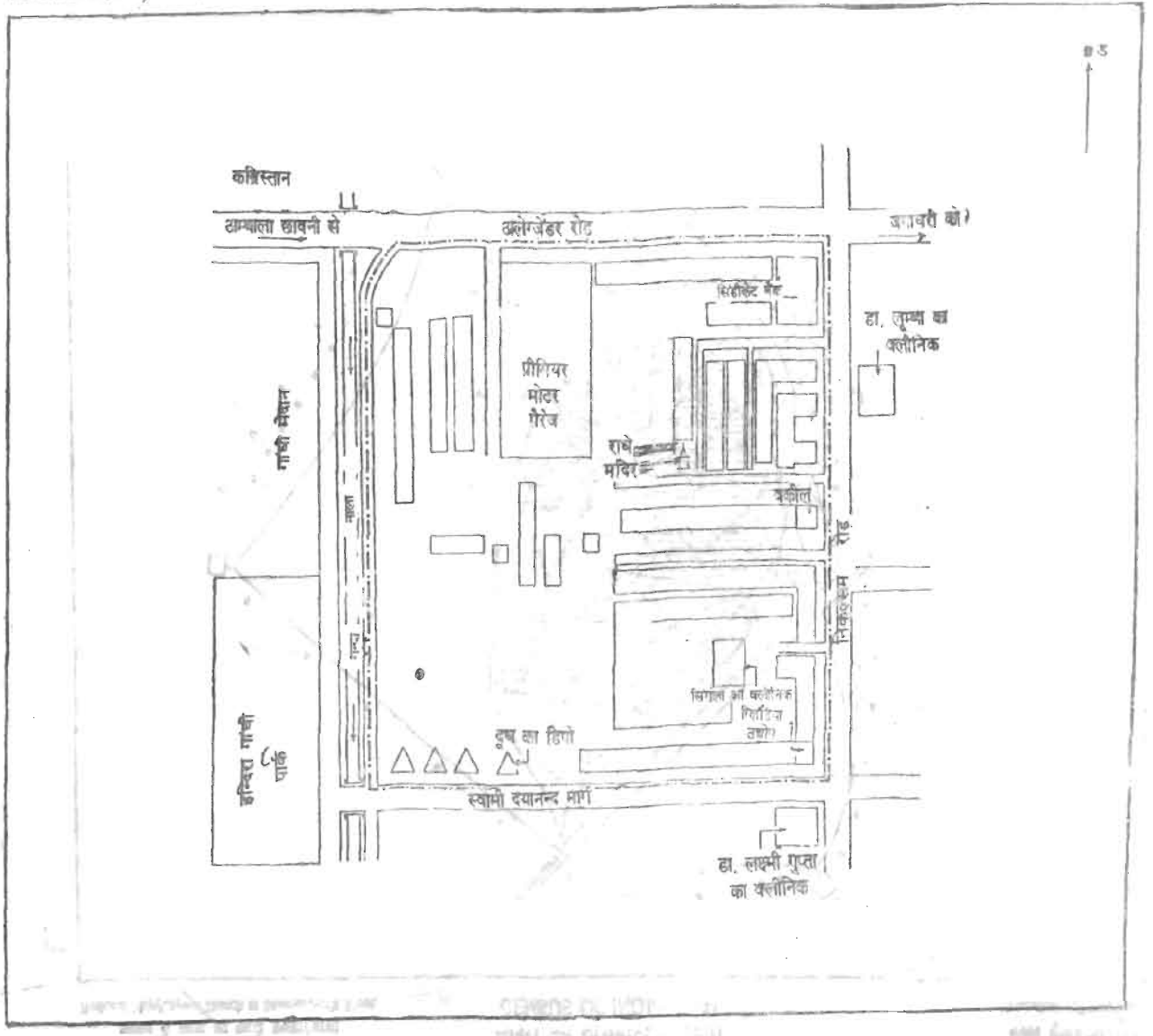

नक्शे में दिखाए गए विवरण केवल उदाहरण स्वरूप हैं
अनुलग्नक 'ख' नजरी नक्शा-नगरीय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
Name of State/Union Territory हरियाणा

जिले का नाम
Name of District अम्बाला — कोड सं० Code No. 01

तहसील/तालुका/तुलित थाना/
विकास खंड/वर्किंग सर्किल का नाम
Name of Tehsil/Tajuka/Pol./Dev. Block/Circle etc. अम्बाला — कोड सं० Code No. 03

ग्राम/नगर का नाम
Name of Village/Town अम्बाला सदर — कोड सं० Code No. viii

वार्ड/मोहल्ला/हैबिटेट का नाम या नम्बर
Name or No. of Ward/Mohalla/Hamlet 3 — कोड सं० Code No. 03

प्रगणक के ब्लाक का नम्बर
Enumerator's Block No. 13

विकास खंड का नाम
Name of Dev. Block — कोड सं० Code No.

संकेत :
REFERENCES

ब्लाक की सीमा
Block Boundary

पक्का मकान (नम्बर सहित)
Pucca House (with No.)
निवासीय
Residential
गैर निवासीय
Non-residential

कच्चा मकान (नम्बर सहित)
Kutcha House (with No.)
निवासीय
Residential
गैर निवासीय
Non-residential

पक्की सड़क
Pucca Road

कच्ची सड़क
Kutcha Road

आम रास्ता
Common way

रेलवे लाइन
Railway Line
(i) बड़ी लाइन
Broad Gauge
(ii) छोटी लाइन
Meter Gauge

नदी
River

नहर
Canal

तालाब
Pond

कुआं, पानी का नल
Well, Water Tap

मन्दिर, मस्जिद, चर्च आदि
Temple, Mosque, Church etc.

स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि
School, Dispensary, Panchayat Ghar, Post Office etc.

टिप्पणी
NOTE
(i) कृपया ब्लाक में मुख्य सड़कों, गलियों और मोहल्लों आदि के नाम लिखें। मन्दिर, स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि संस्थाओं के नाम भी लिखें।
Please write the names of prominent roads, streets and Mohallas etc. in the Block. Also indicate the names of institutions like Temples, Schools, Dispensaries, Panchayat Ghars, Post Offices etc.
(ii) कृपया उस दिशा को तीर के चिह्न से दिखाए जिस ओर से ब्लाक में नम्बर दिये गए हैं।
Please indicate by an arrow the direction in which the numbering has been done in the Block.

प्रगणक का नाम
Name of Enumerator

हस्ताक्षर
Signature

सुपरवाइजर के हस्ताक्षर
Signature of Supervisor

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
Name of State/Union Territory HARYANA

जिले का नाम
Name of District AMBALA — कोड सं. Code No. 01

तहसील/तालुका/पुलिस थाना/
विकास खंड/सर्किल आदि का नाम
Name of Tahsil/Taluka/P.S./Dev. Block/Circle etc. AMBALA — कोड सं. Code No. 03

ग्राम/नगर का नाम
Name of Village/Town AMBALA SADAR — कोड सं. Code No. VIII

वार्ड/मोहल्ला/मिनेट का नाम या नम्बर
Name or No. of Ward/Mohalla/Hamlet 3 — कोड सं. Code No. 03

प्रगणक के ब्लाक का नम्बर
Enumerator's Block No. 13

विकास खंड का नाम
Name of Dev. Block — कोड सं. Code No.

NOTE :

REFERENCES :

ब्लाक की सीमा
Block Boundary

कच्चा मकान (नम्बर सहित)
Pucca House (with No.)

निवासीय
Residential

गैर निवासीय
Non-residential

कच्चा मकान (नम्बर सहित)
Kutcha House (with No.)

निवासीय
Residential

गैर निवासीय
Non-residential

पक्की सड़क
Pucca Road

कच्ची सड़क
Kutcha Road

आम रास्ता
Common way

रेलवे लाइन
Railway Line
(i) बड़ी लाइन
Broad Gauge
(ii) छोटी लाइन
Meter Gauge

नदी
River

नहर
Canal

तालाब
Pond

कुआं, पानी का नल
Well, Water Tap

मन्दिर, मस्जिद, चर्च आदि
Temple, Mosque, Church etc.

स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि
School, Dispensary, Panchayat Ghar, Post Office etc.

टिप्पणी
NOTE
(i) कृपया ब्लाक में मुख्य सड़कों, बस्तियों और मोहल्लों आदि के नाम लिखें। मन्दिर, स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि संस्थाओं के नाम भी लिखें।
Please write the names of prominent roads, streets and Mohallas etc. in the Block. Also indicate the names of institutions like Temples, Schools, Dispensaries, Panchayat Ghars, Post Offices etc.
(ii) कृपया उस दिशा को तीर के चिह्न से दिखाएं जिस ओर से ब्लाक में नम्बर दिये गए हैं।
Please indicate by an arrow the direction in which the numbering has been done in the Block.

प्रगणक का नाम
Name of Enumerator

हस्ताक्षर
Signature

पुनर्वासकर के हस्ताक्षर
Signature of Supervisor

ANNEXE B

प्रगणक के ब्लाक का नजरी नक्शा/ढाका
National Map/Layout Sketch of Enumerator's Block

भारत की जनगणना 1991
CENSUS OF INDIA 1991

मकान सूचीकरण/जनगणना
Houselisting/Enumeration

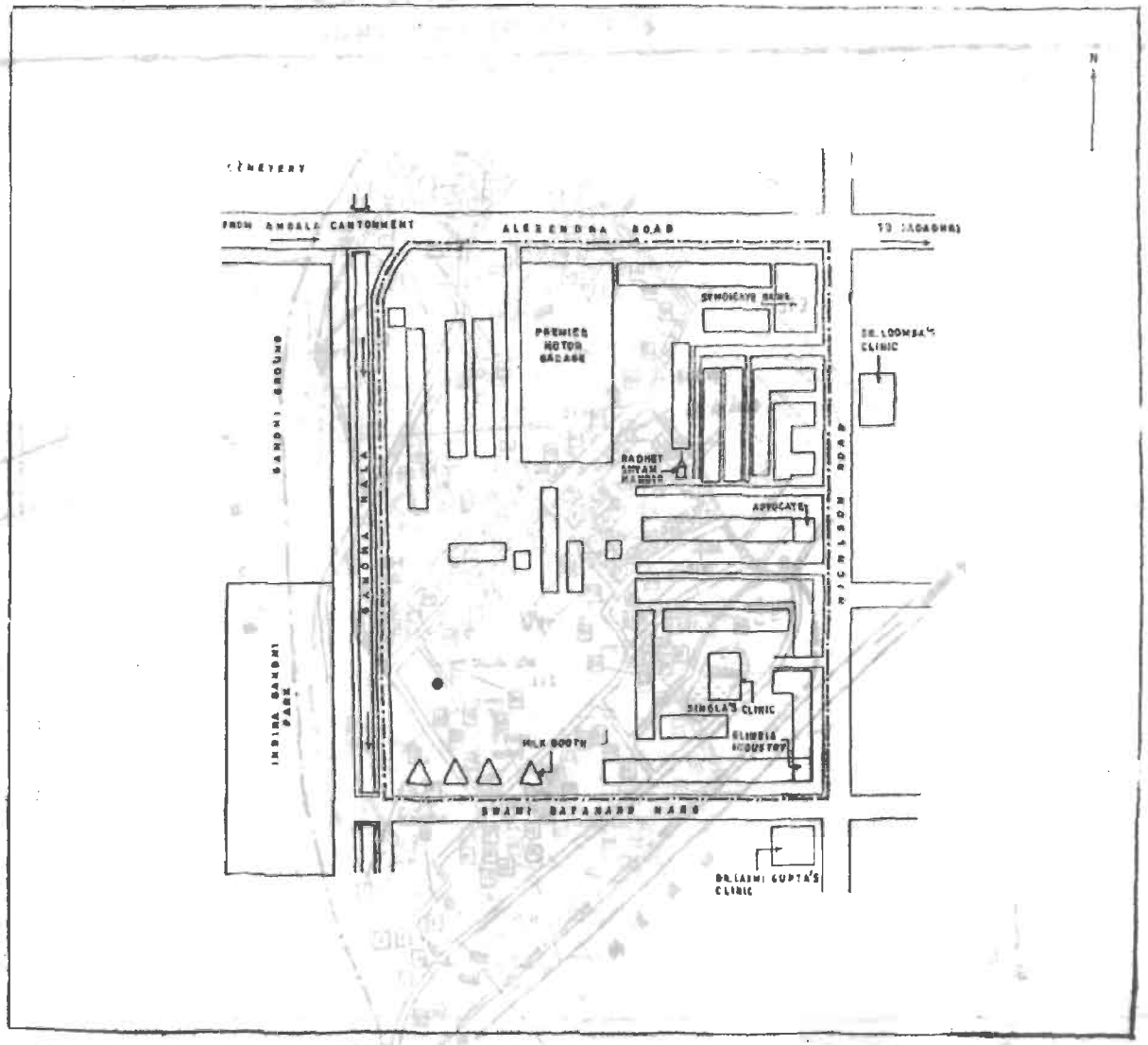

SOME DETAILS SHOWN IN THE MAP ARE INDICATIVE

Annexe 'B' National Map-Urban

137

अनुलग्नक 'ग'

भारत की जनगणना 1991
CENSUS OF INDIA 1991

प्रगणक के ब्लाक का नक्शा नक्शा/खाका
Notional Map/Layout Sketch of Enumerator's Block

मकान सूचीकरण/गणना
Nonaslisting/Enumeration

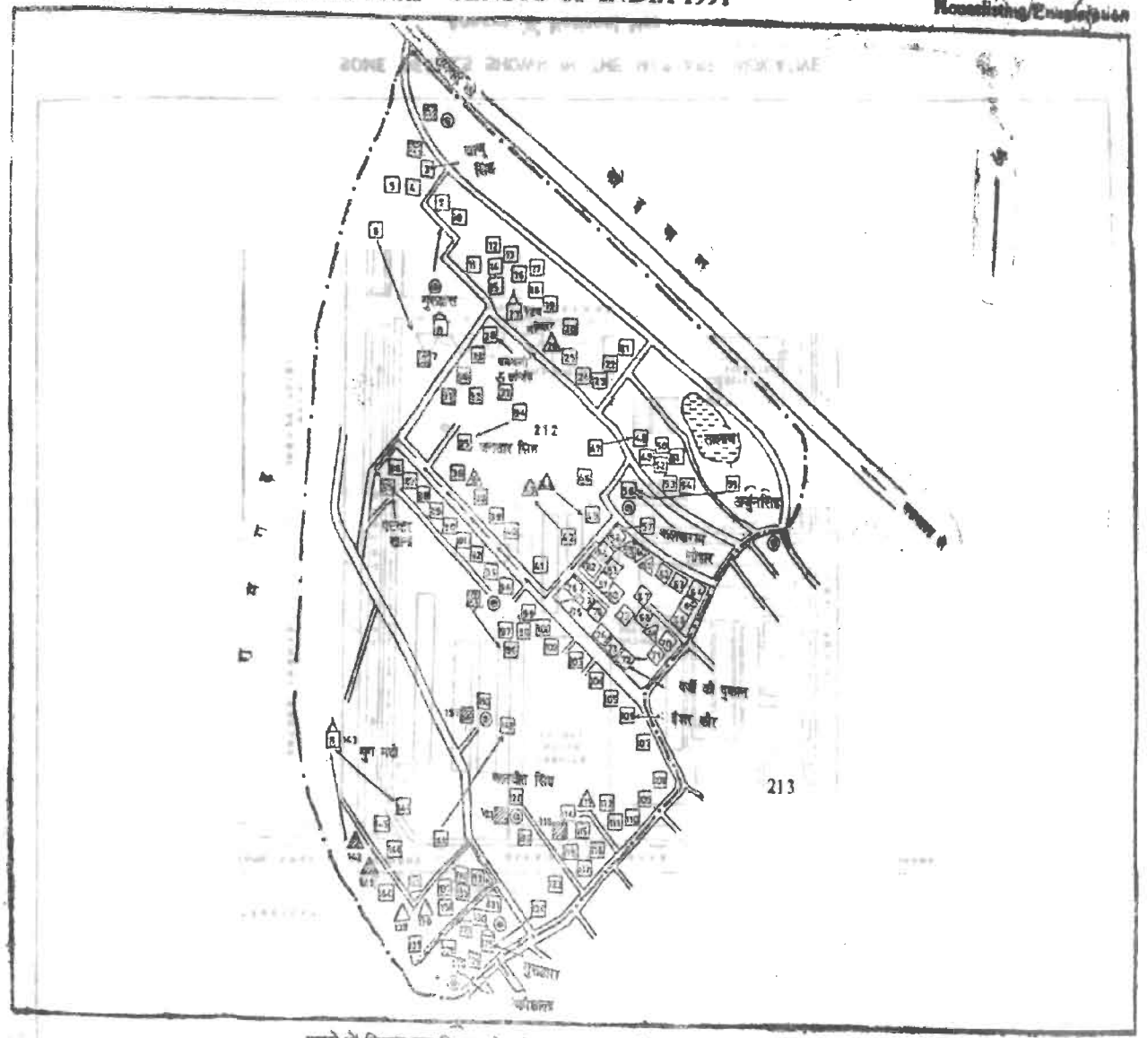

नक्शे में दिखाए गए विवरण केवल उदाहरण स्वरूप है
अनुलग्नक 'ग' खाका-ग्रामीण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
Name of State Union Territory हरियाणा

जिले का नाम
Name of District [illegible] Code No. 01

तहसील/उपतहसील/पुलिस थाना/
विकास खंड/वर्किंग आदि का नाम
Name of Tehsil/Tehsil/P.S./Dev. Block/Cycle etc. [illegible] Code No. 01

कोड सं०
Name of Village/Town भंडा Code No. 168

कोड सं०
Name or No. of Ward/Mohalla/Hamlet X Code No. X

प्रगणक के ब्लाक का नम्बर
Enumerator's Block No. 212

विकास खंड का नाम
Name of Dev. Block Code No.

संकेत :
REFERENCES

ब्लाक की सीमा
Block Boundary

रेखांकित मकान (नम्बर सहित)
Pucca House (with No.)
(i) सीमा
Residential
(ii) निवासीय
Non-residential

रेखांकित मकान (नम्बर सहित)
Kutcha House (with No.)
निवासीय
Residential
गैर निवासीय
Non-residential

पक्की सड़क
Pucca Road

कच्ची सड़क
Kutcha Road

आम रास्ता
Common way

रेलवे लाइन
Railway Line
(i) बड़ी लाइन
Broad Gauge
(ii) छोटी लाइन
Meter Gauge

नदी
River

नहर
Canal

तालाब
Pond

कुआँ, पानी का नल
Well, Water Tap

मन्दिर, मस्जिद, चर्च आदि
Temple, Mosque, Church etc.

स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि
School, Dispensary, Panchayat Ghar, Post Office etc.

टिप्पणी : (i) कृपया ब्लाक में मुख्य सड़कों, गलियों और मोहल्लों आदि के नाम लिखें। मन्दिर, स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि संस्थाओं के नाम भी लिखें।
NOTE : Please write the names of prominent roads, streets and Mohallas etc. in the Block. Also indicate the names of Institutions like Temples, Schools, Dispensaries, Panchayat Ghars, Post Offices etc.

(ii) कृपया उस दिशा को तीर के चिह्न से दिखाएं जिस ओर से ब्लाक में नम्बर दिये गए हैं।
Please indicate by an arrow the direction in which the numbering has been done in the Block

प्रगणक का नाम
Name of Enumerator

हस्ताक्षर
Signature

सुपरवाइजर के हस्ताक्षर
Signature of Supervisor

ANNEXE C

राज्य तथा राज्य क्षेत्र का नाम
Name of State Union Territory HARYANA

जिले का नाम — कोड सं०
Name of District AMBALA — Code No. 01

तहसील/तालुका/पुलिस थाना/
विकास खंड/सर्किल आदि का नाम — कोड सं०
Name of Tehsil/Taluka/P.S./Dev. Block/Circle etc. KALKA — Code No. 01

ग्राम/नगर का नाम — कोड सं०
Name of Village/Town MANKA — Code No. 168

गांव/गोलाकार/ब्लॉक का नाम या नम्बर — कोड सं०
Name of No. of Ward/Mohalla/Nagar — Code No. 1

प्रगणक के ब्लाक का नम्बर
Enumerator's Block No. 212

विकास खंड का नाम — कोड सं०
Name of Dev. Block — Code No.

संकेत :
REFERENCES

ब्लाक की सीमा
Block Boundary

पक्का मकान (नम्बर सहित)
a House (with No.)

निवासीय
Residential

गैर निवासीय
Non-residential

कच्चा मकान (नम्बर सहित)
Kutcha House (with No.)

निवासीय
Residential

गैर निवासीय
Non-residential

पक्की सड़क
Pucca Road

कच्ची सड़क
Kutcha Road

आम रास्ता
Common way

रेलवे लाइन (i) बड़ी लाइन
Railway Line Broad Gauge

(ii) छोटी लाइन
Meter Gauge

नदी
River

नहर
Canal

तालाब
Pond

कुआं, पानी का नल
Well, Water Tap

मन्दिर, मस्जिद, गर्भ आदि
Temple, Mosque, Church etc.

स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि
School, Dispensary, Panchayat Ghar, Post Office etc.

टिप्पणी NOTE (i) कृपया ब्लाक में मुख्य सड़कों, मंदिरों और मोहल्लों आदि के नाम लिखें। मन्दिर, स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि संस्थाओं के नाम भी लिखें।
Please write the names of prominent roads, streets and Mohallas etc. in the Block. Also indicate the names of institutions like Temples, Schools, Dispensaries, Panchayat Ghars, Post Offices etc.

(ii) कृपया उस दिशा को तीर के चिह्न से दिखाएं जिस ओर से ब्लाक में नम्बर दिये गए हैं।
Please indicate by an arrow the direction in which the numbering has been done in the Block.

प्रगणक का नाम
Name of Enumerator

हस्ताक्षर
Signature

सुपरवाइजर के हस्ताक्षर
Signature of Supervisor

भारत की जनगणना 1991
CENSUS OF INDIA 1991

प्रगणक के ब्लाक का नमूने नक्शा/खाका
National Map/Layout Sketch of Enumerator's Block

मकान सूचीकरण/जनगणना
Houselisting/Enumeration

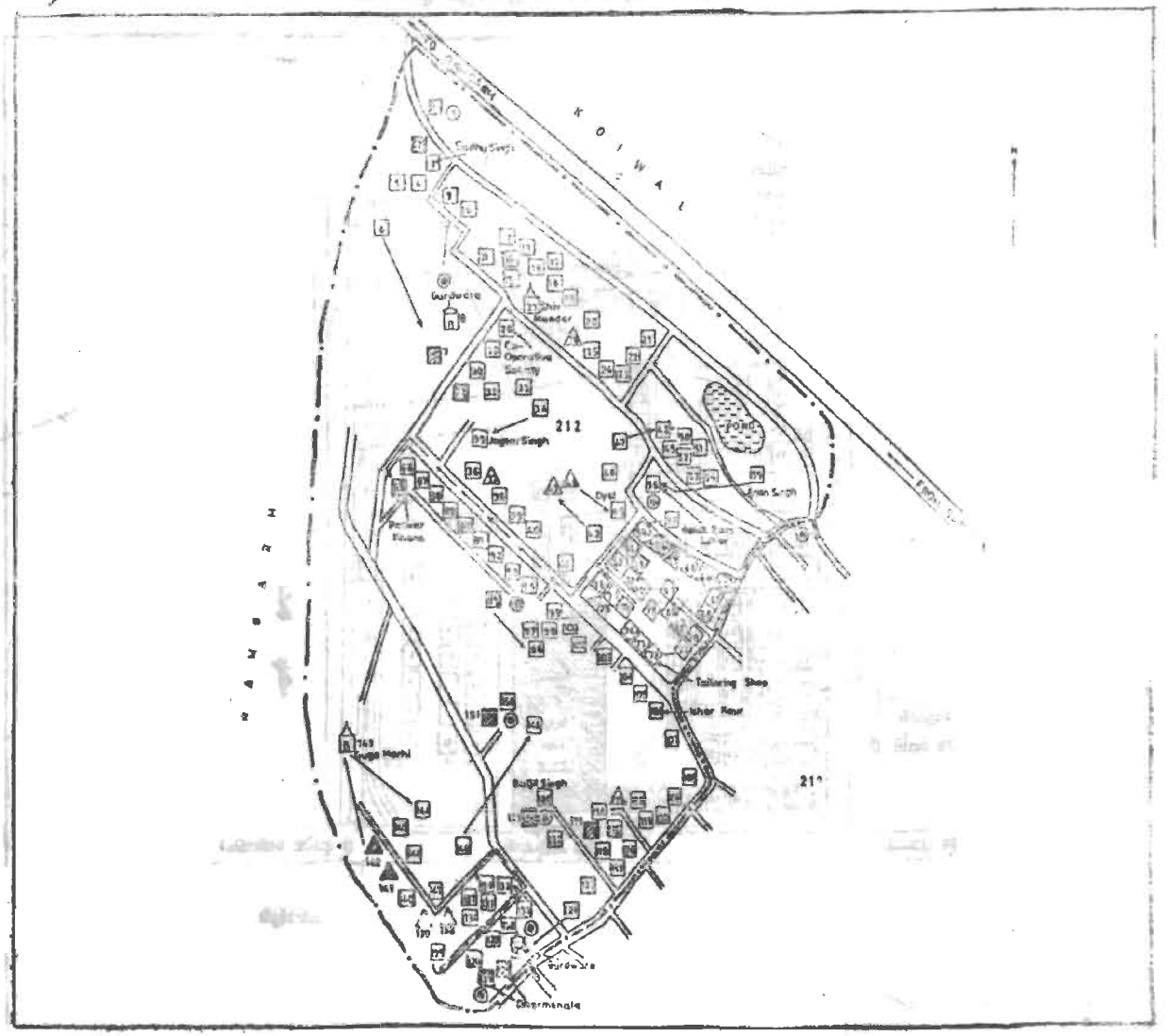

SOME DETAILS SHOWN IN THE MAP ARE INDICATIVE

Annexe 'C' Layout Sketch – Rural

प्रदेश/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
Name of State Union Territory हरियाणा

जिले का नाम — कोड सं०
Name of District अम्बाला — Code No. 01

तहसील/तालुका/पुलिस थाना/
विकास खंड/सर्किल आदि का नाम — कोड सं०
Name of Tehsil/Taluka/P.S./Dev. Block/Circle etc. अम्बाला — Code No. 03

ग्राम/नगर का नाम — कोड सं०
Name of Village/Town अम्बाला सदर — Code No. VIII

वार्ड/मोहल्ला/हिमलेट का नाम या नम्बर — कोड सं०
Name or No. of Ward/Mohalla/Hamlet 3 — Code No. 03

प्रगणक के ब्लाक का नम्बर
Enumerator's Block No. 13

विकास खंड का नाम — कोड सं०
Name of Dev. Block — Code No.

संकेत :
REFERENCES

ब्लाक की सीमा
Block Boundary

पक्का मकान (नम्बर सहित)
Pucca House (with No.)
- निवासीय — Residential
- गैर निवासीय — Non-residential

कच्चा मकान (नम्बर सहित)
Kutcha House (with No.)
- निवासीय — Residential
- गैर निवासीय — Non-residential

पक्की सड़क
Pucca Road

कच्ची सड़क
Kutcha Road

आम रास्ता
Common way

रेलवे लाइन
Railway Line
- (i) बड़ी लाइन — Broad Gauge
- (ii) छोटी लाइन — Meter Gauge

नदी
River

नहर
Canal

तालाब
Pond

कुआँ, पानी का नल
Well, Water Tap

मन्दिर, मस्जिद, चर्च आदि
Temple, Mosque, Church etc.

स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि
School, Dispensary, Panchayat Ghar, Post Office etc.

टिप्पणी NOTE
(i) कृपया ब्लाक में मुख्य सड़कों, गलियों और मोहल्लों आदि के नाम लिखें। मन्दिर, स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि संस्थाओं के नाम भी लिखें।
Please write the names of prominent roads, streets and Mohallas etc. in the Block. Also indicate the names of institutions like Temples, Schools, Dispensaries, Panchayat Ghars, Post Offices etc.

(ii) कृपया उस दिशा को तीर के चिह्न से दिखाएं जिस ओर से ब्लाक में नम्बर दिये गए हैं।
Please indicate by an arrow the direction in which the numbering has been done in the Block.

प्रगणक का नाम
Name of Enumerator

हस्ताक्षर
Signature

सुपरवाइजर के हस्ताक्षर
Signature of Supervisor

अनुलग्नक 'घ'

प्रगणक के ब्लाक का नक्शे नक्शा/खाका
Notional Map/Layout Sketch of Enumerator's Block

भारत की जनगणना 1991
CENSUS OF INDIA 1991

मकान सूचीकरण/जनगणना
Houselisting/Enumeration

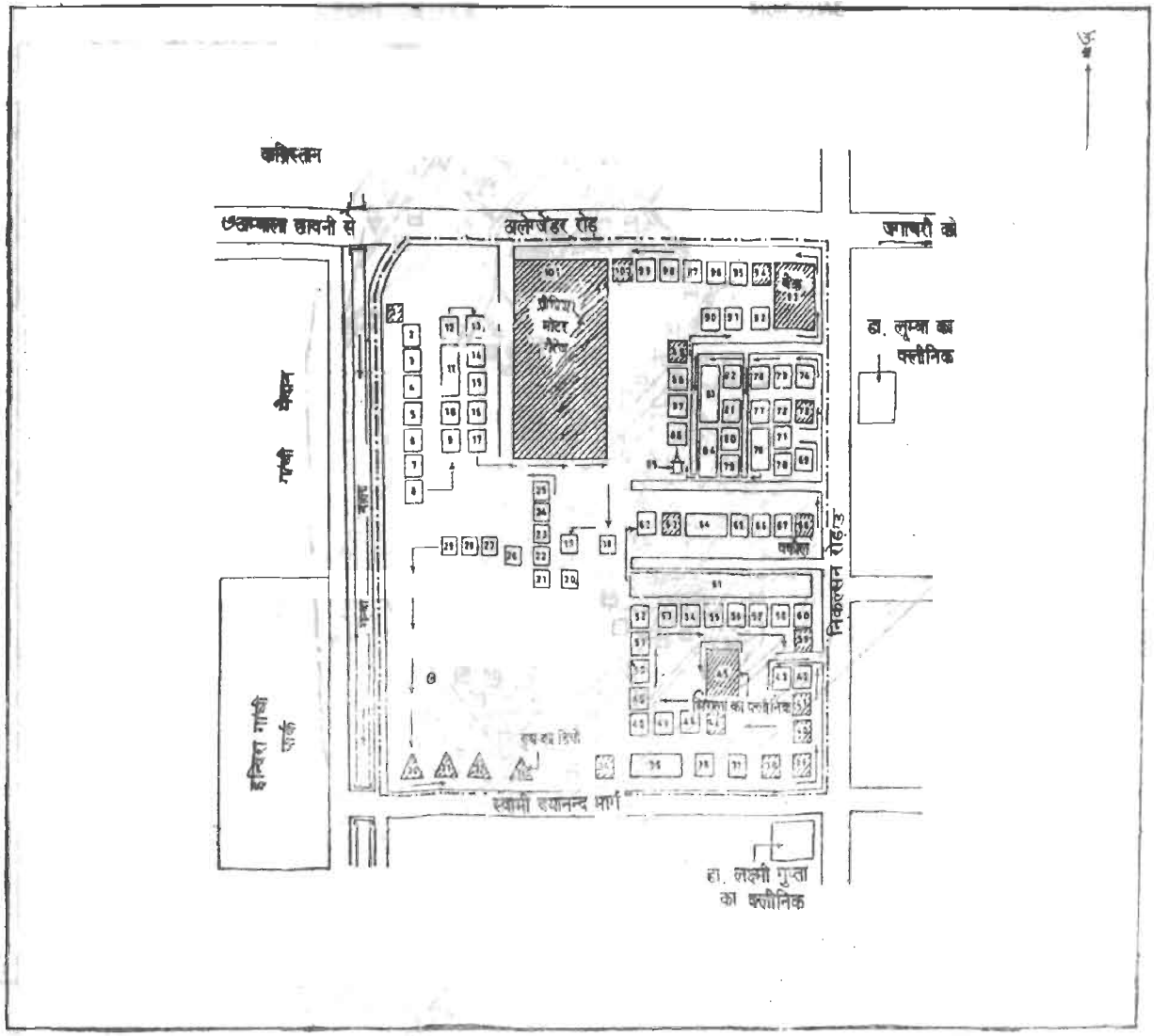

नक्शे में दिखाए गए विवरण केवल उदाहरण स्वरूप है
अनुलग्नक 'घ' खाका-नगरीय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
Name of State Union Territory HARYANA

जिले का नाम — कोड सं॰
Name of District AMBALA — Code No. 02

तहसील/तालुका/पुलिस थाना/
विकास ब्लॉट/सर्किल आदि का नाम — कोड सं॰
Name of Tehsil/Taluka/P.S./Dev. Block/Circle etc. AMBALA — Code No. 03

गांव/नगर का नाम — कोड सं॰
Name of Village/Town AMBALA SADAR — Code No. VIII

वार्ड/मोहल्ला/हैमलेट का नाम या नम्बर — कोड सं॰
Name or No. of Ward/Mohalla Hamlet 3 — Code No. 03

गणक के ब्लाक का नम्बर
Enumerator's Block No. 13

विकास ब्लॉक का नाम — कोड सं॰
Name of Dev. Block — Code No.

ANNEXE D

प्रगणक के ब्लाक का नक्शे नक्शा/खाका
Notional Map/Layout Sketch of Enumerator's Block

भारत की जनगणना 1991
CENSUS OF INDIA 1991

मकान सूचीकरण/जनगणना
Houselisting/Enumeration

संकेत :
REFERENCES

- ब्लाक की सीमा — Block Boundary
- पक्का मकान (मकान संख्या सहित) — Pucca House (with No.)
  - निवासीय — Residential
  - गैर निवासीय — Non-residential
- कच्चा मकान (मकान संख्या सहित) — Kutcha House (with No.)
  - निवासीय — Residential
  - गैर निवासीय — Non-residential
- पक्की सड़क — Pucca Road
- कच्ची सड़क — Kutcha Road
- आम रास्ता — Common way
- रेल लाइन — Railway Line
  - ( ) बड़ी लाइन — Broad Gauge
  - ( ) छोटी लाइन — Meter Gauge
- नदी — River
- नहर — Canal
- तालाब — Pond
- कुआं, पानी का नल — Well, Water Tap
- मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि — Temple, Mosque, Church etc
- स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि — School, Dispensary, Panchayat Ghar, Post Office etc

टिप्पणी NOTE
( ) कृपया ब्लाक में मुख्य सड़कों, गलियों और मोहल्लों आदि के नाम लिखें। मंदिर, स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर आदि संस्थाओं के नाम भी लिखें।
Please write the names of prominent roads, streets and Mohallas etc. in the Block. Also indicate the names of institutions like Temples, Schools, Dispensaries, Panchayat Ghars, Post Offices etc.

( ) कृपया उस दिशा को तीर के चिन्ह से दिखाएं जिस ओर से ब्लाक में नम्बर दिये गए हैं।
Please indicate by an arrow the direction in which the numbering has been done in the Block

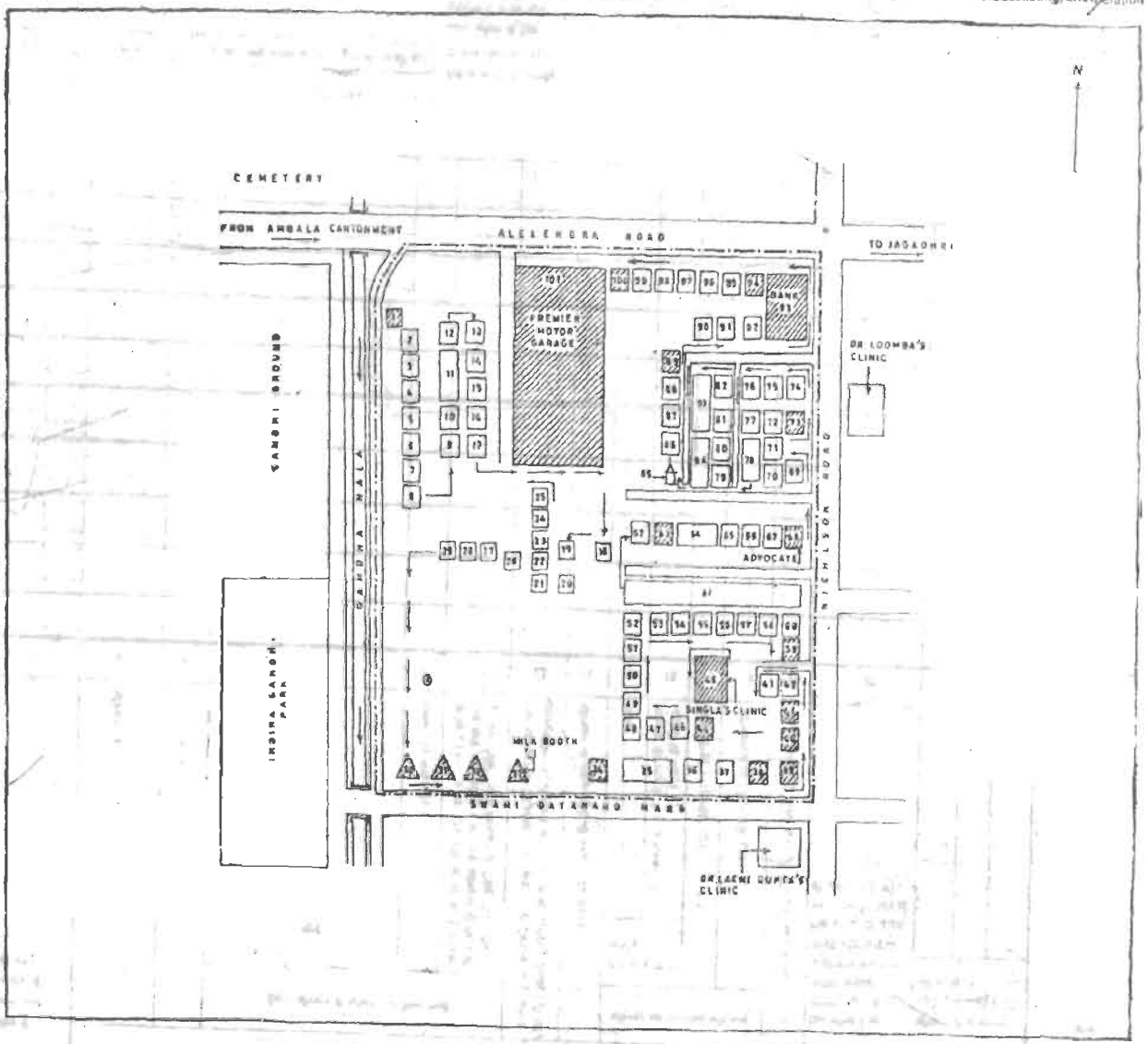

SOME DETAILS SHOWN IN THE MAP ARE INDICATIVE

Annexe 'D' Layout Sketch – Urban

प्रगणक का नाम
Name of Enumerator

हस्ताक्षर
Signature

सुपरवाइजर के हस्ताक्षर
Signature of Supervisor

अनुलग्नक 2

जनगणना (संशोधन) नियम, 1991

गणना पुस्तिका

पृष्ठ सं. .....

जनगणना के लिए अनुसूचित क्षेत्र का नाम .....

जिले का नाम .....

तहसील/तालुका/मंडल/अंचल/राजस्व मंडल/निदेशक जनगणना/अधीक्षक जनगणना का नाम .....

खंड सं. .....

वार्ड सं. .....

खंड सं. .....

गांव/नगर का नाम .....

वार्ड/चेकलाइन/सिलसिला नं. .....

खंड सं. .....

जनगणना अनुक्रम नं. .....

खंड सं. .....

जिला जनगणना कार्यालय का नाम .....

खंड सं. .....

अनुक्रम संख्यांक	भवन में या उस का स्थायी प्रयोजनों या जनगणना प्रयोजनों के लिए नाम दें।	उपयोग का प्रकार	भवन में प्रयुक्त सामग्री			जनगणना भवन जिस उपयोग में लाया है (यदि एकांशतः या अंशतः एक से अधिक उपयोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है तो क्रमशः सभी भरें)	यदि भवन पूर्णतः या अंशतः आवासीय है															
			दीवार	छत	फर्श		परिवार सं.	परिवार की क्रम संख्या	जैसा परिवार की गणना के लिए लिखें			क्या परिवार अपनी गणना के समय के ठीक पहले (3) निवास-सुविधा में रहता है या विदेशी है ? अनुच्छेद 2 (ग) के विदेशी के लिए	परिवार के पास रहने की जगह की संख्या	परिवार को उपलब्ध सुविधाएं				परिवार के लिए उपलब्ध पेयजल का मुख्य स्रोत	क्या परिवार का परिसर का एक या अधिक उपयुक्त जनगणना भवन के बाहर और कुछ में एक या अनेक उपयुक्त कमरा रहा है? यदि हां तो उपयुक्त भरें।	परिवार में जनगणना रहने वाले व्यक्तियों की संख्या			अन्य विशेषताएं
									नाम	पुरुष (1) स्त्री (2)	यदि 18 वर्ष या अधिक है तो (1)/अ.ज.जा. (2) (यदि 18 वर्ष से कम है तो कोष्ठक में दिए गए "कि" और विकल्पों के लिए "कि" लिखें)			पीने के पानी की आपूर्ति		बिजली हां (1)/ नहीं (2)	शौचालय हां (1)/ नहीं (2)						
														कोत	भवन की सीमाके में (1)/भवन के बाहर (2)								
	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
		* योग					* योग												योग				

* इकाइयों की गणना करें और उपयुक्त बॉक्स भरें।

खंड उपयोग

दीवार (खानम 4): खड़, पत्ते, घासफूस, या छत (1) | मिट्टी (2) | कच्ची ईंट (3) | झोपड़ी (4) | पक्की ईंट (5) | लोहे की चादरें या अन्य छत की चादरें (6)

पत्थर (7) | सीमेंट कंक्रीट (8) | इकरा (9) और | अन्य (10)

छत (खानम 5): घास, पत्ते, घासफूस, फूस, झोपड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंट का छत (1) | [illegible] (2) | [illegible] का छत (3)

एस्बेस्टस सीमेंट चादरें(4) | ईंट, पत्थर एवं चूना (5) | पत्थर (6) | कंक्रीट, आर सी सी, आर. सी. बी. (7) और | अन्य (8)

फर्श (खानम 6): मिट्टी (1) | लकड़ी/तख्ते(2) | बांस या लकड़ी (3) | ईंट, पत्थर एवं चूना (4) | सीमेंट (5) | सीमेंट/लकड़ी (6) और | अन्य (7)

पीने के पानी की आपूर्ति के स्रोत (खानम 15): कुआं (1) | नल (2) | हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल (3) | नदी/झरना (4) | तालाब (5) और | अन्य (6)

शौचालय के लिए उपयोग में लाए जाने वाला ईंधन (खानम 19): लकड़ी (6) | कोयला (7) | मिट्टी का तेल (8) और | अन्य (9)

गणनाकार के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

सुपरवाइजर के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

142

ANNEXE 8

CENSUS OF INDIA 1991

HOUSELIST

Page No.....

CONFIDENTIAL

Name of State/UT ..... Code No. ..... Name of village/town ..... Code No. ..... Name of Dev. Block .....

Name of District ..... Code No. ..... Name or No. of ward/mohalla/hamlet ..... Code No. .....

Name of Tehsil/Taluk/T.S./ Dev. Block/Circle, etc. ..... Code No. ..... Enumeration Block No. ..... Code No. .....

Line No	Building No. (Municipal or local authority or census No.)	Census house No.	Predominant construction material of census house: Wall	Roof	Floor	Purpose for which census house is used (i.e. wholly or partly used for running one or more enterprise, fill enterprise list)	If used wholly or partly as a residence: Household No.	Serial No. of the household	For Head of Household only, write: Name	Male (1)/Female (2)	SC (1)/ST (2) (If SC entertain religion and write 'H' for Hindus and 'S' for Sikhs within brackets after code 1)	Does the household live in owned or rented house? Write 1 for owned, 2 for rented 3 for others	No. of living rooms in the occupation of household	Facilities available to the household: Drinking water supply: Source	Drinking water supply: Within premises (2)/ Outside premises (2)	Electricity Yes (1)/No (2)	Toilet Yes (1)/No (2)	Type of fuel used for cooking	Is the household or one or more members of the household engaged in one or more enterprises outside this census house and without premises or in the open air? If yes, fill enterprise list	No. of persons normally residing in the household: Males	Females	Persons	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
	* Total					* Total													Total				

Key to Codes

* Count the number of rooms and give total

WALL (Col. 4): Grass, leaves, reeds or bamboos (1) | Mud (2) | Unburnt bricks (3) | Wood (4) | Burnt bricks (5) | G.I. Sheets or other metal sheets (6) | Stone (7) | Cement concrete (8) | Extra (9) and | Others (10)

ROOF (Col. 5): Grass, leaves, reeds, thatch, wood, mud, unburnt bricks or bamboos (1) | Tiles, slate or shingle (2) | Corrugated iron, tarr or other metal sheets (3) | Asbestos cement sheets (4) | Burnt stone and lime (5) | Stone (6) | Concrete R.B.C./R.L.C. (7) and | Others (8)

FLOOR (Col. 6): Mud (1) | Wood/Planks (2) | Bamboos or logs (3) | Bricks, stone and lime (4) | Carpeted (5) | Mosaic/Tiles (6) and | Others (9)

SOURCE OF DRINKING WATER SUPPLY (Col. 15): Well (1) | Tap (2) | Handpump/tubewell (3) | River/canal (4) | Tank (5) and | Others (6)

TYPE OF FUEL USED FOR COOKING (Col. 19): Cowdung cake (1) | Electricity (2) | Coal Coke/lignite (3) | Charcoal (4) | Cooking gas (5) | Wood (6) | Bio-gas (7) | Kerosene (8) and | Others (9)

Signature of Enumerator ..... Date .....

Signature of Supervisor ..... Date .....

अनुलग्नक ख

भारत की जनगणना 1991

मकान सूची सार

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम ..... कोड नं. ..... ग्राम/नगर का नाम ..... कोड नं. ..... विकास खंड का नाम .....

जिला का नाम ..... कोड नं. ..... वार्ड/मोहल्ला/हैमलेट का नाम या नम्बर ..... कोड नं. .....

तहसील/तालुक/पुलिस थाना/विकास खंड/ सर्किल आदि का नाम ..... कोड नं. ..... गणक के ब्लाक का नम्बर ..... कोड नं. .....

मकान सूची की पृष्ठ संख्या	जनगणना मकानों की कुल संख्या (मकान सूची के कालम 3 से)	उपयोग के अनुसार जनगणना मकानों की संख्या						परिवारों की कुल संख्या (मकान सूची के कालम 8 से)	कुल जनसंख्या		
		आबाद आवासीय जनगणना मकान			खाली जनगणना मकान	कालम 5 और 6 का योग	अन्य उपयोग में लाए जा रहे जनगणना मकान (कालम 2 में से कालम 7 घटाएं)		पुरुष	स्त्रियां	योग
		पूर्णतः आवासीय	अंशतः आवासीय	कुल							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

जांच की और सही पाया

गणक के हस्ताक्षर ..... तारीख .....

सुपरवाइजर के हस्ताक्षर ..... तारीख .....

ANNEXE F

CENSUS OF INDIA 1991

HOUSELIST ABSTRACT

Name of State/Union Territory..... Code No. ..... Name of Village/Town ..... Code No. ..... Name of Dev. Block .....

Name of District..... Code No. ..... Name or No. of Ward/Mohalla/Hamlet..... Code No. .....

Name of Tehsil/Taluk/P.S./ Dev. Block/Circle, etc..... Code No. ..... Enumerator's Block No. ..... Code No. .....

Page No. of houselist	Total No. of census houses (from Col. 3 of houselist)	Number of census houses by use						Total No. of households (from col. 8 of Houselist)	Total population		
		Occupied residential census houses			Vacant census houses	Total of Cols. 5 & 6	Census houses put to other uses (Col. 2 minus Col. 7)		Males	Females	Total
		Wholly residential	Partly residential	Total							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											

Checked and found correct

Signature of Enumerator ..... Date .....

Signature of Supervisor ..... Date .....

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम उत्तर प्रदेश ..... कोड सं. 21 .....
जिला का नाम. रामपुर ..... कोड सं. 22 .....
शहरी/ग्रामीण/मिश्रित भाग/
निवास खण्ड/सीमेन्ट आदि का नाम... रामपुर ..... कोड सं. 1 .....

जनगणना खण्ड/कस्बा/नगर/वार्ड/मोहल्ला/टेनमेंट का नाम. रामपुर ..... कोड सं. 128 .....
गांव का नाम. रामपुर खास ..... कोड सं. .....
गणक खण्ड सं. 148

गणक का नाम ..... कोड सं. .....

मिलान संख्यांक	मकान सं. (यदि मकान संख्यांकित है) या मकान का विवरण (यदि मकान संख्यांकित नहीं है)	अनुसूची-सं. मकान सं.	जनगणना मकान में लगी प्रमुख सामग्री			जनगणना मकान किस उपयोग में आता है (यदि पूर्णतः या अंशतः एक या अनेक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है तो उद्देश्य सूची भरें)	यदि मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय है														अन्य विवरण
			दीवार	छत	फर्श		परिवार सं.	परिवार की क्रम संख्या	मकान परिवार के सदस्यों के लिए तिलों		क्या परिवार अपने मकान में रहता है या किराये पर (यदि 'हां' तो 2 अन्यथा 3) (टिप्पणी 1)	परिवार में व्यक्तियों की संख्या	परिवार को उपलब्ध सुविधाएं				आय वर्ग (टिप्पणी 2)	क्या परिवार का मुखिया या कोई अन्य सदस्य जनगणना मकान के बाहर और खुले में एक या अधिक उद्यम चला रहा है? यदि हां तो उद्यम सूची भरें।	परिवार में साधारणतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या			
									नाम				पीने के पानी का मुख्य स्रोत (टिप्पणी 3)		स्नान सुविधा (टिप्पणी 4)	शौचालय (टिप्पणी 5)					पुरुष	स्त्रियां	व्यक्ति	
										पुरुष (1) स्त्री (2)	या तो (1) या (2) (यदि 1 या 2 तो परिवार के मुखिया का लिंग लिखें अन्यथा 'अन्य' और चिन्हांकित के लिए लिंग लिखें)												
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1(1)	3	2	4	वर्कशाप-सह-आवास	1(1)	1	दीप प्रकाश	1	—	1	3	1	1	1	3	2	हां (1)	3	4	7	
2	—	—	—	—	—	गुड़ बनाना (मौसमी) (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	1(2)	1	1	1	पशु शेड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	2	2(1)	4	3	5	वर्कशाप-सह-आवास	2(1)	2	शीला रानी	2	1(कि)	2	2	1	1	1	1	1	—	2	5	7	
5	—	—	—	—	—	तेल घानी (मौसमी) (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	2(2)	1	1	1	पशु शेड-दूध बेचने के लिए पशु पालन (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	3	3	5	2	5	खाली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	परम्परा से
8	4	4	1	1	1	वर्कशाप-सह-आवास	4(क)	3	प्रीतम सिंह	1	1(कि)	3	1	3	1	2	2	1	हां(2)	2	2	4	
9	—	—	—	—	—	टोकरी बनना (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	आवास	4(ख)	4	नरेन्द्र सिंह	1	1(कि)	3	3	3	1	2	2	1	हां(3)	1	3	4	
		• योग 6					• योग 4												योग	8	14	22	

• प्रविष्टियों की गणना करें और उनका योग लिखें।

कोड पर्यवेक्षक

दीवार (कालम 4): घास, पत्ते, सरकण्डे, या बांस (1) | मिट्टी (2) | कच्ची ईंट (3) | लकड़ी (4) | पक्की ईंट (5) | लोहे की जस्ती चादरें या अन्य धातु की चादरें (6) | पत्थर (7) | सीमेंट कंक्रीट (8) | इलाय (9) | और | अन्य (10)

छत (कालम 5): घास, पत्ते, सरकण्डे, फूस, लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंट या बांस (1) | सपरैल, स्लेट या पटरा (2) | लोहे या जस्ते की नालीदार या अन्य धातु की चादरें (3) | एस्बेस्टस सीमेंट चादरें (4) | ईंट, पत्थर एवं चूना (5) | पत्थर (6) | कंक्रीट, आर. सी. सी., आर. सी. सी. (7) | और | अन्य (8)

फर्श (कालम 6): मिट्टी (1) | लकड़ी/तख्ते (2) | बांस या लट्ठा (3) | ईंट, पत्थर एवं चूना (4) | सीमेंट (5) | मोजेक/टाइल (6) | और | अन्य (7)

पीने के पानी की आपूर्ति के स्रोत (कालम 15): कुआं (1) | नल (2) | हैंड पम्प/ट्यूबवैल (3) | नदी/नहर (4) | तालाब (5) | और | अन्य (6)

खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन (कालम 19): उपला (1) | बिजली (2) | केरोसिन/कोक/लिग्नाइट (3) | लकड़ी/कोयला (4) | खाना पकाने की गैस (5) | लकड़ी (6) | बायोगैस (7) | मिट्टी का तेल (8) | और | अन्य (9)

गणक के हस्ताक्षर ..... तारीख.....

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर ..... तारीख.....

ANNEXE G
CENSUS OF INDIA 1991
HOUSELIST

Rural Block

Page No... 1 ...

CONFIDENTIAL

Name of State/UT ... Uttar Pradesh ... Code No. 21 ... Name of village/town ... Bishanpur ... Code No. 138 ... Name of Dev. Block ...

Name of District ... Rampur ... Code No. 22 ... Name or No. of ward/mohalla/hamlet ... Bishanpur Khas ... Code No. ... Code No. ...

Name of Tehsil/Taluk/PS/ Dev. Block/Circle, etc. ... Rampur ... Code No. 1 ... Enumeration Block No. 148 ... Code No. ...

Line No.	Building No. (Municipal or local authority or census No.)	Census house No.	Predominant construction material of census house: Wall	Roof	Floor	Purpose for which census house is used (if wholly or partly used for running one or more enterprises, fill enterprise list)	If used wholly or partly as a residence: Household No.	Serial No. of the household	For Head of Household only, write: Name	Male (1)/Female (2)	SC (1)/ST (2) (If SC ascertain religion and write 'H' for Hindus and 'S' for Sikhs within brackets after code 1)	Does the household live in owned or rented house? Write 1 for owned 2 for rented 3 for others	No. of living rooms in the occupation of household	Facilities available to the household: Drinking water supply: Source	Within premises (1)/ Outside premises (2)	Electricity - Yes (1)/No (2)	Toilet - Yes (1)/No. (2)	Type of fuel used for cooking	Is the household or one or more members of the household engaged in one or more enterprises outside this census house and without premises or in the open air? If yes, fill enterprise list	No. of persons normally residing in the household: Males	Females	Persons	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1(1)	3	2	4	Workshop-cum-residence	1(1)	1	Om Prakash	1	—	1	3	1	1	1	1	2	Yes(1)	3	4	7	
2	—	—	—	—	—	Gur Making (seasonal)(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	1(2)	1	1	1	Cattle Shed	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4		2(1)	4	3	5	Workshop-cum-residence	2(1)	2	Shila Rani	2	1(H)	2	2	1	1	1	1	7	—	2	5	7	
5	—	—	—	—	—	Oil Ghani (seasonal)(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	2(2)	1	1	1	Cattle Shed-Rearing Cattle for sale of milk (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	3	3	5	2	5	Vacant	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Under repair
8	4	4	1	1	1	Workshop-cum-residence	4(a)	3	Pritam Singh	1	1(S)	3	1	3	1	2	2	1	Yes(2)	3	2	4	
9	—	—	—	—	—	Basket making (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	4(b)	4	Mohinder Singh	1	1(S)	3	1	3	1	2	2	1	Yes(3)	1	3	4	
	* Total	6					* Total	4												Total	8	14	22

* Count the number of entries and give total

Key to Codes:

WALL (Col. 4): Grass, leaves, reeds or bamboos (1) | Mud (2) | Unburnt bricks (3) | Wood (4) | Burnt bricks (5) | G.I. Sheets or other metal sheets (6) | Stone (7) | Cement concrete (8) | Ekra (9) | and | Others (10)

ROOF (Col. 5): Grass, leaves, reeds, thatch, wood, mud, unburnt bricks or bamboos (1) | Tiles, shin or shingle (2) | Corrugated iron, zinc or other metal sheets (3) | Asbestos cement sheets (4) | Bricks, stone and lime (5) | Stone (6) | Concrete R.B.C./R.C.C. (7) | and | Others (8)

FLOOR (Col. 6): Mud (1) | Wood/Planks (2) | Bamboos or logs (3) | Bricks, stone and lime (4) | Cement (5) | Mosaic/Tiles (6) | and | Others (7)

SOURCE OF DRINKING WATER SUPPLY (Col. 15): Well (1) | Tap (2) | Handpump/tubewell (3) | River/canal (4) | Tank (5) | and | Others (6)

TYPE OF FUEL USED FOR COOKING (Col. 19): Cowdung cake (1) | Electricity (2) | Coal Coke/lignite (3) | Charcoal (4) | Cooking gas (5) | Wood (6) | Bio-gas (7) | Kerosene (8) | and | Others (9)

Signature of Enumerator ... Date ... Signature of Supervisor ... Date ...

147

अनुलग्नक II (समाप्त)

भारत की जनगणना 1991

नक्शन सूची

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम ..... उत्तर प्रदेश .....
जिले का नाम ..... रामपुर .....
तहसील/उपखंड/पुलिस थाना/
विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा आदि का नाम..... रामपुर .....

कोड नं. 21
कोड नं. 22
कोड नं. 1

शहर/कस्बे का नाम ..... बिलासपुर .....
नगर/पालिका/टाउनशिप का
वार्ड या नं. बिलासपुर कांच .....
गणना खंड नं. 148

कोड नं. 138
कोड नं. .....

पृष्ठ सं. 3 .....
गोपनीय
विकास खण्ड का नाम .....
कोड नं. .....

लाइन नम्बर	भवन नं. (नं. या स्थानीय प्राधिकारी या जनगणना द्वारा दिया गया नं.)	जनगणना मकान नं.	जनगणना मकान में लगी प्रमुख सामग्री			जनगणना मकान किस उपयोग में आता है (यदि पूर्णतः या अंशतः एक या अधिक उद्यमों के लिए उपयोग में लाया जाता है तो उद्यम सूची भरें)	बंद मकान पर्याप्त या अपर्याप्त आवासीय है														अन्य
			दीवार	छत	फर्श		परिवार की संख्या	परिवार की कुल संख्या	केवल परिवार के परिवहन के लिए निजी		क्या परिवार अपने मकान में एक या अधिक उद्यम (कृषि/कुटीर उद्योग/दुकान/होटल/अन्य के लिए) चलाता है?	परिवार के पास उपलब्ध कारों की संख्या	परिवार को उपलब्ध सुविधाएं				खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन	क्या परिवार या परिवार का एक या अधिक सदस्य जनगणना मकान के बाहर और अलग में एक या अनेक उद्यम चला रहा है? यदि हां तो उद्यम सूची भरें।	परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या			
									कार	स्कूटर, मोटर साइकिल या मोपेड (केवल 1 या अधिक होने पर 1 को छोड़कर और शेष के लिए 0.5 गिनें)			पीने के पानी की आपूर्ति		बिजली (1) हां (2) नहीं	शौचालय हां (1) नहीं (2)					
														घर में	घर के बाहर (2)					पुरुष	स्त्रियां	योग	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	—	7(2)	3	1	3	पशु क्षेत्र-दुग्ध संघर्ष के लिए पशु फार्म (8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	8	8(1)	10	1	2	कार्यालय	8(1) (क)	9	चाय की दुकान	1	—	1	2	1	1	1	1	7	—	3	4	7	
23	—	—	—	—	—	—	8(1)(ख)	10	रसद की दुकानिका	1	—	1	1	1	1	1	1	7	—	2	2	4	
24	—	8(2)	1	1	1	आढ़त-साख-पुस्तक पालन	8(2)	11	आढ़ति	2	1(हि)	2	1	1	1	1	1	7	हां(8)	3	1	4	
25	—	—	—	—	—	शूकर पालन (9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	9	9(1)	5	4	4	कपड़े की दुकान (10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	9(2)	5	4	4	खाद्यविक्रय सम्बन्धन की दुकान (11)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8																							
9																							
0																							
		• योग 5					• योग 3												योग	8	7	15	

• प्रविष्टियों की गणना करें और उनका योग लिखें।

कोड संकेत :

दीवार (कालम 4) : घास, पत्ते, सरकण्डे, या बांस (1) | मिट्टी (2) | कच्ची ईंट (3) | लकड़ी (4) | पक्की ईंट (5) | लोहे की चादरें या अन्य धातु की चादरें (6) | पत्थर (7) | सीमेंट कंक्रीट (8) | इकरा (9) और अन्य (10)

छत (कालम 5) : घास, पत्ते, सरकण्डे, फूस, टाकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंट या बांस (1) | खपरैल, स्लेट या पटरा (2) | लोहे या जस्ते की चादरें या अन्य धातु की चादरें (3) | एस्बेस्टस सीमेंट चादरें (4) | ईंट, पत्थर एवं चूना (5) | पत्थर (6) | कंक्रीट, आर. बी. सी. आर. सी. (7) और अन्य (8)

फर्श (कालम 6) : मिट्टी (1) | लकड़ी/तख्ते (2) | बांस या मटवा (3) | ईंट, पत्थर एवं चूना (4) | सीमेंट (5) | मोजेक/टाइल (6) और अन्य (7)

पीने के पानी की आपूर्ति के स्रोत (कालम 15) : कुआं (1) | नल (2) | हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल (3) | नदी/नहर (4) | तालाब (5) और अन्य (6)

खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन (कालम 19) : उपला (1) | बिजली (2) | कोयला/कोक/लिगनाइट (3) | मिट्टी का तेल (8) और अन्य (9)

गणक के हस्ताक्षर .....

तारीख .....

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर .....

तारीख .....

148

Name of State/UT... *Uttar Pradesh* Code No. 21
Name of District ... *Rampur* Code No. 22
Name of Tehsil/Taluk/P.S./
Dev. Block/Circle, etc... *Rampur* Code No. 1

Name of village/town ... *Bishanpur*
Name or No. of ward/mohalla/hamlet *Bishanpur Khas*
Enumeration Block No. 148

Code No. 138
Code No.

Name of Dev. Block
Code No.

Line No.	Building No (Municipal or local authority or census No.)	Census house No.	Predominant construction material of census house: Wall	Roof	Floor	Purpose for which census house is used (if wholly or partly used for running one or more enterprises, fill enterprise list)	If used wholly or partly as a residence: Household No.	Serial No. of the household	For Head of Household only, write: Name	Male (1)/Female (2)	SC (1)/ST (2) (If SC ascertain religion and write 'H' for Hindus and 'S' for Sikhs within brackets after code 1)	Does the household live in owned or rented house? Write 1 for owned 2 for rented 3 for others	No. of living rooms in the occupation of household	Facilities available to the household: Drinking water supply: Source	Drinking water supply: Within premises (1)/ Outside premises (2)	Electricity - Yes (1)/No (2)	Toilet - Yes (1)/No (2)	Type of fuel used for cooking	Is the household or one or more members of the household engaged in one or more enterprises outside this census house and without premises or in the open air? If yes, fill enterprise list	No. of persons normally residing in the household: Males	Females	Persons	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	—	7(2)	3	1	3	Cattle Shed-Rearing Cattle for sale of milk (8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	8	8(1)	10	1	2	Residence	8(1)(a)	9	V.P. Kataria	1	—	1	2	1	1	1	1	7	—	3	4	7	
23	—	—	—	—	—	—	8(1)(b)	10	S.P. Kataria	1	—	1	1	1	1	1	1	7	—	2	2	4	
24	—	8(2)	1	1	1	Residence-cum-Pig Rearing	8(2)	11	Kanti	2	1(H)	2	1	1	1	1	1	7	Yes(8)	3	1	4	
25	—	—	—	—	—	Pig Rearing (9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	9	9(1)	5	4	4	Cloth shop (10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	9(2)	5	4	4	Cycle Repair Shop (11)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—																		
9	—	—	—	—	—																		
10																							
	* Total	5					* Total	3												Total	5		15	

* Count the number of entries and give total

Key to Codes:

WALL (Col 4): Grass, leaves, reeds or bamboos (1); Mud (2); Unburnt bricks (3); Wood (4); Burnt bricks (5); G.I. Sheets or other metal sheets (6); Stone (7); Cement concrete (8); Ekra (9); and Others (10)

ROOF (Col 5): Grass, leaves, reeds, thatch, wood, mud, unburnt bricks or bamboos (1); Tiles, slate or shingle (2); Corrugated iron, zinc or other metal sheets (3); Asbestos cement sheets (4); Bricks, stone and lime (5); Stone (6); Concrete R.B.C./R.C.C. (7); and Others (8)

FLOOR (Col 6): Mud (1); Wood/Planks (2); Bamboos or logs (3); Bricks, stone and lime (4); Cement (5); Mosaic/Tiles (6); and Others (7)

SOURCE OF DRINKING WATER SUPPLY (Col 15): Well (1); Tap (2); Handpump/Tubewell (3); River/Canal (4); Tank (5); and Others (6)

TYPE OF FUEL USED FOR COOKING (Col 19): Cowdung cake (1); Electricity (2); Coal Coke/lignite (3); Charcoal (4); Cooking gas (5); Wood (6); Biogas (7); Kerosene (8); and Others (9)

Signature of Enumerator ... Date ...

Signature of Supervisor ... Date ...

परिशिष्ट 6

भारत की जनगणना 1991

मकान सूची

सर्वेक्षण क्षेत्र

खण्ड/ब्लॉक का नाम/संख्या ____ जिला ____

शहर का नाम ____ तहसील ____

वार्ड/मोहल्ला/ग्रामीण क्षेत्र का नाम/संख्या/पुलिस थाना/

चिकित्सा सम्पर्क/पर्यवेक्षण आदि का नाम ____

फोड नं ____

खोड नं ____

कोड नं ____

गणना खण्ड का नाम ____

खोड नं ____ I ____

खोड नं ____ II ____

खोड नं ____

मकान नम्बर	भवन नं (नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकारी या जनगणना द्वारा दिया गया नं.)	जनगणना मकान नं	जनगणना मकान में लगी प्रमुख सामग्री: दीवार	छत	फर्श	जनगणना मकान किस उपयोग में आता है (यदि पर्याप्त या अप्रयुक्त एक या अनेक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है तो उपयुक्त संख्या भरें)	यदि मकान पर्याप्त या अप्रयुक्त आवासीय है: परिवार नं	परिवार की क्रम संख्या	केवल परिवार के सदस्यों के विषय में: नाम	पुरुष (1) स्त्री (2)	व.ज.जा (1)/अ.ज.जा (2) (यदि अ.ज.जा के हों तो पूर्व पृष्ठ पर और कोष्ठक में विवरण के लिए 'वि' और विवरण के लिए 'वि' लिखें)	क्या परिवार अपने मकान में रहता है या किसी एक से अधिक कमरों के लिए (1) किराये पर (2) या अन्य के लिए (3) लिखें	परिवार के पास रहने के कमरों की संख्या	परिवार को उपलब्ध सुविधाएं: पीने के पानी की प्राप्ति: कोत	मकान के अहाते में (1), मकान के अहाते से बाहर (2)	बिजली का (1)/ नहीं (2)	शौचालय का (1)/ नहीं (2)	खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन	क्या परिवार या परिवार का एक या अनेक सदस्य जनगणना मकान के बाहर और खुले में एक या अनेक उद्यम चला रहा है? यदि हां तो उपयुक्त संख्या भरें।	परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या: पुरुष	स्त्रियां	व्यक्ति	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	182	182(1)	3	2	5	आवास	182(1)(क)	1	बिशेश्वर	1	—	2	2	2	1	1	1	7	—	4	5	9	
2	—	—	—	—	—	—	182(1)(ख)	2	घनश्याम	1	—	2	2	2	1	1	1	7	हां (1)	2	4	6	
3	—	182(2)	5		4	आवास-सह-दर्जीकाम	182(2)	3	राम सरन	1	—	1	3	2	1	1	1	5	—	4	3	7	
4	—	—	—	—	—	टांकी घनाम (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	183	183	7	7	5	शाला	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	अपूर्ण निर्माण
6	184	184(1)	3	2	2	दुकान-सह-चर्कशाप-सह-आवास	184(1)	4	मनोज दास	1	1 (वि)	1	2	3	1	1	1	3	—	5	3	8	
7	—	—	—	—	—	कपड़े की दुकान (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	दवाओं दुकान (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	184(2)	3	2	4	लाउंडरी (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	185	185(1)	5	7	6	डाक्टर का क्लिनिक एवंपेंचक (5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		• योग 6					• योग												योग	15	15	30	

• प्रविष्टियों की गणना करें और उनका योग लिखें।

भौर मकान

दीवार (कालम 4): घास, पत्ते, सरकण्डे, या बांस (1) | मिट्टी (2) | कच्ची ईंट (3) | लकड़ी (4) | पक्की ईंट (5) | लोहे की जस्ती चादरें या अन्य धात की चादरें (6) | पत्थर (7) | सीमेंट कंक्रीट (8) | ईंटका (9) | और | अन्य (10)

छत (कालम 5): घास, पत्ते, सरकण्डे, फूस, लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंट या बांस (1) | सपरैल, स्लेट या पटरा (2) | लोहे या जस्ते की नालीदार या अन्य धात की चादरें (3) | एसबेस्टस सीमेंट चादरें (4) | ईंट, पत्थर एवं चूना (5) | पत्थर (6) | कंक्रीट, आर.बी.सी, आर.सी.सी (7) | और | अन्य (8)

फर्श (कालम 6): मिट्टी (1) | लकड़ी/तख्ते (2) | बांस या सट्टा (3) | ईंट, पत्थर एवं चूना (4) | सीमेंट (5) | मोजेक/टाइल (6) | और | अन्य (7)

पीने के पानी की आपूर्ति के स्रोत (कालम 15): नल (1) | नल (2) | हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल (3) | नदी/नहर (4) | तालाब (5) | और | अन्य (6)

खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन (कालम 19): उपला (1) | बिजली (2) | कोयला/कोक/लिगनाइट (3) | मिट्टी का तेल (8) | और | अन्य (9)

गणक के हस्ताक्षर ____ तारीख ____

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर ____ तारीख ____

ANNEXE G
CENSUS OF INDIA 1991
HOUSELIST

Urban Block

Page No... 1 .....

CONFIDENTIAL

Name of State/UT ... Bihar ... Code No. 3 ... Name of village/town ... Hazaribagh ... Code No. ... I ... Name of Dev. Block ...
Name of District ... Hazaribagh ... Code No. 8 ... Name or No. of ward/mohalla/hamlet ... XI ... Code No. ... II ...
Name of Tehsil/Taluk/P.S./ ... Code No. ... Enumeration Block No. 120 ... Code No. ...
Dev. Block/Circle, etc. ...

Line No.	Building No. (Municipal or local authority or census No.)	Census house No.	Predominant construction material of census house: Wall	Roof	Floor	Purpose for which census house is used (if wholly or partly used for running one or more enterprises, fill enterprise list)	If used wholly or partly as a residence: Household No.	Serial No. of the household	For Head of Household only, write: Name	Male (1)/Female (2)	SC (1)/ST (2) (If SC ascertain religion and write 'H' for Hindus and 'S' for Sikhs within brackets after code 1)	Does the household live in owned or rented house? Write 1 for owned 2 for rented 3 for others	No. of living rooms in the occupation of household	Facilities available to the household: Drinking water supply: Source	Within premises (1)/ Outside premises (2)	Electricity : Yes (1)/No (2)	Toilet : Yes (1)/No (2)	Type of fuel used for cooking	Is the household or one or more members of the household engaged in one or more enterprises outside this census house and without premises or in the open air? If yes, fill enterprise list	No. of persons normally residing in the household: Males	Females	Persons	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	182	182(1)	3	2	5	Residence	182(1)(a)	1	Bisheshar	1	—	2	2	2	1	1	1	7	—	4	5	9	
2	—	—	—	—	—	—	182(1)(b)	2	Ghanshyam	1	—	2	2	2	1	1	1	7	Yes(1)	2	4	6	
3	—	182(2)	5	3	4	Residence-cum-workshop	182(2)	3	Ram Saran	1	—	1	3	2	1	1	1	5	—	4	3	7	
4	—	—	—	—	—	Basket making (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	183	—	7	7	5	Vacant	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Incomplete construction
6	184	184(1)	3	2	2	Shop-cum-Workshop-cum-Residence	184(1)	4	Ganesh Das	1	1(H)	1	2	3	1	1	1	3	—	5	3	8	
7	—	—	—	—	—	Cloth Shop (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	Tailoring Workshop (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	184(2)	3	2	4	Laundry (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	185	185(1)	5	7	6	Doctor's clinic-Allopathic (5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	* Total	6					* Total	4											Total	15	15	30	

* Count the number of entries and give total

Key to Codes:

WALL (Col 4): Grass, leaves, reeds or bamboos (1) | Mud (2) | Unburnt bricks (3) | Wood (4) | Burnt bricks (5) | G.I. Sheets or other metal sheets (6) | Stone (7) | Cement concrete (8) | Ekra (9) | and | Others (10)

ROOF (Col 5): Grass, leaves, reeds, thatch, wood, mud, unburnt bricks or bamboos (1) | Tiles, slate or shingle (2) | Corrugated iron, zinc or other metal sheets (3) | Asbestos cement sheets (4) | Bricks, stone and lime (5) | Stone (6) | Concrete R.B.C./R.C.C. (7) | and | Others (8)

FLOOR (Col 6): Mud (1) | Wood/Planks (2) | Bamboos or logs (3) | Bricks, stone and lime (4) | Cement (5) | Mosaic/Tiles (6) | and | Others (7)

SOURCE OF DRINKING WATER SUPPLY (Col 15): Well (1) | Tap (2) | Handpump/tubewell (3) | River/canal (4) | Tank (5) | and | Others (6)

TYPE OF FUEL USED FOR COOKING (Col 19): Cowdung cake (1) | Electricity (2) | Coal Coke/lignite (3) | Charcoal (4) | Cooking gas (5) | Wood (6) | Biogas (7) | Kerosene (8) | and | Others (9)

Signature of Enumerator ... Signature of Supervisor ... Date ...

अनुलग्नक ङ

भारत की जनगणना 1991

मकान सूची सार

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम ..... उत्तर प्रदेश ..... कोड नं. 21 ..... ग्राम/नगर का नाम ..... विशनपुर ..... कोड नं. 138 ..... विकास खंड का नाम .....

जिले का नाम ..... रामपुर ..... कोड नं. 22 ..... वार्ड/मोहल्ला/हैमलेट का नाम या नम्बर ... विशनपुर खास .... कोड नं. ....

तहसील/तालुक/पुलिस थाना/विकास ब्लॉक/ सर्किल आदि का नाम ..... रामपुर ..... कोड नं. 1 ..... प्रगणक के ब्लाक का नम्बर .. 148 ..... कोड नं. .....

मकान सूची की पृष्ठ संख्या	जनगणना मकानों की कुल संख्या (मकान सूची के कालम 3 से)	उपयोग के अनुसार जनगणना मकानों की संख्या						परिवारों की कुल संख्या (मकान सूची के कालम 8 से)	कुल जनसंख्या		
		आबाद आवासीय जनगणना मकान			खाली जनगणना मकान	कालम 5 और 6 का योग	अन्य उपयोग में लाए जा रहे जनगणना मकान (कालम 2 में से कालम 7 घटायें)		पुरुष	स्त्रियां	योग
		पूर्णतः आवासीय	अंशतः आवासीय	कुल							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	–	3	3	1	4	2	4	8	14	22
2	5	–	3	3	1	4	1	4	12	11	23
3	5	1	1	2	–	2	3	3	8	7	15
योग	16	1	7	8	2	10	6	11	28	32	60

जांच की और सही पायी

प्रगणक के हस्ताक्षर ..... तारीख ..... सुपरवाइजर के हस्ताक्षर ..... तारीख .....

ANNEXE H

CENSUS OF INDIA 1991

HOUSELIST ABSTRACT

Rural Block

Name of State/Union Territory *Uttar Pradesh* Code No. 21 Name of Village/Town *Bishanpur* Code No. 138 Name of Dev. Block .....

Name of District *Rampur* Code No. 22

Name of Tehsil/Taluk/P.S./ Name or No. of Ward/Mohalla/Hamlet *Bishanpur* Code No. .....

Dev. Block/Circle, etc. *Rampur* Code No. 1 Enumerator's Block No. 148 *Khas* Code No. .....

Page No. of houselist	Total No. of census houses (from Col. 3 of houselist)	Number of census houses by use						Total No. of households (from col. 8 of Houselist)	Total population		
		Occupied residential census houses			Vacant census houses	Total of Cols. 5 & 6	Census houses put to other uses (Col. 2 minus Col. 7)		Males	Females	Total
		Wholly residential	Partly residential	Total							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	—	3	3	1	4	2	4	8	14	22
2	5	—	3	3	1	4	1	4	12	11	23
3	5	1	1	2	—	2	3	3	8	7	15
Total	16	1	7	8	2	10	6	11	28	32	60

Checked and found correct

Signature of Enumerator ..... Date .....

Signature of Supervisor ..... Date .....

क्रम संख्या	भवन न (न पा.या स्थानीय प्राधिकारी या जनगणना द्वारा दिया गया न.)	जनगणना मकान न	जनगणना मकान में सामने प्रमुख सामग्री			जनगणना मकान किस उपयोग में आता है (यदि एक से अधिक उपयोग के लिए उपयोग में लाया जाता है तो उपयुक्त सूची भरें)	परिवार का क्रम संख्या	परिवार की क्रम संख्या	संयुक्त परिवार के मुखिया के लिए लिखें			क्या परिवार अपने मकान में रहता है या किराये के मकान में (1 किराये के लिए 2 तथा अन्य के लिए 3 लिखें)	परिवार के पास रहने के कमरों की संख्या	परिवार को उपलब्ध सुविधाएं				खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन	क्या परिवार या परिवार का एक या अनेक सदस्य जनगणना मकान के बाहर और सोने में एक या अनेक उपम चला रहा है? यदि हां तो उपम सूची भरें।	परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या			अन्य विवरण
			दीवार	छत	फर्श				नाम	पुरुष (1) / स्त्री (2)	आ क्र (1) / अ क्र क्र (2) (यदि अ क्र क्र (2) है तो पता चलें और कोड 1 के बाद जोड़िए के लिए "हि" और लिखने के लिए "हि" लिखें)			पीने के पानी की पूर्ति: स्रोत	पीने के पानी की पूर्ति: मकान के अहाते में (1) / मकान के अहाते के बाहर (2)	बिजली हां (1) / नहीं (2)	शौचालय हां (1) / नहीं (2)			पुरुष	स्त्रियां	व्यक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	—	189(2)	3	7	5	व्यापार गृह (13)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	190	190(1)	3	7	6	दुकान-सह-आवास	190(1)	8	हरि मोहन	1	—	2	2	2	1	1	1	4	हां (4)	3	3	6	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	हां (5)	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	पान की दुकान (14)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	190(2)	3	7	5	बैठक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	191	191(1)	6	3	—	दुकान-सह-आवास	191(1)	9	रामवती	2	—	1	2	2	1	1	1	7	हां (6)	3	2	5	
27	—	—	—	—	—	गुड़ बनाना (भोजनी) (15)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	191(2)	2	1	1	रद्दी ढेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	192	192(1)	3	2	5	आवास	192(1)	10	खरराम	1	—	1	1	3	1	1	1	3	हां (7)	2	2	4	
30	—	192(2)	2	1	1	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	* योग	7					* योग	3											योग	8	7	15	

* प्रविष्टियों की गणना करें और उनका योग लिखें।

कोड संकेत

दीवार (कालम 4): घास, पत्ते, सरकण्डे या बांस (1); मिट्टी (2); कच्ची ईंट (3); लकड़ी (4); पक्की ईंट (5); लोहे की जस्ती चादर या अन्य धातु की चादरें (6); पत्थर (7); गोबर/कच्चा गारा (8); प्लास्टर (9); और अन्य (10)।

छत (कालम 5): घास, पत्ते, सरकण्डे, फूस, लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंट या बांस (1); खपरैल, स्लेट या पत्थर (2); लोहे या जस्ती धातु की चादर (3); एसबेस्टस सीमेंट चादरें (4); ईंट, पत्थर एवं चूना (5); प्लास्टर (6); [illegible] और अन्य (8)।

फर्श (कालम 6): मिट्टी (1); लकड़ी/तख्ता (2); बांस या सरकंडा (3); ईंट, पत्थर एवं चूना (4); सीमेंट (5); [illegible] और अन्य (7)।

पीने के पानी की आपूर्ति के स्रोत (कालम 15): कुआं (1); नल (2); हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल (3); नदी/नहर (4); तालाब (5); और अन्य (6)।

खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन (कालम 19): उपला (1); बिजली (2); कोयला/कोक/लिग्नाइट (3); लकड़ी/झाड़ियां (4); गाय/पशुओं के गोबर (5); नकड़ी (6); बायोगैस (7); मिट्टी का तेल (8); और अन्य (9)।

गणक के हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

ANNEXE G -Contd.
CENSUS OF INDIA 1991
HOUSELIST

Urban Block

Page No. 3

CONFIDENTIAL

Name of State/UT Bihar — Code No. 3 — Name of village/town Hazaribagh — Code No. I — Name of Dev. Block

Name of District Hazaribagh — Code No. 8 — Name or No. of ward/mohalla/hamlet XI — Code No. II

Name of Tehsil/Taluk/P.S./ Dev. Block/Circle, etc. — Code No. — Enumeration Block No. 120 — Code No.

Line No.	Building No (Municipal or local authority or census No.)	Census house No.	Predominant construction material of census house: Wall	Roof	Floor	Purpose for which census house is used (if wholly or partly used for running one or more enterprises, fill enterprise list)	If used wholly or partly as a residence: Household No.	Serial No. of the household	For Head of Household only, write: Name	Male (1)/Female (2)	SC (1)/ST (2) (If SC ascertain religion and write 'H' for Hindus and 'S' for Sikhs within brackets after code 1)	Does the household live in owned or rented house? Write 1 for owned 2 for rented 3 for others	No. of living rooms in the occupation of household	Facilities available to the household: Drinking water supply: Source	Drinking water supply: Within premises (1)/ Outside premises (2)	Electricity : Yes (1)/No (2)	Toilet : Yes (1)/No. (2)	Type of fuel used for cooking	Is the household or one or more members of the household engaged in one or more enterprises outside this census house and without premises or in the open air? If yes, fill enterprise list	No. of persons normally residing in the household: Males	Females	Persons	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	—	189(2)	5	7	5	Business House (13)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	190	190(1)	3	7	6	Shop-cum-Residence	190(1)	8	Hari Mohan	1	—	2	2	2	1	1	1	4	Yes(4)	3	3	6	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Yes(5)	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	Pan Shop (14)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	190(2)	3	7	5	Baithak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	191	191(1)	6	3	4	Workshop-cum-Residence	191(1)	9	Ramvati	2		1	2	2	1	1	1	7	Yes(6)	3	2	5	
27	—	—	—	—	—	Gur Making (seasonal)(15)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	191(2)	2	1	1	Cattle Shed	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	192	192(1)	3	2	5	Residence	192(1)	10	Chand Ram	1		1	1	3	1	1	1	3	Yes(7)	2	2	4	
30		192(2)	2		1	Cattle Shed-Rearing Cattle for sale of milk (16)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	* Total	7					* Total	3												Total	8	7	15	

* Count the number of entries and give total

Key to Codes:

WALL (Col. 4): Grass, leaves, reeds or bamboos (1); Mud (2); Unburnt bricks (3); Wood (4); Burnt bricks (5); G.I. Sheets or other metal sheets (6); Stone (7); Cement concrete (8); Ekra (9); and Others (10)

ROOF (Col. 5): Grass, leaves, reeds, thatch, wood, mud, unburnt bricks or bamboos (1); Tiles, slate or shingle (2); Corrugated iron, zinc or other metal sheets (3); Asbestos cement sheets (4); Bricks, stone and lime (5); Stone (6); Concrete R.B.C./R.C.C. (7); and Others (8)

FLOOR (Col. 6): Mud (1); Wood/Planks (2); Bamboos or logs (3); Bricks, stone and lime (4); Cement (5); Mosaic/Tiles (6); and Others (7)

SOURCE OF DRINKING WATER SUPPLY (Col. 15): Well (1); Tap (2); Handpump/tubewell (3); River/canal (4); Tank (5); and Others (6)

TYPE OF FUEL USED FOR COOKING (Col. 19): Cowdung cake (1); Electricity (2); Coal Coke/lignite (3); Charcoal (4); Cooking gas (5); Wood (6); Bio-gas (7); Kerosene (8); and Others (9)

Signature of Enumerator — Date

Signature of Supervisor — Date

अनुलग्नक 5 (क्रमशः)
भारत की जनगणना 1991
मकान सूची

प्रशिक्षण केन्द्र

पृष्ठ सं... 2

गोपनीय

राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र का नाम उत्तर प्रदेश ..... कोड सं... 21 .....
जिले का नाम रामपुर ..... कोड सं.....22 .....
तहसील/तालुक/परिक्षेत्र धानी/
विकास खण्ड/मंडियम आदि का नाम... रामपुर ..... कोड सं..... 1 .....

ग्राम/कस्बे का नाम शिवनपुर
वार्ड/मोहल्ला/इन्यूमेरेटर का
नाम या सं शिवनपुर खास
गणना ब्लाक सं 148

कोड सं. 138 .....
कोड सं .....

विकास खण्ड का नाम .....
कोड सं .....

भवन नम्बर	भवन सं (न.पा.या स्थानीय प्राधिकारी या जनगणना द्वारा दिया गया सं.)	जनगणना मकान सं	जनगणना मकान में लगी प्रमुख सामग्री			जनगणना मकान किस उपयोग में आता है (यदि पूर्णतः या अंशतः एक या अनेक उद्यमों के लिए उपयोग में लाया जाता है तो उद्यम सभी भरें)	यदि मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय है														अन्य विवरण
			दीवार	छत	फर्श		परिवार सं	परिवार की कुल संख्या	जिस परिवार के मोहिया के लिए लिखें					परिवार को उपलब्ध सुविधाएं						क्या परिवार या परिवार का एक या अनेक सदस्य जनगणना मकान के बाहर और खुले में एक या अनेक उद्यम चला रहा है? यदि हां तो उद्यम सभी भरें।	परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या			
									नाम	पुरुष (1), स्त्री (2)	अ.जा. (1)/अ.ज.जा. (2) (यदि अ.जा. अ.ज.जा. नहीं है तो खाली छोड़ दें)	क्या परिवार के पास रहने के लिए किराये के / अनुदत्त (लाइसेंसी) निवास के लिए; 2 अन्य के लिए; 3 निवास नहीं	परिवार के पास रहने के कमरों की संख्या	पीने के पानी की आपूर्ति: कोत	पीने के पानी की आपूर्ति: मकान के अहाते के बाहर (2)	बिजली हां (1)/ नहीं (2)	शौचालय हां (1)/ नहीं (2)	खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन		पुरुष	स्त्रियां	व्यक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	5	5(1)	1	1	1	पर्कशाप-सह-आवास	5(1)	5	भोलानाथ	1	—	2	1	3	1	2	2	3	हां(4)	2	2	4	
12	—	—	—	—	—	बुनाई (5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	5(2)	1	1	1	पशु शेड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	6	6(1)	5	5	6	दुकान सह-आवास	6(1)	6	रामनाथ	1	—	1	3	3	1	1	1	8	—	4	5	9	
15	—	—	—	—	—	विद्यालय (6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	6(2)	5	5	5	खाली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	खाना व सिर छाने
17	7	7(1)	2	1	4	दुकान-सह-आवास	7(1)क	7	लालमती	2	2	1	1	1	1	2	2	2	हां 5)	4	3	7	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	हां(6)	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	7(1)ख	8	बंशीलाल	1	2	1	1	1	1	2	2	2	हां (7)	2	1	3	
20	—	—	—	—	—	माल की दुकान (7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		* योग 5					* योग 4													योग 12	11	23	

* प्रविष्टियों की संख्या लिखें और उनका योग लिखें।

कोड संकेत

दीवार (कालम 4): घास, पत्ते, सरकंडे, या बांस (1); मिट्टी (2); पक्की ईंट (3); लकड़ी (4); पक्की ईंट (5); लोहे की चादरें या अन्य धातु की चादरें (6); पत्थर (7); सीमेंट कंक्रीट (8); इकरा (9); और अन्य (10)

छत (कालम 5): घास, पत्ते, सरकंडे, फूस, लकड़ी, मिट्टी, पक्की ईंट या बांस (1); एसबेस्टस सीमेंट चादरें (2); लोहे या इस्पात की चादरें या अन्य धातु की चादरें (3); एसबेस्टस सीमेंट चादरें (4); ईंट, पत्थर एवं चूना (5); पत्थर (6); कंक्रीट आर बी सी आर सी सी (7); और अन्य (8)

फर्श (कालम 6): मिट्टी (1); लकड़ी/तख्ता (2); बांस या लट्ठा (3); ईंट पत्थर एवं चूना (4); सीमेंट (5); मोजेक/टाइल्स (6); और अन्य (7)

पीने के पानी की आपूर्ति (कालम 15): नलका (1); नल (2); हैण्ड पम्प/ट्यूबवेल (3); कुएं/झरा (4); तालाब (5); और अन्य (6)

खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन (कालम 19): लकड़ी (1); बिजली (2); कोयला/कोक/लिगनाइट (3); मिट्टी का तेल (4); गोबर पाथने की गैस (5); लकड़ी (6); बायोगैस (7); मिट्टी का तेल (8); और अन्य (9)

गणक के हस्ताक्षर

सुपरवाइजर के हस्ताक्षर

156

ANNEXE G -Contd.
CENSUS OF INDIA 1991
HOUSELIST

Rural Block

Page No. 2

CONFIDENTIAL

Name of State/UT ..Uttar Pradesh.. Code No. 21
Name of District ..Rampur.. Code No. 22
Name of Tahsil/Taluk/PS/ Dev. Block/Circle, etc. ..Rampur.. Code No. 1

Name of village/town ..Bishanpur.. Code No. 135
Name or No. of ward/mohalla/hamlet ..Bishanpur Khas Code No.
Enumeration Block No. 148

Name of Dev. Block
Code No.

Line No.	Building No. (Municipal or local authority or census No.)	Census house No.	Predominant construction material of census house: Wall	Roof	Floor	Purpose for which census house is used (if wholly or partly used for running one or more enterprises, fill enterprise list)	If used wholly or partly as a residence: Household No.	Serial No. of the household	For Head of Household only, write: Name	Male (1)/Female (2)	SC (1)/ST (2) (If SC ascertain religion and write 'H' for Hindus and 'S' for Sikhs within brackets after code 1)	Does the household live in owned or rented house? Write 1 for owned 2 for rented 3 for others	No. of living rooms in the occupation of household	Facilities available to the household: Drinking water supply: Source	Drinking water supply: Within premises (1)/ Outside premises (2)	Electricity : Yes (1)/No (2)	Toilet : Yes (1)/No. (2)	Type of fuel used for cooking	Is the household or one or more members of the household engaged in one or more enterprises outside this census house and without premises or in the open air? If yes, fill enterprise list	No. of persons normally residing in the household: Males	Females	Persons	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	5	5(1)	1	1	1	Workshop-cum-Residence	5(1)	5	Bhola Nath	1	—	2	1	3	1	2	2	3	Yes(4)	2	2	4	
12	—	—	—	—	—	Weaving (5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	5(2)	1	1	1	Cattle Shed	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	6	6(1)	5	5	6	Shop-cum-Residence	6(1)	6	Ram Nath	1	—	1	3	3	1	1	1	8	—	4	5	9	
15	—	—	—	—	—	Grocery (6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	6(2)	5	5	5	Vacant	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	For want of tenant
17	7	7(1)	2	1	4	Shop-cum-residence	7(1)(a)	7	Lajwanti	2	2	1	1	1	1	2	2	2	Yes(5)	4	3	7	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Yes(6)	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	7(1)(b)	8	Bansi Lal	1	2	1	1	1	1	2	2	2	Yes(7)	2	1	3	
20	—	—	—	—	—	Meat Shop (7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	* Total	5				* Total	4												Total	12	11	23	

* Count the number of entries and give total

Key to Codes:

WALL (Col. 4): Grass, leaves, reeds or bamboos (1); Mud (2); Unburnt bricks (3); Wood (4); Burnt bricks (5); G.I. Sheets or other metal sheets (6); Stone (7); Cement concrete (8); Plast (9); and Others (10).

ROOF (Col. 5): Grass, leaves, reeds, thatch, wood, mud, unburnt bricks or bamboos (1); Tiles, slate or shingle (2); Corrugated iron, zinc or other metal sheets (3); Asbestos cement sheets (4); Bricks, stone and lime (5); Stone (6); Concrete R.B.C./R.C.C. (7); and Others (8).

FLOOR (Col. 6): Mud (1); Wood/Planks (2); Bamboos or logs (3); Bricks, stone and lime (4); Cement (5); Mosaic/Tiles (6); and Others (7).

SOURCE OF DRINKING WATER SUPPLY (Col. 15): Well (1); Tap (2); Handpump/tubewell (3); River/canal (4); Tank (5); and Others (6).

TYPE OF FUEL USED FOR COOKING (Col. 19): Cowdung cake (1); Electricity (2); Coal Coke/lignite (3); Charcoal (4); Cooking gas (5); Wood (6); Bio-gas (7); Kerosene (8); and Others (9).

Signature of Enumerator ..... Date .....

Signature of Supervisor ..... Date .....

157

अनुबन्धक ख (शहरी)
भारत की जनगणना 1991
मकान सूची

मकानीय आवास

पृष्ठ सं. 2

गोपनीय

राज्य/पूर्ण सूर्यक्षेत्र का नाम बिहार ..... कोड नं. 3 .....
जिले का नाम हजारीबाग ..... कोड नं. 8 .....
तहसील/तालुक/पुलिस थाना/
विकास खण्ड/मंडल आदि का नाम ..... कोड नं. .....

ग्राम/कस्बे का नाम हजारीबाग ..... कोड नं. I .....
वार्ड/मोहल्ला/हिमलेट का
नाम या नं. XI ..... कोड नं. II .....
प्रगणक ब्लाक नं. 120 .....

विकास खण्ड का नाम .....
कोड नं. .....

लाइन नम्बर	भवन न (न.पा या स्थानीय प्राधिकारी या जनगणना द्वारा दिया गया न.)	जनगणना मकान न	जनगणना मकान में लगी प्रमुख सामग्री: दीवार	छत	फर्श	जनगणना मकान किस उपयोग में आता है (यदि पूर्णतः या अंशतः एक या अनेक उद्यमों के लिए उपयोग में लाया जाता है तो उद्यम सूची भरें)	यदि मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय है: परिवार न	परिवार की क्रम संख्या	केवल परिवार के मुखिया के लिए लिखें: नाम	पुरुष (1)/स्त्री (2)	अ.जा. (1)/अ.ज.जा. (2) (यदि अ.जा. को है तो धर्म पता करें और कोड 1 के बाद कोष्ठक में हिन्दू/जो के लिए "हि" और मिक्खों के लिए "सि" लिखें)	क्या परिवार अपने मकान में रहता है या किराये के ? अपने मकान के लिए (1) किराये के लिए (2) तथा अन्य के लिए (3) लिखें।	परिवार के पास रहने के कमरों की संख्या	परिवार को उपलब्ध सुविधाएं: पीने के पानी की आपूर्ति: स्रोत	मकान के अहाते में (1)/मकान के अहाते से बाहर (2)	बिजली हां (1)/ नहीं (2)	शौचालय हां (1)/ नहीं (2)	खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन	क्या परिवार या परिवार का एक या अनेक सदस्य जनगणना मकान के बाहर और खुले में एक या अनेक उद्यम चला रहा है? यदि हां तो उद्यम सूची भरें।	परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या: पुरुष	स्त्रियां	व्यक्ति	अन्य विवरण
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	—	185(2)	5	7	6	जिल्दसाजी की वर्कशाप (6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	185(3)	5	7	5	किताबों की दुकान (7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	186	186	3	2	4	दुकान-सह-आवास	186	5	पार्वती	2	—	1	2	2	1	1	1	7	हां (2)	3	4	7	
14	—	—	—	—	—	सब्जी की दुकान (8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	187	187	3	2	5	दुकान-सह-वर्कशाप- सह-आवास	187	6	किशनलाल	1	1 (हि)	1	1	3	1	1	1	4	हां (3)	5	3	8	
16	—	—	—	—	—	पपड़ बनाना (9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	किराने की दुकान (10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	188	188	5	4	5	स्कूल-सह-आवास	188	7	कालीचरण	1	—	2	1	1	1	1	1	1	—	2	2	4	
19	—	—	—	—	—	स्कूल (11)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	189	189(1)	5	7	5	सामुदायिक केन्द्र (12)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	* योग	6				* योग	3												योग	10	9	19	

* इकाइयों की गणना करें और उनका योग लिखें।

कोड संकेत

दीवार (कालम 4): घास, पत्ते, सरकण्डे या बांस (1) | मिट्टी (2) | कच्ची ईंट (3) | लकड़ी (4) | पक्की ईंट (5) | लोहे की जस्ती चादरें या अन्य धातु की चादरें (6) | पत्थर (7) | सीमेंट कंक्रीट (8) | इकरा (9) और अन्य (10)

छत (कालम 5): घास, पत्ते, सरकण्डे, फूस, लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंट या बांस (1) | खपरैल, स्लेट या पटरा (2) | लोहे या जस्ते की गाड़ीदार या अन्य धातु की चादरें (3) | एस्बेस्टस सीमेंट चादरें (4) | ईंट, पत्थर एवं चूना (5) | पत्थर (6) | कंक्रीट, आर.सी.सी., आर.सी.सी. (7) और अन्य (8)

फर्श (कालम 6): मिट्टी (1) | लकड़ी/तख्ते (2) | बांस या लट्ठा (3) | ईंट, पत्थर एवं चूना (4) | सीमेंट (5) | मोजेक/टाइल (6) और अन्य (7)

पीने के पानी की आपूर्ति के स्रोत (कालम 15): कुंआ (1) | नल (2) | हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल (3) | नदी/नहर (4) | तालाब (5) और अन्य (6)

खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन (कालम 19): उपला (1) | बिजली (2) | कोयला/कोक/लिगनाइट (3) | लकड़ी/कोयला (4) | खाना पकाने की गैस (5) | लकड़ी (6) | आयोनैम (7) | मिट्टी का तेल (8) और अन्य (9)

प्रगणक के हस्ताक्षर ..... तारीख .....

सुपरवाइजर के हस्ताक्षर ..... तारीख .....

ANNEXE G -Contd.
CENSUS OF INDIA 199[ ]
HOUSELIST

Urban Block

Page No... 2 ....

CONFIDENTIAL

Name of State/UT Bihar ..... Code No. 3 .....
Name of District Hazaribagh ..... Code No. 8
Name of Tehsil/Taluk/P.S./ Dev. Block/Circle, etc. ..... Code No.

Name of village/town ... Hazaribagh .....
Name or No. of ward/mohalla/locality XI .....
Enumeration Block No. 120

Code No. I .....
Code No. II .....

Name of Dev. Block .....
Code No. .....

Line No	Building No (Municipal or local authority or census No.)	Census house No.	Predominant construction material of census house: Wall	Roof	Floor	Purpose for which census house is used (if wholly or partly used for running one or more enterprises, fill enterprise list)	If used wholly or partly as a residence: Household No.	Serial No. of the household	For Head of Household only, write: Name	Male (1)/Female (2)	SC (1)/ST (2) (If SC ascertain religion and write 'H' for Hindus and 'S' for Sikhs within brackets after code 1)	Does the household live in owned or rented house? Write 1 for owned 2 for rented 3 for others	No. of living rooms in the occupation of household	Facilities available to the household: Drinking water supply: Source	Drinking water supply: Within premises (1)/ Outside premises (2)	Electricity Yes (1)/No (2)	Toilet Yes (1)/No (2)	Type of fuel used for cooking	Is the household or one or more members of the household engaged in one or more enterprises outside this census house and without premises or in the open air? If yes, fill enterprise list	No. of persons normally residing in the household: Males	Females	Persons	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	—	185(2)	5	7	6	Book Binding Workshop (6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	185(3)	5	7	5	Book Shop (7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	186	186	3	2	4	Shop-cum-residence	186	5	Parvati	2	—	1	2	2	1	1	1	7	Yes(2)	3	4	7	
14	—	—	—	—	—	Vegetable Shop (8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	187	187	3	2	5	Shop-cum-workshop-cum-residence	187	6	Kishan Lal	1	1(H)	1	1	3	1	1	1	4	Yes(3)	5	3	8	
16	—	—	—	—	—	Papad Making (9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	Grocery (10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	188	188	5	4	5	School-cum-Residence	188	7	Kali Charan	1	—	2	1	1	1	1	1		—	2	2	4	
19	—	—	—	—	—	School (11)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	189	189(1)	5	7	5	Community Centre (12)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	* Total	6					* Total	3												Total	10	9	19	

* Count the number of entries and give total

Key to Codes:

WALL (Col. 4): Grass, leaves, reeds or bamboos (1) | Mud (2) | Unburnt bricks (3) | Wood (4) | Burnt bricks (5) | G.I. Sheets or other metal sheets (6) | Stone (7) | Cement concrete (8) | Ekra (9) | and | Others (10)

ROOF (Col. 5): Grass, leaves, reeds, thatch, wood, mud, unburnt bricks or bamboos (1) | Tiles, slate or shingle (2) | Corrugated iron, zinc or other metal sheets (3) | Asbestos cement sheets (4) | Bricks, stone and lime (5) | Stone (6) | Concrete R.B.C./R.C.C. (7) | and | Others (8)

FLOOR (Col. 6): Mud (1) | Wood/Planks (2) | Bamboos or logs (3) | Bricks, stone and lime (4) | Cement (5) | Mosaic/Tiles (6) | and | Others (7)

SOURCE OF DRINKING WATER SUPPLY (Col. 15): Well (1) | Tap (2) | Handpump/tubewell (3) | River/canal (4) | Tank (5) | and | Others (6)

TYPE OF FUEL USED FOR COOKING (Col. 19): Cowdung cake (1) | Electricity (2) | Coal Coke/lignite (3) | Charcoal (4) | Cooking gas (5) | Wood (6) | Bio-gas (7) | Kerosene (8) | and | Others (9)

Signature of Enumerator ..... Date .....

Signature of Supervisor ..... Date .....

अनुलग्नक ज

भारत की जनगणना 1991

मकान सूची सार

नगरीय ब्लाक

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम.. बिहार ..... कोड नं. 3 ... शहर/नगर का नाम ..... हजारीबाग ..... कोड नं. I ..... विकास खंड का नाम ....

जिले का नाम हजारीबाग ..... कोड नं.... 8 ... वार्ड/मोहल्ला/सैम्पल सैट का नाम या नम्बर XI ..... कोड नं... II ... .

तहसील/तालुक/पुलिस थाना/विकास खंड/ सर्किल आदि का नाम ..... कोड नं ..... गणक के ब्लाक का नम्बर ... 120 ..... कोड नं ....

मकान सूची की पृष्ठ संख्या	जनगणना मकानों की कुल संख्या (मकान सूची के कालम 3 से)	उपयोग के अनुसार जनगणना मकानों की संख्या						परिवारों की कुल संख्या (मकान सूची के कालम 8 से)	कुल जनसंख्या		
		आबाद आवासीय जनगणना मकान			खाली जनगणना मकान	कालम 5 और 6 का योग	अन्य उपयोग में लाए जा रहे जनगणना मकान (कालम 2 में से कालम 7 घटायें)		पुरुष	स्त्रियां	योग
		पूर्णतः आवासीय	अंशतः आवासीय	कुल							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	1	2	3	1	4	2	4	15	15	30
2	6	—	3	3	—	3	3	3	10	9	19
3	7	1	2	3	—	3	4	3	8	7	15
योग	19	2	7	9	1	10	9	10	33	31	64

जांच की और सही पाया

गणक के हस्ताक्षर ..... तारीख ..... सुपरवाइजर के हस्ताक्षर ..... तारीख .....

160

H.93M/J(D)278RGI—12

ANNEXE H
CENSUS OF INDIA 1991
HOUSELIST ABSTRACT

Urban Block

Name of State/Union Territory.. *Bihar* ..... Code No.. 3 ..... Name of Village/Town.. *Hazaribagh* ..... Code No.... I ... Name of Dev. Block .....

Name of District... *Hazaribagh* ..... Code No.. 8 ..... Name or No. of Ward/Mohalla/Hamlet.. *XI* ..... Code No.. II ... .

Name of Tehsil/Taluk/P.S./ Dev. Block/Circle, etc. ..... Code No. ..... Enumerator's Block No. .... 120 ..... Code No. .....

Page No. of houselist	Total No. of census houses (from Col. 3 of houselist)	Number of census houses by use						Total No. of households (from col. 8 of Houselist)	Total population		
		Occupied residential census houses			Vacant census houses	Total of Cols. 5 & 6	Census houses put to other uses (Col. 2 minus Col. 7)		Males	Females	Total
		Wholly residential	Partly residential	Total							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	1	2	3	1	4	2	4	15	15	30
2	6	–	3	3	–	3	3	3	10	9	19
3	7	1	2	3	–	3	4	3	8	7	15
Total	19	2	7	9	1	10	9	10	33	31	64

Checked and found correct

Signature of Enumerator ..... Date .....

Signature of Supervisor ..... Date .....

अनुलग्नक-झ

कारखाने की परिभाषा

(कारखाना अधिनियम, 1948)

(1 सितम्बर, 1982, को यथा रूपान्तरित)

उद्धरण

1. "कारखाना" से अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें—

   (1) दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है, या आमतौर से इस तरह की जाती है, या

   (2) बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से बिना की जा रही है या आमतौर से ऐसी की जाती है।

2. 'विनिर्माण प्रक्रिया' से अभिप्रेत है—

   (1) किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, मशीनों में तेल डालना, धुलाई, सफाई, विघटन, उन्मूलन या अन्यथा अभिक्रियान्वयन या अनकूलन करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

   (2) तेल, जल या मल को उद्वहित करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

   (3) शक्ति का उत्पादन, रूपान्तरण या संचारण करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

   (4) मुद्रण के लिए टाइप कम्पोज करने, लैटर-प्रेस, अश्म-मुद्रण, प्रकाशोत्कीर्ण या अन्य वैसी ही प्रक्रिया द्वारा मुद्रण या जिल्द बन्दी करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

   (5) पोतों या जलयानों को सन्निर्मित करने, पुनः सन्निर्मित करने, मरम्मत करने, पुनः फिट करने, परिष्कृत करने या विघटित करने के लिए कोई प्रक्रिया।

   (6) कोल्ड स्टोर में किसी वस्तु का संरक्षण या भंडारण।

3. 'शक्ति' से विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का कोई अन्य रूप अभिप्रेत है जिसका संचार यन्त्र द्वारा किया जाता है और जिसका उत्पादन मानव या पशु द्वारा नहीं किया जाता है।

4. "कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया में, या मशीनरी अथवा विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिसर के किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाधीन विषयवस्तु के प्रासंगिक या उससे सम्बन्धित किसी अन्य प्रकार के काम चाहे सीधे या किसी अभिकरण की मार्फत और चाहे मजदूरी पर या उसके बिना नियोजित हो।

ANNEXE-I

Definition of Factories

(THE FACTORIES ACT, 1948)

(As modified up to the Ist September, 1982)

Extract

1. "Factory" means any premises including the precincts thereof :—

   (i) whereon ten or more workers are working, or were working on any day of the preciding twelve months and in any part of which a manufacturing process is being-carried on with the aid of power, or is ordinarily so carried on, or

   (ii) whereon twenty or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power, or is ordinarily so carried on.

2. "manufacturing process" means any process for—

   (i) making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing or otherwise treating or adopting any article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery or disposal; or

   (ii) pumping oil, water, sewage or any other substance; or

   (iii) generating, transforming or transmitting power; or

   (iv) composing types for printing, printing by letter press, lithography, photogravure or other similar process or book binding;

   (v) constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing or breaking up ships or vessels;

   (vi) preserving or storing any article in cold storage.

3. "power" means electrical energy, or any other form of energy which is mechanically transmitted and is no generated by human or animal agency.

4. "worker" means a person employed, directly or by or through any agency (including a contractor) with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, in any manufacturing process, or in cleaning any part of the machinery or premises used for a manufacturing process, or in any other kind of work incidental to, or connected with, the manufacturing process, or the subject of the manufacturing process but does not include any member of the armed forces of the union.

अनुलग्नक-IV

उद्यमों का विवरण

कृषि उद्यम

कृषि, पशुपालन, शिकार, वन-उद्योग एवं मछली पकड़ना

पशु पालन

गाय-भैंस आदि पालन, पशु फार्म आदि और दूध उत्पादन

बकरी पालन, पशु फार्म आदि, दूध उत्पादन

भेड़ पालन और ऊन-उत्पादन

घोड़े, खच्चर, ऊंट या अन्य बोझा ढोने वाले जानवरों को पालना

सूअर और अन्य ऐसे पशुओं को पालना जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

बतख, मुर्गी और अन्य पक्षियों को पालना और अण्डों का उत्पादन ।

मधु मक्खी पालना और शहद तथा मोम का उत्पादन (शहद एकत्रित करने को अलग से वर्गीकृत किया गया है)

रेशम के कीड़े पालना और कोकून (कोया) तथा कच्चे रेशम का उत्पादन

उन पशुओं को पालना तथा उनसे अभिप्राप्त उत्पादन जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

कृषि सेवाएं

फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मारना, छिड़काव करना, खराब डालियों की कटाई आदि

सिंचाई सुविधा का संचालन

जानवरों की ऊन उतारना और पशु पालन जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है (पशु चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त)

कृषि या पशुपालन सम्बन्धी उत्पादनों का वर्गीकरण

बागवानी और नर्सरी सेवाएं

भू-संरक्षण सेवाएं

मिट्टी की जांच करने जैसी वैज्ञानिक सेवाएं

भू-डिसेलिनेशन सेवाएं

वे कृषि सेवाएं जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है (जैसे हार्वेस्टिंग तथा थ्रेसिंग/भूमि को साफ करना, नालियां बनाना आदि)

आखेट, पाश एवं आखेट का प्रचार

मनोरंजन को छोड़कर आखेट, पाश एवं आखेट का प्रचार

वन उद्योग

पेड़ पौधे लगाना और वनों का संरक्षण

लट्ठे बनाना, पेड़ों को काटना और गिराना और गोल सूखे लट्ठों को बनाना या चीरना (इसमें कभी-कभी लट्ठों का ढोना भी शामिल है)

जंगलों से ईंधन उत्पादन (जिसमें लकड़ी जलाकर कोयला बनाना भी शामिल है)

जंगलों से चारा एकत्र करना

जंगलों से गैर-काश्त के सामान को इकट्ठा करना जैसे गोंद, राल, लाख, छाल, मूंज, जड़ी/बूटियां, शहद, जंगली फल और पत्तियां आदि

वन उद्योग सेवाएं जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

मछली पकड़ना (समुद्री वस्तुएं एकत्रित करने सहित)

महासागर, सागर और समुद्र के तटों में मछली पकड़ना

तालाब, झील, नदी, नहर आदि में मछली पकड़ना

ANNEXE-J

Description of Enterprises

AGRICULTURAL ENTERPRISES

AGRICULTURE, LIVESTOCK, HUNTING, FORESTRY & FISHING

Raising of Livestock

Cattle breeding, rearing and ranching, etc.; production of milk

Goat breeding, rearing, ranching, etc.; production of milk

Rearing of sheep and production of shorn wool

Rearing of horses, mules, camels and other pack animals

Rearing of pigs and other animals not elesewhere classified

Rearing of ducks, hens and other birds; production of eggs

Rearing of bees; production of honey and wax (Collecton of honey is classified separately)

Rearing of silk-worms; production of cocoons and raw silk

Rearing of livestock and production of livestock products, not elsewhere classified

Agricultural Services

Pest destroying, spraying and pruning of infected stems, etc.

Operation of irrigation systems

Animal shearing and livestock services n.e.c. (other than veterinary services)

Grading of agricultural products or livestock

Horticultural and nursery services

Soil conservation services

Scientific services like soil testing

Soil desalination services

Agricultural services not elsewhere classified (like harvesting and threshing, land clearing and land draining services etc.)

Hunting, Trapping and Game Propagation

Hunting, trapping and game propagation other than for sport

Forestry and Logging

Planting, replanting and conservation of forests

Logging-felling and cutting of trees and preparation of rough, round, hewn or riven logs (including incidental hauling)

Production of firewood/fuel wood (including charcoal by burning) by exploitation of forests

Gathering of fodder by exploitation of forests

Gathering of uncultivated materials such as gums, resins, lac, barks, munjh, herbs, honey, wild fruits, leaves, etc. by exploitation of forests.

Forestry services n.e.c.

Fishing (including collection of sea products)

Ocean, sea and coastal fishing

Inland water fishing

मछली-पालन, मछली प्रजनन और मछली उत्पत्तिशाला

मोती, शंख, सीप, स्पंज और अन्य समुद्री वस्तुओं को इकट्ठा करना

मोतियों के लिए सीपियों की काश्तकारी

मछली पकड़ना और उससे सम्बन्धित वे अन्य क्रियाकलाप सेवाएं और जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

गैर-कृषि उद्यम

खनन और उत्खनन

कोयला और लिगनाइट खनन कार्य, पीट का निष्कर्षण

कोयले का खनन और एकत्रीकरण

लिगनाइट का खनन और एकत्रीकरण

पीट का निष्कर्षण और एकत्रीकरण

कच्चा पैट्रोल निकालना और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

कच्चा पैट्रोल निकालना

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

लौह अयस्क (ओर) की खुदाई

लौह अयस्क से भिन्न धातु अयस्क की खुदाई

मैंगनीज अयस्क की खुदाई

क्रोमाइट की खुदाई

बाक्साइड की खुदाई

कीमती/कम कीमती धातु अयस्क की खुदाई

तांब्र अयस्क की खुदाई

सीसा और जस्ता अयस्क की खुदाई

लाइमनाइट (चूना), रूटाइल, जिरकान और जिरकोनियम अयस्कों की खुदाई

वुलफ्रेम और अन्य रंगस्टन अयस्कों की खुदाई

टिन धातुओं की खुदाई

लौह अयस्क या यूरेनियम समूह की अयस्कों से भिन्न वे धातु अयस्क जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

यूरेनियम और थोरियम अयस्कों की खुदाई

अन्यत्र अवर्गीकृत अधात्विक खनिजों की खुदाई

चट्टानों को तोड़ना और खुदाई करना, रेत तथा मिट्टी की खुदाई

निर्माण के लिए चट्टानों, रेत और मिट्टी से भिन्न खनिजों का खनन/उत्खनन

उर्वरक और रासायनिक खनिजों का खनन

सिरामिक, उच्चतापसह और सीसा खनिजों का खनन

नमक का खनन और उत्खनन साथ ही नमक का तोड़ना, छांटना और वाष्पीकरण से नमक बनाना

अभ्रक का खनन

कीमती/कम कीमती रत्नों की खुदाई

अन्य अधात्विक खनिजों की खुदाई जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है।

Pisciculture-rearing of fish, including fish hatcheries

Collection of pearls, conches, shells, sponges and other sea products

Cultivation of oysters for pearls

Other allied activities and services incidental to fishing n.e.c.

NON-AGRICULTURAL ENTERPRISES

MINING AND QUARRYING

Mining of Coal and Lignite; Extraction of Peat

Mining and agglomeration of coal

Mining and agglomeration of lignite

Extraction and agglomeration of peat

Extraction of Crude Petroleum; Production of Natural Gas

Extraction of crude petroleum

Production of natural gas

Mining of Iron Ore

Mining of metal Ores other than Iron Ore

Mining of manganese ore

Mining of chromite

Mining of Bauxite

Mining of precious/semi-precious metal ores

Mining of copper ore

Mining of lead and zinc ores

Mining of limenite, rutile, zircon and zirconium bearing ores

Mining of wolfram and other tungsten bearing ores

Mining of tin bearing ores

Mining of metal ores, other than iron ore or uranium group ores n.e.c.

Mining of Uranium and Thorium Ores

Mining of Non-Metallic Minerals Not Elsewhere Classified

Mining and quarrying of rock aggregates, sand and clays

Mining/quarrying of minerals for construction other than rock aggregates, sand and clays

Mining of fertilizer and chemical minerals

Mining of ceramic, refractory and glass minerals

Salt mining and quarrying including crushing, screening and evaporating in pans

Mining of mica

Mining of precious/semi-precious stones

Mining of other non-metallic minerals not elsewhere classsified

अन्यत्र अवर्गीकृत खनन सेवाएं

तेल और गैस क्षेत्र सेवाएं, खोज सेवाओं को छोड़कर

खनन सम्बन्धी अन्य सेवाएं जैसे खानों का बरमाना, उनमें स्तम्भ बनाना, सुधार करना

वे अन्य खनन सेवाएं जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

विनिर्माण

खाद्य पदार्थों का विनिर्माण

पशु वध, उससे मांस तैयार करना और उसे संरक्षित करना

दूध से बने पदार्थों का उत्पादन

फलों और साग सब्जी की डिब्बाबन्दी और संरक्षण

मछली, झींगा, केकड़ा और इसी प्रकार की खाद्य वस्तुओं की डिब्बाबन्दी और संरक्षण

अनाज और चक्की से तैयार होने वाले उत्पादन

बेकरी उत्पादन

चीनी का उत्पादन और परिशोधन (रिफाइनिंग) (वेक्यूम पैन चीनी कारखाना)

गन्ना, खजूर के रस से देशी चीनी, बूरा, खण्डसारी, गुड़ आदि का उत्पादन

नमक का उत्पादन

कोको उत्पादन और मिठाई बनाना

हाइड्रोजिनेटेड तेल, वनस्पति घी आदि बनाना

वनस्पति तेल और चर्बी का (हाइड्रोजिनेटेड से भिन्न) निकालना

जानवरों का तेल और चर्बी निकालना, मछली का तेल निकालना

चाय का संसाधन और मिश्रण और साथ ही इंस्टेंट चाय तैयार करना

काफी के बीजों को सुखाना, उन्हें भूनना और पीसना, मिश्रण आदि और साथ ही इंस्टेंट काफी तैयार करना

खाद्य गिरी का संसाधन

बर्फ बनाना

पशुओं और पक्षियों के लिए चारा तैयार करना

स्टार्च बनाना

उन खाद्य पदार्थों का उत्पादन जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

पेय पदार्थों, तम्बाकू और सम्बद्ध वस्तुओं का विनिर्माण

स्प्रिट को साफ करना और उसे मिलाना, किण्वित सामग्री से इथाइल एल्कोहल बनाना

शराब बनाना

माल्ट से शराब बनाना और माल्ट उद्योग

देशी शराब (अर्क और ताड़ी) का उत्पादन

पेय पदार्थ और शर्बत बनाना

तम्बाकू के डण्ठलों को सुखाना और कच्चे तम्बाकू को तैयार करने के बारे में अन्य काम

बीड़ी बनाना

सिगार, सिगरेट, चुरुट बनाना और सिगरेट के तम्बाकू को बनाना

खाने वाले तम्बाकू, जर्दा, नसवार (सूंघनी) और अन्य तम्बाकू के पदार्थ (तम्बाकू वाले पान मसाले को छोड़कर) बनाना जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

पान मसाले, कत्था और खाने वाला चूना तैयार करना

Mining Services, Not Elsewhere Classified

Oil and gas field services, except exploration services

Services incidental to mining such as drilling, shafting, reclamation of mines, etc.

Other mining services not elsewhere classified

MANUFACTURING

Manufacture of Food Products

Slaughtering, preparation and preservation of meat

Manufacture of dairy products

Canning and preservation of fruits and vegetables

Processing, canning and preserving of fish, crustacea and similar foods

Grain milling

Manufacture of bakery products

Manufacture and refining of sugar (vacuum pan sugar factories)

Production of indigenous sugar, 'boora', 'khandsari', 'gur', etc. from sugar-cane; palm juice, etc.

Production of common salt

Manufacture of cocoa products and sugar confectionery (including sweetmeats)

Manufacture of hydrogenated oils and vanaspati ghee, etc.

Manufacture of vegetable oils and fats (other than hydrogenated)

Manufacture of animal oils and fats; manufacture of fish oil

Processing and blending of tea including manufacture of instant tea

Coffee curing, roasting, grinding and blending, etc. including manufacture of instant coffee

Processing of edible nuts

Manufacture of ice

Manufacture of prepared animal and bird feed

Manufacture of starch

Manufacture of food products not elsewhere classified

Manufacture of Beverages, Tobacco and Related Products

Distilling, rectifying and blending of spirits; ethyl alcohol production from fermented manterials

Manufacture of wines

Manufacture of malt liquors and malt

Production of country liquor (arrack and toddy etc.)

Manufacture of soft drinks and syrups

Tobacco stemming, redrying and all other operations connected with preparing raw leaf tobacco

Manufacture of bidi

Manufacture of cigars, cigarettes, cheroots and cigarette tobacco

Manufacture of 'snuff', 'zarda', chewing tobacco and other tobacco products n.e.c. (except pan-masala containing tobacco)

Manufacture of pan-masala, catechu (katha) and chewing lime

सूती कपड़ों का उत्पादन

कपास ओटना, उसकी सफाई करना और गांठ बनाना

मिलों के अतिरिक्त चर्खा आदि से सूत कातना

सूती खादी बुनना और उसे परिष्कृत करना

हथकरघे पर सूती कपड़ा बुनना और उसे परिष्कृत करना

शक्ति चालित करघे पर सूती कपड़ा बुनना और संसाधन करना

मिलों में सूत कातना, बुनना और संसाधन करना

सूती कपड़ों की ब्लीचिंग, रंगाई और छपाई करना (इस समूह में अपने द्वारा तैयार न किए गए सूती कपड़ों की ब्लीचिंग, रंगाई और छपाई सम्मिलित है। शुल्क या ठेके पर कार्य करने अथवा सामग्री खरीद कर तैयार पदार्थ बेचने के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा)

ऊनी, रशमी और मानव निर्मित रेशे से कपड़े का विनिर्माण

कताई के लिए कच्ची ऊन, रेशम और कृत्रिम/संश्लिष्ट कपड़ों के रेशे तैयार करना

मिलों के अलावा ऊन कातना, बुनना और परिष्कृत करना

मिलों में ऊन कातना और बुनना

ऊनी कपड़ों की ब्लीचिंग और रंगाई

मिलों के अलावा रेशमी कपड़ों की कताई, बुनाई करना और परिष्कृत करना

मिलों में रेशमी कपड़ों की कताई, बुनाई और परिष्कृत करना

रेशमी कपड़ों की ब्लीचिंग, रंगाई और छपाई

मानव निर्मित रेशे की कताई, बुनाई और संसाधन

कृत्रिम/संश्लिष्ट कपड़ों के रेशों की ब्लीचिंग, रंगाई और छपाई

सूती कपड़ों को छोड़कर जूट और वनस्पति रेशे के अन्य कपड़े बनाना

जूट और मेस्ता की प्रेसिंग और गांठ बनाना

जूट और मेस्ता के रेशों पर प्रारम्भिक कार्य (धुनने और कंघी करने सहित)

नारियल के रेशों पर प्रारम्भिक कार्य (धुनने और कंघी करने सहित)

अन्यत्र अवर्गीकृत सन और अन्य वनस्पति रेशे के कपड़ों पर प्रारम्भिक कार्य (धुनने और कंघी करने सहित)

जूट और मेस्ता कपड़ों की कताई, बुनाई और परिष्कृत करना

नारियल कपड़ों की कताई, बुनाई और परिष्कृत करना

अन्यत्र अवर्गीकृत सन और अन्य वनस्पति रेशे के कपड़ों की कताई, बुनाई और परिष्कृत करना

जूट और मेस्ता कपड़ों की ब्लीचिंग, रंगाई और छपाई

नारियल के कपड़ों की ब्लीचिंग, रंगाई और छपाई

अन्यत्र अवर्गीकृत अन्य वनस्पति रेशे के कपड़ों की ब्लीचिंग, रंगाई और छपाई

कपड़ों के सामान का उत्पादन (पहनने के कपड़ों सहित)

बुने हुए या क्रोशिए से बने हुए कपड़े के सामान का विनिर्माण

सभी प्रकार के धागों, डोरियों, रस्सियों, सूतलियों, जालों आदि का विनिर्माण

कसीदाकारी, जरी का कार्य और भड़कीली सजावट करना

कंबल, शाल, दरी, कालीन, गलीचा और इसी प्रकार के अन्य कपड़ों को तैयार करना

जूट, मेस्ता, सन और नारियल के अन्य रेशों से फर्श बिछावन बनाना

अपने द्वारा तैयार न की गई सामग्री से सभी प्रकार के पहनने के कपड़े बनाना (केवल सिलाई करने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़कर) जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है (टिप्पणी : वास्तव में, इस समूह में ऐसे प्रतिष्ठान आते हैं जिनमें कच्ची सामग्री को काट कर सिलाई की जाती है)

Manufacture of cotton Textiles

Cotton ginning, cleaning and baling

Cotton spinning other than in mills (charkha)

Weaving and finishing of cotton khadi

Weaving and finishing of cotton textiles on handlooms

Weaving and finishing of cotton textiles on powerlooms

Cotton spinning, weaving and processing in mills

Bleaching, dyeing and printing of cotton textiles (This group includes bleaching, dyeing and printing of not self produced cotton textiles. No distinction is to be made between these activities carried out on a fee or contract basis or by purchasing the materials and selling the finished products)

Manufacture of wool, silk and man-made fibre textiles

Preparation of raw wool, silk and artifical/synthetic textie fibres for spinning

Wool spinning, weaving and finishing other than in mills

Wool spinning, weaving and processing in mills

Bleaching and dyeing of woollen textiles

Spinning, waving and finishing of silk textiles other than in mills

Spinning, weaving and processing of silk textiles in mills

Bleaching, dyeing and printing of silk textiles

Spinning, weaving and processing of man-made textile fibres

Bleaching, dyeing and printing of artificial/synthetic textile fabrics

Manufacture of Jute and other vegetable fibre textiles except cotton

Jute and mesta pressing and baling

Preparatory operations (including carding and combing) on jute and mesta fibres

Preparatory operations (including carding and combing) on coir fibres

Preparatory operations (including carding and combing) on sunhemp and other vetable fibres n.e.c.

Spinning, weaving and finishig of jute and mesta textiles

Spinning weaving and finishing of coir textiles

Spinning, weaving and finishig of sunhemp and other vegetable fibre textles n.e.c.

Bleaching, dyeing and printing of jute and mesta textiles

Bleaching, dyeing and printing of coir textiles

Bleaching, dyeing and printing of other vegetable fibre textiles n.e.c.

Manufacture of textile products (including wearing apparel)

Manufactue of knitted or crocheted textle products

Manufacture of all types of threads, cordage, ropes, twines and nets, etc.

Embroidery work, zari work and making of ornamental trimmings

Manufacture of blankets, shawls, carpets, rugs and other similar textile products

Manufacture of floor coverings of jute, mesta sunhemp and other kindred fibres and of coir

Manufacture of all types of textle garments and clothing accessories n.e.c.(except by purely tailoring establishments from not self-produced material (Note : in principle, the raw material is cut and sewn together in the establishments covered in this group)

वाटरप्रूफ कपड़े या प्लास्टिक की शीटों से बरसाती (रेन कोट) टोपों,, टोपियों और स्कूल बैगों आदि का विनिर्माण

निर्मित कपड़े का बनाया गया माल (वस्त्रों को छोड़कर)

पानी से बचने के लिए बनाया गया कपड़ा

उन कपड़ों का विनिर्माण जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है जैसे किरमिच (लिनोलियम), बिछाने का कपड़ा, लिहाफ का कपड़ा गद्दी बनाना, भराई करना

लकड़ी को तैयार करना और उसस फर्नीचर तथा जुड़नार (फिक्सचर) बनाना

लकड़ी चीरना और उसे चौरस करना (प्लाईवुड को छोड़कर)

लकड़ी से तख्ते (वैनियर), प्लाइवड तथा उनसे बनाई जाने वाली वस्तुएं तैयार करना

लकड़ी का इमारती सामान (इमारती लकड़ी को सम्मिलित करना), जैसे लट्ठा, शहतीर, खम्बे, दरवाजे और खिड़कियां बनाना (उन कच्चे शहतीरो (खम्बों), चटकनियों (बोल्टों) और लकड़ी के अन्य सामान को छोड़कर जो कि लट्ठों के वर्गीकरण के अन्तर्गत आता है)

लकड़ी और बेंत के बक्से बनाना, टोकरे, ड्रम, पीपे और लकड़ी के अन्य डिब्बे और टोकरियां बनाना तथा पूर्णतः या मख्यतः बेंत, सरकण्डा, बांस और घास से बरतन बनाना

उद्योगों में काम आने वाली लकड़ी के सामान का विनिर्माण जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

कार्क और कार्क का सामान बनाना

लकड़ी का फर्नीचर और फिक्सचर बनाना

बांस और बेंत का फर्नीचर और सामान बनाना

लकड़ी, सरकण्डा, बास और बेंत और घास से निर्मित वह सामान जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है (नारियल के रेश आदि से बने सामान को छोड़कर)।

कागज बनाना और कागज से बनने वाले अन्य सामान का निर्माण, छपाई, प्रकाशन और उससे सम्बन्धित उद्योग

लुगदी, कागज और गत्ता बनाना जिसमें अखबारी कागज भी सम्मिलित है

कागज और गत्ते के डिब्बे और बाक्स बनाना

कागज, लुगदी और गत्ते से बनाये जाने वाला अन्य सामान जिसका अन्यय वर्गीकरण नहीं किया गया है

मद्रित या गैर मद्रित विशेष प्रयोजन का कागज जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

समाचार पत्रों की छपाई और प्रकाशन

पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, शब्दकोषों, मानचित्रावलियों (एटलस), नक्शों, संगीत निदेशिकाओं आदि की छपाई और प्रकाशन

बैंक नोट, मुद्रा, डाक टिकटों, सुरक्षा पासों, स्टाम्प पेपरों और अन्य ऐसी वस्तुओं आदि की छपाई

नक्काशी, निक्षारण (एचिग) ब्लाक बनाना आदि

अन्यों के लिए जिल्दसाजी

छपाई और उससे सम्बन्धित अन्य कार्य-कलाप जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

चमड़ा तैयार करना और चमड़े फर तथा चमड़े के स्थान पर उसी के जैसा सामान बनाना

चमड़े को पकाना, साफ करना और उस पर नक्काशी करना

जूते बनाना (मरम्मत को छोड़कर) वाल्कनाइज किए हुए या ढाले हुए रबड़ से बने या प्लास्टिक से बने जतों को छोड़कर

चमड़े और उसके एवज में किसी अन्य सामान से पहनने की वेशभूषा बनाना

चमड़े को पकाना, साफ करना और उस पर नक्काली करना (जूतों को छोड़कर)

(टिप्पणी : वाटर प्रूफ कपड़े से स्कूल बैग और यात्रा सम्बन्धी सामान बनाने को अलग समूह में शामिल किया गया है)

फर तथा उस व्यापार से सम्बन्धित चमड़े को घिसना, पकाना, साफ करना, विरंजन करना (ब्लीचिंग) रंगना

फर और उससे सम्बन्धित चमड़े के वस्त्र बनाना

फर और खाल के कम्बल और अन्य सामान बनाना

चमड़े और फर का वह अन्य सामान बनाना जिसका किसी अन्य स्थान पर वर्गीकरण नहीं किया गया है

Manufacture of rain coats, hats, caps and school bags etc. from waterproof textile fabrics or plastic sheetings

Manufacture of made-up textile articles; except apparel

Manufacture of waterproof textile fabrics

Manufacture of textiles/textile products not elswhere classified like linoleum, padding, wadbink, upholstering and filling dtc.

Manufacture of wood and wood producets: furniture add fixtures

Sawing and planing of wood (other than plywood)

Manufacture of venner sheets, plywood and their products

Manvfactuce of structural wooden goods (including treated timber) such as beams, posts, doors and windows (excluding) hewing and rough shaping of poles, bolets and otherr wood meterial which is classified under logging)

Manufacture of wooden and cane boxes, creats, drums, barrelf and other containers, baskets and other wares made entirly or mainly of cane, rattan, reed bamboo, willow, fibres leaves and grass

Manufacture of wooden industrial goods n. e. c.

Manufacture of cork and cork products

Manufacture of wooden furniture and fixtures

Manufacture oi bamboo and cane furniture and fixtures

Manufacture of products of wood, bamboo, cane, reed and grass (including articles made from coconut shells etc.) n.e.c.

Mnanufacture of paper and paper products and printing, publishing & allied industries

Manufacture of pulp, paper and paper board including manufacture of newsprint

Manufacture of containers and boxes of paper or paper board

Manufacture of paper and paper board articles and pulp products not elsewhere classfied

Manufacture of special purpose paper wheitheror not printed n.e.c.

Printing and publishing of newspapers

Printing and publishing of periodicals, books, journals, directories, atlases, maps, sheet music, schedules & pamphlets, etc.

Printing of bank notes, currency notes, postage stamps, security passes, stamp papers and other similar products Engiaving, etching and block-making, etc.

Book binding on account of others

Printing and allied activities not elsewhere classified

nanufacture of leather and products of leather, fur & substitutes of leather

Tanning, curing, finishing, embossing and japanning of leather

Manufacture of footwear (excluding repair) except of vulcanized or moulded rubber or plastic

Manufacture of weai ing apparel of leather and substitutes of leather

Manufacture of consumer goods of leather and substitutes of leather; other than apparel and footwear (Note:

Manufacture of school bags and travelling accessories from waterproof textile fabrics is included in a separate group)

Scrapping, curring, tanning, bleaching and dyeing of fur and other pelts for the trade

Manufactuie of wearing apparel of fur and pelts

Manufacture of fur and skin rugs and other similar articles

Manufacture of leather and fur products n.e.c.

मूल रसायन और रसायनिक पदार्थों का उत्पादन (पैट्रोलियम और कोयले की वस्तुओं को छोड़कर)

औद्योगिक कार्बनिक (आरगेनिक) एवं अकार्बनिक (इनआरगेनिक) रसायन तैयार करना

खाद और कीटनाशक दवाओं का उत्पादन

प्रारम्भिक किस्म का प्लास्टिक बनाना, सिंथेटिक रबड़ बनाना

रंग, वार्निश तथा इससे सम्बद्ध सामान, कलाकार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले रंग और स्याही, औषधियां, दवाइयां और सम्बद्ध सामान बनाना

इत्र, सौन्दर्य प्रसाधन (कास्मेटिक), लोशन, केश तेल, टूथपेस्ट, किसी भी प्रकार का साबुन, डिटरजेन्ट, शेम्पू, शेविंग उत्पाद, सफाई, धुलाई और मांजने के पदार्थ और अन्य सामान की वस्तुओं का उत्पादन

मानव निर्मित रेशे का उत्पादन

माचिस का उत्पादन

विस्फोटक एवं गोला बारूद और आतिशबाजी के सामान का उत्पादन

उन रसायन पदार्थों का उत्पादन जिनका किसी अन्य स्थान पर वर्गीकरण नहीं किया गया है

रबड़, प्लास्टिक, पैट्रोलियम और कोयले से सामान बनाना, नाभिकीय इंधन का संसाधन

टायर और ट्यूब उद्योग

पकाए गए या ढाले गए रबड़ और प्लास्टिक के जूते बनाना

रबड़ का वह अन्य सामान बनाना जिसका किसी अन्य स्थान पर वर्गीकरण नहीं किया गया है

प्लास्टिक का ऐसा सामान बनाना जिसका किसी अन्य स्थान पर वर्गीकरण नहीं किया गया है

परिशोधित पैट्रोल पदार्थों का उत्पादन (इस समूह में द्रव, गैस पदार्थ, प्रकाश देने वाले तेलों, ओंगने वाले तेलों या ग्रीसों या कच्चे पैट्रोल से बने अन्य पदार्थ या उनके आंशिक पदार्थ सम्मिलित हैं)

प्राकृतिक गैस या द्रवीकृत पैट्रोल गैस की बोतल भरना

परिशोधित पैट्रोल के अन्य पदार्थ जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है (इस समूह में पैट्रोल के परिशोधन के पदार्थों या उसके अवशेषों से बने विभिन्न पदार्थ बनाना शामिल है)

नाभिकीय ईंधन का संसाधन (इस समूह में पिच ब्लेण्ड या यूरेनियम वाले अन्य अयस्कों से निकाली गई यूरेनियम धातु सम्मिलित हैं) प्राकृतिक यूरेनियम की मिश्रित धातु या उसके प्रकीर्ण या उसके मिश्रण अथवा उसके मिश्रणों का विनिर्माण, न्यूक्लियर रिएक्टरों में प्रयोग के लिए समृद्ध यूरेनियम और उसके मिश्रण, प्लूटोनियम और उसके मिश्रण, यू 235 में निःशेष यूरेनियम और उसके मिश्रण, थोरियम और उसके मिश्रण, रेडियों सक्रीयता वाले अन्य तत्व, आइसोटोप्स या मिश्रण और अन्य ईंधनों का विनिर्माण

कोयले की भट्ठी के उत्पादनों का विनिर्माण (इस समूह में हार्ड-कोक और लिग्नाइट से कोक या अर्द्ध-कोक के उत्पादन के लिए कोयले की भट्टी सम्मिलित है, इसमें कोल तार या कोक का पिच समूह जैसे अवशेष पदार्थ भी सम्मिलित है)

कोयले और कोल तार के अन्य पदार्थों का विनिर्माण जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

अधात्विक खनिज पदार्थों का उत्पादन

उच्च तापसह पदार्थों का उत्पादन और निर्माण में काम आने वाली चिकनी मिट्टी का सामान बनाना

कांच और कांच का सामान बनाना

मिट्टी और प्लास्टर का सामान बनाना

निर्माण में काम आने वाले सिरामिक बर्तन बनाना

सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर का उत्पादन

अभ्रक पदार्थों का उत्पादन

निर्माण में काम आने वाले पत्थर का सामान, पत्थर की गढ़ाई का काम और पत्थर का चूरा करना और पत्थर के बर्तन बनाना

एस्बेटस सीमेन्ट और सीमेन्ट से बनी अन्य वस्तुओं का उत्पादन

अधात्विक खनिज की अन्य विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन जिनका किसी अन्य स्थान पर वर्गीकरण नहीं किया गया है

Manufacture of basic chemicals and chemical products (Except Products of Petroleum and Coal)

Manufactuie of industrial organic and inorganic chemicals

Manufucture of fertilizers and pesticides

Manufacture of plastics in primary forms; manufcture of synthetic rubber

Manufacture of paints, vainishes and related products, aitists' colours and ink

Manufacture of drugs, medicine and allied products

Manufacture of perfumes, cosmetics, lotions, hair dressings, tooth-pastes, soap in any form, detergents, shampoos shaving products, washing and cleaning preparations and other toilet preparations

Manufacture of man-made fibres

Manufacture of matches

Manufacture of explosives, ammunition and fire-works

Manufacture of chemical products not elsewhere classified

Manufacture of Rubber, Plastic, Petroleum and Coal Products; Processing of Nuclear Fuels

Tyre and tube industries

Manufacture of footwear made primarily of vulcanised or moulded rubber and plastics

Manufacture of rubber products not elsewhere classified

Manufacture of plastic products not elsewhere classified

Manufactuie of refined petroleum products (this group includes production of liquids of gaseous fuels, illuminating oils, lubricating oils or greases or other products obtained from crude petrolueum or their fractionation productions)

Bottling of natural gas or liquified petroleum gas

Manufacture of refined petroleum products not elsewhere classified (this group includes manufacture of variety of products extracted/obtained from the products or residues of petroleum refining)

Processing of nuclear fuels (this group includes extraction of uranium metals from pitch blende or other uranium bearing ores; manufacture of alloys or dispersions or mixtures of natural uranium or its compounds; manufacture of enriched uranium and its compounds; plutorium and its compounds; uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; other radioactive elements, isotops or compounds and non-irradiated fuel elements for use in nyclear reactors)

Manufacture of coke oven products (this group includes operation of coke ovens chiefly for the production of coke for semi-coke from hard coal and lignite, retort carbon and residual products such as coaltar or pitch agglomeration of coke is included)

Manufacture of other coal and coaltar products not elsewhere classified.

Manufacture of Non-metallic Mineral Products

Manufacture of refractory products and structural clay products

Manufacture of glass and glass products

Manufacture of earthen and plaster products

Manufacture of non-structural ceramic ware

Manufactuie of cement, lime and plaster

Manufacture of mica products

Stone dressing and crushing; manufacture of structural stone goods and stone ware

Manufactue of asbestos cement and other cement products

Manufacture of misellaneoues non-metallic mineral products not elsewhere classified.

मूल धातु और मिश्र धातु उद्योग

प्राथमिक/अर्द्धपूर्ण प्रकार के लोहे और इस्पात का विनिर्माण

पुनः बेलनी मिलों, शीत रोलिंग मिलों और तार खींचने वाली मिलों के अर्द्ध पूर्ण लोहे और इस्पात के सामान का विनिर्माण

लौह-मिश्र धातुओं का विनिर्माण

तांबा विनिर्माण कार्य

पीतल विनिर्माण कार्य

एल्यूमीनियम विनिर्माण कार्य

जस्ता विनिर्माण कार्य

धातुओं की गढ़ाई

लोहे और इस्पात की कतरनों से भिन्न रही धातु का संसाधन/रीरोलिंग

अन्य अ-लौह धातु उद्योग

मशीनों और उपकरणों को छोड़कर अन्य धातु उत्पादों और पुर्जों का विनिर्माण

गढ़ाई-जुड़ाई के धातु उत्पादों का विनिर्माण

गढ़े धातु उत्पादों का विनिर्माण जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

धातु के फर्नीचर और फिक्चरों का विनिर्माण

हाथ के औजारों, भार और मापों और सामान्य हार्डवेयरों का निर्माण

धातु की फोरजिंग, प्रेसिंग, स्टैम्पिग और रोलिंग, पाउडर धातु कार्य (इस समूह में उक्त कार्यों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के परिष्कृत या अर्द्ध परिष्कृत धातु सामानों का उत्पादन सम्मिलित है जिन्हें अलग-अलग अन्य कार्यकलापों की श्रेणियों में दर्शाया जाएगा)

धातुओं की अभिक्रिया या परत चढ़ाना, शिकमी ठेके के आधार पर सामान्य यांत्रिकी इंजीनियरी कार्य (इस समूह में शुल्क या ठेके के आधार पर धातुओं पर चादर चढ़ाना, पालिश करना, नक्काशी करना, छपाई करना, कठोर बनाना, अपघर्षण करना, बालूक्षेपण करना, वैलड करना या अन्य विशिष्ट कार्य सम्मिलित हैं : यहां जिन इकाइयों का वर्गीकरण किया गया है वे सामान्यतया माल पर मालिकाना हक नहीं रखती और न ही उसे तीसरी पार्टियों को बेचती है)

धातु के छूरी कांटे और बर्तन आदि बनाना

मशीनों और उपकरणों को छोड़कर धातु का अन्य सामान बनाना जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

परिवहन उपकरणों को छोड़कर मशीनों और उपकरणों का विनिर्माण (वैज्ञानिक उपकरणों, फोटोग्राफी/सिनेमा उपकरणों और घड़ियों तथा दीवार घड़ियों के विनिर्माण का अलग से वर्गीकरण किया गया है)

कृषि मशीनरों और उपकरणों तथा उसके पुर्जों का विनिर्माण

निर्माण और खनन उद्योगों द्वारा प्रयुक्त मशीनों और उपकरणों का विनिर्माण

मूल गति उत्पादकों (प्राइम मूवर्स), बायलरों, वाष्प बनाने के संयंत्रों और न्यूक्लीयर रिएक्टरों का विनिर्माण

खाद्य और कपड़ा उद्योग (बोतल भरने की मशीनों सहित) के लिए औद्योगिक मशीनों का विनिर्माण

खाद्य और कपड़ा उद्योगों के अलावा औद्योगिक मशीनों का विनिर्माण

रेफरीजरेटरों, वातानुकूलन (एयरकंडीशनरों) और आग बुझाने की मशीनों, उनके पुर्जों और उपकरणों का विनिर्माण

सामान्य उद्देश्य की गैर-विद्युतीय मशीनों/उपकरणों, उनके पुर्जों और साज सामानों का विनिर्माण, जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

मशीन बनाने के औजारों, उनके पुर्जों और उपकरणों का विनिर्माण

कार्यालय में गणना और लेखे-जोखे के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनों और उनके पुर्जों का विनिर्माण (कम्प्यूटर और उस पर आधारित प्रणालियां, जिसमें शब्द-संसाधक भी सम्मिलित है, को अलग से वर्गीकृत किया गया है)

विशेष प्रयोजन की मशीनों/उपकरणों उनके पुर्जों और साज-सामानों का विनिर्माण जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

विद्युत उद्योगों की मशीनों, उपकरणों और उनके पुर्जों का विनिर्माण

Basic Metal and Alloys Industries

Manufacture of iron and steel in primary/semi-finished forms

Manufacture of semi-finished iron and steel products in re-rolling mills,

cold-rolling mills and wire-drawing mills

Manufacture of ferro-alloys

Coppet manufacturing

Brass manufacturing

Aluminium manufacturing

Zinc manufacturing

Casting of metals

Processing/Re-rolling of metal scraps other than iron and steel scraps

Other nonferrous metal industries

Manufacture of Metal Products and Parts, Except Machinery and Equipment

Manufacture of fabricated structural metal products

Manufacture of fabricated metal products not elsewhere classified

Manufacture of furniture and fixtures primarily of metal

Manufacture of hand tools, weights and measures and general hardware

Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy. (This group includes production of a wide variety of finished or semi-finished metal prodcts, by means of the above activities which, individually, would be characteristically produced in other activity categories)

Treatment or coating of metals; general mechanical engineering on a sub-contract basis. (This group include-plating, polishing, anodising, engraving, printing, hardening, buffing, deburring, sand blasting, welding or other specifis ed operations on metals on a fee or contract basis. The units classified here, generally, do not take ownership of the goods nor do they sell them to third parties)

Manufacture of metal cutlery, utensils and kitchenware

Manufacture of metal products (except machinery and equipment) not elsewhere classified

Manufacture of Machinery and Equipment other than Transport Equipment (Manufacture of Scientific Equipment hotographic/Cinematographic Equipment and Watches & Clocks is classified in a separate Division)

Manufacture of agricultural machinery and equipment and parts thereof

Manufacture of machinery and equipment used by construction and mining industries

Manufactue of prime movers, boilers, steam generating plants and nuclear reactors

Manufacture of industrial machinery for food and textile industries (including bottling and filling machinery)

Manufacture of industrial machinery for other than food and textile industries

Manufacture of refrigerators, airconditioners and fire fighting equipment and their parts and accessories

Manufacture of general prupose non-electrical machinery/quipment, their components and accessories, n.e.c.

Manufacture of machine tools, their parts and accessories

Manufacture of office, computing and accounting machinery and parts (Note : manufacture of computers and computer based systems including word processors is classified separately)

Manufacture of special purpose machinery/quipment, their components and accessories n.e.c.

Manufacture of electrical industrial machinery, apparatus and parts thereof

विद्युतरोधी तारों और केबलों का विनिर्माण जिसमें आप्टीकल फाइबर केबलों का विनिर्माण भी सम्मिलित है

संचायकों, प्राथमिक सैलों और प्राथमिक बैटरियों का विनिर्माण

विद्युत लैम्पों का विनिर्माण

विद्युत पंखों और विद्युत/इलैक्ट्रोथर्मिक के घरेलू उपकरणों और उनके पुर्जों का विनिर्माण

रेडियो प्रसारण, टेलीविजन ट्रांसमिशन उपकरणों, रडार उपकरण, रेडियो दूरस्थ नियंत्रण उपकरण और रेडियो लाइन टेलीफोनी और लाइन टेलीग्राफी के उपकरणों का विनिर्माण

टेलीविजन रिसीवरों, रेडियो प्रसारण के रिसेप्शन उपकरणों, रेडियो टेलीफोनी टेलीग्राफी, रेडियो की रिकार्डिंग या पुनः तैयार करने वाले उपकरणों, टर्न टेबल्स, रिकार्ड, प्लेयर्स कैसेट प्लेयर और ध्वनि उत्पन्न करने वाले अन्य उपकरणों, ध्वनि रिकार्ड करने वाले उपकरणों, माइक्रोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, इम्प्लीफायर और ध्वनि एम्पलीफायर तथा पहले से रिकार्ड किए हुए ध्वनि/वीडियो रिकार्डों/टेपों का विनिर्माण

कम्प्यूटर और उस पर आधारित प्रणालियों का विनिर्माण

बिजली के बाल्बों, ट्यूबों और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों, जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है, का विनिर्माण

रेडियोग्राफिक एक्सरे यंत्रों, ट्यूबों और पुर्जों का विनिर्माण और बिजली के ऐसे उपकरणों का विनिर्माण जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

विनिर्माण करने वाले अन्य उद्योग

आप्टीकल उपकरणों को छोड़कर चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, वैज्ञानिक और मापन उपकरणों का विनिर्माण

फोटोग्राफिक, सिनेमाटोग्राफिक और आप्टीकल सामग्री तथा उपकरणों का विनिर्माण (फोटो केमिकल, सेंसिटीकृत पेपर तथा फिल्म को छोड़कर)
भारी मोटर वाहनों का विनिर्माण, कोच कार्य

मोटर कारों और मुख्यतः 10 से कम व्यक्तियों के आवागमन के लिए अन्य मोटर वाहनों का विनिर्माण (इसमें रेसिंग कारों और गोल्फ कारों आदि का विनिर्माण भी सम्मिलित है)

मोटर साइकलों और स्कूटरों तथा पुर्जों (तिपहिए वाहनों सहित) का विनिर्माण

साइकिलों, साइकिल रिक्शों और पुर्जों का विनिर्माण

वायुयान, अंतरिक्षयान और उनके पुर्जों का विनिर्माण

बैलगाड़ियों, ठेलों और हाथ गाड़ियों आदि का विनिर्माण

परिवहन के उपकरणों और उनके पुर्जों का विनिर्माण जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

जेवरात और उससे सम्बन्धी सामग्री का निर्माण

मुद्रा सिक्कों की ढलाई

Manufacture of insulated wires and cables, including manufacture of optical fibre cables

Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries

Manufcture of electric lamps

Manufacture of electric fans and electric/electro-thermic domestic appliances and parts thereof

Manufactue of apparatus for radio broadcasting, television transmission, radar apparatus and radio-remote control apparatus and apparatus for radio/line telephony and line telegraphy

Manufacture of television receivers; reception apparatus for radio broadcasting, radio telephony/telegraphy, video recording or reproducing apparatus, turn-tables, record-players, cassette-players and other sound reproducing apparatus, sound recording apparatus, microphones, loud-speakers, amplifiers and sound amplifiers and prerecorded audio/video records/tapse

Manufacture of computers and computer based systems

Manufacture of electronic valves and tubes and other electronic components n.e.c.

Manufacture of radiographic X-ray apparatus, X-ray tubes and parts and manufacture of electrical equipments n.e.c.

Manufacture of transport equipment and parts

Ship and boat building

Manufactue of locomotives and parts

Manufacture of railway/tramway wagons and coaches and other railroad equipments n.e.c.

Manufacture of heavy motor vehicles; coach work

Manufacture of motorcars and other motor vehicles principally designed for the transport of less than 10 persons (includes manufacture of racing cars and golf-carts, jetc.)

Manufacture of motor-cycles and scooters and parts (including three-wheelers)

Manufacture of bycicles, cycle-rickshaw & parts

Manufacture of aircraft, spacecraft and their parts

Manufacture of bullock-carts, push-carts and hand-carts etc.

Manufacture of transport equipment and parts not elsewhere classified

Other Manufacturing Industries

Manufacture of medical, surgical, scientific and measuring equipment except optical equipment

Manufacture of photographic, cinematographic and optical goods and equipment (excluding photochemicals sensitised paper and film)

Manufacture of watches and clocks

Manufacture of jewellery and related articles

Minting of currency coins

खेल और व्यायाम की वस्तुओं का विनिर्माण

वाद्य यंत्रों का विनिर्माण

लेखन सामग्री का विनिर्माण जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

सौर ऊर्जा पर आधारित वस्तुओं जैसे सोलर सेलों, कुकरों, पानी और हवा को गर्म करने के उपस्करणों और तत्संबंधी अन्य वस्तुओं का विनिर्माण विविध सामान का विनिर्माण जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

पूंजीगत माल की मरम्मत

(इस खंड में मरम्मत और रखरखाव सम्मिलित है लेकिन उद्योगों द्वारा पूंजीगत माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली मशीनों और उपकरणों की निर्माताओं द्वारा मरम्मत और रखरखाव सम्मिलित नहीं है। उपभोक्ता वस्तुओं की मरम्मत को अलग से वर्गीकृत किया गया है चाहे उपभोक्ता परिवार हो या नहीं)

कृषि मशीनों उपकरणों की मरम्मत

प्राइममूवरों, बायलरों, वाष्प बनाने वाले संयंत्रों और न्यूक्लीयर रिएक्टरों की मरम्मत

मशीन औजारों की मरम्मत

मशीन औजारों से भिन्न औद्योगिक मशीनों की मरम्मत

कार्यालय में गणना करने वाली और लेखा जोखा रखने वाली मशीनों की मरम्मत

विद्युतीय औद्योगिक मशीनों और उपकरणों की मरम्मत

रेडियो प्रसारण या टेलीविजन ट्रांसमिशन के उपकरणों, रडार, उपकरणों, रेडियो दूरस्थ नियंत्रण उपकरणों और रेडियो/लाइन टेलीफोनी या लाइन टेलीग्राफी के उपकरणों की मरम्मत

भाप इंजनों और रेल पटरी के अन्य उपकरणों की मरम्मत

भारी मोटर वाहनों की मरम्मत

ऐसी मशीनों और उपकरणों की मरम्मत जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है।

विद्युत, गैस और जल

बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण

विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और सचारण

घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक और अन्य उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण

गैस और भाप उत्पादन और पाइपों द्वारा वितरण

गैस के कारखानों में गैस का उत्पादन और घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक और अन्य उपभोक्ताओं को उसका वितरण।

जल कार्य और आपूर्ति

पानी की आपूर्ति जैसे पानी को इक्कट्ठा करना, उसे साफ करना और उसका वितरण करना

गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन और वितरण

सौर ऊर्जा का उत्पादन

बायो गैस ऊर्जा का उत्पादन और वितरण

पवन चक्कियों द्वारा ऊर्जा का उत्पादन

गैर परम्परागत अन्य ऊर्जा, जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है, का उत्पादन और वितरण

Manufacture of sports and athelatic goods

Manufacture of musical instruments

Manufacture of stationery artiles n.e.c.

Manufacture of items based on solar energy like solar cells, cookers, air and water heating systems and other related items

Manufacture of miscellaneous products not elsewhere classified

Repair of capital goods

(This Division includes repair and maintenance, other than by manufacturers of machinery and equipments which are generally used as investment goods by industries. Repair of consumption goods is classified separately whether or not the consumers are households)

Repair of agricultural machinery/equipment

Repair of prime-movers, boilers, steamgenerating plants and nuclear reactors

Repair of machine tools

Repair of industrial machinery other than machine tools

Repair of office, computing and accounting machinery

Repair of electrical industrial machinery and apparatus

Repair of apparatus for radio-broadcasting or television transmission radar apparatus, radio remote control apparatus and apparatus for radio/line telephoney or line telegraphy

Repair of locomotives and other railroad equipment

Repair of heavy motor vehicles

Repair of machinery and equipment not elsewhere classified

ELECTRICITY, GAS AND WATER

Electricity Generation, Transmissin and Distribution

Generation and transmission of electric energy

Distribution of electric energy to households, industrial, commercial and other users

Gas and Steam Generation and Distribution through Pipes

Generation of gas in gas-works and distribution through mains to households, industrial, commetcial and other users

Water Works and Supply

Water supply i.e. collection, purification and distribution of water

Non-conventional Energy Generation and Distribution

Generation of solar energy

Generation and distribution of bio-gas energy

Generation of energy through wind mills

Generation and distribution of other non-conventional energy n.e,c,

निर्माण

भवनों का निर्माण और रख-रखाव

सड़क, रेलवे, पुल, सुरंग, पाइप लाइन, रज्जूमार्ग, पोर्ट हारबर हवाई, पट्टी इत्यादि का निर्माण और उनका रख–रखाव

बिजली, दूरसंचार और संचारण लाइनों का निर्माण एवं रख-रखाव

बांध, तटबांध डेम, नहरें, तालाब, कुएं, नल-कूप आदि जैसे जलमार्गों (वाटरवेज) और जलाशयों का निर्माण एवं उनका रख-रखाव

हाइड्रो–इलैक्ट्रिक परियोजनाओं का निर्माण और रख-रखाव

हाइड्रो–इलैक्ट्रिक परियोजनाओं को छोड़कर बिजली संयंत्रों का निर्माण और रख-रखाव

बिजली संयंत्रों के सिवाय औद्योगिक संयंत्रों का निर्माण और रख-रखाव

वे निर्माण और रख-रखाव कार्य जिनका किसी अन्य स्थान पर वर्गीकरण नहीं किया गया है।

निर्माण कार्य से सम्बन्धित अन्य कार्य

प्लंबिंग और जल निकासी

तापन और वातानुकूल मशीनों का लगाना, लिफ्ट लगाना, साउंड प्रूफिंग आदि करना

टाइल, संगमरमर, ईंट, शीशा तथा पत्थर लगाना

दरवाजे, खिड़कियां, पैनल लगाने जैसा प्लम्बर का काम, इस्पात कार्य, आर. सी. सी. कार्य और सलाखों को बांधना

निर्माण के लिए बिजली के उपकरणों का लगाना

निर्माण के लिए रंग रोगन और सजावट का कार्य

निर्माण से सम्बधित अन्य कार्य जिनका अन्य किसी स्थान पर वर्गीकरण नहीं किया गया है

थोक एवं फुटकर व्यापार एवं जनपान गृह और होटल

कृषि कच्चा माल, पशुधन, खाद्य पदार्थ, पेय और मादक पदार्थ और वस्त्रों का थोक व्यापार

अनाज और दालों का थोक व्यापार

आधारभूत खाद्य सामग्री का थोक व्यापार (अनाज और दालों को छोड़कर)

वनस्पति/पशुओं से बने रेशों का थोक व्यापार

अनिर्मित तम्बाकू, पान पत्ता, अफीम, गांजा और सिनकोना आदि का थोक व्यापार

पुआल, चारा और अन्य पशु/मुर्गी दाने का थोक व्यापार

पशुओं और मुर्गियों का थोक व्यापार

विनिर्मित खाद्य सामग्री का थोक व्यापार

चाय, काफी, कोका, तम्बाकू, उत्पादों और पेय पदार्थों, मादक पदार्थों को छोड़कर, का थोक व्यापार

मादक पदार्थों जैसे मदिरा और शराब की आकस्मिक बोतलबंदी सहित थोक व्यापार

वस्त्र और वस्त्र उत्पाद जैसे सभी प्रकार के धागों, फेब्रिक्स, परिधान और अन्य तैयार वस्तुएं आदि (जिसमें पुराने शामिल हैं) का थोक व्यापार वस्त्र

लकड़ी, कागज, खालों, चमड़ा और फर, ईंधन, पैट्रोल, रसायनों, सुगंधित पदार्थों, मिट्टी के बर्तनों, कांच और अयस्क तथा धातुओं का थोक व्यापार

काष्ठ बेंत, बांस और छप्पर सामग्री आदि का थोक व्यापार

कागज, और अन्य लेखन सामग्री का थोक व्यापार

खाल, चमड़ा और फर तथा उनके उत्पादों का थोक व्यापार

ईंधन और ज्वलनशील उत्पादों का थोक व्यापार

पैट्रोल, मोबिल तेल और सम्बद्ध उत्पादों का थोक व्यापार

औषध तथा रसायनों का थोक व्यापार

उर्वरक और कीटनाशक का थोक व्यापार

CONSTRUCTION

Construction

Construction and maintenance of buildings

Construction and maintenance of roads, railbeds, bridges, tunnels, pipelines, ropeways, ports, harbours and runways, etc.

Construction/erection and maintenance of power, telecommunication and transmission lines

Construction and maintenance of waterways and water reservoirs such as bunds, embankments, dams, canals, tanks, wells, tubewells and aquaducts etc.

Construction and maintenance of hydro-electric projects

Construction and maintenane of power plants except hydro-electric projects

Construction and maintenance of industrial plants excluding power plants

Construction and maintenance not elsewhere classified

Activities Allied to Construction

Plumbing and drainage

Heating and air-conditioning installation, lift installation, sound-proofing etc.

Setting of tiles, marble, bricks, glass and stone

Timber works (such as fixing of doors, windows, panels); structural steel work; R.C.C. work and binding of the bars and roof trusses

Electrical installation work for constructions

Painting and decorating work for constructions

Other activities allied to construction not elsewhere classified

WHOLESALE AND RETAIL TRADE AND RESTAURANTS AND HOTELS

Wholesale trade in Agricultural Raw Materials, live animals, food, beverages, intoxicants and textiles

Wholesale trade in cereals and pulses

Wholesale trade in basic food-stuffs (other than cereals and pulses)

Wholesale trade in textile fibres of vegetable/animal origin

Wholesale trade in un-manufactured tobacco, pan leaves, opium, ganja and cinchona, etc.

Wholesale trade in straw, fodder and other animal/poultry feed

Wholesale trade in live animals and poultry

Wholesale trade in manufactured foodstuffs

Wholesale trade in tea, coffee, cocoa, tobacco products and beverages other than intoxicants

Wholesale trade in intoxicants like wines and liquors including incidental bottling

Wholesale trade in textiles and textile products. like all kinds of yarn, fabrics, garments and other made-up articles, etc. (including second-hand textile goods)

Wholeslae trade in wood, paper, skin, leather and fur, fuel, petroleum chemicals, perfumery, ceramics, glass and ores and metals

Wholesale trade in wood, cane, bamboo and thatches, etc.

Wholesale trade in paper and other stationery goods

Wholesale trade in skin, leather, fur and their products

Wholesale trade in fuel and lighting products

Wholesale trade in petrol, mobile oil and allied products

Wholesale trade in medicines and chemicals

Wholesale trade in fertilizers and pesticides

श्रृंगार सामग्री, सुगंधित वस्तुओं और अंगराग सामग्री का थोक व्यापार

धातु, पोर्सिलिन और कांच पात्रों, क्राकरी और चीनी मिट्टी के बर्तनों का थोक व्यापार

अयस्क और धातुओं का थोक व्यापार

परिवहन उपस्कर सहित सभी प्रकार की मशीनरी उपकरणों का थोक व्यापार

कृषि और औद्योगिक मशीनरी का थोक व्यापार

बिजली मशीनरी और उपस्कर का थोक व्यापार

इलैक्ट्रानिक उपस्कर और उपकरणों का थोक व्यापार

परिवहन और स्टोरेज उपकरणों का थोक व्यापार

थोक व्यापार जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

फर्नीचर और जुड़नारों का थोक व्यापार

रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पादों का थोक व्यापार

भवन निर्माण सामग्री का थोक व्यापार

हार्ड वेयर और स्वच्छता उपस्करों का थोक व्यापार

गृहोपयोगी उपस्करों, उपकरणों जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है, का थोक व्यापार

वैज्ञानिक, चिकित्सा संबंधी और शल्य चिकित्सा उपकरणों का थोक व्यापार

घड़ियों/दीवार घड़ियों, चश्मों के शीशों और फ्रेमों का थोक व्यापार

बहुमूल्य धातुओं, रत्नों और आभूषणों का थोक व्यापार

विविध माल, जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है, का थोक व्यापार

कमीशन जेन्ट

कृषि के लिए कच्चा माल, पशुधन, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, मादक पदार्थ और वस्त्रों के व्यापार में लगे कमीशन एजेन्ट

काष्ठ, कागज, खाल, चमड़ा और फर, ईंधन, पैट्रोल, रसायन, सुगंधित सामग्री, अंगराग सामग्री, कांच, अयस्क और धातुओं के व्यापार में कमीशन एजेन्ट

मशीनरी और उपस्करों के व्यापार में कमीशन एजेन्ट

अन्य कमीशन एजेन्ट जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

खाद्य और खाद्य पदार्थों पेय पदार्थों तम्बाकू और मादक पादर्थों का खुदरा व्यापार

अनाज और दालों, चाय, काफी, मसाले, आटा और अन्य आधारभूत खाद्य वस्तुओं का विशिष्ट खुदरा व्यापार

सब्जियों और फलों का खुदरा व्यापार

मांस, मछली और कुक्कुटादि का खुदरा व्यापार

मिठाई, बेकरी उत्पाद, डेरी उत्पाद और अंडों का खुदरा व्यापार

एरेटेड वाटर, पेय पदार्थ और आइसक्रीम का खुदरा व्यापार

पान, बीड़ी और सिगरेट का खुदरा व्यापार

मदिरा और शराब का, जिसका तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता, खुदरा व्यापार

खाद्य और खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, तम्बाकू और मादक पदार्थ का, जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है, खुदरा व्यापार

कपड़े का खुदरा व्यापार

तैयार कपड़ों, होजरी/निटिड कपड़ों आदि का खुदरा व्यापार जिसमें पुराने (कपड़ों का खुदरा व्यापार भी शामिल है)

Wholesale trade in toiletry, perfumery and cosmetics

Wholesale trade in metal, porcelain and glass utensils, crockery and chinaware

Wholesale trade in ores and metals

Wholesale Trade in all Types of Machinery Equipment including Transport Equipment

Wholesale trade in agricultural and industrial machinery

Wholesale trade in electrical machinery and equipment

Wholesale trade in electronic equipment and accessories

Wholesale trade in transport and storage equipment

Wholesale Trade not Elsewhere Classified

Wholesale trade in furniture and fixtures

Wholesale trade in rubber, plastic and their products

Wholesale trade in buildings materials

Wholesale trade in hardware and sanitary fixtures

Wholesale trade in household equipment, appliances n.e.c.

Wholesale trade in scientific, medical and surgical instruments

Wholesale trade in watches/clocks, eye glasses and spectacle frames

Wholesale trade in precious metals, stones and jewellery

Wholesale trade in wastes and metal scraps

Wholesale trade in miscellaneous goods not elsewhere classified

Commission Agents

Commission agents dealing in agricultural raw materials, live animals food, beverages, intoxicants and textiles

Commission agents dealing in wood, paper, skin, leather and fur, fuel, petroleum, chemicals, perfumery, cosmetics glass, ores and metals

Commission agents dealing in machinery and equipment

Other commission agents n.e.c.

Retail Trade in Food and Food Articles, Beeerages, Tobacco and intoxicants

Specialised retail trade in cereals and pulses, tea, coffee, spices, flour and other basic food items

Retail trade in vegetables and fruits

Reail trade in meat, fish and poultry

Retail trade in sweetmeat, bakry products, dairy products and eggs

Retail trade in aerated water, soft drinks and ice-cream

Retail trade in pan, bidi and cigarette

Retial trade in wine and liquor, not consumed on the spot

Retail trade in food and food articles, beverages, tobacco and intoxicants not elsewhere classified

Retail Trade in Textiles

Retail trade in ready-made garments, hosiery/knitted garments, etc. (includes retail trade in second-hand garments)

ईंधन और अन्य गृहोपयोगी और टिकाऊ वस्तुओं का खुदरा व्यापार

जलाने की लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल और कुकिंग गैस का खुदरा व्यापार

जूतों का खुदरा व्यापार

क्राकरी, कांच के बर्तन और प्लास्टिक की वस्तुओं का खुदरा व्यापार

बर्तनों का (प्लास्टिक की वस्तुओं में विशिष्ट व्यापारियों के अलावा) खुदरा व्यापार

बिजली/इलेक्ट्रानिक उपकरणों का (घड़ियों और दीवार घड़ियों सहित) खुदरा व्यापार

आभूषणों का खुदरा व्यापार

ईंधन और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं और चीजों का जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है, खुदरा व्यापार

वह खुदरा व्यापार, जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

किताब, मेंगनीज व लेखन सामग्री (समाचारपत्रों का वितरण सहित) का खुदरा व्यापार

कृषि सामग्री अर्थात् बीज, उर्वरक और कीटनाशक का खुदरा व्यापार

मोटर ईंधन का खुदरा व्यापार

भवन निर्माण सामग्री का खुदरा व्यापार

कृषि मशीनरी और उपस्करों का खुदरा व्यापार

औद्योगिक मशीनरी तथा विद्युतीय और गैर-विद्युतीय उपस्करों का खुदरा व्यापार

परिवहन उपस्करों का खुदरा व्यापार

भेषज, औषध और विकलांग–विज्ञान के सामान का खुदरा व्यापार

अविशिष्ट खुदरा व्यापार जिसमें गैर स्टोर खुदरा व्यापार शामिल है

वह खुदरा व्यापार जिसका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

जलपान गृह और होटल

रेस्तरां, केफे और अन्य जलपान गृह

(**टिप्पणी** 1 :–इस समूह में ऐसी तैयार खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों की बिक्री शामिल है जिनका स्थल पर ही उपयोग किया जा सकता है जैसे कि रेस्तरां, केफे, लंच, काऊंटर एवं रिफ्रेशमेंट स्टेंड। इसमें केटरिंग सेवा और रेलवे कम्पनियों की डायनिंग कार से भोजन लाने की सेवा और सवारी परिवहन की अन्य सुविधाएं जो कि स्वतंत्र सेवा के रूप में चलती हैं, आदि शामिल है। इसमें मशीनों, स्टालों आदि के माध्यम से बिक्री भी शामिल है चाहे ऐसी मशीनें या स्टाल एक जगह पर हों या चलती फिरती हों। **टिप्पणी** 2 : यदि उक्त गतिविधियां आवास से सम्बन्धित हैं तो उन्हें अलग से वर्गीकृत किया जायेगा)।

होटल, रूमिंग हाउस, कैम्प और अन्य आवासीय स्थल।

परिवहन, भंडारण और संचार

थल परिवहन

रेल परिवहन

बस सेवाओं द्वारा यात्री परिवहन (ट्राम-वे सहित)

बसों के अलावा अन्य मोटर गाड़ियों से यात्री परिवहन

मोटर गाड़ियों से माल ढुलाई

किराए की गाड़ियों, बैलगाड़ियों, इक्कों, तांगो आदि द्वारा यात्रियों या माल की ढुलाई

पशुओं जैसे घोड़े, हाथी, खच्चर, ऊंट आदि द्वारा परिवहन

मनुष्य द्वारा परिवहन (रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी चालक, भारिक, कुली आदि समेत)

पाइपलाइन परिवहन

भूमि परिवहन की सहायक सेवाएं, जैसे राजमार्ग पुलों, राहदारी सड़कों, गाड़ी–पथ सुरंगों, पार्किंग के स्थानों आदि की व्यवस्था।

Retail Trade in fuels and other Household Utilities and Durables

Retail trade in firewood, coal, kerosene oil and cooking gases

Retail trade in footwear

Retail trade in crockery, glass-ware and plastic-ware

Retail trade in utensils (except those specialising in plastic wares)

Retail trade in furniture

Retail trade in electric/electronic equipment (including watches and clocks)

Retail trade in jewellery

Retail trade in fuel and other household utilities and durables not elsewhere classified

Retail Trade N.E.C.

Retail trade books, magazines and stationery (including distribution of newspapers)

Retail trade in agricultural inputs, viz. seeds, fertilizers and pesticides

Retail trade in motor fuels

Retail trade in building materials

Retail trade in agrcultural machinery and equipment

Retail trade in industrial machinery and equipment electrical and non-electrical

Retail trade in transport equipment

Retaill trade in pharmaceutical, medical and orthopaedic goods

Non-specialised retail trade including non-store retail trade

Retail trade not elsewhere classified

Restaurants and Hotels

Restaurants, cafes and other eating and drinking places

(Note 1 : This group includes sales of prepared foods and drinks for immediate consumption on the premises such as restaurants, cafes, lunch counters and refreshment stands. Also includes are catering activities and take-out activities as well as dining-car actvities of railway companies and other passenger transport facilities which are operated as independent activities. Sales through vending machines, vending stalls, whether or not mobile, are included. Note : 2 The above mentioned activities, if carried out in connection with the provision of lodging, are to be classified separately)

Hotels, rooming houses, camps and other lodging places

TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION

Land Transport

Railway transport

Passenger transport by bus (including tramways)

Passenger transport by motor vehicles other than by bus

Freight transport by motor vehicles

Passenger or freight transport by hackney carriages, bullockcarts, ekkas, tongas. etc.

Transport by animals like horses, elephants, mules, camels, etc.

Transport by man (including rickshaw pullers, handcart pullers, porters, coolies, etc.)

Pipe-line transport

Supporting services to land transport, like operation of highway bridges, toll roads, vehicular tunnels, parking lots, etc.

Other land transport

जल परिवहन

महासागरीय और तटीय जल परिवहन

अन्तर्देशीय जल परिवहन

जल परिवहन की सहायक सेवाएं जैसे पायों, गोदी, पाइलट कार्य, प्रकाश स्तंभों और गाड़ियों के लदान और ढुलाई का संचालन एवं रख-रखाव

वायु परिवहन

वायु परिवहन संबंधी वाहन (यात्रियों तथा माल के)

वायु परिवहन की सहायक सेवाएं जैसे हवाई अड्डों, उड़ान सुविधाओं, रेडियो संकेतकों, उड़ान नियंत्रण केन्द्रों, राडार स्टेशनों आदि का संचालन

परिवहन से संबंधित वे अन्य सेवाएं जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

थल परिवहन संबंधी वाहनों का संचालन

जल परिवहन संबंधी वाहनों का संचालन

वायु परिवहन संबंधी वाहनों का संचालन

यात्री परिवहन के लिए बिना चालक के मोटर वाहनों को किराए पर या पट्टे पर देना (वित्तीय लीजिंग को छोड़कर) मोटर साइकिलों, स्कूटर और मोपेड आदि को किराए या पट्टे पर देने को अलग से वर्गीकृत किया गया है।

माल ढुलाई के लिए मोटर वाहनों को बिना चालक के किराए पर या पट्टे पर देना (वित्तीय लीजिंग को छोड़कर)

वायुयानों को किराए और पट्टे पर (वित्तीय लीजिंग को छोड़कर) देना

पोतों को किराए और पट्टे पर (वित्तीय लीजिंग को छोड़कर) देना

पर्यटक और यात्रा एजेन्टों के कार्यकलाप

पर्यटक और यात्रा एजेन्टों को छोड़कर परिवहन एजेन्टों के कार्यकलाप

परिवहन संबंधी वे अन्य सेवाएं, जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

भंडारण और माल गोदाम सेवाएं

बिना प्रशीतन के कृषि उत्पादन का भांडागारण

प्रशीतन (शीतागार) के साथ कृषि उत्पादन का भाडांगारण

अन्यत्र अवर्गीकृत भंडारण और भांडागारण की सेवाएं (इसमें फर्नीचर, मोटर गाड़ियां, गैस और तेल, केमिकल और कपड़े का भांडागारण सम्मिलित है। विदेशी व्यापार क्षेत्रों में सामान का भंडारण भी सम्मिलित है)।

संचार सेवाएं

डाक, तार, बेतार और सिग्नल संबंधी संचार सेवाएं।

डाक के अलावा, कूरियर कार्यकलाप (इस समूह में पत्रों, डाक की अन्य सामग्री अर्थात् सामान्यतः छोटे पार्सलों और पेकेटों को ले जाना, उनका परिवहन और वितरण सम्मिलित है। यह कार्य एक ही प्रकार के परिवहन या एक से अधिक प्रकार के परिवहनों के माध्यम से किया जा सकता है और परिवहन निजी भी हो सकता है या सार्वजनिक भी। राष्ट्रीय डाक प्रशासन द्वारा किए जा रहे सभी डाक कार्यकलापों को अलग से वर्गीकृत किया गया है)

दूरभाष संचार सेवाएं

दूर-संचार सेवाएं, जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

Water Transport

Ocean and coastal water transport

Inland water transport

Supporting services to water-transport like operation and maintenance of piers, docks, pilotage, lighthouses, loading and discharging of vessels, etc.

Air Transport

Air transport carriers (of passengers and freight)

Supporting services to air transport, like operation of airports flying facilties, radio beacons, flying control centres, radar, stations, etc.

Services incidental to Transport N.E.C.

Cargo handling incidental to land transport

Cargo handling incidental to water transport

Cargo handling incidental to air transport

Renting and leasing (except financial leasing) of motor vehicles, without operator for passenger transport (Renting and leasing of motor cycles, scooters and mopeds etc. is classified separately)

Renting and basing (except financial leasing) of motor vehicles, without operator for freight transport.

Renting and leasing (except financial leasing) of aircrafts

Renting and leasing (except financial leasing) of ships

Activities of tourist and travel agents

Activities of transport agents other than tourist and travel agents

Other services incidental to transport n.e.c.

Storage and Warehousing Services

Warehousing of agricultural products without refrigeration

Warehousing of agricultural products with refrigeration (cold storages)

Storage and warehousing services not elsewhere classified (includes warehousing of furniture, automobiles, gas, and oil, chemicals and textiles. Also included is storage of goods inforeign trade zones)

Communication Services

Postal, telegraphic, wireless and signal communication services

Courier activities other than post. (This group includes picking up, transport and delivery of letters and mail-type usually small parcels and packages. Either only one kind of transport or more than one mode of transport may be involved and the activity may be carried out with either self-owned (private) or public transport media. All postal activities carried out by the National Postal Administration are classified separately)

Telephone communication services

Communication services not elsewhere clasified.

वित्त व्यवस्था, बीमा, जमीन जायदाद और व्यावसायिक सेवाएं

बैंकिंग कार्यकलाप वित्तीय सेवाओं को सम्मिलित करके

बचत जमा कार्यकलाप (इस समूह में सेंट्रल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक, बचत और ऋण संस्थाएं और ऐसी अन्य संस्थाएं सम्मिलित हैं जनमें धन का मुख्य स्रोत जमा राशि है)

अन्य ऋण संबंधी कार्यकलाप (इस समूह में ऐसी इकाइयों के कार्यकलाप सम्मिलित हैं जिनका मुख्य कार्य ऋण देना है। इन्हें जमा संस्थाओं से इस रूप में अलग रखा गया है कि इनके धन का मुख्य स्रोत इक्विटी या अल्पकालीन पेपर आदि होते हैं न कि जमा राशि)

अन्य बैंकिंग सेवाएं

प्रतिभूतियां संबंधी कार्यकलाप (इस समूह में सभी प्रकार के विनिमय दस्तावेजों से काम करने वाले, दलाल, व्यापारी और सेंट्रल एक्सचेंज और नई प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में बीमाकर्ता और एजेन्ट सम्मिलित हैं)

प्रतिभूतियों संबंधी कार्यकलापों से भिन्न अन्य वित्तीय सेवाएं

भविष्य निधि और बीमा सेवाएं

भविष्य निधि सेवाएं

जीवन बीमा

जमा/उधार गारंटी बीमा सेवाएं

जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य बीमा जैसे आग, समुद्रीय दुर्घटना, स्वास्थ्य, बीमा और साथ ही बीमा एजेन्ट, मूल्यांकनकर्ता/प्राक्कलनकर्ता आदि

जमीन जायदाद संबंधी कार्यकलाप

आवासीय और गैर आवासीय भवन जैसे जमीन जायदाद की खरीद, बिक्री उसे किराए पर देना और उसका संचालन, जमीन का विकास और उसका विभाजन कर पट्टे पर देना., जमीन जायदाद के वे दलाल और प्रबन्धक जो उस जायदाद को ठेके या फीस के आधार पर किराए पर देने, खरीदने, बेचने, प्रबन्ध करने और उसका मूल्यांकन करने के काम में लगे हों

कानूनी सवाएं

कानूनी सेवाएं जैसे वकीलों, बैरिस्टरों, सालिसिटरों, प्लीडरों, मुख्तियारों आदि की सेवाएं

लाटरियों का संचालन

लाटरी टिकटों की थोक खरीद और बिक्री

व्यक्तियों को लाटरी टिकटों की बिक्री

अन्यत्र अवर्गीकृत किराएदारी और पट्टेदारी (वित्तीय लीजिंग को वित्तीय कार्यकलापों में वर्गीकृत किया गया है)

बिना चालक के उन परिवहन उपकरणों को किराए पर देना जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है (इसमें रख-रखाव सहित या रख-रखाव के बिना छोटी अवधि के लिए किराए पर देना या लम्बी अवधि के लिए लीज पर देना सम्मिलित है)

बिना चालक के कृषि मशीनरी और उपकरणों को किराए पर देना

लेखा-जोखा रखने वाली और गणना करने वाली कार्यालयी मशीनों और उपकरणों को बिना चालक के किराए पर देना

(कम्प्यूटर को प्रति घण्टा या समय शेयरिंग के आधार पर किराए पर देने को अलग से वर्गीकृत किया गया है। कम्प्यूटर या कम्प्यूटर से सम्बंधित उपकरण को प्रबन्धक या संचालक सहित किराए पर देने को भी अलग से वर्गीकृत किया गया है)

अन्य औद्योगिक मशीनों और उपकरणों को किराए पर देना (इस समूह में उद्योगों द्वारा पूंजीगत माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली सभी प्रकार की मशीनों को किराए पर या पट्टे पर देना सम्मिलित है)

व्यक्तिगत और गृहोपयोगी वस्तुओं को किराए पर देना (इस समूह में सभी प्रकार की वस्तुएं किराए पर देना सम्मिलित है चाहे उपभोक्ता परिवार हो या नहीं। इसमें कपड़े, पहनने के कपड़े तथा जूते, फर्नीचर, बर्तन और कांच, रसोई के बर्तन, बिजली के उपकरण और घरेलू सामान, जवाहरात, वाद्य यंत्र और इसी प्रकार का अन्य सामान शामिल है। पुस्तक किराए पर देना अलग से वर्गीकृत किया गया है)

FINANCING, INSURANCE, REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICES

Banking Activities, including Financial Services

Deposit activities (This group includes activities of-central banks, commercial banks, savings banks, savings and loan associations and other such institutions whose major source of funds is deposits)

Other credit activities (This group includes actvities of such units whose chief activity is making loans. They are distinguished from the deposit institutions in that the chief source of funds is equity or short term paper etc., but not deposits)

Other banking activities

Securities dealing activities (This group includes activities of brokers and dealers and central exchanges dealing in all kinds of negotiable instruments and underwriters and agents in the floatation of new securities)

Financial services other than securities dealing activities

Provident and Insurance Services

Provident services

Insurance carriers, life

Deposit/credit guaranty insurance services

Insurance carriers other than life such as fire, marine, accident, health including insurance agents, valuers/assessors etc.

Real Estate Activities

Purchase, sale, letting and operating of real estate such as residential and non-residential buildings, developin, and sub-dividing real estate into lots, lessors of real property, real estate agents, brokers and managers engaged in renting buying and selling, managing and appraising real estates on a contract or fee basis

Legal Services

Legal services such as those rendered by advocates, barristers, solicitors, pleaders, mukhtiars, etc.

Operation of Lotteries

Bulk purchase and sale of lottery tickets

Sale of lottery tickets to individuals

Renting and Leasing (Financial Leasing is Classified in Financial Activities) Not elsewhere Classified

Renting of transport equipment without operator n.e.c. (Includes shorterm rental as well as extended-term leasing with or without maintenance)

Renting of agricultural machinery and equipments without operator

Renting of office, accounting and computing machinery and equipment, without operator (Renting of computer time on an hourly or time-sharing basis is classified separately. Renting of computers or computer-related equipment with management or operation is also classified separately)

Renting of other industrial machinery and equipment (This group includes the renting or leasing of all kind of machinery which is generally used as investment goods by industries).

Renting of personal and household goods (This group includes the rental of all kind of goods whether or not the customers are households. It involves the rental of such goods as textiles, wearing apparel and foot wear, furnitre, pottery and glass, kitchen and tableware, electrical appliances and house-wares, jewellery, musical instruments and so on. Book rental is classified separately).

वे व्यापारिक सेवाएं, जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

नीलामी सेवाएं

लेखा विधि हिसाब-किताब और लेखा-परीक्षण के कार्यकलाप जिसमें कर सम्बन्धी परामर्शदात्री सेवाएं भी सम्मिलित हैं

आंकड़े संसाधन (डाटा प्रोसेसिंग), सोफ्टवेयर का विकास और कम्प्यूटर परामर्शदात्री सेवाएं

व्यापार और प्रबन्ध परामर्शदात्री सेवाएं

वास्तुशिल्पीय और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्शदात्री कार्यकलाप

तकनीकी जांच और विश्लेषण सेवाएं (इस समूह में सभी प्रकार की सामग्री और सामान की जांच सम्मिलित है)

विज्ञापन

प्रेस एजेन्सियों के कार्यकलाप (इस समूह में शुल्क या ठेके के आधार पर समाचार सिंडीकेट और समाचार ऐजेन्सी के कार्यकलाप सम्मिलित है। स्वतन्त्र रूप से संवाददाता, समाचार-लेखक इत्यादि के कार्यकलाप भी सम्मिलित हैं)

कार्मिकों की भर्ती और व्यवस्था

वे अन्य व्यापारिक सेवाएं जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं

लोक प्रशासन और रक्षा सवाएं

केन्द्र सरकार की लोक सेवाएं जिनमें रक्षा सेवाएं भी सम्मिलित हैं। राज्य सरकारों की लोक सेवाएं, जिनमें पुलिस सेवाएं भी सम्मिलित हैं। स्थानीय निकायों, विभागों और कार्यालयों की लोक सेवाएं, जो प्रशासन के अन्तर्गत आती हैं जैसे स्थानीय कराधान और व्यापार विनियमन इत्यादि अर्ध सरकारी निकायों की लोक सेवाएं

सफाई सेवाएं

सफाई तथा इसी प्रकार की सेवाएं जैसे कूड़ा-कचरा, मल-जल निपटान, नालियों की सफाई तथा वे सभी अन्य कार्य जो लोक स्वास्थ्य और सफाई से सम्बन्धित हैं

शिक्षा, वैज्ञानिक और अनुसंधान-सेवाएं

तकनीकी या व्यावसायिक कालेजों, स्कूलों और अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शैक्षणिक सेवाएं

गैर-तकनीकी कालेजों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शैक्षणिक सेवाएं

वे अनुसंधान और वैज्ञानिक सेवाएं जिनका किसी अन्य स्थान पर वर्गीकरण नहीं किया गया है जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और समाज विज्ञान संस्थाएं और प्रयोगशालाएं, मौसम-विज्ञान संस्थाएं और आयुर्विज्ञान अनुसंधान संगठन आदि।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं

अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्षय रोग अस्पताल, नर्सिंग होम, प्रसूति और बाल कल्याण क्लिनिक जसे संगठनों तथा एलोपथिक/आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथिक आदि के व्यवसायों द्वारा की गई स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं

पशु-चिकित्सा सेवाएं जिसमें पक्षी अस्पताल भी सम्मिलित है

सामुदायिक सेवाएं

संगठनों या व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक सवाएं

समुदाय के कल्याण के लिए कार्यरत लाभरहित कल्याणकारी संगठनों की सेवाएं जैसे वृद्धों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रिलीफ सोसाइटी, क्रेच, गृह इत्यादि

व्यापारिक, व्यावसायिक और श्रमिक संगठनों द्वारा की गई वे सेवाएं जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

सहकारी समितियों द्वारा की गई वे सेवाएं जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

वे सामुदायिक सेवाएं जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

Business Services not Elsewhere Classified

Auctioneering services

Accounting, book-keeping and auditing activities, including tax consultancy services

Data processing, software development and computer consultancy services

Business and management consultancy activities

Architectural and engineering and other technical consultancy activities

Technical testing and analysis services (This group includes testing of all types of materials and products).

Advertising

Press agency activities (This group includes news syndicate and news agency activities on a fee or contract basis. Includes activities of independent news reporters, news writers, etc.)

Recruitment and provision of personnel

Other business services not elsewhere classified

COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICES

Public Administration and Defence Services

Public services in the union government including defence services

Public services in state governments including police services

Public services in local bodies, departments and offices engagd in administration like local taxation and business regulations etc.

Public services in quasi-government bodies

Sanitary Services

Sanitation and similar services such as garbage and sewage disposal, operation of drainage systems and all other types of work connected with public health and sanitation

Education, Scientific and Research Services

Educational services rendered by technical or vocational colleges, schools and other institutions

Educational services rendered by non-technical colleges, schools, universities and other institutions

Research and scientific services not classified elsewhere such as those rendered by institutions and laboratories engaged in research in the biological, physical and social sciences, meteorological institutes and medical research organisations, etc.

Health and Medical Services

Health and medical services rendered by organisations and individuals such as hospitals, dispensaries, sanatoria, nursing homes, maternal and child welfare clinics by allopathic/ayurvedic, unani, homoeopathic, etc. practitioners.

Veterinary services (including birds' hospitals)

Community Services

Religious services rendered by organisations or individuals

Welfare services rendered by organisations operating on a no-profit basis for the promotion of welfare of the community such as relief societies, creches, homes for the aged and physically handicapped, etc.

Services rendered by business, professional and labour organisations n.e.c.

Services rendered by cooperative societies n.e.c.

Community services not elsewhere classified

मनोरंजन और सांस्कृतिक सेवाएं

चलचित्र और वीडियो फिल्म बनाना

चलचित्रों का वितरण और उनके प्रदर्शन की सेवाएं

नाटक और उससे सम्बन्धित सेवाएं

लेखक, संगीतकार, गायक, नर्तक, जादूगर और अन्य स्वावलम्बी वे कलाकार जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण और उससे सम्बन्धित सेवाएं

सर्कस और रेस-ट्रेक का परिचालन

पुस्तकालय, संग्रहालय, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर और अभयारण्य (गेम सेन्चुरी) आदि

दृश्य और श्रव्य कैसेट लाइब्रेरी

वीडियो पार्लर, इलैक्ट्रानिक खेल, आमोद-प्रमोद के वे अन्य केन्द्र जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

वे मनोरंजन सेवाएं जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

निजी सेवाएं

घरेलू नौकरी

लांड्री, सफाई और रंगाई आदि का काम

नाई की दुकानें, सैलून एवं सौन्दर्य प्रसाधन की दुकानें

रूप-चित्र व व्यवसायिक फोटोग्राफी की दुकानें

सिलाई की दुकानें

वे निजी सेवाएं जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

मरम्मत सेवाएं

जूतों और चमड़े के अन्य सामान की मरम्मत

घरेलू विद्युतीय उपकरणों की मरम्मत

टी०वी०, वी०सी०आर०, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेपरिकार्डर, रैफ्रीजरेटर और अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की मरम्मत

घड़ी, दीवार घड़ी और जेवरात की मरम्मत

ट्रक, लॉरी और अन्य भारी वाहनों के अतिरिक्त मोटर वाहनों और मोटर साईकिलों की मरम्मत

साइकिलों और साइकिल रिक्शों की मरम्मत

वे मरम्मत उद्यम जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय और अन्य अपरदेशीय निकाय

ऐसी सेवाएं जिनका अन्यत्र वर्गीकरण नहीं किया गया है

ऐसे कार्यकलाप जिनका पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया हो

ऐसे व्यक्ति जिनका सम्बन्ध किसी विशेष उद्योग से नहीं है (इसमें उन्हें भी शामिल किया जाए जिन्होंने नई नौकरी शुरू की हो)

ऐसे कार्यकलाप जिनका पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया हो (नई नौकरी शुरू करने वाले व्यक्तियों सहित ऐसे व्यक्तियों के अलावा जिनका सम्बन्ध किसी विशेष उद्योग से नहीं हो) ।

Recreational and Cultural Services

Motion picture and video film production

Motion picture distribution and projection services

Stage production and related services

Authors, music composers, singers, dancers, magicians and other independent artistes not elsewhere classified.

Radio and television broadcasting and related services

Operation of circuses and race tracks

Libraries, museums, botanical and zoological gardens, zoos, game sanctuaries, etc.

Audio & video casette libraries

Video parlours, electronic, games and other amusement centres n.e.c.

Recreational services n.e.c.

Personal Services

Domestic services

Laundry, cleaning and dyeing services

Hair dressing such as those done by barbers, hair dressing saloons and beauty shops etc.

Portrait and commercial photographic studios

Tailoring establishments

Personal services not elsewhere classified

Reapair Services

Repair of footwear and other leather goods

Repair of household electrical appliances

Repair of TV, VCR, radio, transistor, taperecorder, refrigerator and other electronic appliances

Repair of watches, clocks and jewellery

Repair of motor vehicles and motor cycles except trucks, lorry and other heavy vehicles

Repair of bicycles and cycle rickshaws

Repair of enterprises not elsewhere classified

International and other extra territorial bodies

Services not elsewhere classified

Activities not adequately defined

Persons without any affiliation to any particular industry (including fresh entrants to labour force)

Activities not adequately defined (other than those persons without any affiliation to any particular industry including fresh entrants to labour force)

93-MJ/(N)278RGI—300—8-7-94—GIPS